

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021—माघ 23, शक 1942

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2021

क्र. एफ 1(ए) 155-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (योजना), पु. मु., भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2020 से 8 जनवरी 2021 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (योजना), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2021

क्र. एफ 1(ए) 06-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, मो. यूसुफ कुरैशी, भापुसे, सेनानी, 23वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को दिनांक 25 जून से 24 जुलाई 2020 तक, तीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 60 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में मो. यूसुफ कुरैशी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मो. यूसुफ कुरैशी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1-17-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (ए.एन.ओ.), पु.मु., भोपाल को दिनांक 1 से 12 फरवरी 2021 तक, बारह दिवस की अवधि में 600, Hibben Magie Rd, Princeton, NJ (USA) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पुलिस महानिरीक्षक (ए.एन.ओ.), पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्नु भलावी, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2021

फा. क्र. 306-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री निमिष राजा की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष अर्थात् दिनांक 3 जनवरी 2022 तक की अभिवृद्धि करता है।

फा. क्र. 306-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, रजिस्ट्री के पृष्ठांक क्रमांक 1556-गोपनीय-दो-2-44-11, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री निमिष राजा तत्कालीन बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर की सँवाये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एक वर्ष के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2021

क्र. 438-2021-इक्कीस-ब(एक)शुद्धि-पत्र.—राज्य शासन, एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक 1148-2020-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 18 मई 2020 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 29 मई 2020 को प्रकाशित हुई थी, के अंग्रेजी संस्करण में निम्नलिखित शुद्धि पत्र जारी करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण में (पृष्ठ क्रमांक-2447) के कॉलम नं. 7 में शब्द "Bergi" के स्थान पर, शब्द "Bargi" स्थापित किया जाए।

No. 438-2021-XXI-B(One).-CORRIGENDUM.—The State Government, hereby, issues the following Corrigendum in respect of this department's Notification No. 1148-2020-XXI-B(1), dated the 18th May 2020, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 29th May, 2020, Namely:—

In the said Notification, in its English version, at page No. 2447, in Column (7), for the word "Bergi", the word "Bargi" shall be substituted.

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2021

फा. क्र. 380-इक्कीस-ब(दो)संशोधन.—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्र. 4951-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 17 जनवरी 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए "श्री राजेश राव", शासकीय अधिवक्ता जबलपुर के स्थान पर "श्री राजेश्वर राव" करता है।

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2021

फा. क्रमांक-756-इक्कीस (ब-दो) 2021.—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951-इक्कीस (ब-दो)16, दिनांक 12 अगस्त 2016 की सारणी के सरल क्रमांक-15 (1), 15(2) की प्रविष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के तीन पदों को मुख्यालय-ग्वालियर से तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर में स्थानांतरित किये जाने के पश्चात् मुख्यालय-ग्वालियर एवं तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:—

सारणी

स. क्र.	जिला/तहसील	पूर्व स्वीकृत पद	नवीन आवंटित पद	घटाये गये पदों की संख्या	बढ़ाये गये पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15(1)	ग्वालियर	06	—	03	00	03
15(2)	डबरा (ग्वालियर)	05	03	00	03	08

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रशांत कुमार, अपर सचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2021

एफ-5-1-2002-बत्तीस.—राज्य सरकार के विनिश्चय के अनुसरण में ऐसी औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों को राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करने के लिये, जिनका पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण के मामले में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा हो तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-117-बत्तीस-90, दिनांक 29 अप्रैल, 1999 तथा क्रमांक एफ 5-1-2002-बत्तीस, दिनांक 21 दिसम्बर 2010 और क्रमांक 27, दिनांक 12 जनवरी 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, उपरोक्त क्षेत्र में उपयुक्त औद्योगिक इकाइयों एवं संस्थानों (सारणी-एक अनुसार) की पहचान करने तथा उसकी अनुशंसा करने के लिये निम्नलिखित को समाविष्ट करते हुए एक समिति गठित करती है, अर्थात्:—

1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल अध्यक्ष
2. संचालक/आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि सदस्य
3. निदेशक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि सदस्य
4. निदेशक, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, (सी.एस.आई.आर.), भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि सदस्य
5. प्राध्यापक, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि सदस्य
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, इन्दौर अथवा उनका प्रतिनिधि सदस्य
7. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल अथवा उनका प्रतिनिधि सदस्य-सचिव

उपरोक्त समिति संलग्न नियमों के उपबंध के अनुसार, पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए ऐसे उपयुक्त उद्योगों तथा संस्थानों की पहचान तथा राज्य सरकार को उनकी अनुशंसा करेगी, जिनका पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के मामले में पिछले एक वर्ष में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा हो।

पात्र उद्योग एवं संस्थान के विवरण और पुरस्कार की रकम निम्नानुसार हैं :-

		सारणी-एक
अनुक्रमांक	इकाइयों के विवरण	पुरस्कारों की रकम (रूपए)
1.	अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग	1,50,000.00
2.	सामान्य उद्योग	1,00,000.00
3.	खनिजों के उत्खनन से संबद्ध खानें	1,00,000.00
4.	लघु उद्योग	1,00,000.00
5.	नगरपालिक निगम	1,50,000.00
6.	नगर पालिका/नगर परिषद्	1,00,000.00
7.	चिकित्सालय (दो की संख्या में)	1,00,000.00
8.	एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठन)/स्वयं (दो की संख्या में)	1,00,000.00
9.	विद्यालय/शिक्षा संस्थान (दो की संख्या में)	1,00,000.00

राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य में के ऐसे उद्योग/संस्थान (सारणी-एक के अनुसार) हेतु पर्यावरण पुरस्कार के प्रदाय के लिए अनुसरित किए जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, जैसे कि ऊपर उल्लिखित किसी श्रेणी के अधीन ऐसा एक पुरस्कार सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रकरण पर विचार किए जाने हेतु उचित समझा जाए, अर्थात् :-

## नियम

**संक्षिप्त नाम.** — इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावी कदम उठाने के लिए उद्योग/संस्थान (सारणी-एक के अनुसार) के लिए “मध्यप्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार नियम, 2019 है”।

**परिभाषाएं:—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “बोर्ड” से अभिप्रेत है, “मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड”, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन गठित एक राज्य बोर्ड;
- (ख) “समिति” से अभिप्रेत है, ऐसा या ऐसे व्यक्ति जैसे कि राज्य शासन उद्योगों के दावों पर विचार करने के लिए तथा ऐसे उद्योगों/संस्थाओं के नामों की अनुशंसा करने के लिए, जो उनकी राय में प्रत्येक श्रेणी के अधीन वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए सर्वाधिक पात्र हैं, नियुक्त करे;
- (ग) “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इन नियमों के उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप;
- (घ) “सामान्य उद्योग” से अभिप्रेत है, अत्यंत प्रदूषणकारी तथा उद्योग विभाग द्वारा विनिश्चित किए गए पूंजीगत निवेश करने वाले उन श्रेणीबद्धों से भिन्न मध्यप्रदेश में स्थापित उद्योग;
- (ङ) “अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित एवं उपाबंध-एक में वर्णित तथा संयंत्र एवं मशीनों पर उद्योग विभाग द्वारा यथा विनिश्चित किसी पूंजीगत निवेश वाला कोई उद्योग;
- (च) “चिकित्सालय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित तथा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन अन्तर्निहित स्वास्थ्य संस्थान;
- (छ) “स्वयं” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसने पर्यावरण एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हों;
- (ज) “नगरपालिक निगम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित, नगरीय विकास विभाग के अधीन श्रेणीबद्ध निगम;

- (झ) "नगर पालिका/नगर परिषद्" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित, नगरीय विकास विभाग के अधीन श्रेणीबद्ध नगरपालिका;
- (ञ) "एन.जी.ओ." से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित तथा कार्यरत एवं विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के साथ फर्म एवं सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर सरकारी संगठन ;
- (ट) "खान" से अभिप्रेत है, चाहे खुले या भूमिगत गड्ढे जिनसे खनिज निकाला जाए;
- (ठ) "विद्यालय/शिक्षा संस्थान" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थापित तथा कार्यरत शैक्षणिक संगठन जैसे शासकीय विद्यालय/गैर-शासकीय विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा इनसे संबद्ध संस्थान;
- (ड) "लघु उद्योग" से अभिप्रेत है, राज्य में अवस्थित उद्योग और इन नियमों के उपाबंध-एक में यथा उल्लिखित किसी श्रेणी के अधीन अन्तर्निहित तथा उद्योग विभाग द्वारा, यथा विनिश्चित पूंजीगत निवेश वाला उद्योग;
3. वार्षिक पुरस्कार हेतु विचार किए जाने की वांछा रखने वाले उद्योग/संस्थान (सारणी-2 के अनुसार) विहित प्ररूप में अपेक्षित सहायक संलग्नकों सहित उस वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति बताते हुए अपने दावे बोर्ड को प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करेंगे।
4. केवल ऐसे उद्योग/संस्थान (एन जी ओ/विद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) ही पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन विचाराधीन अवधि के लिए सहमति/नवीकरण/परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचालन) नियम, 2016/टोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016/जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार प्राप्त किया हो।
5. विहित तारीख तक या उसके पूर्व बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी दावे समिति के समक्ष रखे जाएंगे। समिति प्रस्तुतीकरण/निरीक्षण के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन करेगी तथा प्राप्त दावों पर निर्णय करेगी तथा उद्योग/संस्थान के नाम या नामों की सिफारिश करेगी, जिन्हें राज्य

- सरकार द्वारा पर्यावरण पुरस्कार दिया जाना चाहिए । यदि समिति के पास सुझाव देने के लिए कोई नाम नहीं है, तो उस प्रभाव की सिफारिश की जाएगी । सारणी-एक के अनुसार यदि समिति किसी श्रेणी के लिए एक से अधिक, किंतु दो तक नाम की सिफारिश करती है, तो पुरस्कार की रकम उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी ।
6. समिति कारबार के संचालन के लिये अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपनाने के लिये स्वतंत्र होगी, किंतु स्वीकृति राज्य सरकार को उसकी सिफारिश प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के अपश्चात् की जानी चाहिए ।
  7. समिति द्वारा की गई सिफारिशें अंतिम होगी ।
  8. राज्य सरकार, इन नियमों के अधीन नियम या उपाबंध को संशोधित कर सकेगी और ऐसे परिवर्तन, यदि कोई किए जाए, संशोधन तारीख से प्रभावशील होंगे ।
  9. राज्य सरकार पुरस्कार पर विनिश्चय कर सकेगी ।
  10. उपाबंध-2 में उल्लेखित पुरस्कार संबंधित उद्योग/संस्थान को राज्य सरकार द्वारा नगद पुरस्कार के साथ दिए जाएंगे ।
  11. राज्य सरकार द्वारा सारणी-एक में उल्लेखित श्रेणी के अनुसार चयनित आवेदन को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा ।

**उपाबंध-1**

वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार के लिए विचार किए जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य में अवस्थित उद्योगों के नाम,

(अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग)

1. इन्टीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट.
2. एल्यूमीनियम इण्डस्ट्रीज.
3. डाई एण्ड डाईज.
4. केमिकल/कास्टिक सोडा इण्डस्ट्रीज.
5. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स.
6. शुगर इण्डस्ट्रीज.
7. फर्टीलाइजर/सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट.
8. डिस्लरी/फर्मेन्टेशन इण्डस्ट्रीज.
9. पल्प पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स.
10. सीमेंट इण्डस्ट्रीज.
11. थर्मल पॉवर स्टेशनस.
12. पेट्रोकेमिकल्स.
13. क्लस्टर ऑफ टेनरीज.
14. पेन्ट्स.
15. पेस्टीसाइड्स.
16. कॉपर एण्ड जिंक स्मेल्टिंग.
17. पेट्रोलियम ऑयल रिफायनरीज.



## उपाबंध-2

## वार्षिक पुरस्कार के लिए आवेदन

1. उद्योगों/नगरीय निकाय/संस्थानों की श्रेणी
  - (क) अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग: .....
  - (ख) सामान्य उद्योग: .....
  - (ग) लघु उद्योग: .....
  - (घ) खनिजों के उत्खनन से संबद्ध खानें: .....
  - (ङ.) नगरपालिक निगम: .....
  - (च) नगर परिषद्: .....
  - (छ) चिकित्सालय: .....
  - (ज) एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठन): .....
  - (झ) स्वयं: .....
  - (ञ) विद्यालय/शिक्षा संस्थान: .....
2. उद्योग/संस्थान का नाम, इसकी  
अवस्थिति, पता एवं दूरभाष क्रमांक : .....
- मोबाइल नम्बर, ई-मेल .....
3. उद्योग/संस्थान का उत्पाद तथा वार्षिक उत्पादन:.....  
(जैसा लागू हो) .....
4. कुल पूंजीगत निवेश: .....
5. प्रदूषण नियंत्रण उपायों/घरेलू जलमल तथा .....  
नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/पर्यावरण  
जागरूकता के लिए पूंजीगत निवेश
6. प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा प्रबंधन के लिए वार्षिक .....  
आवर्ती व्यय
7. बोर्ड सम्मति का क्रमांक एवं तारीख

जल अधिनियम, 1974	वायु अधिनियम, 1981	प्राधिकार प्रमाण-पत्र (केवल परिसंकटमय अपशिष्ट/जैव-चिकित्सा अपशिष्ट तथा ठोस अपशिष्ट के उत्पादन प्रबंधन के लिए

8. बोर्ड की सम्मति तथा इसके नवीकरण का क्रमांक, विधिमान्यता की तारीख:

जल अधिनियम, 1974	वायु अधिनियम, 1981	प्राधिकार प्रमाण-पत्र (केवल परिसंकटमय अपशिष्ट/जैव-चिकित्सा अपशिष्ट तथा ठोस अपशिष्ट के उत्पादन प्रबंधन के लिए

9. जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय के ब्यौरे :

	प्रवाह उपचार संयंत्र के ब्यौरे	पूँजीगत लागत	प्रवर्तन की तारीख
(क) औद्योगिक प्रवाह के लिए			
(ख) घरेलू प्रवाह के लिए			

10. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय/नगरपालिक ठोस अपशिष्ट/जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के ब्यौरे:

नियंत्रण उपस्कर के ब्यौरे	किस यूनिट से संलग्न है	पूँजीगत लागत	प्रवर्तन की तारीख

11. प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर के लिए संस्थापित पृथक् विद्युत मीटर के ब्यौरे (जैसा लागू हो)

(क) मीटरों की संख्या .....

(ख) वार्षिक विद्युत् खपत .....

12. विचारण के अधीन अवधि के लिए मानीटरिंग रिपोर्ट (अनउपचारित, उपचारित प्रवाह एवं उपचारित दक्षता प्रतिशत में):

बाहर की ओर प्रवाह	बाहर की ओर 100 मीटर नीचे	ढेर के उत्सर्जन की गुणवत्ता	परिवेशी वायु गुणवत्ता

13. उद्योग/संस्थान में पुर्न-उपयोग उपाय एवं उसकी प्रतिशतता :

प्रवाहों के लिए	उत्सर्जनों के लिए	अपशिष्ट उत्पाद के लिए

14. सुरक्षा उपायों के ब्यौरे (परिसंकटमय उत्पादों, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट/नगरपालिक ठोस अपशिष्ट की दशा में)

की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे	किसी एक वर्ष में दुर्घटना के ब्यौरे	उपचारात्मक उपायों के ब्यौरे	दुर्घटना को रोकने के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपाय

15. प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण :

प्रदूषण नियंत्रण के लिए	पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्वास लिए	औद्योगिक सुरक्षा के लिए

16. प्रदूषण की शिकायतें तथा उपचारात्मक उपाय:

शिकायतों के ब्यौरे	उपचारात्मक कार्रवाई

17. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कार्रवाई :

परिसंकटमय रसायनों के विनियमन के लिए उठाए गए कदम	परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण एवं आयात के ब्यौरे	परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों के आयात-निर्यात तथा भंडारण के ब्यौरे	नगरपालिक टोस अपशिष्ट प्रबंधन के ब्यौरे	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के ब्यौरे

18. उद्योग/संस्थान के क्षेत्र में वृक्षारोपण के ब्यौरे :

कुल वृक्षारोपण एवं उनकी प्रजातियां	विचारण के अधीन अवधि में कुल वृक्षारोपण तथा उनकी प्रजातियां	वृक्षारोपण के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	जीवित रहने की प्रतिशतता

19. पर्यावरणीय उन्नयन के लिए उठाए गए कदम:

सामाजिक पहलू	ऊर्जा संरक्षण उपाय	उद्योग/संस्थान के विरुद्ध शिकायतें/विधान सभा प्रश्न

20. इस पुरस्कार हेतु विचार किए जाने के लिए उद्योग/संस्थान (स्वयं) द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में साझा की जाने वाली अन्य कोई जानकारी, (ब्यौरे फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

21. मैं घोषणा करता हूँ कि इस अवधि (विचार किए जाने की अवधि) के दौरान, हमारा उद्योग/संस्थान संबंधित न्यायालय द्वारा किसी विधिक कार्रवाईयों/दण्ड में अन्तर्ग्रस्त नहीं रहा है।

F 5-1/2002/32 In pursuance of State Government decision to grant State Level Environment Award to such industrial units & institutes whose performance was excellent in the matter of environment and pollution control and in supersession of this department's notification No. F 5-117-XXXII-90 –dated 29<sup>th</sup> April, 1999 and No. F-5-1-2002-XXXII dated 21<sup>st</sup> December, 2010 No. 27 dated 12/01/2016, the State Government, hereby, constitutes a committee comprising of the following to identify and recommended suitable industrial unit & institutes (As per Table-I) in the aforesaid field:-

1. Chairman, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal - Chairman
2. Director/Commissioner, Directorate, Urban Development Department, Bhopal *or their representative* - Member
3. Director, Indian Institute of Forests Management, Bhopal *or their representative* - Member
4. Director, Advanced Materials and Processes Research Institute (C.S.I.R.), Bhopal *or their representative* - Member
5. Professor, Department of Environment Engineering, Maulana Azad College of Technology, Bhopal *or their representative.* - Member
6. Director, Industrial Health & Safety Department, Indore *or their representative* - Member
7. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal *or their representative.* - Member Secretary

Above committee as per provision of the rules appended shall identify and recommend suitable industries and institutes to the State Government for grant of Environmental Awards whose performance in last one year was excellent in the matter of environment and pollution control.

Particulars of eligible industry & institute and the amount of award are as follows:-

S.No.	Particulars of Units	Amount of Awards (Rs.)
1.	Highly Polluting Industry	1,50,000.00
2.	General industry	1,00,000.00
3.	Mines Connected with Excavation of Minerals	1,00,000.00
4.	Small Industry	1,00,000.00
5.	Nagar Palika Nigam	1,50,000.00
6.	Nagar Palika/ Nagar Parishad	1,00,000.00
7.	Hospital (Two Nos)	1,00,000.00
8.	NGO (Non Government Organization)/ In Personnel (Two Nos)	1,00,000.00
9.	School /Education Institute(Two Nos)	1,00,000.00

The State Government, hereby, makes the following rules to be followed for grant of Environment Award for the industry/institute( as per table-I) in the State as may their case be considered suitable for securing one such award under any of category mentioned above, namely :-

#### RULES

1. **Short Title.**- These rules may be called "Madhya Pradesh Annual Environment Award Rules" 2019 for the industry/institute (as per Table-I) taking most affective steps in the field of Environment and Pollution Control".
2. **Definitions** :- In these rules unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Board" means the "Madhya Pradesh Pollution Control Board" a State Board constituted under Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;
  - (b) "Committee" means the person or persons as the State Government may appoint for considering the Claims of the industries and recommend the names of such industries/ institutes which in their opinion are most eligible for the grant of annual award under each category;
  - (c) "Form" means a form specified in Annexure-2 of these rules;
  - (d) "General Industry" means the industries established in Madhya Pradesh but other than those categorized under highly polluting and having a capital investment as decided by Industry Department;

- (e) "Highly Polluting Industry" means an industry established in Madhya Pradesh and mentioned in Annexure-1 and having a capital investment as decided by Industry Department on plant and machinery;
- (f) "Hospital" means health institutes established in Madhya Pradesh and covered under Bio-Medical Waste Management Rules, 2016;
- (g) "In person" means any individual who have obtained remarkable achievements in the field of Environment and pollution prevention;
- (h) "Nagar Palika Nigam" means the Corporation established in Madhya Pradesh categorized under Urban Development Department;
- (i) "Nagar Palika / Nagar Parishad" means the Municipality established in Madhya Pradesh categorized under Urban Development Department;
- (j) "NGO" means Non-Government Organizations established and working in Madhya Pradesh and registered under Firms and Society Act, with valid registration;
- (k) "Mines" means the pits whether open or under ground where from minerals are being extracted;
- (l) "School /Education institute" means educational organizations established and working in Madhya Pradesh such as Government school/non-government school, College, University and its attached institute;
- (m) "Small Scale Industry" means the industry located in the State and covered under any of the category as mentioned in Annexure-1 of these rules, and having a capital investment as decided by Industry Department.
3. The industry/Institute (as per Table-2) desires of being considered for the annual award shall submit its claims in the prescribed form along with requisite supporting enclosure to the Board by 30<sup>th</sup> April of each year stating the position as on 31<sup>st</sup> March of that year.
4. Only such industries/institute (except NGO/Schools and educational institutes) shall be eligible to apply for the award which have obtained consent/renewal for the period under consideration under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974/ the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981/Authorization under Hazardous and other waste (Management and Trans-

boundary Movement) Rules, 2016/ Solid Wastes Management Rules,2016/ Bio-Medical Waste Management Rules,2016.

5. All claims received on or before the prescribed date by the Board shall be placed before the committee. The committee shall scrutinize the received applications for presentation/inspection and adjudge the claims received and recommend the name or names of the industry/ Institute to which the award should be given by the State Government. In case the committee has no names to suggest, a recommendation to that effect shall be made. In case the committee recommends more than one name as per table-I for any category but limited to two then the amount of award shall be distributed equally amongst them.
6. The committee shall be free to adopt its own procedure for conduct of business but their recommendation should be made to the State Government for sanction not later than 31st March of the financial year each year.
7. The recommendations made by the committee shall be final.
8. The State Government may amend the rule or annexure under these rules and such changes, if any made shall be effective from the date the amendment is made;
9. The State Government may decide on the award.
10. The award mentioned in as per annexure-2 shall be given to the industry/institute concerned, by the Government along with cash award.
11. The annual environmental award will be awarded to selected application as per the category mentioned in table-I by State Government in form of cash award.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश कुशरे, उपसचिव.



**Annexure - 1****Names of Industries located in the State of M  
Pradesh for being considered for the Annual Envi  
Award  
(Highly Polluting Industries)**

1. Integrated Iron and Steel Plant.
2. Aluminium Industries
3. Dye and Dyes
4. Chemical/Caustic Soda Industries.
5. Drugs and Pharmaceuticals.
6. Sugar Industries.
7. Fertilizer/Sulphuric Acid Plant
8. Distillery/Fermentation Industries.
9. Pulp Paper and Board Mills
10. Cement Industries
11. Thermal Power Stations.
12. Petrochemicals.
13. Cluster of Tanneries
14. Paints
15. Pesticides
16. Copper and Zinc Smelting
17. Petroleum Oil Refineries

**Annexure - 2****APPLICATION FOR THE ANNUAL AWARD****1. CATEGORY OF INDUSTRIES/ NAGARIY NIKAY/INSTITUTES**(a) **Highly Polluting Industry:**.....(b) **General Industry:**.....(c) **Small Scale Industry:**.....(d) **Mines Connected with :**.....  
excavation of minerals(e) **Nagar Palika/Nigam:**.....(f) **Nagar Parishad :**.....(g) **Hospitals:**.....(h) **NGOs ( Non Government Organization)**(i) **In Personnel:**.....(j) **School /Education Institute:**.....

**2. Name of Industry/ Institute, its  
Location, Address and : .....**  
**Telephone No., Mobile No.,:.....**  
**E-Mail .....**

**3. Product and Annual Production  
of Industry/ Institute :.....**  
**(as applicable) ....**

**4. Total Capital Investment :**

**5. Capital investment for Pollution  
Control measures/Domestic sewage  
And Municipal solid Wastes Managements/  
Environment Awareness.....**

**6. Annual recurring expenditure : .....**  
**for pollution control measures .....**  
**and managements.**

## 7. Number and date of Boards consent :

Water Act, 1974	Air Act, 1981	Authorization Certificate (only for the production of hazardous wastes, Bio-medical waste and solid waste management)

## 8. Number, date validity of Boards consent and its renewal :

Water Act, 1974	Air Act, 1981	Authorization Certificate (only for the production of Hazardous Waste, Bio-medical waste and solid Waste management)

## 9. Details of Water Pollution Control measure :

	Details of effluent treatment plant	Capital cost	Date of commissioning
(a) For industrial effluent			
(b) For Domestic sewage			

## 10. Details of air pollution control measures/Municipal Solid wastes/Bio-medical waste Management :

Details of control equipment	Attached to which unit	Capital cost	Date of commissioning

**11. Details of separate electrical Meter installed for pollution Control equipment (as applicable).**

(a) No. of meters :.....

(b) Annual Power consumption:.....

**12. Monitoring report for period under consideration (Untreated, Treated effluent and Treated efficiency in percentage) :**

Effluent at out fall	At 100 mts. down stream of out fall	Quality of stack emission	Ambient air quality

**13. Re-utilization measures and its percentage use in industry/Institute:**

For effluents	For emissions	For waste Product

**14. Details of Safety measures (in case of Hazardous Products, Biomedical Waste/ Municipal solid Wastes) :**

Details of arrangement made	Details of accident in a year	Details of remedial measures	Safety measures adopted for preventing accident

**15. Training to employees on pollution control measures :**

For Pollution control	For Environment protection and rehabilitation	For industrial safety

**16. Complaints of Pollution and Remedial Steps :**

Details of complaints	Remedial action

**17. Action under Environment (Protection) Act, 1986 :**

Steps taken for the regulation of Hazardous Chemicals	Details of manufacturing storage and imports of hazardous substances	Details of Import-Export and storage of hazardous micro organics	Details of Municipal solid Wastes Managements.	Detail of Bio-medical waste

**18. Details of Plantation in area of Industry/Institute:**

Total plantation and their species	Total plantation and their species in period under consideration	Steps taken to protect plantations	Percentage of survival

**19. Steps taken for environmental up-gradation :**

Social aspects	Energy conservation measures	Complaints/Assembly question against industry /Institute

20. Any other information for considering this award wants to share by industry/institute (in personnel) w.r.t environmental conservation (Detail must be furnished with photographic evidence)

21. I declare that during (Considering period) this period, our industry/Institute is not involved in any legal actions/punishments by the respective courts.

Signature : .....

Designation : .....

For and behalf of the applicant named in column 2.

**वन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2021

क्र. एफ-15-11-2018-दस-2.— मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 के नियम 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:—

**अनुसूची**

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ग्वालियर	ग्वालियर	हनुमान मंदिर, उरवाई गेट	आरक्षित वन-26	30.55	पूर्व—साईं मंदिर पश्चिम—ग्वालियर किला उत्तर—किला गेट दक्षिण—फूलबाग
2	ग्वालियर	ग्वालियर	सिद्ध खौ, जनकताल	आरक्षित वन-25	250.41	पूर्व—बीट थर पश्चिम—बीट थर-1 उत्तर—बरागांव दक्षिण—गुप्तेश्वर मंदिर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एच. एस. मोहन्ता, सचिव.**

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2021

क्र. एफ-15-11-2018-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-11-2018-दस-2, दिनांक 3 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एच. एस. मोहन्ता, सचिव.**

Bhopal, the 3rd February 2021

No. F-15-11-2018-X-2.— In exercise of the powers conferred by the Rule 3(1) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

**SCHEDULE**

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gwalior	Gwalior	Hanuman Mandir, Urvaigate	RF-26	30.55	<b>East</b> —Sai temple <b>West</b> —Gwalior Fort <b>North</b> —Kila gate <b>South</b> —Phool Bagh
2	Gwalior	Gwalior	Sidha Kho, Janaktal.	RF-25	250.41	<b>East</b> —Beat Thar <b>West</b> —Beat Thar-I. <b>North</b> —Bara village. <b>South</b> —Gupteshwar Temple.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**H. S. MOHANTA, Secy.**

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार

क्र. 233-रीडर-भू-अर्जन-2021-कलेक्टर रा.प्र.क्र. 5-अ-82-2020-21

बड़वानी, दिनांक 12 जनवरी 2021

चूँकि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

## अनुसूची

1- भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला- बड़वानी  
(ख) तहसील- राजपुर  
(ग) ग्राम- रूई  
(घ) क्षेत्रफल - 3.189 हैक्टेयर

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
1	96/2 97	0.058
2	103	0.01
3	104/1	0.09
4	104/2	0.091
5	104/3	0.022
6	105/7	0.011
7	106/8	0.006
8	111/2	0.182
9	111/3	0.171
10	111/6	0.837
11	111/7	1.165
12	111/9	0.336
13	111/14	0.210
कुल योग :-		3.189

- 2- सार्वजनिक प्रयोजन : - नॉगलवाडी माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत पंप हाउस-07 निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- 3- भूमि के नक्शे का (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 ठीकरी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- 4- इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 5-समुचित अधिकारी की वेबसाइट WWW.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1077-74-अ-82-20-21

सागर, दिनांक 3 फरवरी 2021

मौजा महुनागूजर पटवारी हल्का नं. 20 तहसील राहतगढ़

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू. क -2 राहतगढ़ सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निगाण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिय आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूंकि परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू. क-2 राहतगढ़ सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पुर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलाब्ध लागू नहीं होंगे भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहा पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है वहा इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार मकानों की भूमि का अर्जन किया जाया है ।

(1) परियोजना का नाम :-

बीना सिंचाई परियोजना मडिया बाँध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

महुनागूजर

4. पटवारी हल्का नं.

20 महुनागूजर

5. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल है० में

284.981 है०

:: अनुसूची ::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि (रकबा हे० में)	शेष रकबा	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	7	8	9
1	गोटीराम पिता तुलसीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	35	0.130	0.130	0.000	
2	रन्धीरसिंह पिता सरमनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28	0.120	0.120	0.000	
		भूमिस्वामी	703	0.490	0.490	0.000	
3	रामसींग पिता परमलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	32/1	0.010	0.010	0.000	
		भूमिस्वामी	57	0.120	0.120	0.000	
		भूमिस्वामी	449	1.280	1.280	0.000	
		भूमिस्वामी	619/3	0.980	0.980	0.000	
4	भगवानसिंह बल्द परमलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	32/2	0.040	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	201/1	0.300	0.300	0.000	
		भूमिस्वामी	615	0.340	0.340	0.000	
		भूमिस्वामी	656	1.680	1.680	0.000	



1	2	3	4	5	7	8	9
5	सुगरमीग बल्द कुन्दनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33	0.050	0.050	0.000	
		भूमिस्वामी	509	0.230	0.230	0.000	
		भूमिस्वामी	514	0.570	0.570	0.000	
6	प्रकाश पि. भैयालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34	0.100	0.100	0.000	
		भूमिस्वामी	602	1.610	1.610	0.000	
		भूमिस्वामी	603	1.010	1.010	0.000	
		भूमिस्वामी	607	0.850	0.850	0.000	
		भूमिस्वामी	621/2	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	623/2	0.100	0.100	0.000	
		भूमिस्वामी	624/2	0.170	0.170	0.000	
भूमिस्वामी	700/1	0.670	0.670	0.000			
7	दुर्जन पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/1	1.120	1.120	0.000	
8	नेतराम बल्द दुर्जन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/2	0.290	0.290	0.000	
		भूमिस्वामी	37	0.210	0.210	0.000	
		भूमिस्वामी	38	0.230	0.230	0.000	
9	भगवानसीग बल्द दुर्जन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/3	0.330	0.330	0.000	
		भूमिस्वामी	39	0.400	0.400	0.000	
10	कड़ोरी पिता हरीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	40	0.460	0.460	0.000	
11	गोविंद सिंह पिता लाखाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	41	0.020	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	53	0.060	0.060	0.000	
		भूमिस्वामी	62/2	0.080	0.080	0.000	
		भूमिस्वामी	655	2.170	2.170	0.000	
12	गजराजसिंह पिता नारान सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	42	0.020	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	43	0.040	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	44	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	46	0.130	0.130	0.000	
		भूमिस्वामी	52	0.110	0.110	0.000	
		भूमिस्वामी	54	0.070	0.070	0.000	
भूमिस्वामी	55	0.180	0.180	0.000			
13	सोदान पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	47	0.130	0.130	0.000	
14	हिम्मतसिंह बल्द सरमनसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	48	0.470	0.470	0.000	
		भूमिस्वामी	668	0.590	0.590	0.000	
		भूमिस्वामी	670/1	0.400	0.400	0.000	
15	पार्वतीबाई देवा खिलानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	49	0.120	0.120	0.000	
		भूमिस्वामी	546	0.970	0.970	0.000	
16	तारसिंह पिता दुर्जनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	50	0.120	0.120	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
17	नारानसिंह पिता रूपसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	51	0.090	0.090	0.000	
		भूमिस्वामी	646	0.180	0.180	0.000	
18	भगवानसिंह पिता परमलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	56	0.110	0.110	0.000	
19	तारानसिंह पिता दुर्जनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	60	0.060	0.060	0.000	
20	कल्याणसिंह पिता मिस्टरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	650	0.760	0.760	0.000	
21	कुशमावाई बेवा तोरनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/1	0.120	0.120	0.000	
		भूमिस्वामी	610	0.480	0.480	0.000	
		भूमिस्वामी	674	3.980	3.980	0.000	
		भूमिस्वामी	702	0.390	0.390	0.000	
22	ओमवाई पति महाराजसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	441	0.080	0.080	0.000	
23	अजीर पिता रामविशाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	177	0.040	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	179	0.570	0.570	0.000	
		भूमिस्वामी	185	0.500	0.500	0.000	
24	लालचंद पिता नंदकिशोर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	680	0.670	0.670	0.000	
		भूमिस्वामी	686	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	689	0.820	0.820	0.000	
		भूमिस्वामी	692	1.200	1.200	0.000	
		भूमिस्वामी	693	0.560	0.560	0.000	
		भूमिस्वामी	694	0.460	0.460	0.000	
		भूमिस्वामी	696	1.140	1.140	0.000	
		भूमिस्वामी	717	0.870	0.870	0.000	
		भूमिस्वामी	718	0.480	0.480	0.000	
		भूमिस्वामी	719	0.460	0.460	0.000	
		भूमिस्वामी	720/2	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	720/4	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	734/2	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	734/4	0.200	0.200	0.000	
25	नर्मदाप्रसाद पिता भैयालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	157	0.650	0.650	0.000	
		भूमिस्वामी	193	0.450	0.450	0.000	
		भूमिस्वामी	206/2	0.200	0.200	0.000	
26	सुरेन्द्रसिंग वल्दकल्यानसिंग राजकुमार वल्द धप्पु पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	158/1	1.710	1.710	0.000	
27	बादाम जोजे रामलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	158/2	0.400	0.400	0.000	
28	रूपसिंग वल्द भोगीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	586	0.770	0.416	0.354	

1	2	3	4	5	7	8	9
29	रामशकर बल्द बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	162	0.670	0.670	0.000	
		भूमिस्वामी	163/1	0.140	0.140	0.000	
		भूमिस्वामी	186	0.460	0.460	0.000	
30	नाथूराम बल्द बाबूलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	163/2	0.100	0.100	0.000	
		भूमिस्वामी	164	0.520	0.520	0.000	
		भूमिस्वामी	175	0.940	0.940	0.000	
		भूमिस्वामी	187/4	0.080	0.080	0.000	
		भूमिस्वामी	189	0.280	0.280	0.000	
31	जममनसिंग पि.रामचरण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	165	0.170	0.170	0.000	
		भूमिस्वामी	172/3	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	174/3	1.290	1.290	0.000	
		भूमिस्वामी	174/5	0.330	0.330	0.000	
		भूमिस्वामी	174/6	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	187/1	0.070	0.070	0.000	
32	भावसिंग पिता मुन्नालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	170/1	0.360	0.360	0.000	
		भूमिस्वामी	171/1	0.680	0.680	0.000	
		भूमिस्वामी	172/4	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	207	0.200	0.200	0.000	
33	जगदीश पिता नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	172/1	0.250	0.250	0.000	
		भूमिस्वामी	172/2	0.360	0.360	0.000	
		भूमिस्वामी	174/2	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	195	0.290	0.290	0.000	
		भूमिस्वामी	197	1.690	1.690	0.000	
34	दानसिंह पिता भावसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	172/5	0.400	0.400	0.000	
35	खिलानसिंग बल्द हरविलास पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	173	1.210	1.210	0.000	
		भूमिस्वामी	188	0.230	0.230	0.000	
36	जगदीश पिता जसवंतसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/1	0.240	0.240	0.000	
		भूमिस्वामी	174/4	0.330	0.330	0.000	
		भूमिस्वामी	196	1.010	1.010	0.000	
		भूमिस्वामी	198/2	0.150	0.150	0.000	
37	मुलामसिंह पिता हीरालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	182/1	0.150	0.150	0.000	
		भूमिस्वामी	182/2	0.910	0.910	0.000	
38	कमलाबाई पति मुलायमसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	183	0.760	0.760	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
39	ओंकार वलददयाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	184	0.090	0.090	0.000	
40	महेश पिता जसवंतसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	187/3	0.080	0.080	0.000	
41	वाबूलाल वलद परमलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	192	0.350	0.350	0.000	
42	सीताराम पिस. कुदन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	198/1	0.290	0.290	0.000	
		भूमिस्वामी	592	0.370	0.370	0.000	
		भूमिस्वामी	593	0.090	0.090	0.000	
		भूमिस्वामी	597	0.070	0.070	0.000	
43	राजकुमार वलद जगदीशसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	199	0.120	0.120	0.000	
		भूमिस्वामी	200	2.450	2.450	0.000	
44	राधेश्याम पिता भगवानसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	201/2	0.130	0.130	0.000	
		भूमिस्वामी	203	0.820	0.820	0.000	
45	सोवरन सीग वलद भीकमसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	202	0.920	0.920	0.000	
		भूमिस्वामी	590/3	0.460	0.460	0.000	
46	भगवानसीग वलद खिलानसीग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	204	0.990	0.990	0.000	
		भूमिस्वामी	591	1.380	1.380	0.000	
		भूमिस्वामी	596	0.210	0.210	0.000	
		भूमिस्वामी	662	1.940	1.940	0.000	
47	माखन वलद नारानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	205	0.670	0.670	0.000	
		भूमिस्वामी	210	0.650	0.650	0.000	
48	रामवती पुत्री कृपाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	206/1	0.680	0.680	0.000	
		भूमिस्वामी	209	0.390	0.390	0.000	
49	मन्हेन्द्रसिंह पिता गनपतस्वरूप पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208	0.780	0.780	0.000	
50	गोविन्दसीग वलद खिलान पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	212	0.070	0.070	0.000	
		भूमिस्वामी	434/1	0.780	0.780	0.000	
		भूमिस्वामी	442	0.190	0.190	0.000	
		भूमिस्वामी	471	0.150	0.150	0.000	
		भूमिस्वामी	649/2	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	652/4	0.800	0.800	0.000	
51	हल्का पिता मानसीग गैदारानी पति मानसीग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/2	0.400	0.400	0.000	
52	मुल्लो वाई देवा फूलसीग,ओमकर,धनराज,कोमलवाई पिता ब्रजलाल पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/3	0.400	0.400	0.000	
53	रामकिशन पिता पूनम,रामप्यारी जोजे रामप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/4	0.400	0.400	0.000	
54	रामप्रसादपिता गनेश, राजकुवर जोजे रामप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/5	0.400	0.400	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
55	माखनसींग हरिसींग पिस. बालमुकुन्द पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	426	0.920	0.920	0.000	
56	माखनसींग हरिसींग पिस. बालमुकुन्द पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	427	0.030	0.030	0.000	
57	किशनलाल पिता रघुवर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	428	0.140	0.140	0.000	
58	कल्लू पिता किशनलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	429	0.450	0.450	0.000	
59	सरदारसिंह पिता चुन्नीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	430	0.240	0.240	0.000	
60	माखनसींग हरिसींग पिस. बालमुकुन्द पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	431	0.100	0.100	0.000	
61	अजमेर बल्द हल्लू उर्फ जसवंतसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	432/1	0.560	0.560	0.000	
62	माखनसींग हरिसींग पिस. बालमुकुन्द पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	432/2	0.290	0.290	0.000	
63	ओमबाई पति महाराजसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	433	1.040	1.040	0.000	
64	माखनसींग हरिसींग पिस. बालमुकुन्द पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	434/2	0.120	0.120	0.000	
		भूमिस्वामी	435/2	0.060	0.060	0.000	
65	किशन लालपिता रघुवर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	435/1	0.040	0.040	0.000	
66	करनसींग पिता रामदयाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	436	0.150	0.150	0.000	
		भूमिस्वामी	705/1	0.200	0.200	0.000	
67	कल्लू पिता किशनलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	435/3	0.940	0.940	0.000	
68	देवेन्द्रसिंह बल्द गंधर्वसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	437	0.170	0.170	0.000	
		भूमिस्वामी	707/2	0.670	0.670	0.000	
		भूमिस्वामी	708/3	0.350	0.350	0.000	
		भूमिस्वामी	708/4	0.260	0.260	0.000	
69	देवकीनंदन पिता करनसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	438/1	1.000	1.000	0.000	
70	संतोषकुमार पिता कालूराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	438/2	0.300	0.300	0.000	
71	कालूराम पिता रामदयाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	438/3	0.080	0.080	0.000	
		भूमिस्वामी	444	0.120	0.120	0.000	
72	रामप्यारी वेबा प्रह्लादसिंहबिष्णुप्रसाद अजीतसींग सीमा शशि पिता प्रह्लाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	439/1	1.290	1.290	0.000	
73	विश्वप्रसाद पिस. प्रह्लादसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	439/2	1.200	1.200	0.000	
74	अजमेर बल्द हल्लू उर्फ जसवंतसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	440	0.030	0.030	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
75	जीवनसिंह पिता चुन्नीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	445	0.170	0.170	0.000	
		भूमिस्वामी	446	0.020	0.020	0.000	
76	सरदारसिंह पिता चुन्नीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	447	0.310	0.310	0.000	
		भूमिस्वामी	448	1.710	1.710	0.000	
77	मंदिर श्री भवानी जी महादेवजी पार्वती जी मुह. रूपसींग पिता भोगीराम सनेरसींग पिता चुन्नीलाल प्र.कले.महो.सागर पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	450	1.110	1.110	0.000	
		भूमिस्वामी	495	0.620	0.620	0.000	
		भूमिस्वामी	496	0.520	0.520	0.000	
		भूमिस्वामी	506	0.460	0.460	0.000	
78	भगवतसींग वल्द राजपाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	458	0.610	0.610	0.000	
79	भानु विजय विरेंद्र शर्मिला जानवाई पिता हरगोविंद गुडडीबाई पत्नि हरगोविंद धानक पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	461/2	0.400	0.400	0.000	
80	जानकी वल्द जागर सींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	462/1	0.550	0.550	0.000	
81	घनश्याम पिता सुल्तानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	462/2	0.540	0.540	0.000	
82	क्रांतिबाई पुत्री बहादुरसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	463	1.320	1.320	0.000	
83	क्रांतिबाई पुत्री बहादुरसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	464	0.290	0.290	0.000	
84	भगवतसींग वल्द राजपाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	465/1	1.400	1.400	0.000	
85	तूफानसिंह पिता राजपाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	465/2	0.160	0.160	0.000	
86	तूफानसिंह पिता राजपाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	466	0.470	0.470	0.000	
		भूमिस्वामी	468	0.130	0.130	0.000	
87	रविशंकर वल्द ख्यालीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	467/1	0.190	0.190	0.000	
		भूमिस्वामी	470	0.150	0.150	0.000	
		भूमिस्वामी	472	1.330	1.330	0.000	
88	गंभीरसींग पि.ख्याली राम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	467/2	0.040	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	729	0.600	0.600	0.000	
89	अजुद्धी बाई बेवा बहादुर मोहरबाई क्रांति बाई मुन्नी बाई पिता बहादुर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	469	0.160	0.160	0.000	
90	सुदामा वल्द हीरालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	473	0.110	0.110	0.000	
		भूमिस्वामी	474	1.110	1.110	0.000	
		भूमिस्वामी	475	0.290	0.290	0.000	
91	अगद वल्द हल्कू उर्फ जसवतसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	476	0.340	0.340	0.000	
		भूमिस्वामी	477	1.030	1.030	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
92	प्रतापसिंह बल्द मनेरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	478	0.060	0.060	0.000	
		भूमिस्वामी	697	1.310	1.310	0.000	
		भूमिस्वामी	708/2	1.540	1.540	0.000	
93	सुरेन्द्र पिता शिशुपाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	479/1	0.500	0.500	0.000	
		भूमिस्वामी	480	0.070	0.070	0.000	
94	अवधनारायण बल्द पन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	479/2	0.800	0.800	0.000	
95	जागरसिंह पिता वृजलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	481	0.750	0.750	0.000	
		भूमिस्वामी	483	0.150	0.150	0.000	
		भूमिस्वामी	484/2	1.200	1.200	0.000	
96	सुल्तानसिंह पिता वृजलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	484/1	1.200	1.200	0.000	
97	अमित बल्द अरमानसिंह बाई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	487	0.950	0.950	0.000	
98	द्रोपदी बाई पत्नी सुरेशचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	488/1	1.470	1.470	0.000	
99	सुनीताबाई पत्नी अरमानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	488/2	0.800	0.800	0.000	
		भूमिस्वामी	488/3	0.400	0.400	0.000	
100	ओंकार प्रसाद पिता अन्तराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	491	0.650	0.650	0.000	
101	ओंकार प्रसाद पिता अन्तराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	493	1.070	1.070	0.000	
		भूमिस्वामी	494	0.700	0.700	0.000	
102	ब्रजेंद्र पिता करतारसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	497/1	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	504/1/1	0.800	0.800	0.000	
103	परवतसिंह बल्दजीवनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	497/2	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	499/2	0.600	0.600	0.000	
		भूमिस्वामी	499/3	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	504/2	0.430	0.430	0.000	
104	गायत्री देवी पत्नी ओंकारप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	498	0.500	0.500	0.000	
		भूमिस्वामी	507/2	0.240	0.240	0.000	
105	रवीन्द्रसिंह बल्द शकरसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	499/1	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	660	2.170	2.170	0.000	
106	मीना बेवा घनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	500/1	0.440	0.440	0.000	
		भूमिस्वामी	503/1	0.200	0.200	0.000	
107	अमित पिता बालमुकुन्द पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	500/2	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	503/2	0.220	0.220	0.000	
		भूमिस्वामी	542/1	0.500	0.500	0.000	
108	जानचंद बल्द हीरालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	500/3	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	503/3	0.230	0.230	0.000	
		भूमिस्वामी	542/2	0.500	0.500	0.000	

109	सुर्जनबाई बेवा फगू राधेश्याम हुकुम पिता फगू रामवती, सुमंत्रा, फूलाबाई मुत्री, मरजू पिता फगू रामरानी बेवा रामस्वरूप पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	502	1.150	1.150	0.000
110	विमलाबाई पति करतारसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	504/1/2	0.120	0.120	0.000
		भूमिस्वामी	617/2	0.250	0.250	0.000
		भूमिस्वामी	627/2	0.100	0.100	0.000
		भूमिस्वामी	628	0.110	0.110	0.000
		भूमिस्वामी	629	0.210	0.210	0.000
111	परवरसींग बल्द जीवनसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	504/2	0.430	0.430	0.000
112	मानेन्द्र ना.वा.पिता पालक योगेंद्र पिता सरदारसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	505/1	0.220	0.220	0.000
113	करतारसिंह बल्द जीवन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	505/2	0.680	0.680	0.000
		भूमिस्वामी	512/2	0.310	0.310	0.000
		भूमिस्वामी	543/2	0.650	0.650	0.000
114	श्री देव हनुमानजी स्वामी बाके देह मु. रामचरन दास चेला नाथूरामदास वैरागी	भूमिस्वामी	508	0.180	0.180	0.000
		भूमिस्वामी	513	0.510	0.510	0.000
115	रामबाई जोजे भावसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	510	0.660	0.660	0.000
116	मंदिर श्री देव भोलेनाथ मुह. करतारसिंह पिता जीवनसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	512/1	0.400	0.400	0.000
117	जीवनसिंह पिता चुन्नीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	537	1.960	1.960	0.000
118	ववीता अनीता गुडडीबाई पिता ईश्वरी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	538	0.920	0.920	0.000
119	करतारसिंह बल्द जीवन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	539	0.790	0.790	0.000
120	लालाराम सीताराम बालाराम पिता मिट्टलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	543/1	1.290	1.290	0.000
121	हरगोविन्द पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	544	1.920	1.920	0.000
122	अजमेरसिंह बल्द खिलानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	545	1.570	1.570	0.000
123	धर्मचंद पिता मनमोहन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	548/1	0.400	0.400	0.000
124	राजेन्द्रकुमार पिता धर्मचंद्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	548/2	1.500	1.500	0.000
125	पप्पू पिता लक्ष्मन सिंगला बाई पति पप्पू पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार	भूमिस्वामी	549	0.350	0.350	0.000
		भूमिस्वामी	550	0.760	0.760	0.000



126	काशीराम पिता भागचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	585	0.910	0.426	0.484	
127	ब्रजेश बल्द भगवानसीग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	594	0.450	0.450	0.000	
128	रामप्रसादपिता मुलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	587/1	0.950	0.950	0.000	
129	वैजनाथ पिता मुलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	587/2	0.950	0.950	0.000	
130	लखन पिता काशीराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	588/1	0.890	0.890	0.000	
		भूमिस्वामी	733	3.660	3.660	0.000	
131	रामऋष्ण पिता लखन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	588/2	0.900	0.900	0.000	
132	शैतानसीग बल्द भीकमसीग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	590/1	0.930	0.930	0.000	
		भूमिस्वामी	590/2	0.460	0.460	0.000	
133	रामसेवक बल्द भैयालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	595	0.090	0.090	0.000	
134	तुलाराम पिता कुन्दन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	600	0.280	0.280	0.000	
135	गीताबाई पति जसवनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	601/1	0.170	0.170	0.000	
136	अरमानसिंह पिता जसवंतसिंह गुर्जर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	601/2	1.600	1.600	0.000	
137	वृन्दावन पिता दीनानाथ पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	604	1.560	1.560	0.000	
138	रूपनारायण पिता दीनानाथ पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	605	1.140	1.140	0.000	
139	प्रकाश पिता भैयालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	607	0.850	0.850	0.000	
140	रामकिशन बल्द गोपीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	609/1	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	614/1	0.170	0.170	0.000	
		भूमिस्वामी	653/1	1.790	1.790	0.000	
		भूमिस्वामी	658/1	0.330	0.330	0.000	
141	मेवावाई बेदा मुरारीलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	609/2	0.600	0.600	0.000	
142	सरमनसिंह पिता अमोल सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	611	0.860	0.860	0.000	
		भूमिस्वामी	670/2	0.350	0.350	0.000	
		भूमिस्वामी	673	2.480	2.480	0.000	
143	कप्तान पिता रामविशाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	612	1.730	1.730	0.000	
144	राधेश्याम पिता जयसींग सिंगारवाई बेदा जयसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	613	1.840	1.840	0.000	
		भूमिस्वामी	659	3.110	3.110	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
145	ब्रजभूषण वल्द मुरारी लाल रेखा रिंकी पिता मुरारीलाल मेवावाई पत्नि मुरारीलाल पता सा. मागोनी उमरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	614/2	0.170	0.170	0.000	
		भूमिस्वामी	652/1	0.090	0.090	0.000	
		भूमिस्वामी	653/2	0.800	0.800	0.000	
		भूमिस्वामी	653/3	0.990	0.990	0.000	
146	पुष्पेंद्र पिता योगेंद्र पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	617/1	0.550	0.550	0.000	
		भूमिस्वामी	627/1/2	0.450	0.450	0.000	
147	रजनी पत्नि पर्वतसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	617/3	1.200	1.200	0.000	
148	मानेन्द्र ना.बा.पिता पालक योगेंद्र पिता सरदारसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	618/1	0.390	0.390	0.000	
149	विनीता पत्नि योगेंद्र पता सा.देह	भूमिस्वामी	618/2	1.280	1.280	0.000	
150	कोमलवाई पत्नि सुजानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	618/3	0.020	0.020	0.000	
151	ब्रजेन्द्र पित भगवानसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	619/1	0.950	0.950	0.000	
		भूमिस्वामी	619/2	0.950	0.950	0.000	
152	अनिल कुमार पिता बट्टीप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	620/1	2.000	2.000	0.000	
		भूमिस्वामी	620/2	0.920	0.920	0.000	
153	रूपनारायण विष्णु हरिनारायण परसराम गंगाराम विन्द्रावन पिस दीनानाथ प्रेमवाई पति दीनानाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	621/1	0.560	0.560	0.000	
		भूमिस्वामी	622	0.270	0.270	0.000	
		भूमिस्वामी	678	1.360	1.360	0.000	
154	कैलाश रामसेवक पिता भैयालाल पता सा.दे भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	623/1	0.230	0.230	0.000	
155	कैलाशरामसेवक पिन. भैयाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	624/1	0.490	0.490	0.000	
156	कमलावाई पति सूरजसिंह पता सा.भोपाल भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	625/1/1/ 1	1.200	1.200	0.000	
157	राहुल पिता रामकिशन शर्मा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	625/1/1/	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	625/1/2	0.400	0.400	0.000	
158	मथुरावाई पति रामकिशन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	625/2	1.000	1.000	0.000	
159	मानेन्द्र ना.बा.पिता पालक योगेंद्र पिता सरदारसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	627/1/1	0.390	0.390	0.000	
160	रामवरन पुत्र पर्वतसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	627/3	1.200	1.200	0.000	
161	नारायण सींग पिता कन्हैया लाल पता निवासी खजुरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	630	0.170	0.170	0.000	
		भूमिस्वामी	631	0.230	0.230	0.000	
		भूमिस्वामी	633	0.150	0.150	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
162	राकेश कुमार पिता धनराज पता सा.बेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	635/1	0.210	0.210	0.000	
		भूमिस्वामी	636	1.680	1.680	0.000	
163	पूरनसीग वल्द खेतसीग पता निवामी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	635/2	0.200	0.200	0.000	
164	राकेश कुमार पिता धनराज पता सा.बेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	637	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	638	0.910	0.910	0.000	
165	राकेश कुमार पिता धनराज पता सा.बेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	639	0.250	0.250	0.000	
		भूमिस्वामी	640	0.230	0.230	0.000	
		भूमिस्वामी	641/2	0.160	0.160	0.000	
		भूमिस्वामी	643/1	0.140	0.140	0.000	
		भूमिस्वामी	643/748/1	0.140	0.140	0.000	
166	मेहताप पिता वालकिशन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	641/1	0.160	0.160	0.000	
167	हल्के पिता लालसीग खिलान भावसीग पिस.वालकिसन पता सा.खजुरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	642	0.380	0.380	0.000	
168	नरोत्तम वल्द खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	643/2	0.140	0.140	0.000	
		भूमिस्वामी	643/748/2	0.140	0.140	0.000	
169	रंधीरसीग पिता खेतसिंह पता सा.खजुरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	644	0.320	0.320	0.000	
		भूमिस्वामी	645/1	0.220	0.220	0.000	
170	रामविशाल पिता घनश्याम विक्रम ओमवती पिता घनश्याम घनश्याम पिता गनपत पता निवामी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	645/2	0.410	0.410	0.000	
171	अजमेर सीग वल्द चैनसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	647	0.410	0.410	0.000	
		भूमिस्वामी	648	1.050	1.050	0.000	
		भूमिस्वामी	698	1.100	1.100	0.000	
		भूमिस्वामी	699	1.330	1.330	0.000	
172	महेन्द्र गप्पू पिता रामविशाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	649/1	0.540	0.540	0.000	
173	हाकम वल्द हीरालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	651	0.840	0.840	0.000	
174	आशाराम पिता शिवबक्श पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	652/2	1.200	1.200	0.000	
175	मुनील कुमार वल्द आशाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	652/3	1.200	1.200	0.000	
176	रामकिशन पिता गोपीलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	654	0.240	0.240	0.000	
177	अममनी कुमार ऊर्फ संदीप वल्द केशवप्रसाद रामदेवी पता सा.देह भूमि	भूमिस्वामी	657	0.940	0.940	0.000	
		भूमिस्वामी	658/2	0.440	0.440	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
178	धरमोबाई देवा रजपाल तुफान अभयराम भगवत पिता रजपाल रामसखी ममता निशा पुत्री रजपाल पता सा.देह भूमि	भूमिस्वामी	663/1	1.020	1.020	0.000	
179	गीताबाई पति तुफानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	663/2	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	664	1.28	1.28	0.000	
180	निरंजन पिता बाबूलाल राहुल माहिल शुभम पिता हाकम पारो देवा मोहरसिंह अनिल पिता मोहरसिंह पता सा.देह भूमि	भूमिस्वामी	665	0.230	0.230	0.000	
		भूमिस्वामी	666	1.350	1.350	0.000	
181	कमान परबोत्तम पिता रामविशाल रानी पुत्री हरीसीग अनारबाई लीलाबाई पुत्री रामविशाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	667	0.670	0.670	0.000	
		भूमिस्वामी	672	2.420	2.420	0.000	
182	शिवराज पिता खुबसिंह बट्टीबाई पुत्री खुबसिंह दोनो 1/2 भाग भूमिस्वामी पता सा.देह महुनागुजर	भूमिस्वामी	669/1	0.560	0.560	0.000	
		भूमिस्वामी	669/2	0.560	0.560	0.000	
		भूमिस्वामी	671/1	0.220	0.220	0.000	
		भूमिस्वामी	671/2	0.220	0.220	0.000	
183	रूपाबाई देवा गजराजसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	675	0.500	0.500	0.000	
		भूमिस्वामी	687/1	0.180	0.180	0.000	
184	लक्ष्मीबाई देवा गौरीशकर सूर्यप्रताप कुंदन अरविंद पिता गौरीशकर गौरीशकर बल्द खमानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	676	1.010	1.010	0.000	
185	हरविशाल पिता गुलाबसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677	3.740	3.740	0.000	
186	भगवानसीग सिरदारसीग कल्याणसीग धनराजसीग पिस.गोपी लाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	681	1.440	1.440	0.000	
187	हरगोविंद पिता हरीसीग ऊर्फ हरीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	682	1.390	1.390	0.000	
188	कालूराम पि. हरगोविन्द पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	683	1.340	1.340	0.000	
189	मुन्ना बल्द फूलचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	684/1	0.420	0.420	0.000	
190	लीलाबाई पति हरगोविन्द पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	684/2	0.380	0.380	0.000	
		भूमिस्वामी	685/1	0.020	0.020	0.000	
191	उदयचंद पिता फूलचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	684/3	0.350	0.350	0.000	
		भूमिस्वामी	685/2	0.060	0.060	0.000	
192	गजराज सीताराम सुखदेव पि. प्यारेलाल शांतिबाई रामवती जयवती मोहरबाई पुत्री प्यारेलाल पता सा.भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	687/2	0.470	0.470	0.000	
193	सीताराम पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	687/3	0.580	0.580	0.000	
		भूमिस्वामी	687/4	0.470	0.470	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
194	द्रोपती पति लालचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	688	1.110	1.110	0.000	
		भूमिस्वामी	720/1	0.240	0.240	0.000	
		भूमिस्वामी	720/3	2.170	2.170	0.000	
		भूमिस्वामी	734/1	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	734/3	0.950	0.950	0.000	
195	रूपाबाई बेवा गजराज सुखदेव ना.वा.वलद वली प्यारेलाल पता सा.देह	भूमिस्वामी	690	1.160	1.160	0.000	
196	लालचंद पिता नंदकिशोर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	691	0.800	0.800	0.000	
197	जानकी पति गोवरधन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	700/2	0.800	0.800	0.000	
		भूमिस्वामी	712	0.760	0.760	0.000	
198	कुसुमबाई पति बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	701	0.150	0.150	0.000	
		भूमिस्वामी	709	1.240	1.240	0.000	
199	रामबाबू पि.मोहनमीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	704	1.960	1.960	0.000	
200	सग्राम शैलेन्द्र पिता संतोष विमलाबाई बेवा संतोष पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	705/2	1.000	1.000	0.000	
		भूमिस्वामी	706	0.080	0.080	0.000	
		भूमिस्वामी	707/1	0.530	0.530	0.000	
201	सूरजसिंह वलद सनेरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	708/1	1.550	1.550	0.000	
		भूमिस्वामी	713	1.260	1.260	0.000	
202	जमना प्रसाद पिता कलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	711	0.650	0.650	0.000	
203	गोलूसिंह उर्फ चंदनसिंह वलद अजमेर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	714	1.000	1.000	0.000	
		भूमिस्वामी	737/1	0.150	0.150	0.000	
204	चन्द्रशेखर पिता गुवन्दी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	715	0.940	0.940	0.000	
		भूमिस्वामी	716/2	0.240	0.240	0.000	
		भूमिस्वामी	736/2	0.080	0.080	0.000	
205	प्रेममीग पिता फूलचन्द्र पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	716/1	0.200	0.200	0.000	
		भूमिस्वामी	722/1	0.400	0.400	0.000	
		भूमिस्वामी	723/1	0.100	0.100	0.000	
		भूमिस्वामी	740	0.060	0.060	0.000	
		भूमिस्वामी	742	0.240	0.240	0.000	
206	गंगाराम वलद गुवन्दी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	721	1.000	1.000	0.000	
		भूमिस्वामी	735/2	0.080	0.080	0.000	
		भूमिस्वामी	736/1	0.120	0.120	0.000	
207	बैनीबाई पुत्री हलकई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	722/2	0.390	0.390	0.000	
		भूमिस्वामी	724/2	2.150	2.150	0.000	
		भूमिस्वामी	738/2	0.130	0.130	0.000	
		भूमिस्वामी	741/2	0.030	0.030	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
208	सुनीता पति प्रेमन्नीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	723/2	0.050	0.050	0.000	
		भूमिस्वामी	724/3	0.030	0.030	0.000	
		भूमिस्वामी	735/1	0.110	0.110	0.000	
		भूमिस्वामी	737/2	0.040	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	738/1	0.120	0.120	0.000	
		भूमिस्वामी	741/1	0.020	0.020	0.000	
		भूमिस्वामी	743/1	0.240	0.240	0.000	
209	मिदीया पुत्री बालचंद्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	724/1	0.870	0.870	0.000	
210	चेतराम वल्द धन्नालाल पता निवासी बेगमगंज भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	724/4	0.400	0.400	0.000	
211	वीरेंद्र कुमार पिता मिट्टूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	725	1.120	1.120	0.000	
		भूमिस्वामी	728	0.570	0.570	0.000	
		भूमिस्वामी	744	0.070	0.070	0.000	
		भूमिस्वामी	745	0.190	0.190	0.000	
212	सन्ध्यावाई पत्नि वीरेंद्र पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	726	3.090	3.090	0.000	
213	मिर्जा अयाज बेग वल्द अनवार बेग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	727	1.760	1.760	0.000	
		भूमिस्वामी	746	0.300	0.300	0.000	
214	कुलदीपसिंह वल्द मुशीरामं पता सा.कापल हेडा नई दिल्ली 37 भूमि	भूमिस्वामी	730	0.850	0.850	0.000	
		भूमिस्वामी	731	0.750	0.750	0.000	
215	गोटीराम पिता तुलसीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	2	1.940	1.027	0.913	
216	गोटीराम पिता तुलसीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	30	0.110	0.110	0.000	
217	मुगाराम पिता हरजान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	31	0.030	0.030	0.000	
218	मिस्टरसिंह पिता जगन्नाथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59	0.130	0.130	0.000	
219	कल्याणसिंह पिता मिस्टरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	61	1.100	0.621	0.479	
220	गोविंद सिंह पिता लाखाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63	0.050	0.033	0.017	
221	तारासिंह पिता दुर्जनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64	0.140	0.040	0.100	
222	ओमबाई पत्नि महाराजसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150	1.560	1.476	0.084	
223	नेतरामसिंह पिता रूपसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	151	1.450	0.040	1.410	
224	सोदान पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	155	1.280	0.676	0.604	

1	2	3	4	5	7	8	9
225	अजीर पिता रामविशाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	154/1	0.690	0.690	0.000	
226	कल्लू पिता रामविशाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	154/2	0.800	0.257	0.543	
227	अजीर पिता रामविशाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	156/1	0.570	0.570	0.000	
228	सीताराम पिता रूपसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	156/2	0.630	0.281	0.349	
229	लालचंद पिता नंदकिशोर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	156/3	0.360	0.360	0.000	
230	गोविन्दसींग बल्द खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	583	0.400	0.005	0.395	
231	रामशकर बल्द बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	160	0.860	0.860	0.000	
232	रामावाई देवा सतोष पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	161	0.730	0.730	0.000	
233	रामनारायण पिता भावसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	166/2	0.280	0.232	0.048	
234	रामशकर बल्द बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	166/3	0.060	0.060	0.000	
235	भूपेंद्रसींग पिता जगदीशसिंह गुजर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	166/1 + 166/4	1.850	1.705	0.145	
236	यह खसरा नक्से मे उपलब्ध नहीं है	भूमिस्वामी	166/5	0.040	0.040	0.000	
237	विधावाई पति परमलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	211	0.500	0.465	0.035	
238	लक्ष्मणसींग पिता रामकिशन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	213	0.480	0.020	0.460	
239	मलखान पिता राममेवक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	215	1.120	0.447	0.673	
240	ब्रजेशसींग पिता महेंद्र पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	216	1.250	1.042	0.208	
241	अजमेर बल्द हकूम उफ जमवतसींग पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	389	0.820	0.767	0.053	
242	रामप्यारी देवा प्रह्लादसिंह त्रिणुप्रसाद अजीतसींग सीमा शशि पिता प्रह्लाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	390	0.930	0.750	0.180	
243	सुदामा बल्द हीरालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	391/2	0.170	0.036	0.134	
244	राधेश्याम बल्द हीरालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	392/1	0.160			
245	अमित पिता बालमुकुन्द पता	भूमिस्वामी	392/2	0.170	0.046	0.344	
246	जानचंद बल्द हीरालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	392/3	0.060			

1	2	3	4	5	7	8	9
247	कडोरी हरमोचंद्र खेमचंद पिता हरीराम पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	393	0.690	0.010	0.680	
248	बलराम बल्लू मिटठूलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	394	1.160	0.714	0.446	
249	टीकाराम पिता कन्देदी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/6	0.400	0.010	0.390	
250	कल्लू पिता डुल्लीपता पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/7	0.400	0.390	0.010	
251	कुन्दन रमेश परपोतम पिता खेमचंद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/8	0.400	0.043	0.357	
252	गोविन्दसींग बल्लू खिलान पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	423	1.050	0.701	0.349	
253	दलीप पिता गोटीराम माखनसींग बल्लू बालमुकुन्द पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	424	0.890	0.782	0.108	
254	माखनसींग हरिसींग पिस.बालमुकुन्द पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	425	0.360	0.302	0.058	
255	धरमोबाई पति राजपाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	457	1.280	0.310	0.970	
256	अजुद्वीबाई बेवा बहादुर मोहरबाई क्रांतिबाई मुन्नीबाई पिता बहादुर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	456	1.410	0.773	0.637	
257	क्रांतिबाई पुत्री बहादुर सिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	459	0.380	0.380	0.000	
258	हल्लू उर्फ जसवतसींग बल्लू लालसींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	460	0.400	0.400	0.000	
259	द्रोपतीबाई पति सुरेशचंद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	515	1.780	0.920	0.860	
260	मीना देवा घनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	516	1.070	0.391	0.679	
261	किशनलाल पिता रघुवर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	518/3	0.400	0.076	0.324	
262	दुर्गाप्रसाद पिता लल्लू पता सा.देह	भूमिस्वामी	536	1.750	1.208	0.542	
263	मीना देवा घनश्याम पता सा.देह भूमि	भूमिस्वामी	540/1	0.160	0.100	0.060	
264	अमित पिता बालमुकुन्द	भूमिस्वामी	540/2	0.600	0.600	0.000	
265	ज्ञानचंद बल्लू हीरालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	540/3	0.600	0.600	0.000	
266	रतिबाई जौजे कडोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	540/4	0.400	0.400	0.000	
267	रतिबाई जौजे कडोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	540/5	0.800	0.800	0.000	
268	मीना देवा घनश्याम पता सा.देह भूमि	भूमिस्वामी	541/1	2.170	2.080	0.090	
269	अमित पिता बालमुकुन्द पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	541/2	0.100	0.100	0.000	



1	2	3	4	5	7	8	9
270	जगन्नाथ चंद बल्लू हीरालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	541/3	0.100	0.100	0.000	
271	तन्हीवाई दलीप तेजराम लक्ष्मन नंदराम काशीराम नीमाबाई पिता दलीप पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	556	0.460	0.460	0.000	
272	लालचंद पिता नंदकिशोर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	557	0.850	0.183	0.667	
कुल योग-			483	300.220	284.981	15.239	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16 -15- (7)2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवका, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू - अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क-2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशानुसार कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)2014- सात-शा. 2 ए भोपाल, दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू.क-2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबन्धित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू.क-2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2021

## सूचना

क्रमांक-एफ-3-12/2021/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3155/वि.यो. 496/नग्रानि/2020, भोपाल दिनांक 20/08/2020 द्वारा प्रकाशित सिवनी विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- 1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 ।
- 2 कलेक्टर, जिला सिवनी म0प्र0 ।
- 3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा म0प्र0 ।
- 4 मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सिवनी म0प्र0 ।

## अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक ( 6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	सिवनी विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।

## व्याख्या-

- \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाने ।
- \*\*गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
- \*\*\*कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17(क) में वर्णित अनुसार ।

टीप:-उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।

## सूचना

क्रमांक-एफ-3-13/2021/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3452/वि.यो. 496/नग्रानि/2020, भोपाल दिनांक 03/09/2020 द्वारा प्रकाशित बालाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बालाघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- 1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 ।
- 2 कलेक्टर, जिला बालाघाट म0प्र0 ।
- 3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा म0प्र0 ।
- 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बालाघाट म0प्र0 ।

## अनुसूची

क्रं.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	बालाघाट विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

## व्याख्या-

- i \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।
- ii \*\*गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
- iii \*\*\*कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17(क) में वर्णित अनुसार ।

टीप:-उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।

## सूचना

क्रमांक-एफ-3-14/2021/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3105/वि.यो. 496/नग्रानि/2020, भोपाल दिनांक 19/08/2020 द्वारा प्रकाशित छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- 1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 ।
- 2 कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा म0प्र0 ।
- 3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा म0प्र0 ।
- 4 आयुक्त नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा म0प्र0 ।

## अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक ( 6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

## व्याख्या-

- i \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
- ii \*\*गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
- iii \*\*\*कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17(क) में वर्णित अनुसार ।

टीप:-उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।

## सूचना

क्रमांक-एफ-3-30/2021/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3655/वि.यो. 496/नग्रानि/2020, भोपाल दिनांक 29/09/2018 द्वारा प्रकाशित नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- 1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 ।
- 2 कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर म0प्र0 ।
- 3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर म0प्र0 ।
- 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरसिंहपुर म0प्र0 ।

## अनुसूची

क्रं.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात् प्रावधान
1	<p><b>अध्याय-4</b>  <b>4.11 :- मध्यवर्ती क्षेत्र</b>  नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-  (अ) उत्तर-चांडक चौक से नई बस्ती तक ।  (ब) पूरब- खिरहनी फाटक से रेलवे स्टेशन ।  (स) दक्षिण-रेलवे कालोनी से मिशन चौक तक ।  (द)पश्चिम- चांडक चौक से मिशन चौक तक ।</p>	<p><b>अध्याय-4</b>  <b>4.11 :- मध्यवर्ती क्षेत्र</b>  नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-  (अ)उत्तर-पूर्व-मुशरान पार्क से होते हुये इतवारा बाजार डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक ।  (ब)उत्तर-पश्चिम-नरसिंह तालाब के समानांतर लालमहल एम एल बी कालेज एवं डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक ।  (स)दक्षिण-पूर्व- कंदेरी मुख्य मार्ग होते हुये सिंगरी नदी की सीमा तक ।  (द)दक्षिण-पश्चिम-सिंहपुर तिराहा से मार्ग के समानांतर सींगरी नदी की दक्षिणी सीमा तक ।</p>
2	<p><b>अध्याय-6</b>  सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 4 कॉलम 4</p> <p>सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4</p>	<p>अध्याय-6  सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 में रेस्टोरेंट एवं खेल का मैदान के पश्चात् अंतः स्थापित किया जाता है।  सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग**</p> <p>सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4 में शैक्षणिक संस्थाएं के पश्चात् अंतः स्थापित किया जाता है।  सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।</p>

	<p><b>व्याख्या-</b></p> <p>i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।</p> <p>ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।</p> <p>iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17(क) में वर्णित अनुसार ।</p> <p>टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।</p>	
3	<p>6.18 :- वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन</p> <p>स- गंजक्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे ।</p>	<p>6.18 :- वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन</p> <p>स- स्टेशन गंज क्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे ।</p>

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 516-भू-अर्जन-2020

सीधी, दिनांक 5 अक्टूबर 2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य सोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का भाग है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	रामपुर नैकिन
(ग)	ग्राम	:-	खैरा
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	खैरा
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.150 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	80	0.640	0.040	मुस. कलावती बेवा रामलला, रेखा, नीता, कल्पना, विद्या पिता रामलला, रामसिया, सियाशरण, रमेश कुमार, रामलखन, रमाकांत, अरविन्द कुमार पिता यदुनाथ प्रसाद
2	82	0.470	0.100	हीरालाल पिता जेटूराम, पवित्री बेवा मंगलराम, श्रीनिवास, अयोध्या प्रसाद, केशव प्रसाद, रामनिवास, श्रीकांत पिता मंगलराम, शंखी, श्यामवती, गुड्डू पुत्री मंगलराम
3	100	0.150	0.010	मुस. शकुन्तला देवी पत्नी कौशल प्रसाद, लक्ष्मीकांत, गिरीश कुमार पिता कौशल प्रसाद
	<b>कुल योग -</b>	<b>1.260</b>	<b>0.150</b>	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील, कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक 2233-भू-अर्जन-2020-21

कसरावद, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

**प्ररूप- "ख"**

**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक- २३३५-८२ /२०-२१ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**::अनुसूची::**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	भट्याणखुर्द प. ह. न.-77	4/1/1	0.004
			4/5	0.005
			4/1/2	0.007
			4/1/4	
			4/1/6	
			4/1/3	0.006
			4/2	0.001
			4/3	0.005
			4/4	0.007
			4/6	0.005
			4/1/5	0.007
			4/7	0.008
			4/8	0.008
			14/2	0.002
			15/1	0.004
			15/2	0.003
			16/1	0.006
16/2	0.006			
21/1	0.008			



जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	भट्याणखुर्द प. ह. न.-77	21/2	0.006
			21/3/2	0.007
			47/2	0.007
			58/1/1	0.012
			58/2	0.005
			79/6	0.007
			66	0.007
			68	0.006
			74/5	0.015
			74/4	0.001
			74/3	0.015
			71	0.015
			73	0.008
			370/3	0.003
			370/4	0.007
			372	0.002
			374	0.006
			386/2	0.005
			385/2	0.003
			293/4	0.017
			250/1/3	0.002
			250/1/4	0.0018
			250/1/5	0.008
			251	0.013
			252	0.002
			253/2	0.010
			247/1	0.015
			262	0.012
			265/1	0.010
			265/2/1	0.010
			265/2/2	0.010
			266/1	0.005
306/1	0.005			
306/8	0.008			
306/9	0.007			
303/2	0.015			
301/3	0.020			
299	0.020			
298/2	0.026			
295	0.015			

14/1

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	भट्याणखुर्द प.ह.न.-77	346/2	0.015
			347/1	0.013
			350/1	0.013
			351	0.013
			356/2	0.017
			361/2/2	0.013
			362/1	0.012
			362/2	0.007
			362/3	0.012
			365/6	0.020
			368/1/2	0.012
			392	0.012
			391	0.008
			383	0.034
378/1	0.010			
378/2/1	0.017			
<b>कुल योग</b>			<b>73</b>	<b>0.705</b>

क्रमांक 2235-भू-अर्जन-2020-21

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक- 01 अ 82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्घहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदरत शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**::अनुसूची::**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	सिनगुन प.ह.न.-41	432/4	0.003
			434	0.008
			436	0.010

			435	0.006
			197	0.001
			165	0.011
			458/2	0.016
			463/1	0.025
			463/2	0.009
			174/1	0.001
			173/1	0.003
			173/2	0.003
			154/1	0.004
			96/2	0.002
			96/3	0.011
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	सिनगुन प.ह.न.-41	92	0.017
			46/1	0.012
			49/4	0.001
			49/3	0.003
			49/2	0.002
			33/1	0.002
			49/1	0.003
			52	0.008
कुल योग			23	0.161

क्रमांक 2237-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक 20 अ-82-भू-अर्जन-20-21.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्घहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**::अनुसूची::**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	सुर्वा प. ह. न.-42	229/1	0.006
			229/6	
			231/1	0.006
कुल योग			02	0.012

क्रमांक 2239-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 0637-82-20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्ग्रहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पद्वत शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	टेमरनी प. ह. न.-42	285	0.022
			576	0.008
			632/1	0.005
			630/1	0.004
			635/1	0.007
			17	0.004
			18	0.003
			29/1	0.006
			26	0.002
			27/1	0.011
			33/1	0.003
			35/1	0.003
			35/2	0.004
			35/3	0.001
खरगोन	कसरावद	टेमरनी प. ह. न.-42	115	0.017
			75/1	0.006
			75/2	0.006
			39/1	0.013
			39/2	0.002
			225	0.007
			268/1	0.001
			257	0.018
			259	0.0016
			263/1	0.001
262/1	0.004			
<b>कुल योग</b>			<b>25</b>	<b>0.174</b>

क्रमांक 2241-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक. 1531-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा मार्लको उद्घाटन सिंचाई परियोजना की भूमिगत प्रेविटीमेन मार्लप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत मार्लपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत मार्लपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत मार्लपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत मार्लपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पद्धत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे मार्लपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	तिवरान्या प. ह. न.-20	1/2	0.019
			2/2	0.006
			23	0.010
			21/1	0.004
			12/4	0.008
			119/1	0.004
			130	0.002
			133	0.010
			134	0.008
			135	0.009
			136	0.009
<b>कुल योग</b>			<b>11</b>	<b>0.089</b>

क्रमांक 2243-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 03 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पद्वत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	जोतपुरा प.ह.न.-35	173/1	0.029
कुल योग			01	0.029

क्रमांक 2245-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 13 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	बेगंदा प. ह. न. -37	138/1	0.009
			137/2	0.006
			137/3	0.007
			137/4	0.007
			153/1	0.006
			153/2	0.005
			155/1	0.010
			168	0.008
कुल योग			08	0.058



क्रमांक 2247-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 17 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	बिलवा प.ह.न.-20	85	0.046
कुल योग			01	0.046

क्रमांक 2249-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 21 अ-82 /20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पद्वत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**::अनुसूची::**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	कुण्डिया प.ह.न.-42	5	0.015
			16	0.003
			15	0.008
			14	0.014
			50	0.005
<b>कुल योग</b>			<b>05</b>	<b>0.045</b>

क्रमांक 2251-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 04 31-82 /20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदरत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**::अनुसूची::**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	बेगंदा प. ह. न. - 37	336/4	0.009
			337/1	0.002
			342/2	0.005
			341/2	0.005
			341/1	0.002
कुल योग			05	0.023

क्रमांक 2253-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 12 अ-82 (20-2) अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्घहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	मिर्जापुर प. ह. न. -41	18/3	0.005
			18/3/1	0.006
			19/10	0.007
			20/5	0.006
			20/7	0.005
			20/18	0.002
			20/19	0.006
			26/2	0.013
			103	0.020
			101/1	0.007
			101/2	0.004
			101/3	0.001
			104/1	0.002
			105/1	0.006
			106/1	0.011
			116/1	0.002
			95/1	0.001
116/2	0.004			

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	मिर्जापुर प. ह. न. -41	116/3	0.003
			116/4	0.005
			149	0.007
			150/6	0.017
			150/12	0.005
			105/7	0.005
			151/4	0.005
			151/5	0.013
			152/3	0.005
			152/4	0.005
			53	0.008
			58	0.001
			94/1	0.001
			94/4	0.004
			94/2	0.003
			80/2	0.001
			90/4	0.001
			90/3	0.002
			90/2	0.001
			89/1	0.001
94/3	0.001			
151/6	0.005			
कुल योग			40	0.207

क्रमांक 2255-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 11 31-82 /20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील- कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**::अनुसूची::**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	कुसुमपुरा प. ह. न.-42	39/2	0.002
			39/3	0.003
			39/4	0.002
			40/1	0.006
			40/2	0.002
			44/5	0.002
			44/4	0.002
			44/3	0.003
			44/2	0.003
			44/1	0.002
			45/1	0.005
			45/2	0.011
			30	0.009
			26/1	0.009
25/2	0.006			
खरगोन	कसरावद	कुसुमपुरा प. ह. न.-42	23	0.010
			12	0.014
			6	0.001
			2	0.003
<b>कुल योग</b>			<b>19</b>	<b>0.095</b>

क्रमांक 2259-भू-अर्जन-2020-21

कसरावद, दिनांक 28 दिसम्बर 2020

क्रमांक- 25 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चौण्डी-जामन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला-खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	हीरापुर प. ह. न.-81	44/1	0.002
			44/2	0.004
			45/2	0.010
			57/6	0.003
			57/5	0.001
			58/2	0.007
			60/1	0.001
			60/2	0.002
			60/4	0.004
			57/7	0.003
			131/1/क	0.007
			132	0.009
			133/2	0.009
			134	0.008
			135/2	0.016
135/3	0.009			
135/4	0.007			

ज़िला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	हीरापुर प. ह. न.-81	143/1	0.002
			137/1	0.004
			137/2	0.004
			138/2	0.006
			141/1	0.007
			141/2	0.004
			141/3	0.004
			162/4	0.004
			163	0.001
			185/1	0.001
			184/7	0.003
			184/3/1	0.008
			184/4	0.008
			183/1	0.004
			183/5	0.008
			183/2	0.015
			180/1	0.010
			180/3	0.006
			180/4	0.005
			178	0.006
			197/2/घ	0.002
			197/2/ग	0.015
			197/4/ब	0.005
			218	0.010
216/7	0.012			
216/3/1	0.004			
216/1	0.006			
<b>कुल योग</b>			<b>44</b>	<b>0.266</b>



क्रमांक 2265-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक-14 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	डोलानी प. ह. न.-34	249/3	0.005
			249/4	0.013
			249/6	0.017
			233/1/1	0.005
			84/1	0.006
			40/1	0.012
			22	0.002
			29	0.010
			36/2	0.004
			46/2	0.002
खरगोन	कसरावद	डोलानी प. ह. न.-34	33	0.008
			28	0.004
			382	0.007
			367	0.015
			363/5	0.006
कुल योग			15	0.116

क्रमांक 2269-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक-19 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**::अनुसूची::**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
खरगोन	कसरावद	अधावन प. ह. न.-50	202/1	0.012
			225/2	0.001
			201	0.001
			202/7	0.002
			225/5	0.002
			204/3	0.003
			225/4	0.002
			225/3	0.002
			204/5	0.008
			225/1	0.002
			204/4	0.004
			224/1	0.014
			224/2	0.011
			222	0.028
खरगोन	कसरावद	अधावन प. ह. न.-50	219/4	0.018
			221	0.007
			220/2	0.003
			245/1	0.013
			244/1	0.010
			284/1	0.019
<b>कुल योग</b>			<b>21</b>	<b>0.164</b>

क्रमांक 2273-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक-08 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्घहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	बाल्यापुरा प.ह.न.-60	142/1 142/3	0.004
कुल योग			01	0.004

क्रमांक 2277-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक- 09 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**::अनुसूची::**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	मलतार प.ह.न.-36	373	0.019
			372	0.004
			378/3	0.002
			378/2	0.005
			380/1	0.005
			378/1	0.003
			381	0.003
कुल योग			07	0.041

क्रमांक 2281-भू-अर्जन-2020-21

क्रमांक-21 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत्र शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**::अनुसूची::**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	गुजारी प. ह. न.-52	4/4/1	0.011
			9	0.008
			8	0.004
<b>कुल योग</b>			<b>03</b>	<b>0.023</b>

संघ प्रिय भा. प्र. से. सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
अनुभाग-मऊगंज, जिला रीवा मध्यप्रदेश

मऊगंज, दिनांक 1 जनवरी 2021

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिए)

क्र. 01-भू-अर्जन-कार्य-20.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 65 दिनांक 5 अगस्त 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-गढ़ 116 तहसील-मनगवां, जिला-रीवा से ग्राम-गढ़, 116 तहसील-मनगवां, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 जून 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मनगवां	गढ़ 116,	1914	0.032
		पटवारी हल्का 4	1912	0.024
		गढ़.	1846/1	0.010
			1846/2	0.010
			1846/3	0.011
			1854	0.001
			1853/2	0.011
			1857/1	0.010
			1857/3	0.037
			1859/1	0.008
			1859/4	0.008
			1860/5	0.018
			1860/6	0.012
			1781	0.008
			1772/1	0.008
			1772/2	0.019
			1771/3	0.012
			1771/4/1	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1771/4/2	0.005
			1771/4/3	0.005
			1771/5/1	0.013
			1771/5/2	0.008
			1771/5/4	0.016
			1017	0.036
			1028/3	0.010
			1029/3	0.014
			1021/2	0.018
			1022/1	0.013
			1022/2	0.006
			926/1	0.006
			933	0.026
			934/1	0.010
			934/2	0.015
			934/3	0.004
			917/3/1/1	0.010
			921/1/1	0.001
			920/1	0.017
			919/1	0.013
			919/2	0.012
			904/1	0.018
			904/4	0.015
			902/1	0.017
			901/3	0.009
			900	0.024
			899	0.003
			898	0.005
			897/1/1	0.012
			897/1/2	0.003
			813/2	0.008
			813/5/2	0.004
			813/6	0.002
			813/7	0.008
			814/1	0.013
			814/3	0.014
			815	0.025
			809/1	0.004
			809/2	0.003
			806/1	0.011
			806/2	0.007
			807/1	0.030
			808/1	0.001
			1006/1	0.026
			1006/5	0.026

ए. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

पत्र क्र. 12-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1) दमोह	(2) पथरिया	(3) सेमरा बुर्जग/ पुरा पायरा.	(4) 1.575	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) दमोह, संभाग दमोह.	(6) सेमरा तिगड्डा से जोरलता पुरा मार्ग निर्माण बाबत.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरूण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 जनवरी 2021

प्र. क्र. 47-अ-82-वर्ष 2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) देवेन्द्रनगर	(3) बमुरी (पूरक प्रस्ताव).	(4) निजी भूमि रकबा 0.373 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.373 है.	(5) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे.	(6) ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु छूटे हुये रकबों का पूरक प्रस्ताव.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 21 जनवरी 2021

नस्ती क्र. 34-एल.ए.-2020-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	रोशनी	1.60	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 35-एल.ए.-2020-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-82-2020-21.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक-1513-कार्य-खण्डवा, दिनांक 7 सितम्बर 2020 द्वारा प्रस्तुत कर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड कार्य हेतु ग्राम बाराकुण्ड, तहसील खालवा, पटवारी हल्का नं. 64 की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.05 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खालवा	64	बाराकुण्ड	1.05	आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड हेतु.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 35-एल.ए.-2020-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड हेतु की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	बाराकुण्ड	1.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 35-एल.ए.-2020-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-82-2020-21.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक-1517-कार्य-खण्डवा, दिनांक 7 सितम्बर 2020 द्वारा प्रस्तुत कर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से ग्राम रोशनी, तहसील खालवा, पटवारी हल्का नं. 62 की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.05 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन. विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के विन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खालवा	62	रोशनी	1.60	आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 35-एल.ए.-2020-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-82-2020-21.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक-1517-कार्य-खण्डवा, दिनांक 7 सितम्बर 2020 द्वारा प्रस्तुत कर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड कार्य हेतु ग्राम पिपल्याभोजू,

तहसील खालवा, पटवारी हल्का नं. 64 की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 2.55 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खालवा	64	पिपल्याभोजू	2.55	आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के कन्ट्रोल रूम निर्माण एवं परिवर्तित पिपल्याभोजू मार्ग हेतु

**नोट:—**उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 36-एल.ए.-2020-भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के कन्ट्रोल रूम निर्माण एवं परिवर्तित पिपल्या भोजू मार्ग हेतु की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

#### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	पिपल्याभोजू	2.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के कन्ट्रोल रूम निर्माण एवं परिवर्तित पिपल्या भोजू मार्ग हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जब संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

	(1)	(2)	(3)
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन			
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	1824/2	0.130	निजी भूमि
पन्ना, दिनांक 14 जनवरी 2021	1823/2	0.060	निजी भूमि
प्र. क्र. 02-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—	1645	0.060	निजी भूमि
	1646	0.120	निजी भूमि
	1647/2	0.130	निजी भूमि
	1627	0.040	निजी भूमि
	1293	0.060	निजी भूमि
	1292	0.010	निजी भूमि
	1291	0.170	निजी भूमि
	1294	0.020	निजी भूमि
	1295	0.010	निजी भूमि
	1298	0.010	निजी भूमि
	1299	0.030	निजी भूमि
	1300	0.010	निजी भूमि
	1305	0.010	निजी भूमि
	1304	0.010	निजी भूमि
	1306	0.010	निजी भूमि
	1358	0.010	निजी भूमि
अनुसूची	1359/2	0.140	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—	1360/1	0.020	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना	1287	0.080	निजी भूमि
(ख) तहसील—पवई	1276/1	0.150	निजी भूमि
(ग) ग्राम—सुनवारी	1369/1	0.010	निजी भूमि
(घ) क्षेत्रफल—2.870 हेक्टेयर.	1370/1	0.060	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
(1)	(2)	(3)	
1841	0.210	निजी भूमि	1270/1
1843	0.010	निजी भूमि	1270/2
1845	0.050	निजी भूमि	1268
1853	0.150	निजी भूमि	1267
1854	0.030	निजी भूमि	1266
1856	0.170	निजी भूमि	1383
1825/1	0.030	निजी भूमि	1382
1824/1	0.110	निजी भूमि	1397/1
			0.140
			2.870

योग . . . 2.870

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम सुनवारी तहसील एवं अनुभाग पवई.	(1)	(2)	(3)
	388	0.120	निजी भूमि
	353/1	0.030	निजी भूमि
	353/2	0.070	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.	352	0.050	निजी भूमि
	337	0.050	निजी भूमि
	324	0.020	निजी भूमि
प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—	338	0.030	निजी भूमि
	336/1	0.020	निजी भूमि
	336/2	0.030	निजी भूमि
	335/1	0.130	निजी भूमि
	335/2	0.010	निजी भूमि
	329	0.110	निजी भूमि
	330	0.010	निजी भूमि
	312/1	0.060	निजी भूमि
	312/2	0.010	निजी भूमि
	312/3	0.080	निजी भूमि
	312/4	0.010	निजी भूमि
	311	0.160	निजी भूमि
	314/1	0.010	निजी भूमि
	247	0.130	निजी भूमि
	248	0.070	निजी भूमि
	249	0.070	निजी भूमि
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—	245/1	0.040	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना	245/2	0.030	निजी भूमि
(ख) तहसील—पवई	245/3	0.010	निजी भूमि
(ग) ग्राम—चौमुखा	244/1	0.100	निजी भूमि
(घ) क्षेत्रफल—1.990 हेक्टेयर.	244/2	0.020	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
(1)	(2)	(3)	
360	0.010	निजी भूमि	516
359	0.060	निजी भूमि	94
358	0.010	निजी भूमि	93
382	0.010	निजी भूमि	89/1
384	0.050	निजी भूमि	89/2
385	0.060	निजी भूमि	0.020
395	0.010	निजी भूमि	योग . . . 1.990
386	0.060	निजी भूमि	
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम चौमुखा तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.			(1)	(2)	(3)
<p>प्र. क्र. 04-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—</p> <p style="text-align: center;"><b>अनुसूची</b></p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—पन्ना</p> <p>(ख) तहसील—पवई</p> <p>(ग) ग्राम—मुराछ</p> <p>(घ) क्षेत्रफल—4.830 हेक्टेयर.</p>			2972/1	0.010	निजी भूमि
			2972/2	0.060	निजी भूमि
			2971	0.090	निजी भूमि
			2704/1	0.060	निजी भूमि
			2704/2	0.060	निजी भूमि
			2703	0.030	निजी भूमि
			2705	0.060	निजी भूमि
			2706/1	0.020	निजी भूमि
			2706/2	0.120	निजी भूमि
			2720/1	0.040	निजी भूमि
			2720/2	0.040	निजी भूमि
			2720/3	0.020	निजी भूमि
			2718	0.140	निजी भूमि
			2717	0.020	निजी भूमि
			2711/3	0.040	निजी भूमि
			2716	0.010	निजी भूमि
			2715	0.010	निजी भूमि
			2712	0.010	निजी भूमि
			1567	0.010	निजी भूमि
			1566	0.200	निजी भूमि
1576/1	0.140	निजी भूमि			
1576/2	0.020	निजी भूमि			
1575	0.010	निजी भूमि			
1572	0.040	निजी भूमि			
1574	0.090	निजी भूमि			
1580	0.010	निजी भूमि			
1581	0.130	निजी भूमि			
1543	0.010	निजी भूमि			
1540/1	0.130	निजी भूमि			
1540/2	0.080	निजी भूमि			
1501	0.070	निजी भूमि			
1502/1/क	0.020	निजी भूमि			
1502/1/ख	0.130	निजी भूमि			
1502/2	0.010	निजी भूमि			
1503	0.100	निजी भूमि			
1504/2	0.010	निजी भूमि			
1505	0.010	निजी भूमि			
1506	0.090	निजी भूमि			
1494	0.020	निजी भूमि			
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
3023	0.130	निजी भूमि			
3026	0.010	निजी भूमि			
3025	0.040	निजी भूमि			
3029/1	0.100	निजी भूमि			
3029/2	0.060	निजी भूमि			
3030	0.010	निजी भूमि			
2996/2	0.020	निजी भूमि			
3032/2	0.080	निजी भूमि			
3032/3	0.130	निजी भूमि			
3033	0.040	निजी भूमि			
3034	0.230	निजी भूमि			
2973	0.010	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.		
1493	0.130	निजी भूमि	<p>प्र. क्र. 05-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—</p> <p style="text-align: center;"><b>अनुसूची</b></p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—पन्ना</p> <p>(ख) तहसील—पवई</p> <p>(ग) ग्राम—उरदानी</p> <p>(घ) क्षेत्रफल—2.690 हेक्टेयर.</p>		
1487	0.010	निजी भूमि			
1488	0.010	निजी भूमि			
1490	0.210	निजी भूमि			
1491	0.040	निजी भूमि			
1349	0.120	निजी भूमि			
1347/1	0.020	निजी भूमि			
1348	0.010	निजी भूमि			
1346/2	0.010	निजी भूमि			
1341/1	0.060	निजी भूमि			
1341/2	0.070	निजी भूमि			
1335/1	0.010	निजी भूमि			
1335/2	0.050	निजी भूमि			
1328	0.020	निजी भूमि			
1334	0.050	निजी भूमि			
1336	0.020	निजी भूमि			
1333	0.010	निजी भूमि			
1332	0.070	निजी भूमि			
1314	0.050	निजी भूमि			
1313	0.020	निजी भूमि			
27	0.070	निजी भूमि			
26	0.020	निजी भूमि			
22	0.070	निजी भूमि			
29/1	0.030	निजी भूमि			
30	0.100	निजी भूमि			
31	0.070	निजी भूमि	खसरा	कुल अर्जित रकवा	भूमि का प्रकार
40	0.020	निजी भूमि	नम्बर	(हेक्टेयर में)	
42	0.060	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
43	0.040	निजी भूमि	1183	0.010	निजी भूमि
44	0.060	निजी भूमि	1180	0.010	निजी भूमि
60	0.050	निजी भूमि	1189	0.030	निजी भूमि
59	0.080	निजी भूमि	1177	0.050	निजी भूमि
63	0.050	निजी भूमि	1178/1	0.010	निजी भूमि
65	0.070	निजी भूमि	1178/2	0.010	निजी भूमि
66	0.020	निजी भूमि	1184	0.030	निजी भूमि
			1185	0.050	निजी भूमि
			1188/1	0.010	निजी भूमि
			1194	0.030	निजी भूमि
			1195	0.010	निजी भूमि
			1099	0.020	निजी भूमि
	योग	4.830			
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम मुराद तहसील एवं अनुभाग पवई.				

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1098	0.020	निजी भूमि	826/2	0.020	निजी भूमि
1097	0.020	निजी भूमि	826/1310	0.010	निजी भूमि
1096	0.020	निजी भूमि	827/1	0.020	निजी भूमि
1087/1313	0.010	निजी भूमि	825/1309	0.040	निजी भूमि
1085	0.020	निजी भूमि	821	0.040	निजी भूमि
1084	0.020	निजी भूमि	820/2	0.010	निजी भूमि
1083	0.040	निजी भूमि	188	0.060	निजी भूमि
1082	0.040	निजी भूमि	187	0.080	निजी भूमि
1081	0.060	निजी भूमि	190	0.130	निजी भूमि
1203	0.010	निजी भूमि	183	0.010	निजी भूमि
1202	0.010	निजी भूमि	182	0.070	निजी भूमि
1051/3	0.010	निजी भूमि	202	0.020	निजी भूमि
1080/2	0.050	निजी भूमि	180	0.030	निजी भूमि
1076/2	0.020	निजी भूमि	181	0.010	निजी भूमि
1067	0.020	निजी भूमि	179	0.220	निजी भूमि
880	0.030	निजी भूमि	178	0.010	निजी भूमि
878/1	0.040	निजी भूमि	138	0.290	निजी भूमि
878/2	0.030	निजी भूमि	153	0.010	निजी भूमि
878/3	0.020	निजी भूमि	154/1	0.040	निजी भूमि
877	0.010	निजी भूमि	154/2	0.040	निजी भूमि
881/2	0.040	निजी भूमि	154/3	0.050	निजी भूमि
882	0.010	निजी भूमि	155	0.020	निजी भूमि
883	0.020	निजी भूमि	150	0.010	निजी भूमि
876/1	0.010	निजी भूमि	149	0.060	निजी भूमि
876/2	0.020	निजी भूमि	148	0.080	निजी भूमि
862	0.030	निजी भूमि	147	0.010	निजी भूमि
861	0.070	निजी भूमि			
860/1/1/1	0.010	निजी भूमि			
860/1/1/2	0.010	निजी भूमि			
860/2	0.010	निजी भूमि			
860/2/ख	0.010	निजी भूमि			
857	0.030	निजी भूमि			
859	0.050	निजी भूमि			
855/1	0.010	निजी भूमि			
855/2/2	0.010	निजी भूमि			
856/1	0.070	निजी भूमि			
856/2/2	0.010	निजी भूमि			
823	0.030	निजी भूमि			
824	0.050	निजी भूमि			
825	0.030	निजी भूमि			
				योग . . . 2.690	
			(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम उरदानी तहसील एवं अनुभाग पवई.	
			(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.	
				प्र. क्र. 06-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और	



पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—कमता

(घ) क्षेत्रफल—2.940 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	911	0.020	निजी भूमि
1031	0.180	निजी भूमि	910	0.010	निजी भूमि
1032	0.020	निजी भूमि	909/1	0.110	निजी भूमि
1030	0.110	निजी भूमि	909/2	0.080	निजी भूमि
1014	0.100	निजी भूमि	908	0.010	निजी भूमि
1013	0.010	निजी भूमि	907	0.060	निजी भूमि
1012	0.100	निजी भूमि	906	0.010	निजी भूमि
1009	0.010	निजी भूमि	835	0.080	निजी भूमि
1011	0.160	निजी भूमि	832	0.010	निजी भूमि
975	0.020	निजी भूमि	833	0.020	निजी भूमि
976	0.060	निजी भूमि	834	0.100	निजी भूमि
974	0.020	निजी भूमि	814	0.010	निजी भूमि
943	0.010	निजी भूमि	819	0.080	निजी भूमि
941/1	0.040	निजी भूमि	817	0.030	निजी भूमि
941/2	0.100	निजी भूमि	730	0.020	निजी भूमि
940	0.020	निजी भूमि	729	0.010	निजी भूमि
945	0.050	निजी भूमि	728	0.010	निजी भूमि
946	0.020	निजी भूमि	725/1	0.010	निजी भूमि
935	0.160	निजी भूमि	725/2	0.010	निजी भूमि
934	0.070	निजी भूमि	731	0.050	निजी भूमि
			721	0.010	निजी भूमि
			719	0.010	निजी भूमि
			720/1	0.160	निजी भूमि
			702	0.130	निजी भूमि
			703	0.010	निजी भूमि
			685	0.110	निजी भूमि
			672/1	0.090	निजी भूमि
			672/2	0.010	निजी भूमि
			708/1	0.110	निजी भूमि
			708/2/ख	0.070	निजी भूमि
			671	0.010	निजी भूमि
			670/1/2	0.030	निजी भूमि
			670/2	0.020	निजी भूमि
			669	0.070	निजी भूमि
			667	0.070	निजी भूमि
			666	0.030	निजी भूमि
			योग	<u>.2.940</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम कमता तहसील एवं अनुभाग पवई.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—झिरमिला  
(घ) क्षेत्रफल—0.370 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
450	0.050	निजी भूमि
451	0.030	निजी भूमि
448	0.050	निजी भूमि
453	0.030	निजी भूमि
440/1	0.060	निजी भूमि
438	0.080	निजी भूमि
439	0.010	निजी भूमि
431	0.020	निजी भूमि
432	0.040	निजी भूमि

योग . . . 0.370

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम झिरमिला तहसील एवं अनुभाग पवई.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—बिरसिंहपुर  
(घ) क्षेत्रफल—0.630 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
185	0.060	निजी भूमि
184	0.010	निजी भूमि
182	0.230	निजी भूमि
247	0.110	निजी भूमि
248	0.020	निजी भूमि
251/1	0.100	निजी भूमि
251/2	0.100	निजी भूमि
योग . . .		0.630

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम बिरसिंहपुर तहसील एवं अनुभाग पवई.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—रामपुर  
(घ) क्षेत्रफल—2.710 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
420	0.010	निजी भूमि
412	0.010	निजी भूमि
411/2	0.130	निजी भूमि
410	0.010	निजी भूमि
409	0.130	निजी भूमि
408	0.010	निजी भूमि
350	0.010	निजी भूमि
349	0.010	निजी भूमि
351	0.140	निजी भूमि
343	0.200	निजी भूमि
331/1	0.140	निजी भूमि
330	0.010	निजी भूमि
269	0.050	निजी भूमि
267	0.150	निजी भूमि
265	0.010	निजी भूमि
264	0.100	निजी भूमि
262	0.010	निजी भूमि
260/1	0.060	निजी भूमि
260/2	0.090	निजी भूमि
258	0.010	निजी भूमि
259	0.010	निजी भूमि
255	0.150	निजी भूमि
254	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
180	0.010	निजी भूमि
182	0.330	निजी भूमि
98	0.100	निजी भूमि
172	0.010	निजी भूमि
99/2	0.010	निजी भूमि
101/2	0.240	निजी भूमि
101/3	0.010	निजी भूमि
104	0.010	निजी भूमि
106/1	0.160	निजी भूमि
106/2	0.010	निजी भूमि
108/1	0.010	निजी भूमि
110	0.150	निजी भूमि
111/1	0.170	निजी भूमि
112/1	0.020	निजी भूमि
342	0.010	निजी भूमि
योग . . .		2.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम रामपुर तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—तिल्ली  
(घ) क्षेत्रफल—1.790 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
101	0.160	निजी भूमि
103/1	0.040	निजी भूमि
103/2	0.050	निजी भूमि
105/1	0.010	निजी भूमि
106	0.110	निजी भूमि
92/2क	0.030	निजी भूमि
92/2ख/2	0.010	निजी भूमि
110	0.030	निजी भूमि
117	0.010	निजी भूमि
111	0.040	निजी भूमि
112/1/क	0.010	निजी भूमि
114	0.200	निजी भूमि
115	0.010	निजी भूमि
84/597	0.080	निजी भूमि
84	0.070	निजी भूमि
53	0.080	निजी भूमि
54	0.030	निजी भूमि
51	0.030	निजी भूमि
55	0.050	निजी भूमि
207	0.050	निजी भूमि
208	0.010	निजी भूमि
205	0.030	निजी भूमि
215/2	0.030	निजी भूमि
203	0.030	निजी भूमि
50	0.030	निजी भूमि
49	0.010	निजी भूमि
48	0.020	निजी भूमि
47	0.030	निजी भूमि
46	0.030	निजी भूमि
45	0.050	निजी भूमि
43	0.010	निजी भूमि
44	0.030	निजी भूमि
40	0.020	निजी भूमि
39	0.060	निजी भूमि
17	0.050	निजी भूमि
18	0.010	निजी भूमि
12	0.050	निजी भूमि
11	0.010	निजी भूमि
8	0.100	निजी भूमि
9	0.030	निजी भूमि
213	0.010	निजी भूमि
212	0.040	निजी भूमि
योग	1.790	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम तिल्ली तहसील एवं अनुभाग पर्वई.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पर्वई  
(ग) ग्राम—कटिया  
(घ) क्षेत्रफल—0.540 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
105	0.030	निजी भूमि
104	0.120	निजी भूमि
102	0.020	निजी भूमि
101	0.030	निजी भूमि
100	0.090	निजी भूमि
99/2	0.020	निजी भूमि
98	0.030	निजी भूमि
97/2	0.040	निजी भूमि
96	0.050	निजी भूमि
95	0.030	निजी भूमि
94/2	0.040	निजी भूमि
93/1	0.010	निजी भूमि
93/2	0.030	निजी भूमि
योग	0.540	

(2)	(1)	(2)	(3)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम कटिया तहसील एवं अनुभाग पवई.	722	0.030	निजी भूमि
	717/1	0.110	निजी भूमि
	717/2	0.100	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.	716/1	0.010	निजी भूमि
	713	0.220	निजी भूमि
	714	0.010	निजी भूमि
	742/1	0.010	निजी भूमि
	742/5	0.130	निजी भूमि
	483	0.130	निजी भूमि
	481	0.010	निजी भूमि
	482	0.220	निजी भूमि
	474	0.010	निजी भूमि
	476	0.010	निजी भूमि
	475	0.090	निजी भूमि
	470/1	0.030	निजी भूमि
	470/2	0.100	निजी भूमि
	470/4	0.030	निजी भूमि
	469/2	0.020	निजी भूमि
	306	0.120	निजी भूमि
	293	0.020	निजी भूमि
	304	0.230	निजी भूमि
	303	0.030	निजी भूमि
	301	0.030	निजी भूमि
	300	0.010	निजी भूमि
	299	0.020	निजी भूमि
	298	0.010	निजी भूमि
		योग . . .	2.620

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—मरदा  
(घ) क्षेत्रफल—2.620 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
961	0.070	निजी भूमि
960	0.100	निजी भूमि
959/2	0.080	निजी भूमि
862	0.010	निजी भूमि
863	0.010	निजी भूमि
866	0.140	निजी भूमि
866/1048	0.050	निजी भूमि
846	0.170	निजी भूमि
847	0.080	निजी भूमि
851	0.010	निजी भूमि
848	0.070	निजी भूमि
849	0.070	निजी भूमि
715	0.010	निजी भूमि
719	0.010	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम मरदा तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं

किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—करही

(घ) क्षेत्रफल—1.620 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
623/1	0.010	निजी भूमि
623/2	0.010	निजी भूमि
621	0.010	निजी भूमि
510	0.040	निजी भूमि
511/1	0.020	निजी भूमि
512	0.020	निजी भूमि
521	0.010	निजी भूमि
522	0.080	निजी भूमि
526	0.020	निजी भूमि
527	0.020	निजी भूमि
528	0.040	निजी भूमि
180	0.040	निजी भूमि
181	0.020	निजी भूमि
182	0.030	निजी भूमि
183	0.030	निजी भूमि
184	0.040	निजी भूमि
186	0.040	निजी भूमि
186/1247	0.010	निजी भूमि
193/2	0.120	निजी भूमि
192	0.010	निजी भूमि
191/1	0.040	निजी भूमि
191/2/1	0.030	निजी भूमि
191/2/3	0.030	निजी भूमि
173	0.010	निजी भूमि
199	0.020	निजी भूमि
197/1	0.030	निजी भूमि
197/2	0.010	निजी भूमि
172/1	0.030	निजी भूमि
172/2	0.030	निजी भूमि
169	0.080	निजी भूमि
198	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
168	0.010	निजी भूमि
163	0.040	निजी भूमि
33	0.010	निजी भूमि
131/1/क	0.010	निजी भूमि
131/1/ख	0.010	निजी भूमि
162	0.040	निजी भूमि
130	0.060	निजी भूमि
129	0.050	निजी भूमि
81/1	0.050	निजी भूमि
81/2	0.050	निजी भूमि
128	0.070	निजी भूमि
86/1	0.010	निजी भूमि
86/2	0.010	निजी भूमि
126	0.120	निजी भूमि
127	0.010	निजी भूमि
87	0.020	निजी भूमि
126/1246	0.010	निजी भूमि
90	0.020	निजी भूमि
89	0.070	निजी भूमि
92	0.010	निजी भूमि
योग . . .		1.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम करही तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची			(1)	(2)	(3)
(1) भूमि का वर्णन—			344/1	0.020	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			344/2/1	0.030	निजी भूमि
(ख) तहसील—पवई			344/2/2	0.030	निजी भूमि
(ग) ग्राम—जगदीशपुरा			335/2	0.010	निजी भूमि
(घ) क्षेत्रफल—0.1000 हेक्टेयर.			334/2	0.180	निजी भूमि
खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि का प्रकार	333	0.010	निजी भूमि
नम्बर	(हेक्टे. में)		332	0.010	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	योग . . . 0.360		
231/1	0.0600	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम खारा तहसील एवं अनुभाग पवई.		
75/1	0.0400	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.		
योग . . . 0.1000			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम जगदीशपुरा तहसील एवं अनुभाग पवई.		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम जगदीशपुरा तहसील एवं अनुभाग पवई.			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.					

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—पन्ना		
(ख) तहसील—पवई		
(ग) ग्राम—खारा		
(घ) क्षेत्रफल—0.360 हेक्टेयर.		

खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि का प्रकार
नम्बर	(हेक्टे. में)	
(1)	(2)	(3)
348	0.060	निजी भूमि
345	0.010	निजी भूमि

अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—पन्ना		
(ख) तहसील—पवई		
(ग) ग्राम—नरगी		
(घ) क्षेत्रफल—0.1000 हेक्टेयर.		
खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि का प्रकार
नम्बर	(हेक्टे. में)	
(1)	(2)	(3)
14	0.020	निजी भूमि
13	0.080	निजी भूमि
योग . . . 0.1000		

(2)	(1)	(2)	(3)
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम नरगी तहसील एवं अनुभाग पवई.	364	0.010	निजी भूमि
	228	0.020	निजी भूमि
	232	0.090	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.	229	0.020	निजी भूमि
	359/4	0.060	निजी भूमि
	359/2	0.030	निजी भूमि
	358	0.050	निजी भूमि
	241	0.020	निजी भूमि
	243	0.020	निजी भूमि
	242	0.010	निजी भूमि
	357	0.040	निजी भूमि
	354	0.100	निजी भूमि
	248	0.170	निजी भूमि
	249	0.090	निजी भूमि
	251/1	0.020	निजी भूमि
	251/2	0.020	निजी भूमि
	251/4	0.110	निजी भूमि
	251/5	0.070	निजी भूमि
	252/1	0.050	निजी भूमि
	252/2	0.040	निजी भूमि
	84	0.010	निजी भूमि
		योग . . .	1.550

प्र. क्र. 17-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—मडैयन  
(घ) क्षेत्रफल—1.550 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
377	0.010	निजी भूमि
378	0.010	निजी भूमि
380	0.040	निजी भूमि
381	0.050	निजी भूमि
383	0.010	निजी भूमि
384	0.030	निजी भूमि
385	0.030	निजी भूमि
379/1	0.010	निजी भूमि
387	0.050	निजी भूमि
386	0.040	निजी भूमि
365	0.040	निजी भूमि
362	0.060	निजी भूमि
388	0.060	निजी भूमि
363	0.060	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम मडैयन तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—



## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—जमुनी  
(घ) क्षेत्रफल—0.550 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार (3)
(1)	(2)	(3)
345/1	0.010	निजी भूमि
346/1	0.010	निजी भूमि
309	0.060	निजी भूमि
314	0.160	निजी भूमि
315	0.010	निजी भूमि
318	0.050	निजी भूमि
319	0.020	निजी भूमि
289	0.040	निजी भूमि
290	0.010	निजी भूमि
320	0.010	निजी भूमि
321	0.010	निजी भूमि
322	0.010	निजी भूमि
288	0.040	निजी भूमि
286	0.110	निजी भूमि
योग	0.550	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम जमुनी तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—कृष्णगढ  
(घ) क्षेत्रफल—10.980 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार (3)
(1)	(2)	(3)
3522/1	0.030	निजी भूमि
3521/1	0.070	निजी भूमि
3518/1	0.010	निजी भूमि
3516	0.020	निजी भूमि
3515	0.060	निजी भूमि
3514/1	0.060	निजी भूमि
3514/2	0.050	निजी भूमि
3556	0.100	निजी भूमि
3557	0.150	निजी भूमि
3558	0.050	निजी भूमि
4634	0.010	निजी भूमि
4633	0.200	निजी भूमि
4632	0.020	निजी भूमि
4639/1	0.120	निजी भूमि
4640	0.070	निजी भूमि
4642	0.070	निजी भूमि
4643	0.140	निजी भूमि
4650	0.010	निजी भूमि
4647	0.040	निजी भूमि
4648	0.070	निजी भूमि
4649	0.010	निजी भूमि
4589	0.060	निजी भूमि
4591	0.010	निजी भूमि
4032	0.110	निजी भूमि
4027	0.100	निजी भूमि
4026	0.070	निजी भूमि
4054	0.160	निजी भूमि
4055	0.100	निजी भूमि
4056	0.020	निजी भूमि
4124	0.010	निजी भूमि
4125/2	0.060	निजी भूमि
4123	0.070	निजी भूमि
4122	0.100	निजी भूमि
4078/1	0.010	निजी भूमि
4079	0.100	निजी भूमि
4081	0.010	निजी भूमि
4082	0.030	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4111	0.080	निजी भूमि	443	0.040	निजी भूमि
4110	0.070	निजी भूमि	442	0.040	निजी भूमि
4109	0.010	निजी भूमि	441	0.030	निजी भूमि
4108	0.110	निजी भूमि	437	0.050	निजी भूमि
3749	0.010	निजी भूमि	438	0.010	निजी भूमि
3750	0.080	निजी भूमि	440	0.020	निजी भूमि
3751/2	0.010	निजी भूमि	435	0.060	निजी भूमि
3745/1	0.060	निजी भूमि	433	0.060	निजी भूमि
3745/2	0.120	निजी भूमि	432	0.010	निजी भूमि
3744	0.010	निजी भूमि	430	0.040	निजी भूमि
3746	0.010	निजी भूमि	427/1	0.010	निजी भूमि
3742/1/क	0.190	निजी भूमि	431	0.050	निजी भूमि
3743	0.010	निजी भूमि	428/1/ख	0.020	निजी भूमि
3728	0.010	निजी भूमि	428/2	0.020	निजी भूमि
3729/1	0.010	निजी भूमि	393/1	0.010	निजी भूमि
3727	0.010	निजी भूमि	393/2	0.030	निजी भूमि
3705	0.210	निजी भूमि	423/1	0.030	निजी भूमि
3708	0.010	निजी भूमि	423/2	0.050	निजी भूमि
3726/1/1	0.040	निजी भूमि	422	0.050	निजी भूमि
3710/1	0.070	निजी भूमि	412	0.030	निजी भूमि
3710/2	0.030	निजी भूमि	397	0.010	निजी भूमि
3711	0.030	निजी भूमि	398	0.030	निजी भूमि
377	0.010	निजी भूमि	399	0.030	निजी भूमि
373	0.170	निजी भूमि	400	0.040	निजी भूमि
371	0.050	निजी भूमि	411	0.010	निजी भूमि
370	0.120	निजी भूमि	401	0.100	निजी भूमि
362	0.120	निजी भूमि	402	0.030	निजी भूमि
363	0.280	निजी भूमि	321/1	0.040	निजी भूमि
350	0.070	निजी भूमि	320	0.150	निजी भूमि
349	0.040	निजी भूमि	593	0.010	निजी भूमि
347/1	0.070	निजी भूमि	315	0.080	निजी भूमि
347/2	0.160	निजी भूमि	310	0.080	निजी भूमि
348	0.010	निजी भूमि	309	0.070	निजी भूमि
3743	0.010	निजी भूमि	304	0.060	निजी भूमि
3704	0.020	निजी भूमि	302/2	0.010	निजी भूमि
3700/2/क	0.030	निजी भूमि	303/2	0.010	निजी भूमि
3700/2/ख	0.030	निजी भूमि	305	0.100	निजी भूमि
3700/1	0.020	निजी भूमि	253	0.050	निजी भूमि
3699/1	0.010	निजी भूमि	245	0.020	निजी भूमि
3699/2	0.010	निजी भूमि	252	0.170	निजी भूमि
3701/1/क	0.010	निजी भूमि	246	0.020	निजी भूमि
3701/1/ख	0.020	निजी भूमि	239/1	0.050	निजी भूमि
3701/2	0.020	निजी भूमि	239/2	0.150	निजी भूमि
3702	0.010	निजी भूमि	237/1	0.010	निजी भूमि
3695	0.080	निजी भूमि	237/2	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
201/1	0.150	निजी भूमि	2076	0.070	निजी भूमि
201/2	0.050	निजी भूमि	2034	0.030	निजी भूमि
200	0.010	निजी भूमि	2077	0.030	निजी भूमि
145/2/ख	0.160	निजी भूमि	2079	0.010	निजी भूमि
144/1	0.010	निजी भूमि	2097	0.020	निजी भूमि
144/2	0.010	निजी भूमि	2078	0.020	निजी भूमि
143	0.140	निजी भूमि	2081	0.040	निजी भूमि
142	0.010	निजी भूमि	2096	0.100	निजी भूमि
2435	0.010	निजी भूमि	2082	0.010	निजी भूमि
2434	0.150	निजी भूमि	2095	0.010	निजी भूमि
2424	0.010	निजी भूमि	2105	0.020	निजी भूमि
2429/1	0.120	निजी भूमि	2109	0.020	निजी भूमि
2428/1	0.010	निजी भूमि	2110	0.050	निजी भूमि
2408	0.060	निजी भूमि	2111	0.020	निजी भूमि
2407	0.010	निजी भूमि	2112	0.060	निजी भूमि
2406	0.040	निजी भूमि	2160	0.010	निजी भूमि
2405	0.050	निजी भूमि	2113	0.050	निजी भूमि
2457	0.010	निजी भूमि	2115	0.070	निजी भूमि
2336	0.100	निजी भूमि	2116	0.060	निजी भूमि
2334	0.010	निजी भूमि	2117	0.050	निजी भूमि
2333	0.020	निजी भूमि	1728	0.070	निजी भूमि
2307/1	0.030	निजी भूमि	2091	0.050	निजी भूमि
2307/2	0.070	निजी भूमि	1729	0.010	निजी भूमि
2308	0.020	निजी भूमि	2090	0.030	निजी भूमि
2309	0.060	निजी भूमि	2089	0.040	निजी भूमि
2304/1/क/4	0.030	निजी भूमि	1731	0.040	निजी भूमि
2304/1/ख	0.040	निजी भूमि	1732	0.010	निजी भूमि
2304/1/ग	0.100	निजी भूमि	1733	0.040	निजी भूमि
2303/1/ख	0.010	निजी भूमि	1734	0.040	निजी भूमि
2302/2	0.010	निजी भूमि	1737/1/1	0.010	निजी भूमि
2312/1	0.080	निजी भूमि	1737/1/2	0.010	निजी भूमि
2312/2	0.070	निजी भूमि	1737/2	0.030	निजी भूमि
2232	0.010	निजी भूमि	1741/1	0.040	निजी भूमि
2233	0.070	निजी भूमि	1741/2	0.020	निजी भूमि
2236	0.010	निजी भूमि	1742	0.010	निजी भूमि
2234	0.100	निजी भूमि	1738	0.030	निजी भूमि
2235	0.010	निजी भूमि	1739	0.030	निजी भूमि
2225	0.070	निजी भूमि	1646	0.010	निजी भूमि
2224	0.080	निजी भूमि	1645	0.050	निजी भूमि
2222	0.050	निजी भूमि	1644	0.030	निजी भूमि
2071	0.010	निजी भूमि	1748	0.050	निजी भूमि
2072	0.130	निजी भूमि	1643	0.010	निजी भूमि
2073	0.080	निजी भूमि	1609	0.050	निजी भूमि
2035	0.010	निजी भूमि	1603	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार (3)
1604	0.010	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
1605	0.070	निजी भूमि	87/2/1	0.060	निजी भूमि
1608	0.020	निजी भूमि	87/2/2	0.060	निजी भूमि
1607	0.020	निजी भूमि	87/2/3	0.060	निजी भूमि
1606	0.030	निजी भूमि	73/1	0.020	निजी भूमि
1440	0.010	निजी भूमि	117/2	0.080	निजी भूमि
1441	0.020	निजी भूमि	118/2/2	0.040	निजी भूमि
1442/1	0.010	निजी भूमि	118/1/1	0.020	निजी भूमि
1442/2	0.030	निजी भूमि	118/2/1/1/1/1/2	0.005	निजी भूमि
1437	0.010	निजी भूमि	118/2/1/1/1/1/3	0.005	निजी भूमि
1435	0.030	निजी भूमि	118/2/1/1/1/3	0.040	निजी भूमि
1448/1	0.010	निजी भूमि	118/2/1/1/1/1/4	0.005	निजी भूमि
1448/2	0.010	निजी भूमि	118/2/1/1/1/1/5	0.005	निजी भूमि
योग . . . 10.980			118/2/1/1/6	0.010	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम कृष्णगढ तहसील एवं अनुभाग पवई.			118/2/1/1/7	0.010	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.			118/2/1/1/2	0.010	निजी भूमि
			118/2/1/1/3	0.010	निजी भूमि
			118/2/1/1/4	0.010	निजी भूमि
			118/2/1/1/5	0.010	निजी भूमि
			118/2/1/1/2	0.010	निजी भूमि
			118/2/1/1/4	0.010	निजी भूमि
			118/2/1/1/8	0.010	निजी भूमि
			118/2/1/1/9	0.010	निजी भूमि
			118/2/1/1/10	0.010	निजी भूमि
			118/2/1/1/1/1	0.025	निजी भूमि
			योग . . . 0.535		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रोवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.					
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.					

प्र. क्र. 20-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
- (ग) ग्राम—सिमरी वैश्य (पूरक प्रस्ताव) प. ह. नं. 24
- (घ) क्षेत्रफल—0.535 हेक्टेयर.

प्र. क्र. 21-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की

आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पन्ना

(ग) ग्राम—सुनहरा (पूरक प्रस्ताव) प.ह.नं. 22

(घ) क्षेत्रफल—3.592 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
34/2/1/1/1	0.002	निजी भूमि
34/2/1/1/2	0.002	निजी भूमि
64/1/1/2	0.014	निजी भूमि
64/1/1/3	0.014	निजी भूमि
64/1/1/4	0.014	निजी भूमि
72/1/1/1/1	0.067	निजी भूमि
144/2/1/2	0.030	निजी भूमि
72/1/1/1/2	0.067	निजी भूमि
144/2/1/3	0.030	निजी भूमि
72/1/1/1/3	0.067	निजी भूमि
144/2/1/4	0.030	निजी भूमि
72/1/1/1/4	0.067	निजी भूमि
144/2/1/5	0.030	निजी भूमि
79/2	0.190	निजी भूमि
81/1	0.160	निजी भूमि
82/1/1	0.021	निजी भूमि
88/2/2	0.038	निजी भूमि
88/2/3	0.024	निजी भूमि
136/2	0.129	निजी भूमि
136/3	0.129	निजी भूमि
136/4	0.129	निजी भूमि
138/2/3	0.029	निजी भूमि
138/2/5	0.029	निजी भूमि
149/2/1/2	0.014	निजी भूमि
149/2/1/3	0.014	निजी भूमि
151	0.020	निजी भूमि
135/2/क	0.600	निजी भूमि
135/2/ख	0.060	निजी भूमि
135/2/ग/1/1	0.571	निजी भूमि
135/2/ग/2	0.680	निजी भूमि
135/2/घ	0.220	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
135/2/ग/1/2	0.009	निजी भूमि
135/2/ग/1/3	0.009	निजी भूमि
135/2/ग/1/4	0.009	निजी भूमि
135/2/ग/1/5	0.009	निजी भूमि
135/2/ग/1/6	0.009	निजी भूमि
34/2/1/1/3	0.004	निजी भूमि
34/2/1/1/4	0.007	निजी भूमि
34/2/1/2	0.009	निजी भूमि
34/2/2/1	0.004	निजी भूमि
34/2/3	0.004	निजी भूमि
34/2/4	0.002	निजी भूमि
34/2/5	0.003	निजी भूमि
34/2/6	0.003	निजी भूमि
34/2/7	0.005	निजी भूमि
34/2/8	0.002	निजी भूमि
34/2/9	0.006	निजी भूमि
34/2/10	0.007	निजी भूमि

योग . . . 3.592

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2021

ज्ञाप. क्र. 09-भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ 82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—सिहोरा

		खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(ग) ग्राम—जुनवानी कला प.ह.नं. 10			
(घ) अनुमानित क्षेत्रफल—0.17 हेक्टर.			
प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा	(1)	(2)
खसरा क्रमांक	(हेक्टेयर में)	110	0.010
(1)	(2)	112	0.008
213/1	0.17	113	0.162
	योग . . . 0.17	120	0.004
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि की लमकना वितरक नहर की जुनवानी कला माइनर के निर्माण हेतु आवश्यकता है.		121	0.105
		122	0.022
		123/1	0.006
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-4, सिहोरा-जबलपुर तथा भू-अर्जन अधिकारी रानी अवंतीबाई सागर परियोजना इकाई क्रमांक 2 बरगी हिल्स जबलपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.		123/1/1	0.006
		123/1/2	0.002
		123/2	0.006
		123/3	0.012
		123/4	0.016
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		123/5	0.017
		123/6	0.004
		125	0.020
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		183/1	0.002
		183/2	0.012
		184/1	0.016
रीवा, दिनांक 18 जनवरी 2021		184/2	0.004
पत्र क्र. 29-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—		185/1	0.028
		185/2	0.024
		186	0.004
		188	0.022
		199	0.008
		200/1	0.065
		200/2	0.016
		206/1	0.073
		207	0.057
		208	0.047
		211	0.105
अनुसूची		214/1ख	0.093
(1) भूमि का वर्णन—		215/1ख	0.040
(क) जिला—रीवा (म. प्र.)		215/2	0.041
(ख) तहसील—हनुमना		215/3	0.012
(ग) नगर/ग्राम—लासा		217	0.045
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.718 हेक्टेयर.		218/1ख	0.077

(1)	(2)	पत्र क्र. 30-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—
518/1	0.056	अनुसूची
518/2	0.113	(1) भूमि का वर्णन—
520	0.002	(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
521/1	0.042	(ख) तहसील—हनुमना
521/1/1	0.043	(ग) नगर/ग्राम—माड़ो पांचो
521/3	0.214	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.372 हेक्टेयर.
528/1क	0.029	खसरा नंबर
528/1ख	0.028	अर्जित रकबा
528/1ग	0.028	(हेक्टेयर में)
628/2क	0.104	(1)
634/1क/1	0.016	(2)
634/1क/2	0.020	1/1/3
634/1क/3	0.010	2, 3
634/1ख	0.024	4/1
634/2	0.093	कुल रकबा . . .
621/3	0.038	0.372
621/4	0.080	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.
621/5क	0.030	(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
621/5ख	0.031	
622/1	0.028	
622/2	0.028	
622/3	0.029	
629/1क	0.030	
629/1ख	0.030	
629/2	0.060	
629/3	0.060	
630/3	0.008	
630/5	0.036	
633	0.060	
635/1	0.048	
124/4ख	0.008	
180/3	0.016	
कुल रकबा . . .	2.718	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 31-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया

जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
 (ख) तहसील—हनुमना  
 (ग) नगर/ग्राम—अल्हवा खुर्द  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.074 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
291/1/क	0.081
291/1/ग	0.081
291/2	0.016
292/1	0.172
241/1	0.139
241/2	0.139
240	0.053
242/1	0.093
243/1	0.057
251/1	0.028
251/2	0.028
253/2	0.061
254	0.049
276/1/क	0.039
276/1/ख	0.038
कुल रकबा . .	1.074

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 32-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
 (ख) तहसील—हनुमना  
 (ग) नगर/ग्राम—फुलझरिया  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.446 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
140, 139	0.110
138	0.072
137	0.052
136	0.125
30	0.077
130	0.024
129	0.024
127	0.019
125	0.014
124	0.007
123	0.025
122	0.089
166	0.003
167	0.060
119	0.046
100	0.116
118	0.006
117	0.014
71	0.019
69	0.004
68	0.014
66	0.022
118/176	0.498
70/2	0.004
67	0.002
कुल रकबा . .	1.446

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.



पत्र क्र. 33-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
 (ख) तहसील—हनुमना  
 (ग) नगर/ग्राम—माड़ौ दादर  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.311 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/2	0.036
7/3	0.036
8/4	0.081
8/2	0.028
8/3	0.020
8/1ख	0.016
8/1क/1	0.016
34	0.085
37	0.112
38	0.057
39/1	0.024
39/3	0.024
40	0.049
41	0.049
42/1	0.012
42/2क	0.012
43	0.024
56/3	0.018
56/1	0.018
57/2	0.036
62	0.073
65/1	0.085
66	0.049
67/1	0.049
68/1	0.073
70/1	0.020
70/2क	0.020
84/1	0.056
83/1	0.028
85	0.040

(1)	(2)
86/1	0.036
90	0.065
74/3	0.004
कुल रकबा . . . 1.311	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 34-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि अल्हवा लासा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
 (ख) तहसील—हनुमना  
 (ग) नगर/ग्राम—अल्हवा कला  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.331 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
136	0.013
145/1क	0.024
145/1ख	0.028
146/1	0.020
146/2	0.020
147	0.109
कुल रकबा . . . 0.331	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— अल्हवा लासा मार्ग के उन्नयन हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ./स. संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्र.-873-अमृ

सूचना

2021

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिवनी निदेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट— <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला सिवनी
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिवनी
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सिवनी विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा या ई-मेल आईडी [obj-sugg-seoni@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-seoni@mp.gov.in) में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजात कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No. 873-Amrut-D.P.-32-Seoni-TCP-2021

Bhopal, the 04th February 2021

### NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Seoni Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website — <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur
- 2- Collector, District- Seoni
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Seoni
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Chhindwara

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Seoni Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Chhindwara or mail on Email-id- [obj-sugg-seoni@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-seoni@mp.gov.in) before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

अजात कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

# सिवनी

## विकास योजना 2035 (प्रारूप)

**मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973  
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित**




संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल,  
मध्य प्रदेश

# सिवनी

विकास योजना 2035


(प्रारूप)



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश



# सिवनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, मध्य प्रदेश

## प्रस्तावना

जिला मुख्यालय नगर सिवनी, जबलपुर के दक्षिण में सतपुड़ा पठार के संकरे उत्तर-दक्षिण खंड में स्थित है। इसके उत्तर में जबलपुर, पूर्व में मंडला, दक्षिण पूर्व में बालाघाट, पश्चिम में छिन्दवाड़ा, उत्तर-पश्चिम में नरसिंहपुर तथा दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र का नागपुर जिला स्थित है। वनोपज बाहुल्य प्रक्षेत्र में स्थित यह नगर प्रशासकीय एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

सिवनी विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3/67-2007/32, दिनांक 08.10.2008 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24.10.2008 से प्रभावशील की गई। वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर सिवनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा रहा है।


नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सिवनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) 2.50 लाख की जनसंख्या हेतु तैयार की गई है। विकास योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं। इस विकास योजना में पारम्परिक भूमि उपयोग निर्धारित न करते हुए नगर की आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किये गए हैं। मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगों को एक साथ रखा गया है; जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रारूप योजना प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक, सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सकें।

  
(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश  
मध्य प्रदेश

**सिदनी विकास योजना | 2035**



सिवनी विकास योजना | 2035

## योजना दल

### संयुक्त संचालक

राजेश नागल

आर. के. पाण्डे

संजय मिश्रा

डॉ. अमित कुमार गजभिये

### उप संचालक (प्रभारी)

विनोद कुमार परस्ते

### सहायक संचालक

इन्दु त्रिपाठी

अपूर्वा गंगराडे

हरिओम माहेश्वरी

### कर्मचारीगण

बी.डी.दवंडे  
आनन्द मालवीय  
शैलेन्द्र कुशवाहा  
अमित मरावी  
संध्या अहाके

जयंत शील  
अरविंद सक्सेना  
अनिल सक्सेना  
सर्वेश पिडिहा  
सरिता ठाकुर  
मानसी गुज्जेवार

### म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (LU&USD) का दल

डॉ. विवेक कटारे  
प्रमुख

डॉ. देवानु भट्टनागर  
प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, अमृत

सत्येन्द्र यादव  
रिसर्च एसोसिएट

जैकिश तलेरा  
सीनियर रिसर्च फेलो



**सिवनी विकास योजना | 2035**

## विषय सूची

प्रस्तावना.....	i
योजना दल.....	iii
विषय सूची.....	v
सारणी सूची.....	xi
आरेख सूची.....	xv
मानचित्र सूची.....	xvii
अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ.....	1
1.1 नगर परिचय.....	1
1.1.1 स्थिति.....	1
1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.....	1
1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ.....	2
1.1.4 नगर विकास का क्रम.....	3
1.2 भौतिक स्वरूप.....	3
1.2.1 भू-आकृति.....	3
1.2.2 जलवायु.....	3
1.2.3 खनिज संपदा.....	4
1.3 नियोजना हेतु प्रयास.....	4
1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य.....	5
1.5 निवेश क्षेत्र.....	5
1.5.1 नगरपालिका क्षेत्र.....	7
अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण.....	9
2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग.....	9
2.1.1 अमृत योजना.....	10
2.1.2 सुदूर संवेदन.....	10
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली.....	12
2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली.....	12
2.2.1 उद्देश्य.....	14
2.2.2 कार्यप्रणाली.....	15

## सिबनी विकास योजना | 2035

2.2.3	जनसंख्या आकलन पद्धति.....	17
<b>2.3</b>	<b>अमृत मानकों की व्याख्या .....</b>	<b>17</b>
2.3.1	थिमेटिक मानचित्रिकरण (Thematic Mapping).....	17
<b>2.4</b>	<b>नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता .....</b>	<b>24</b>
2.4.1	नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प.....	26
<b>2.5</b>	<b>भूमि उपयोग का आवंटन.....</b>	<b>32</b>
<b>अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण .....</b>		<b>33</b>
<b>3.1</b>	<b>विकास योजना 2021 क्रियान्वयन परिदृश्य .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2</b>	<b>विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन .....</b>	<b>33</b>
3.2.1	आवासीय .....	35
3.2.2	वाणिज्यिक.....	36
3.2.3	मिश्रित.....	36
3.2.4	औद्योगिक.....	36
3.2.5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक.....	37
3.2.6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं.....	37
3.2.7	आमोद-प्रमोद.....	37
3.2.8	यातायात एवं परिवहन .....	38
3.2.9	जलाशय.....	39
<b>3.3</b>	<b>विकास योजना में उपांतरण .....</b>	<b>39</b>
<b>3.4</b>	<b>असंगत भूमि उपयोग .....</b>	<b>40</b>
<b>3.5</b>	<b>जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण .....</b>	<b>42</b>
3.5.1	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या .....	42
3.5.2	जनसंख्या लिंगानुपात.....	46
3.5.3	शिशु जनसंख्या.....	48
3.5.4	साक्षरता .....	51
3.5.5	अनुसूचित जाति.....	57
3.5.6	अनुसूचित जनजाति.....	61
3.5.7	कार्यशील जनसंख्या .....	64
<b>3.6</b>	<b>नगर के मुख्य कार्यकलाप.....</b>	<b>75</b>
<b>3.7</b>	<b>नगरीय विस्तार.....</b>	<b>75</b>
<b>3.8</b>	<b>गंदी बस्तियाँ.....</b>	<b>75</b>

## सिवनी विकास योजना | 2035

<b>3.9 अनुमानित जनसंख्या.....</b>	<b>76</b>
<b>3.10 आवास आवश्यकता.....</b>	<b>78</b>
<b>3.11 भौतिक अधोसंरचना.....</b>	<b>79</b>
3.11.1 जल प्रदाय.....	79
3.11.2 नालियां तथा मल उपचार.....	81
3.11.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.....	82
3.11.4 विद्युत प्रदाय.....	83
<b>3.12 सामाजिक अधोसंरचना.....</b>	<b>83</b>
3.12.1 अग्निशमन.....	83
3.12.2 पुलिस कार्यालय.....	83
3.12.3 वाचनालय.....	83
3.12.4 श्मशान घाट / कब्रिस्तान.....	83
3.12.5 धोबी घाट.....	83
3.12.6 दूरसंचार.....	84
3.12.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं.....	84
3.12.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा.....	84
<b>अध्याय-4 प्रस्तावित भूमि उपयोग.....</b>	<b>85</b>
<b>4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन.....</b>	<b>85</b>
<b>4.2 योजना अवधारणा.....</b>	<b>85</b>
<b>4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता.....</b>	<b>86</b>
<b>4.4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव.....</b>	<b>86</b>
4.4.1 आवासीय.....	88
4.4.2 वाणिज्यिक.....	88
4.4.3 मिश्रित.....	88
4.4.4 औद्योगिक.....	89
4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक.....	89
4.4.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें.....	89
4.4.7 आमोद प्रमोद.....	90
4.4.8 यातायात एवं परिवहन.....	91
<b>4.5 निवेश इकाईयाँ.....</b>	<b>92</b>
4.5.1 क्षेत्रफल वितरण.....	92
<b>4.6 अनौपचारिक सेक्टर.....</b>	<b>93</b>

सिवनी विकास योजना		2035
4.7	गंदी बस्ती क्षेत्र.....	94
4.8	पुनर्विकास नीति.....	94
4.9	ग्राम आबादी विस्तार.....	95
4.10	कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान.....	95
4.11	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना.....	95
4.11.1	कार्यकेन्द्र.....	97
4.11.2	व्यापार एवं वाणिज्यिक.....	97
4.11.3	नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र.....	97
4.11.4	कार्यालय.....	97
<b>अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना.....</b>		<b>99</b>
5.1	प्रस्तावित यातायात संरचना.....	99
5.2	यातायात की वर्तमान स्थिति.....	99
5.3	प्रस्तावित यातायात प्रणाली.....	100
5.3.1	क्षेत्रीय/बायपास मार्ग.....	100
5.3.2	मुख्य नगरीय मार्ग.....	101
5.3.3	खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग.....	101
5.3.4	स्थानीय मार्ग.....	101
5.4	मार्गों की चौड़ाई.....	101
5.4.1	मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार.....	104
5.4.2	बस स्थानक.....	105
5.4.3	वाहन विराम केन्द्र.....	105
<b>अध्याय-6 विकास नियमन.....</b>		<b>107</b>
6.1	प्रवृत्तशीलता.....	107
6.2	क्षेत्राधिकार.....	107
6.3	परिभाषायें.....	110
6.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र.....	111
6.4.1	आवासीय.....	114
6.4.2	वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र.....	117
6.4.3	औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र.....	121
6.4.4	मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र.....	121
6.4.5	सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक.....	122
6.4.6	सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड.....	123

## सिवनी विकास योजना | 2035

<b>6.5</b>	<b>अन्य नियमन.....</b>	<b>125</b>
6.5.1	12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन.....	125
6.5.2	बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण.....	125
6.5.3	फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.....	125
6.5.4	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.....	125
6.5.5	ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक.....	126
6.5.6	यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक.....	126
6.5.7	शॉपिंग मॉल/खुला मॉल.....	126
6.5.8	वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन.....	127
6.5.9	होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग.....	127
6.5.10	मैरिज गार्डन.....	127
6.5.11	बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल.....	127
6.5.12	शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण.....	128
6.5.13	छविगृहों के लिए मापदण्ड.....	128
6.5.14	मल्टीप्लेक्स.....	128
6.5.15	उद्यान.....	128
<b>6.6</b>	<b>संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन.....</b>	<b>128</b>
<b>6.7</b>	<b>उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां.....</b>	<b>130</b>
<b>6.8</b>	<b>अन्य सुविधाएँ.....</b>	<b>135</b>
<b>6.9</b>	<b>विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया.....</b>	<b>135</b>
<b>अध्याय-7 योजना क्रियान्वयन.....</b>		<b>137</b>
<b>7.1</b>	<b>विकास योजना का क्रियान्वयन.....</b>	<b>137</b>
<b>7.2</b>	<b>योजना क्रियान्वयन की नीति.....</b>	<b>138</b>
<b>7.3</b>	<b>पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम.....</b>	<b>139</b>
7.3.1	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व.....	139
<b>7.4</b>	<b>नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना.....</b>	<b>139</b>
7.4.1	नियंत्रित विकास.....	140
7.4.2	अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन.....	140
7.4.3	एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना.....	140
<b>7.5</b>	<b>विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण.....</b>	<b>141</b>
<b>7.6</b>	<b>योजना एवं कार्यक्रम.....</b>	<b>141</b>
7.6.1	संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व.....	142

## सिवनी विकास योजना | 2035

7.7 प्रथम चरण के घटक .....	142
7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम .....	143
7.9 संसाधन गतिशीलता .....	144
7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र .....	145
7.11 योजना की व्याख्या.....	146
7.11.1 योजना कालावधि .....	147
परिभाषाएँ .....	149
परिशिष्ट 1.....	161
परिशिष्ट 2.....	162
परिशिष्ट 3.....	163
परिशिष्ट 4.....	164
परिशिष्ट 5.....	165
परिशिष्ट 6.....	166
परिशिष्ट 7.....	167
परिशिष्ट 8.....	168
परिशिष्ट 9.....	169
परिशिष्ट 10 .....	170

## सारणी सूची

सारणी क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
सारणी 1.1	सिवनी नगर से प्रमुख नगरों की दूरी.....	2
सारणी 1.2	खनिज संपदा.....	4
सारणी 1.3	निवेश क्षेत्र.....	6
सारणी 2.1	उपग्रह चित्रों के मानक.....	11
सारणी 2.2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस.....	12
सारणी 2.3	भू-स्थानक डाटा.....	17
सारणी 2.4	बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं भू-स्थानक डाटा.....	18
सारणी 2.5	ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल.....	20
सारणी 2.6	मृदा विश्लेषण.....	20
सारणी 2.7	लिथोलॉजी.....	21
सारणी 2.8	जलाशयों का वर्गीकरण.....	21
सारणी 2.9	भू-जल विवरण.....	21
सारणी 2.10	सीमाओं का वर्गीकरण.....	22
सारणी 2.11	जिओमोरफोलॉजी.....	23
सारणी 2.12	जल स्रोत बफर क्षेत्रफल.....	23
सारणी 2.13	भूमि अवक्रमण.....	24
सारणी 2.14	मार्ग संरचना बफर.....	24
सारणी 2.15	कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -1 के लिए वेटेड इंडेक्स.....	26
सारणी 2.16	कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -2 के लिए वेटेड इंडेक्स.....	28
सारणी 2.17	कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -3 के लिए वेटेड इंडेक्स.....	29
सारणी 2.18	Land Suitability Area.....	31
सारणी 3.1	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन*.....	34
सारणी 3.2	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार).....	35
सारणी 3.3	वाणिज्यिक विकास.....	36
सारणी 3.4	आमोद-प्रमोद विकास.....	38
सारणी 3.5	यातायात एवं परिवहन विकास.....	38
सारणी 3.6	जलाशय.....	39
सारणी 3.7	भूमि उपयोग उपांतरण.....	40
सारणी 3.8	असंगत भूमि उपयोग की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग.....	40
सारणी 3.9	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या.....	42
सारणी 3.10	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत).....	43




## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
सारणी 3.11	वार्ड की जनसंख्या.....	44
सारणी 3.12	वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण.....	45
सारणी 3.13	वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण.....	46
सारणी 3.14	पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या.....	46
सारणी 3.15	जनसंख्या लिंगानुपात.....	47
सारणी 3.16	वार्ड अनुसार लिंगानुपात.....	48
सारणी 3.17	शिशु जनसंख्या.....	49
सारणी 3.18	वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या.....	50
सारणी 3.19	शिशु लिंगानुपात.....	50
सारणी 3.20	वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात.....	51
सारणी 3.21	साक्षर जनसंख्या.....	53
सारणी 3.22	साक्षरता दर.....	54
सारणी 3.23	पुरुष साक्षरता दर.....	55
सारणी 3.24	महिला साक्षरता दर.....	56
सारणी 3.25	पुरुष-महिला साक्षरता दर में अन्तर.....	57
सारणी 3.26	पुरुष-महिला साक्षरता दर में अन्तर.....	57
सारणी 3.27	वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या.....	57
सारणी 3.28	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत).....	58
सारणी 3.29	अनुसूचित जाति की जनसंख्या.....	59
सारणी 3.30	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत).....	61
सारणी 3.31	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.....	62
सारणी 3.32	वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.....	63
सारणी 3.33	श्रमिक भागीदारी अनुपात.....	65
सारणी 3.34	श्रमिक बल वृद्धि दर.....	66
सारणी 3.35	सेक्टरवार श्रमिक बल का विवरण (प्रतिशत).....	67
सारणी 3.36	श्रमिक जनसंख्या.....	69
सारणी 3.37	कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत).....	70
सारणी 3.38	कुल श्रमिकों की तुलना में सीमांत श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत).....	71
सारणी 3.39	कामकाजी पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात.....	72
सारणी 3.40	कामकाजी महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात.....	74
सारणी 3.41	वार्ड अनुसार श्रमिकों की भागीदारी.....	74
सारणी 3.42	नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल.....	75
सारणी 3.43	जनसंख्या परिवर्तन.....	76
सारणी 3.44	जनसंख्या प्रक्षेपण.....	77
सारणी 3.45	वर्ष 2011 अनुसार आवास आवश्यकता.....	78

## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
सारणी 3.46	निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आवासों की मांग.....	79
सारणी 3.47	जल आपूर्ति आकलन.....	80
सारणी 4.1	सिवनी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035.....	87
सारणी 4.2	निवेश इकाईयों का विवरण.....	92
सारणी 4.3	निवेश इकाईवार भूमि क्षेत्रफल.....	93
सारणी 4.4	असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग.....	96
सारणी 5.1	प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई.....	101
सारणी 5.2	वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई.....	103
सारणी 5.3	मार्ग संगमों का सुधार.....	105
सारणी 6.1	मुख्य उपयोग परिक्षेत्र.....	112
सारणी 6.2	आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड.....	115
सारणी 6.3	आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का 'आकार एवं निर्मित क्षेत्र.....	117
सारणी 6.4	वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड.....	117
सारणी 6.5	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक.....	118
सारणी 6.6	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात.....	120
सारणी 6.7	सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड.....	122
सारणी 6.8	सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन.....	124
सारणी 6.9	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.....	125
सारणी 6.10	उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां.....	130
सारणी 7.1	योजना क्रियान्वयन की लागत.....	138
सारणी 7.2	प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक.....	143
सारणी 7.3	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत.....	144

**सिवनी विकास योजना | 2035**



## आरेख सूची

आरेख क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
आरेख 2.1	कार्यप्रणाली .....	16
आरेख 3.1	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर.....	43
आरेख 3.2	लिंगानुपात .....	48
आरेख 3.3	शिशु लिंगानुपात.....	51
आरेख 3.4	साक्षरता दर.....	52
आरेख 3.5	पुरुष साक्षरता दर.....	55
आरेख 3.6	महिला साक्षरता दर.....	56
आरेख 3.7	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत) .....	60
आरेख 3.8	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत) .....	63
आरेख 3.9	श्रमिक भागीदारी (प्रतिशत).....	67
आरेख 3.10	सेक्टरवार श्रमिक बल का विवरण (प्रतिशत) .....	68
आरेख 3.11	पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात.....	73
आरेख 3.12	महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात.....	73
आरेख 3.13	जनसंख्या परिवर्तन.....	76
आरेख 3.14	जनसंख्या प्रक्षेपण .....	77
आरेख 4.1	प्रस्तावित भूमि उपयोग का प्रतिशत.....	88

**सिवनी विकास योजना | 2035**

## मानचित्र सूची

मा. क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.1	Regional Setting	2A
1.2	Location Map of Planning Area	2B
1.3	Planning Area	6A
2.1	Satellite Images	10A
2.2	Digital Elevation Model	12A
2.3	Building Footprint	18A
2.4	Contour	20A
2.5	Slope	20B
2.6	Lithology	20C
2.7	Soil Texture	20D
2.8	Groundwater Prospects	20E
2.9	Earthquakes Zones	22A
2.10	Land Value	22B
2.11	Government Land	22C
2.12	Geomorphology	22D
2.13	Waterbody Buffer	22E
2.14	Land Degradation	24A
2.15	Road Buffer	24B
2.16	Land Suitability (Model-1)	30A
2.17	Land Suitability (Model-2)	30B
2.18	Land Suitability (Model-3)	30C
3.1	Existing Landuse	34A
3.2	Ward Map	44A
3.3	Ward Wise Population Density	44B
3.4	Ward Wise Sex Ratio	46A
3.5	Ward Wise Child Population (0-6)	48A
3.6	Ward Wise Child Sex Ratio	50A
3.7	Ward Wise Literacy	52A
3.8	Ward Wise SC/ST Population	60A
3.9	Ward Wise Work Participation	66A
3.10	Urban Sprawl	74A
3.11	Existing Overhead Tank	80A
3.12	Power Supply Network	82A
3.13	Existing ATM	84A
3.14	Existing Community Toilet	84B
4.1	Proposed Landuse	86A
4.2	Planning Unit	92A
5.1	Existing Transport Network	102A
5.2	Proposed Transport Network	102B
7.1	First Phase Implementation	144A

## अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

### 1.1 नगर परिचय

#### 1.1.1 स्थिति

जबलपुर राजस्व संभाग का प्रमुख जिला मुख्यालय नगर सिवनी जबलपुर के दक्षिणी सतपुड़ा पठार के संकरे उत्तर-दक्षिण खण्ड पर स्थित है। यह 22°04'29.9" उत्तरी अक्षांश एवं 79°32'45.5" पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इसके उत्तर में जबलपुर 150 कि.मी. पूर्व में मण्डला 90 कि.मी., दक्षिण-पूर्व में बालाघाट 90 कि.मी., पश्चिम में छिन्दवाड़ा 70 कि.मी., उत्तर-पूर्व में नरसिंहपुर 130 कि.मी. और दक्षिण में महाराष्ट्र का नागपुर लगभग 130 कि.मी. दूरी पर विद्यमान है। सिवनी समुद्र सतह से 619 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

#### 1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सिवनी के नामकरण को लेकर विभिन्न जनश्रुतियाँ हैं। वृक्षों (बेल) की बहुलता देखकर जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने इसे श्रीवनी नाम से संबोधित किया था, एक धारणा यह भी है कि जिला मुख्यालय में स्थित शिव मठ जन्ही के द्वारा स्थापित किया गया था। सिवनी श्रीवनी का अपभ्रंश है। ऐसा भी कहा जाता है कि सेवन वृक्षों की बहुलता से इसका नाम सिवनी पड़ा, इसके अतिरिक्त नामकरण को लेकर एक और धारणा प्रचलित है, जो तर्कसंगत समझी जाती है, चूँकि यह क्षेत्र कौशल और दंडकारण्य का सीमावर्ती क्षेत्र था। अतः इसे सीमणी या सिवनी कहा जाने लगा। इस जिले में कुरई से लगा सतपुड़ा श्रेणी उत्तरी भारत को अलग करता है। इस का क्रमबद्ध इतिहास सोलहवीं शताब्दी के बाद से ही पाया जाता है, जब कि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यहाँ पाषाण काल से ही मनुष्य रहते आये हैं। जिले के बनडोल, अलोनिया, कान्हीवाड़ा, छपारा, सरेखा और सिवनी से प्राप्त पूर्ण आर्युवेदों का मिलना इसकी पुष्टि करता है। हिन्दुओं में प्रचलित पूरे अठारह पुराणों के सृष्टि - खण्ड, वाल्मिकी रामायण तथा महाभारत में वेणा या वेणु नदी का वर्णन है। वर्णित भौगोलिक स्थिति के अनुसार वह वैनगंगा नदी ही है, जो इस जिले के परतापुर (मुंडारा) ग्राम से निकलकर वृहद रूप धारण करती हुई आन्ध्र प्रदेश में प्राहिता के नाम से गोदावरी से मिली है।

प्राचीन समय में यह गढ़ा मंडला के गौड़ राज्य में आता था। गौड़ के बावनगढ़ों में से अमोदागढ़, घंसौर, कुरई खंड में करवागढ़ और चांवडीगढ़ आदि इस जिले के विभिन्न अंचलों में स्थित थे। सन् 1688 में इस क्षेत्र पर राजा नरेन्द्रशाह, सन् 1742 में राज खां पुत्र मुहम्मद खां, तत्पश्चात् इस पर नागपुर के रघुजी राजा भोंसले का अधिकार था। सिवनी नगर सन् 1774 में आबाद हुआ, तब आगीर खां छपारा, सिवनी का दीवान था। सिवनी का दीवान महल उसी समय बनाया गया। अठारहवीं शताब्दी के

## सिवनी विकास योजना | 2035

प्रथम चरण में देश के अन्य भागों की तरह यह भी अस्थिरता रही। सन् 1804 एवं 1809 में सिवनी और छपारा में आगीर खां पिंडारे ने भारी लूट-पाट की थी, लूट के माल में पिंडारे केवल सोना ही ले जा सके थे, उन्हें किसी अन्य वस्तु को हाथ लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, इससे सिवनी छपारा की आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है।

### 1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

सिवनी म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा 1 के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना पृष्ठ एफ- 49/26/249/33/73 दिनांक 22.10. 1973 के द्वारा अधिसूचित प्रदेशों के वन और खदानों वाले 'सतपुड़ा प्रदेश के अन्तर्गत है। सिवनी छोटी रेल लाइन द्वारा छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला, जबलपुर एवं नागपुर से जुड़ा है, जिसे ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन का कार्य प्रगतिशील है। सिवनी वन सम्पदा की दृष्टि से अत्याधिक सम्पन्न है, जिसमें वनोपज लकड़ी, बांस, तेन्दुपत्ता मुख्य है। इसके अतिरिक्त वनो से गोंद, हर्रा, बहेड़ा, चिरोंजी, भिलमा, महुआ, आँवला भी प्राप्त होता है। यह नगर मुख्यतः कृषि प्रधान है, सब्जी उत्पादन के अलावा वनोपज से स्थानीय निवासी अपनी आजीविका चलाते हैं।


सिवनी नगर राज्य की राजधानी भोपाल से 350 किलोमीटर, जबलपुर से 150 किलोमीटर और छिन्दवाड़ा से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। सिवनी दक्षिण एवं उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 स्वर्णिम चतुर्भुज द्वारा नागपुर तथा नरसिंहपुर से जुड़ा हुआ है। पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 69ए सिवनी को छिन्दवाड़ा से जोड़ता है। सिवनी नगर से प्रमुख नगरों की दूरी एवं दिशाएँ सारणी 1.1 में दी गयी हैं।

सारणी 1.1 सिवनी नगर से प्रमुख नगरों की दूरी

क्र.	नगर	सिवनी से दूरी (कि.मी. में)
1	2	3
1	भोपाल	350
2	रायपुर	300
3	जबलपुर	150
4	नागपुर	130
5	छिन्दवाड़ा	70

वर्ष 1890 में सिवनी नैरो गेज (रेल लाईन) की स्थापना हुई, जो की सिवनी को छिन्दवाड़ा एवं नैनपुर होते हुए जबलपुर से जोड़ती थी। वर्तमान में नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन का कार्य प्रगतिशील है। सिवनी से निकटतम हवाई अड्डे की सुविधा नागपुर में है।







## सिवनी विकास योजना | 2035

## 1.1.4 नगर विकास का क्रम

सिवनी नगर में सन् 1200 से 1988 के मध्य हुए प्रमुख निर्माण का विवरण निम्नानुसार है :-

1. दलसागर	—	सन् 1200
2. मठमंदिर	—	सन् 1700
3. डिस्ट्रीक कोर्ट	—	सन् 1912
4. नार्मल (एकसीलेंट) स्कूल	—	सन् 1919
5. जिला जेल	—	सन् 1925
6. कंपनी गार्डन	—	सन् 1926
7. चन्द्रलोक इन्द्रभवन	—	सन् 1928
8. कलेक्टर निवास	—	सन् 1928
9. पावर हाउस	—	सन् 1938
10. कोतवाली	—	सन् 1939
11. कलेक्टर कार्यालय	—	सन् 1948
12. विश्राम गृह	—	सन् 1954
13. पुरातत्व संग्रहालय	—	सन् 1988

## 1.2 भौतिक स्वरूप

## 1.2.1 भू-आकृति

वैनगंगा यहां की प्रमुख नदी है। दक्षिण में जिला मुख्यालय से 16 कि.मी. की दूरी पर ग्राम मुंडारा (परतापुर) से निकलकर ग्राम छपारा के पास स्वर्णम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 को पार करती हैं। वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ बांध वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निर्मित है, यह नदी सिवनी की जीवन रेखा है। सिवनी में वर्तमान में सात तालाब है :- बस स्टेण्ड के पास दलसागर तालाब, नगर पालिका कार्यालय के पास बुधवारी तालाब, रेल्वे स्टेशन के पास मोती तालाब, पुलिस ग्राउण्ड के पास सुखा, बोरदई, लखनवाड़ा एवं कटोरा तालाब।

## 1.2.2 जलवायु

सिवनी निवेश क्षेत्र की जलवायु सामयिक है और आमतौर पर अत्याधिक गर्मी और ठंड की भिन्नता से मुक्त है। वर्ष को चार मौसमों में विभाजित किया जा सकता है। दिसंबर से फरवरी माह तक ठंड का मौसम, मार्च से मई माह तक गर्मी का मौसम, जून के तीसरे सप्ताह से सितंबर माह के अंत तक वर्षा तथा अक्टूबर और नवंबर माह में मानसूनोत्तर काल होता है। दिसंबर तथा जनवरी माह वर्ष के सबसे ठंडे महीने होते हैं। सिवनी जिले का औसत उच्चतम तापमान 42° सेल्सीयस तथा न्यूनतम 10.2° सेल्सीयस होता है।

### 1.2.3 खनिज संपदा

खनिज संपदा की दृष्टि से सिवनी जिला अधिक सम्पन्न नहीं है, यहां पर प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिजों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 1.2 खनिज संपदा

क्रमांक	खनिज	स्थिती	नगर से दूरी	उपयोग
1	2	3	4	5
1	रेत	हिरी नदी, बरघाट क्षेत्र, खवासा, खमरिया, कटंगी रोड	बरघाट क्षेत्र 40 कि.मी. खमरिया 55 कि.मी. कटंगी रोड 40 कि.मी.	भवन निर्माण
2	पत्थर	बड़ाकल, फुलारा	20 कि.मी.	भवन तथा सड़क
3	कोयला	आमाझीरी	54 कि.मी.	औद्योगिक
4	डोलोमाइट	पिपरवानी	55 कि.मी.	विस्फोटक

### 1.3 नियोजना हेतु प्रयास

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के अंतर्गत सिवनी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर प्रकाशित किये जाकर दिनांक 31.10.1982 को अंगीकृत किये गये थे। सिवनी विकास योजना 2021 म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-67-2007/32 दिनांक 08.10.2008 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24/10/2008 से प्रभावशील की गई थी।

भारत सरकार द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोजना के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजनाओं में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है। इन 500 शहरों में मध्य प्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें सिवनी शहर भी सम्मिलित है। तदनुसार सिवनी नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2035 की

## सिवनी विकास योजना | 2035

अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

#### 1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। सिवनी विकास योजना 2035 तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं। सिवनी विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :

1. नगर का प्रकार, आकार एवं माप।
2. सघन विकास।
3. नगरीय प्रबंधन में जन-यातायात व्यवस्था, सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ।
4. नगरीय परिवेश का पोषण एवं संरक्षण।
5. नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि।
6. नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन।
7. नगर नियोजन में नागरिकों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहन।
8. नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप की गतिशीलता में तीव्रता लाना।
9. मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना।

#### 1.5 निवेश क्षेत्र

सिवनी नगर के भावी विकास को नियंत्रित एवं सुनियोजित करने हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धार 13 (1) के प्रावधानान्तर्गत म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 232/एफ-1-2/बत्तीस भोपाल दिनांक 21 जनवरी 1974 के द्वारा सिवनी निवेश क्षेत्र का गठन किया गया है।


सिवनी निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 8698.06 हेक्टेयर है। सिवनी निवेश क्षेत्र में सिवनी नगरपालिका क्षेत्र एवं 16 ग्राम सम्मिलित हैं। सिवनी नगर पालिका क्षेत्र का क्षेत्रफल 1545.54 हेक्टेयर है, जोकि कुल निवेश क्षेत्र का 17.77 प्रतिशत है। सिवनी निवेश क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 7152.52 हेक्टेयर है जोकि कुल निवेश क्षेत्र का 82.23 प्रतिशत है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 1.3 निवेश क्षेत्र

क्रमांक	ग्रामों का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या
1	2	3	4
<b>(अ) नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	डूंडासिवनी (आंशिक)	242.82	102343
2	ज्यारत	89.34	
3	भैरोगंज	110.93	
4	मंगलीपेठ (आंशिक)	124.56	
5	सीरदीवान	216.91	
6	सिवनी-खास	40.49	
7	सिवनी-रैयत	394.92	
8	बबरिया	212.70	
<b>(अ)</b>	<b>योग</b>	<b>1545.54</b>	<b>102343</b>
<b>(ब) ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	811.77	2240
2	मानेगाँव	211.86	907
3	बिटली	628.67	1055
4	पलारी	449.08	1779
5	छिड़िया	757.76	427
6	डोरली छतरपुर	571.38	4369
7	बोरदई	378.51	1717
8	खेरी	276.79	1435
9	सिमरिया	234.60	700
10	मरझोर	149.99	1892
11	बम्होड़ी	426.89	967
12	लखनवाड़ा	728.54	1231
13	कोनियापार	263.28	366
14	परतापुर	247.72	1259
15	लोनिया	583.12	581
16	लुघरवाड़ा	432.56	2426
17	डूंडासिवनी (आंशिक)	22.69	-
18	मंगलीपेठ (आंशिक)	90.18	
<b>(ब)</b>	<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>	<b>7152.52</b>	<b>23351</b>
<b>योग (अ + ब)</b>		<b>8698.06</b>	<b>125694</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2011 एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण



## सिवनी विकास योजना | 2035

**टीप:** सिवनी निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2021 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी। विकास योजना 2021 हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 7459.70 हेक्टेयर अंकित किया गया था। विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार 7459.70 हेक्टेयर है। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 8698.06 हेक्टेयर होता है। यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 8698.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं।

सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नलिखित अनुसूची में परिनिश्चित की गयी है :-

- उत्तर में** : ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा, (रैयत), बोरिया, मानेगांव, तथा बिटलीकी उत्तरी सीमा तक।
- पूर्व में** : ग्राम बिटली, पलारी, तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक।
- दक्षिण में** : ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होडी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक।
- पश्चिम में** : ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया, पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक।

### 1.5.1 नगरपालिका क्षेत्र

नगरपालिका क्षेत्र का गठन सर्वप्रथम सेन्ट्रल प्रोविंस एक्ट के तहत अधिसूचना क्रमांक 337/दिनांक 17/05/1867 द्वारा हुआ। वर्तमान में सिवनी नगरपालिका क्षेत्र 24 वार्डों में विभाजित है।



**सिवनी विकास योजना | 2035**

The table contains multiple columns and rows of text that is extremely faded and illegible. It likely represents a detailed schedule or list of items under the Sivani Development Plan 2035.

## अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

### 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है, जिससे नगर नियोजन के द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में, नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। विकास हेतु उत्तरदायी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि, विकास योजना में दिये गये भू-उपयोगों के प्रस्तावों का पालन करते हुए नियोजित विकास में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें; जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ-साथ अन्य आवश्यक गतिविधियों जैसे- आवासीय, अमोद-प्रमोद, व्यावसायिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें।

नगर की विकास योजना बनाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि नगरीय विकास के विभिन्न घटकों में किस प्रकार से संबंध एवं सामंजस्य स्थापित रहे। नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित कर उनके अध्ययन के आधार पर भावी आवश्यकताओं का आकलन किया जाना भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। विकास योजना तैयार करने के लिए नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर नियोजन किया जाना आवश्यक है। विकास योजना पुनर्विलोकन का लक्ष्य केन्द्र शासन की अमृत योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड तथा जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना है।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

## सिवनी विकास योजना | 2035

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।


### 2.1.1 अमृत योजना

**“Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT)** योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य है:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन के मानकों को समाहित करना।

### 2.1.2 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत 1:4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 2.1 में दर्शाये गये हैं।



## सारणी 2.1 उपग्रह चित्रों के मानक

S.No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4	Radiometry	10 bit or better	
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: $0.6 < B/H < 0.8$
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

## सिवनी विकास योजना | 2035

**2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली**

भौगोलिक सूचना प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेज एवं सब-क्लासेज में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जो कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है।


**सारणी 2.2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस**

S. No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers 1. Road 2. Bridges 3. Water Bodies	Very high resolution satellite data	3	16
2	Urban Land use/Land cover	Very high resolution satellite data	22	48
3	Building Footprints	Very High Resolution satellite data	16	46
4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6	Boundaries 1. Planning Boundaries 2. Municipal Boundaries	Town & Country Planning Urban Local Bodies	1 1	1 1

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

**2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली**

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है, स्थायी एवं पूर्व क्षमता युक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, भावी बसाहट, वर्तमान में



## सिवनी विकास योजना | 2035

विद्यमान बसाहट तथा पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार आवश्यक है, प्रस्तावित अर्थात् भविष्य के विकास के लिए भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्न लिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:

- **धरातल विशेषताएँ**

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जलप्लावित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

- **भूमि उपयोग वितरण**

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

- **जनसंख्या विशेषताएँ**

आयु समूह, लिंगानुपात, आब्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, आगामी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना।

- **आर्थिक गतिविधियाँ**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।

- **यातायात विशेषताएँ**

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषताएँ**

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति एवं भावी आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।



- **सार्वजनिक सेवाएँ**

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय तथा संचार सेवाएँ।

- **सार्वजनिक सुविधाएँ**

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र।  
एकत्रित जानकारी एवं एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उपग्रह चित्रों के साथ समन्वित कर विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

### 2.2.1 उद्देश्य

- **भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना**

वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी-II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- **बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना**

विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, जिसके मानचित्र तैयार करना।

- संपूर्ण सिवनी नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना
- नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
- जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
- नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
- प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।


- **जनगणना के आँकड़ें**

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, भारत की जनगणना वर्ष 1901 से 2011 तक के आँकड़ों को विकास योजना तैयार करने हेतु अनुमानित जनसंख्या तथा योजनाकाल में भूमि की आवश्यकता के आकलन के लिए किया गया है।

### 2.2.2 कार्यप्रणाली

अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र, जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आकड़ें एकत्रित कर, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु, आधार मानचित्र तैयार किया गया। सिवनी विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली निम्नानुसार दर्शायी गई है।

आरेख 2.1 कार्यप्रणाली



### 2.2.3 जनसंख्या आकलन पद्धति

सन् 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु वर्ष 1901 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति एवं इंक्रिमेंटल पद्धति द्वारा प्रगणित की गई है।

### 2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों (Design and Standard) के अनुसार, शहर के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। इन आंकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, सांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, भौतिक अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित है। जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व आदि से संबंधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

#### 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार कर विश्लेषण किया गया है।

##### 2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर, वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किये जाने हेतु उपग्रह चित्र आधारित मानचित्रों का उपयोग किया गया है। जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है। जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 2.3 भू-स्थानक डाटा

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-09		Major City Road
	01-10		Minor City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road


## सिवनी विकास योजना | 2035

## 2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, सिवनी नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया है। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली, निम्नसारणी में उल्लेखित है:-

सारणी 2.4 बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं भू-स्थानक डाटा ।

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
	06-06		Apartment
2	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
5	10-01	Educational	School
	10-05		Anganwari
			College
6	11-01	Health Services	Polytechnic
	11-02		Govt. Hospital
	11-04		Private Hospital
7	12-01	Central Govt. Property	Clinic/Dispensary
	12-02		Office
8	13-01	State Govt. Property	Quarter
			Office
9	15-02	Public & Semi-Public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium Burial Ground /Grave Yard
	15-09		Guesthouse/Resthouse



Department of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

## सिवनी विकास योजना | 2035

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/Community Toilet
	15-28		Old age Home
	15-30		Fire Station
10	16-01	Religious	Temple
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
11	17-01	Recreational	Garden
12	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
15	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16	26-02	Rural	House
	26-03		Group Of House
17	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-17		Gaushala

## 2.3.1.3 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM (Cartosat-1 derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

$$\text{ढलान का प्रतिशत} = \left( \frac{\text{ऊँचाई में अंतर}}{\text{दूरी में अंतर}} \right) \times 100$$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल सारणी 2.5 में दिया गया है।

## सारणी 2.5 ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	>15	32.79	0.38%
2.	10-15	146.88	1.69%
3.	5-10	258.72	2.97%
4.	3-5	224.00	2.58%
5.	1-3	1553.92	17.87%
6.	<1	6481.75	74.52%
<b>योग</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>


स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

## 2.3.1.4 मृदा


सम्पूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु "भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग" Soil & Land use Survey of India (SLUSI) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है। उक्त मानचित्र तैयार करने में, सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाइल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है जिसका उपयोग किया है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर, भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया। जिसकी जानकारी निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

## सारणी 2.6 मृदा विश्लेषण


क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Water Body	99.94	1.15%
2	Clayey	2114.51	24.31%
3	Clayey Skeletal	41.71	0.48%
4	Fine	5492.56	63.15%
5	Fine Silty	572.05	6.58%
6	Loamy	94.09	1.08%
7	Loamy Skeletal	283.20	3.26%
<b>Total</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>














## सारणी 2.7 लिथोलॉजी

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Basaltic	6837.14	78.61%
2	Laterite	1346.37	15.48%
3	SCHIST	514.55	5.92%
<b>Total</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

## 2.3.1.5 जलाशय

वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर, सिवनी, शहर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली निम्न सारणी में उल्लेखित है

## सारणी 2.8 जलाशयों का वर्गीकरण

S.NO	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds

## 2.3.1.6 भूजल स्तर

सिवनी निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश क्षेत्र में भू-जल स्तर मुख्यतः मध्यम है। जिसका विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

## सारणी 2.9 भू-जल विवरण

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Water Body	99.94	1.15%
2	Good to Moderate	66.64	0.77%
3	Moderate to poor	8202.35	94.30%
4	Poor	329.13	3.78%
<b>Total</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

## सिवनी विकास योजना | 2035

**2.3.1.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र**

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults) तथा मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एन.जी.आर.आई. के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्रीकरण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत सिवनी भूकंप संभावित क्षेत्र है; जो कि Zone III Moderate Damage Risk Zone (MSK VII) के अंतर्गत आता है।

**2.3.1.8 भूमि मूल्य**

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत कुल वार्ड के अन्तर्गत, भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है।


**2.3.1.9 ग्राम/वार्ड सीमा**


राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट किया गया। ग्राम मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट करने के पश्चात निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गयी। नगर परिषद से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1:30000 का तथा 1:25000 मापक पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया।

यह मानचित्र एकीकृत वॉर्ड की विभिन्न जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। जनसंख्या के आंकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किये गये, उनको ग्राम मानचित्रों से संबद्ध किया है। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली, निम्नसारणी में उल्लेखित है:-


**सारणी 2.10 सीमाओं का वर्गीकरण**


S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary














## सिवनी विकास योजना | 2035

थीमेटिक मानचित्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) वर्गीकरण का उपयोग कर डिजिटाइज कर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये हैं। निवेश क्षेत्र के सांख्यिकीय आँकड़ें, भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गये हैं।

**2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड**

सिवनी निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से सात भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू-आकृति की दृष्टि से पेडीमेंट क्षेत्र में आता है। यह जानकारी सारणी 2.11 में दर्शायी गयी है।

**सारणी 2.11 जिओमोर्फोलॉजी**

क्र.	जिओमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Inselberg	6.23	0.07%
2	Mesa	31.09	0.36%
3	Pediment	7728.55	88.85%
4	Pediment-Corestone-Tor Composite	473.81	5.45%
5	Plateau Remnant	66.64	0.77%
6	Upland (Lateritic)	291.8	3.35%
7	Water Bodies (River)	99.94	1.15%
<b>Total</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

**2.3.1.11 जल स्रोत बफर**

सिवनी निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित किये गये हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 115.33 हेक्टेयर है। तालाबों के चारों ओर एवं नालों के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 अनुसार दिया गया है, जिससे पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु तटीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में यथावत रखा जा सके। जल स्रोत बफर की जानकारी सारणी 2.11 में दर्शायी गई है।

**सारणी 2.12 जल स्रोत बफर क्षेत्रफल**

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	15	249.81	2.87%
2	30	99.37	1.14%
3	45	99.42	1.14%
4	60	99.62	1.15%
<b>Total</b>		<b>548.22</b>	<b>6.30%</b>

टीप:- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र 8698.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## 2.3.1.12 भूमि अवक्रमण

सिवनी निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2.13 में दर्शायी गई है।

सारणी 2.13 भूमि अवक्रमण

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Water erosion - Sheet - Moderate	584.06	6.71%
2	Water erosion - Sheet - Severe	129.26	1.49%
<b>Total</b>		<b>713.31</b>	<b>8.20%</b>

टीप:- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र 8698.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है।

## 2.3.1.13 मार्ग संरचना बफर


मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। सिवनी से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 69 ए एवं 44 तथा राज्य राजमार्ग 12, 26 एवं 54 गुजरते हैं जो नगर को छिन्दवाडा, नागपुर, मंडला, बालाघाट एवं कदंगी नगरों से जोड़ता है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर जोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं। जोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी, 2.14 में दर्शायी गयी है।


सारणी 2.14 मार्ग संरचना बफर

क्र.	मार्ग बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	100	1592.38
2.	200	1219.94
3.	500	3140.04
<b>योग</b>		<b>5952.36</b>

## 2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि, कौनसी भूमि का विकास किया जाये एवं किस प्रकार किया जाये। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक, विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत, भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण, भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है, भूमि का मूल्य प्रमुखतः तीन आधार पर निर्भर होता है :-





## सिवनी विकास योजना | 2035

1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्णतः विक्रय के आधार पर होता है।
2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र, के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना है, एवं भूमि के विस्तृत वर्गीकरण, विभिन्न विकास हेतु करना संभव है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण, वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में, उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर, विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी जो बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती हैं। अतः उपरोक्त संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है, वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है अतः इस अध्ययन में, बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र) किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है। सिवनी नगर के संदर्भ में Composite land Suitability Analysis हेतु अपनाई गई। उदाहरण के रूप में, इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखी जाना है। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों का विचार किया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से, नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि, अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (धन, जनशक्ति, सामग्री) आवश्यक होंगे।



अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं।

#### 2.4.1 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 2.15 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -1 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	Landuse	25	Vacant Land	9
2			Wasteland	8
3			Agriculture	7
4			Forest	0
5			Waterbody	0
6			Builtup	0
1	Geomorphology	20	Pediments	9
2			Pediment-Corestone-Tor Composite	7
3			Upland (Lateritic)	4
4			Plateau Remnant	2
5			Mesa	0
8			Inselberg	0
9			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	10	Poor	9
2			Moderate to Poor	7
3			Good to Moderate	5
4			Waterbody	0
1	Soil Texture	5	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8

## सिवनी विकास योजना | 2035

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT		
1	2	3	4	5		
3			Clayey Skeletal	7		
4			Clayey	6		
5			Fine	5		
6			Fine Silty	4		
7			Waterbody	0		
8			BU	0		
1			Road Buffer	10	100 m	9
2					200 m	7
3	500 m	5				
4	>500 m	3				
1	Water Bodies Buffer	10	>60 m	9		
2			60 m	7		
3			45 m	5		
4			30 m	3		
5			15 m	1		
1	Slope	10	0-1 %	9		
2			1-3 %	7		
3			3-5 %	5		
4			5-10 %	4		
5			10-15 %	3		
6			15-35 %	2		
1	Land Value	10	4800-5000	9		
2			5000-10000	8		
3			10000-15000	7		
4			15000-20000	6		
5			20000-25000	5		
6			25000-30000	0		
7			30000-35000	0		

सारणी 2.16 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -2 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	Landuse	20	Vacant Land	9
2			Wasteland	8
3			Agriculture	7
4			Forest	0
5			Waterbody	0
6			Builtup	0
1	Geomorphology	10	Pediments	9
2			Pediment-Corestone-Tor Composite	7
3			Upland (Lateritic)	4
4			Plateau Remnant	2
5			Mesa	0
8			Inselberg	0
9			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	10	Poor	9
2			Moderate to Poor	7
3			Good to Moderate	5
4			Waterbody	0
1	Soil Texture	5	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8
3			Clayey Skeletal	7
4			Clayey	6
5			Fine	5
6			Fine Silty	4
7			Waterbody	0
8			BU	0
1	Road Buffer	15	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	15	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	Slope	15	0-1 %	9

## सिवनी विकास योजना | 2035

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
2			1-3 %	7
3			3-5 %	5
4			5-10 %	4
5			10-15 %	3
6			15-35 %	2
1			Land Value	10
2	5000-10000	8		
3	10000-15000	7		
4	15000-20000	6		
5	20000-25000	5		
6	25000-30000	0		
7	30000-35000	0		

सारणी 2.17 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -3 के लिए वेटेड इंडेक्स


S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	Landuse	14	Vacant Land	9
2			Wasteland	8
3			Agriculture	7
4			Forest	0
5			Waterbody	0
6			Builtup	0
1	Geomorphology	12	Pediments	9
2			Pediment-Corestone-Tor Composite	7
3			Upland (Lateritic)	4
4			Plateau Remnant	2
5			Mesa	0
8			Inselberg	0
9			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	12	Poor	9
2			Moderate to Poor	7
3			Good to Moderate	5
4			Waterbody	0


## सिवनी विकास योजना | 2035


S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	Soil Texture	12	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8
3			Clayey Skeletal	7
4			Clayey	6
5			Fine	5
6			Fine Silty	4
7			Waterbody	0
8			BU	0
1	Road Buffer	14	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	12	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	Slope	12	0-1 %	9
2			1-3 %	7
3			3-5 %	5
4			5-10 %	4
5			10-15 %	3
6			15-35 %	2
1	Land Value	12	4800-5000	9
2			5000-10000	8
3			10000-15000	7
4			15000-20000	6
5			20000-25000	5
6			25000-30000	0
7			30000-35000	0

स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीप: भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ़र को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।









## सिवनी विकास योजना | 2035

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगोन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगोन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी. एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है।

**सारणी 2.18 Land Suitability Area**  
[Model-1]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	5925.66	68.13%
Moderately Suitable	951.24	10.94%
Less Suitable	110.00	1.26%
Not Suitable	1711.16	19.67%
<b>Grand Total</b>	<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

[Model-2]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	1738.75	19.99%
Moderately Suitable	5142.27	59.12%
Less Suitable	188.07	2.16%
Not Suitable	1628.97	18.73%
<b>Grand Total</b>	<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

## सिवनी विकास योजना | 2035

## [Model-3]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	2003.97	23.04%
Moderately Suitable	5240.75	60.25%
Less Suitable	175.84	2.02%
Not Suitable	1277.5	14.69%
<b>Grand Total</b>	<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है। निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-1] में अधिकतम उपयुक्त भूमि 5925.66 हेक्टेयर (68.13 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model-1] का चयन अंतिम रूप से सिवनी विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया।

## 2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाइडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर सिवनी निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

## अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

### 3.1 विकास योजना 2021 क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है, तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी। विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवास विहीन परिवारों की स्थिति का भी आकलन आवश्यक है जिससे पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके; जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके। प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार है :-

- विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना।
- संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध न होना।
- निजी निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास न होना।
- योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास न होना।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है।

### 3.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

निवेश क्षेत्र में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 16 राजस्व ग्राम समाहित है। निवेश क्षेत्र की वर्ष 2011 में जनसंख्या 125694 एवं क्षेत्रफल 8698.06 हेक्टेयर है। वर्ष 2019 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 1460.36 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का भूमि उपयोग अनुसार विवरण सारणी 3.1 में दिया गया।

## सिवनी विकास योजना | 2036


सिवनी विकास योजना 2021 में नगर की जनसंख्या 1.75 लाख अनुमानित कर विकास प्रस्ताव दिए गये थे। विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत वर्तमान भू-उपयोग के क्रियान्वयन का आकलन किया गया है।

## सारणी 3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन\*

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2019 (हेक्टेयर में)		विकास के लिए उपलब्ध भूमि
		क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	आवासीय	839.34	59.07%	620.94	47.88%	218.40
2	वाणिज्यिक	58.00	4.08%	21.89	3.06%	36.11
3	मिश्रित	-	-	12.23	1.99%	-12.23
4	औद्योगिक	28.00	1.97%	25.89	1.60%	2.11
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	128.06	9.01%	185.66	8.32%	-57.60
6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	15.00	1.06%	16.30	1.59%	-1.30
7	आमोद-प्रमोद	111.35	7.84%	147.97	9.91%	-36.62
8	यातायात एवं परिवहन	241.23	16.98%	429.48	25.65%	-188.25
<b>योग</b>		<b>1420.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>1460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>-39.38</b>

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

\*सिवनी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4-सा-2 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन।



## सिवनी विकास योजना 2035

## सारणी 3.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2019 (हेक्टेयर में)		क्रियान्वयन का प्रतिशत	विकास के लिए उपलब्ध भूमि
		क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	1255.35	49.42%	620.94	47.88%	49.46%	634.41
2	वाणिज्यिक	39.64	1.56%	21.89	3.06%	55.22%	17.75
3	मिश्रित	-	-	12.23	1.99%	-	-12.23
4	औद्योगिक	47.96	1.89%	25.89	1.60%	53.98%	22.07
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	202.40	7.97%	185.66	8.32%	91.73%	16.74
6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	18.54	0.73%	16.30	1.59%	87.92%	2.24
7	आमोद-प्रमोद	488.95	19.25%	147.97	9.91%	30.26%	340.98
8	यातायात एवं परिवहन	487.38	19.19%	429.48	25.65%	88.12%	57.90
<b>योग</b>		<b>2540.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>1460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>57.49%</b>	<b>1079.86</b>

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

टीप :- सिवनी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4-सा-2 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन के मूल्यांकन एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है।

अतः विकास योजना 2035 की गणनाएं करने हेतु विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित क्षेत्रों को आधार मानते हुए विकास योजना तैयार की गई है।

### 3.2.1 आवासीय

सिवनी विकास योजना 2021 में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 1255.35 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 620.94 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आवासीय उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 49.46 प्रतिशत रहा है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**3.2.2 वाणिज्यिक**

वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 39.64 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 21.89 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। वाणिज्यिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 55.22 प्रतिशत रहा है।

**सारणी 3.3 वाणिज्यिक विकास**

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019
1	2	3	4	5
1.	कृषि उपज मण्डी	सिमरिया (निवेश क्षेत्र से बाहर)	16.55 हेक्टेयर	क्रियान्वित (निवेश क्षेत्र से बाहर)
2.	थोक सब्जी मण्डी	ग्राम खैरी	—	क्रियान्वित नहीं
3.	भवन निर्माण सामग्री	प्रस्तावित यातायात नगर	—	क्रियान्वित नहीं
4.	यातायात नगर	ग्राम पलारी	20.00	क्रियान्वित नहीं
5.	तेल एवं पेट्रोल डिपो	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में	—	क्रियान्वित नहीं
6.	पशुवध गृह	स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित	—	क्रियान्वित नहीं

**3.2.3 मिश्रित**

सिवनी विकास योजना 2021 में मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित नहीं किया गया था। वर्तमान में सिवनी निवेश क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 12.23 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर का विकास अब मिश्रित उपयोग की तरफ बढ़ रहा है।

**3.2.4 औद्योगिक**

औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 47.96 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 25.89 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। औद्योगिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 53.98 प्रतिशत रहा है। जन सामान्य के आर्थिक जीवन में सुधार के लिये नगर के औद्योगिक आधार में सुधार करने की आवश्यकता है।

### 3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सामान्य नागरिकों को सुविधाओं एवं सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत शिक्षा, अस्पताल, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा अन्य सुविधाएं आती हैं। सिवनी नगर जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील मुख्यालय भी है अतः नगर में अनेक शासकीय कार्यालय, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक, जन उपयोगी सुविधाओं एवं सेवा केन्द्र इत्यादि विद्यमान हैं।

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 202.40 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 185.56 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 91.73 प्रतिशत रहा है।

### 3.2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत 18.54 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 16.30 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 87.92 प्रतिशत रहा है। ग्राम बीझांवाड़ा में 16.55 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रस्ताव दिया गया था, जिसका विकास क्रियान्वित नहीं हुआ किन्तु वर्तमान में ग्राम छिड़िया में 4.00 हेक्टेयर भूमि का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोग किया जाता है।

### 3.2.7 आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत 488.95 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 147.97 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आमोद-प्रमोद उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 30.26 प्रतिशत रहा है। इसका मुख्य कारण पहाड़ों पर एवं राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण एवं वैनगंगा नदी एवं नालों के किनारे कुछ भाग में पर्यावरण वानिकी का विकास है।



## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.4 आमोद-प्रमोद विकास

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019
1	2	3	4	5
1.	स्टेडियम	ग्राम बिटली	10.00	क्रियान्वित नहीं
2.	मेला-मैदान	ग्राम लखनवाड़ा	20.00	क्रियान्वित नहीं
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बायपास के किनारे वृक्षारोपण	मार्ग	-	मार्ग क्रियान्वित

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

## 3.2.8 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 487.38 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 429.48 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। यातायात एवं परिवहन उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 88.12 प्रतिशत रहा है।

नगर में सभी प्रकार की ताण्डिलिक गतिविधियाँ नगर के मध्य संगणित हैं, जिससे यातायात/पार्किंग इत्यादि की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। नगर का वर्तमान सड़क नेटवर्क अस्त-व्यस्त है और बहुत सी जगहों पर सड़कों की चौड़ाई एक समान नहीं है। इसलिये नगर से गुजरने वाले इस मुख्य मार्ग पर यातायात सुलभ बनाने के लिये तत्काल कदम उठाया जाना चाहिये।

## सारणी 3.5 यातायात एवं परिवहन विकास

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)/स्थल	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44	60.00	क्रियान्वित
2.	नगरीय मार्ग		क्रियान्वित नहीं
	एम. आर क्र.1	30.00	
	एम. आर क्र.2	24.00	
3.	एम. आर क्र.3	24.00	क्रियान्वित नहीं
	एस. आर क्र. 1	12.00	
	एस. आर क्र. 2	12.00	
4.	एस. आर क्र. 3	18.00	क्रियान्वित नहीं
	ट्रक स्थानक	ग्राम पलारी	
5.	बस डिपो	ग्राम पलारी में 5 हेक्टेयर	क्रियान्वित नहीं

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)/स्थल	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019
1	2	3	4
6.	क्षेत्रीय पिकअप स्टेशन	रेलवे स्टेशन गणेश चौक मण्डला तिराहा बायपास मार्ग संगम	क्रियान्वित नहीं

## 3.2.9 जलाशय

सिवनी निवेश क्षेत्र में वर्तमान में कुल 7 तालाब/जलाशय है। जिनके विवरण निम्नानुसार है :-

## सारणी 3.6 जलाशय

क्रमांक	तालाब/ जलाशय का नाम	क्षेत्र लगभग (हेक्टेयर)	तालाबों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	दल सागर (सिवनी खास)	17.28	पानी भरा हुआ है ।
2.	सुखा तालाब (स्टेडियम के पास)	3.84	अंशः भाग में स्टेडियम एवं शेष भाग में बारिश में पानी भरता है ।
3	बुधवारी तालाब	4.48	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 की ओर मेढ पर वाणिज्यिक गतिविधियों संचालित एवं अन्य भाग में पानी भराव है ।
4	मोती तालाब (मठ)	2.24	पानी भरा हुआ है ।
5	बोरदई तालाब	2.88	पानी भरा हुआ है ।
6	लखनवाड़ा तालाब	1.28	पानी भरा हुआ है ।
7	कटीरा तालाब	0.96	पानी भरा हुआ है ।

## 3.3 विकास योजना में उपांतरण

सिवनी विकास योजना 2021 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र., नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश सिवनी विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी में दर्शाया गया है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.7 भूमि उपयोग उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग	उपान्तरित भू-उपयोग	विकास की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	डूंडा सिवनी	30/128, 30/129/1, 30/129/2	3.40	कृषि	आवासीय	क्रियान्वित

नोट:- सिवनी विकास योजना 2021 में उपांतरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग है एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे।

## 3.4 असंगत भूमि उपयोग

सिवनी विकास योजना-2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित था, यह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जिसका विवरण सारणी 3.7 में दर्शाया गया है।

## सारणी 3.8 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग	क्रियान्वयन की स्थिति 2019
1	2	4	5	6
1.	थोक, सब्जी मण्डी	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि	मार्ग चौड़ीकरण, पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)	क्रियान्वित नहीं
2.	फुटकर सब्जी बाजार	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि	मार्ग चौड़ीकरण, पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)	क्रियान्वित नहीं
3.	ओल्ड डिस्टिलरी	-	म.प्र.गृह नि.म. द्वारा पुनर्धनत्वीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालय/आवासीय	क्रियान्वित नहीं
4.	डिस्टिलरी	नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में	यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
5.	मछली बाजार	कटंगी मार्ग पर नाले के पास	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग	क्रियान्वयन की स्थिति 2019
1	2	4	5	6
6.	घास बाजार	ग्राम बोर्ड में	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
7.	पशुवध गृह/मटन मार्केट	स्थानीय प्रशासन द्वारा चयन अनुसार	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
8.	शीतगृह डीमर मोहल्ला	प्रस्तावित यातायात नगर	आवासीय	क्रियान्वित नहीं
9.	गैस गोदाम (सिरदिवान स्थित)	वर्तमान बायपास के बाहर कृषि भूमि पर	पर्यावरण वानिकी	क्रियान्वित
10.	गैस गोदाम (लुघरवाड़ा)	वर्तमान बायपास के बाहर कृषि भूमि पर	पर्यावरण वानिकी	क्रियान्वित नहीं
11.	बाल सम्प्रेक्षण गृह	नवीन जेल के पास ग्राम नगझर में	आडीटोरियम एवं नगर उद्यान	क्रियान्वित नहीं
12.	लोहा बाजार	प्रस्तावित यातायात नगर	मार्ग चौड़ीकरण	क्रियान्वित नहीं
13.	पेट्रोल पम्प बस स्टेण्ड के पास एवं दलसागर के सामने वाले	वर्तमान बायपास पर	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
14.	महावीर छविगृह एवं अशोक छविगृह	प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में	वाणिज्यिक, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
15.	बस डिपो	लुघरवाड़ा	बस स्टेण्ड का विस्तार	क्रियान्वित नहीं
16.	पुरानी कृषि उपज मण्डी	ग्राम सिमरिया में नवीन क्षेत्र में	वाणिज्यिक, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

## सिवनी विकास योजना | 2035

**3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण****3.5.1 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या**

जनगणना 2011 के अनुसार सिवनी निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 125694 है जिसमें 102343 जनसंख्या नगरीय और 23351 जनसंख्या ग्रामीण है।

सारणी 3.9 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

क्रमांक	क्षेत्र	जनसंख्या			जनसंख्या वृद्धि दर (1991-2011)
		1991	2001	2011	
1	2	3	4	5	6
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>					
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	64532	89801	102343	58.59
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>					
1	बींझावाड़ा	1353	1931	2240	65.56
2	मानेगाँव	413	656	907	119.61
3	बिटली	801	840	1055	31.71
4	पलारी	772	1039	1779	130.44
5	छिड़िया	291	353	427	46.74
6	डोरली छतरपुर	1226	2777	4369	256.36
7	बोरदई	856	1242	1717	100.58
8	खैरी	998	1198	1435	43.79
9	सिमरिया	531	615	700	31.83
10	मरझोर	332	757	1892	469.88
11	बम्होड़ी	781	838	967	23.82
12	लखनवाड़ा	999	1198	1231	23.22
13	कोनियापार	288	354	366	27.08
14	परतापुर	458	593	1259	174.89
15	लोनिया	399	513	581	45.61
16	लुघरवाड़ा	1536	2128	2426	57.94
ग्रामीण क्षेत्र		12034	17032	23351	94.04
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>76566</b>	<b>106833</b>	<b>125694</b>	<b>64.16</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

सिवनी निवेश क्षेत्र में पिछले दशक में हुए 18861 की कुल जनसंख्या वृद्धि में से, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 12542 और 6319 है। अनुपात में, सिवनी निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 81.42 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या और 18.58 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। पिछले दशक में नगरीय तथा ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 13.

## सिवनी विकास योजना | 2035


97 और 37.10 प्रतिशत थी। वर्ष 2001-2011 के बीच सिवनी निवेश क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर 17.65 प्रतिशत थी।

## सारणी 3.10 दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)

क्रमांक	क्षेत्र	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	
		2001	2011
1	2	3	4
1	नगर पालिका क्षेत्र	39.16	13.97
2	ग्रामीण क्षेत्र	41.53	37.10
सिवनी निवेश क्षेत्र		39.53	17.65

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## आरेख 3.1 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर



## 3.5.1.1 वार्ड वार जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 102343 है। वर्तमान में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 24 वार्डों में विभाजित है।


## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.11 वार्ड की जनसंख्या

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या 2011
1	2	3	4
1	महामाया वार्ड	1290	5719
2	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	673	3331
3	अकबर वार्ड	1550	6475
4	शास्त्री वार्ड	1217	5078
5	सी.बी.रमन वार्ड	1078	4529
6	कबीर वार्ड	1537	6370
7	टैगोर वार्ड	1258	5475
8	महावीर वार्ड	544	2493
9	गुरुनानक वार्ड	597	2913
10	मेजर ध्यानचंद वार्ड	614	3189
11	सुभाष वार्ड	475	2183
12	गांधी वार्ड	1190	5939
13	शहीद वार्ड	1247	6017
14	अशोक वार्ड	458	2415
15	संजय वार्ड	700	3346
16	आजाद वार्ड	712	3356
17	विवेकानंद वार्ड	1023	4473
18	तिलक वार्ड	670	3003
19	रानी दुर्गावती वार्ड	720	3305
20	कस्तुरबा वार्ड	960	4222
21	किदवई वार्ड	720	3155
22	अम्बेडकर वार्ड	1025	4760
23	भगतसिंह वार्ड	1590	7793
24	पृथ्वीराज चौहान वार्ड	600	2804
<b>कुल</b>		<b>22448</b>	<b>102343</b>


स्रोत: भारत की जनगणना 2011

उक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि सिवनी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्र. 23 की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसकी जनसंख्या 7793 है। नगर के वार्ड क्र. 11 सबसे कम जनसंख्या वाला वार्ड है, इसकी जनसंख्या 2183 है।



**Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal**





## सिवनी विकास योजना | 2035

## 3.5.1.2 जनसंख्या घनत्व

वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या 1,50,000 का आकलन करते हुए निवेश क्षेत्र का सकल जनसंख्या घनत्व, विकसित क्षेत्र का सकल जनसंख्या घनत्व एवं निवासी जनसंख्या घनत्व क्रमशः 17.25, 120.83 एवं 186.63 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है।

## सारणी 3.12 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	4	5
1	महामाया वार्ड	140.55	5719	41
2	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	86.47	3331	39
3	अकबर वार्ड	288.91	6475	18
4	शास्त्री वार्ड	113.52	5078	40
5	सी.बी.रमन वार्ड	215.42	4529	30
6	कबीर वार्ड	102.68	6370	29
7	टैगोर वार्ड	53.54	5475	102
8	महावीर वार्ड	44.59	2493	133
9	गुरुनानक वार्ड	45.04	2913	134
10	मेजर ध्यानचंद वार्ड	30.21	3189	109
11	सुभाष वार्ड	16.45	2183	170
12	गांधी वार्ड	10.15	5939	287
13	शहीद वार्ड	7.46	6017	293
14	अशोक वार्ड	16.14	2415	277
15	संजय वार्ड	16.79	3346	251
16	आजाद वार्ड	7.44	3356	335
17	विवेकानंद वार्ड	10.26	4473	311
18	तिलक वार्ड	7.07	3003	342
19	रानी दुर्गावती वार्ड	8.51	3305	393
20	कस्तुरबा वार्ड	8.93	4222	376
21	किदवई वार्ड	103.29	3155	63
22	अम्बेडकर वार्ड	47.94	4760	66
23	भगतसिंह वार्ड	55.81	7793	85
24	पृथ्वीराज चौहान वार्ड	108.37	2804	72
	<b>कुल</b>	<b>1545.54</b>	<b>102343</b>	<b>66.22</b>

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.13 वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण

Ward Wise Population Density (Minimum Value-18 Maximum Value-393)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	0-50	6	1, 2, 4, 5, 6, 18
2	50-100	4	3, 21, 22, 23
3	100-200	5	7, 12, 13, 19, 24
4	200-300	4	9, 11, 17, 20
5	300-400	5	8, 10, 14, 15, 16


स्त्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## 3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी निवेश क्षेत्र का कुल लिंगानुपात 953 है। सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 945 है और सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में लिंगानुपात 955 है।

## सारणी 3.14 पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	33485	31047	46310	43491	52352	49991
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	669	684	1044	887	1119	1121
2	मानेगाँव	210	203	332	324	455	452
3	बिटली	408	393	438	402	546	509
4	पलारी	374	398	535	504	886	893
5	छिड़िया	152	139	187	166	227	200
6	डोरली छतरपुर	631	595	1471	1306	2250	2119
7	बोरदई	435	421	617	625	872	845
8	खैरी	517	481	642	556	762	673
9	सिमरिया	264	267	306	309	348	352
10	मरझोर	160	172	395	362	973	919
11	बम्होड़ी	399	382	439	399	498	469
12	लखनवाड़ा	514	485	618	580	635	596
13	कोनियापार	149	139	190	164	199	167



## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
14	परतापुर	231	227	299	294	640	619
15	लोनिया	203	196	261	252	314	267
16	लुघरवाड़ा	813	723	1132	996	1281	1145
ग्रामीण क्षेत्र		6129	5905	8906	8126	12005	11346
सिवनी निवेश क्षेत्र		39614	36952	55216	51617	64357	61337

स्त्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011


## सारणी 3.15 जनसंख्या लिंगानुपात

क्रमांक	क्षेत्र	लिंगानुपात		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	927	939	955
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बीझावाड़ा	1022	850	1002
2	मानेगाँव	967	976	993
3	बिटली	963	918	932
4	पलारी	1064	942	1008
5	छिड़िया	914	888	881
6	डोरली छतरपुर	943	888	942
7	बोरदई	968	1013	969
8	खैरी	930	866	883
9	सिमरिया	1011	1010	1011
10	मरझोर	1075	916	945
11	बम्होड़ी	957	909	942
12	लखनवाड़ा	944	939	939
13	कोनियापार	933	863	839
14	परतापुर	983	983	967
15	लोनिया	966	966	850
16	लुघरवाड़ा	889	880	894
ग्रामीण क्षेत्र		963	912	945
सिवनी निवेश क्षेत्र		933	935	953

स्त्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सिवनी विकास योजना | 2035

आरेख 3.2 लिंगानुपात



सारणी 3.16 वार्ड अनुसार लिंगानुपात

Ward Wise Sex Ratio (Minimum Value-910 Maximum Value-1035)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	900-925	4	2, 12, 13, 17
2	925-950	6	1, 6, 11, 22, 23, 24
3	950-975	3	16, 19, 21
4	975-1000	8	3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20
5	>1000	3	8, 9, 18


स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## 3.5.3 शिशु जनसंख्या

शिशुओं की जनसंख्या की बात करें तो 0 से 6 साल के आयु वर्ग में शिशुओं की जनसंख्या दयनीय है क्योंकि यह वर्ग विभिन्न बीमारियों के संपर्क में सबसे अधिक आता है जिससे मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। जनसंख्या के इस समूह के आंकड़ों का विश्लेषण योजनाकारों को पहले से ही शिशुओं की देखभाल के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने की सुविधा प्रदान करता है, विशेष रूप से टीकाकरण और संबंधित चिकित्सा सहायता।

चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बीमारियों से अधिक ग्रसित रहते हैं। शिशुओं की जनसंख्या की व्यापक जानकारी प्रशासन को ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये पूर्व में आगाह कर सकती है।

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी निवेश क्षेत्र का कुल शिशु लिंगानुपात 904 है। सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 908 है और सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में शिशु



## सिवनी विकास योजना | 2035

लिंगानुपात 903 है। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में यह देखा गया है कि सिवनी निवेश क्षेत्र के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।

## सारणी 3.17 शिशु जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	5357	5083	6072	5372	5645	5097
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	120	160	133	131	130	141
2	मानेगाँव	40	46	42	48	50	53
3	बिटली	113	100	80	79	84	85
4	पलारी	72	85	95	68	128	139
5	छिड़िया	35	25	40	20	30	29
6	डोरली छतरपुर	148	150	250	223	330	313
7	बोरदई	97	95	94	117	112	107
8	खैरी	98	82	97	75	96	75
9	सिमरिया	56	51	36	42	55	44
10	मरझोर	26	31	80	45	109	82
11	बम्होड़ी	73	54	75	72	61	56
12	लखनवाड़ा	84	91	90	95	85	68
13	कोनियापार	30	28	31	26	23	14
14	परतापुर	52	48	45	38	76	67
15	लोनिया	29	30	37	23	36	19
16	लुघरवाड़ा	131	124	159	141	139	110
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		1204	1200	1384	1243	1544	1402
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>6561</b>	<b>6283</b>	<b>7456</b>	<b>6615</b>	<b>7189</b>	<b>6499</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011



## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.18 वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या

Ward Wise Child Population (0-6) (Minimum Value-08 Maximum Value-13)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	8	3	2, 5, 8
2	9-10	4	4, 7, 11, 24
3	10-11	10	1, 3, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21
4	11-12	5	12, 15, 16, 22, 23
5	12-13	2	10,19

स्त्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## सारणी 3.19 शिशु लिंगानुपात

क्रमांक	क्षेत्र	लिंगानुपात		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	949	885	903
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बीड़ावाड़ा	1333	985	1095
2	भार्नेगाँव	1150	1143	1060
3	बिटली	885	988	1012
4	पलारी	1181	716	1086
5	छिड़िया	714	500	967
6	डोरली छतरपुर	1014	892	948
7	बोरदई	979	1245	955
8	खैरी	837	773	781
9	सिमरिया	911	1167	800
10	मरझोर	1192	563	752
11	बम्होड़ी	740	960	918
12	लखनवाड़ा	1083	1056	800
13	कोनियापार	933	839	609
14	परतापुर	923	844	882
15	लोनिया	1034	622	528
16	लुघरवाड़ा	947	887	791
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		997	898	908
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		958	887	904




## सारणी 3.20 वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात

Ward Wise Child Sex Ratio (Minimum Value-727 Maximum Value-1351)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	700-800	01	2
2	800-900	11	1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 24
3	900-1000	9	4, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 23
4	>1000	3	8, 9, 16

स्त्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## आरेख 3.3 शिशु लिंगानुपात



## 3.5.4 साक्षरता

साक्षरता प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में से एक है जो किसी भी क्षेत्र के विकास पथ की रूपरेखा तैयार करने में सहायक है। सिवनी निवेश क्षेत्र की साक्षरता दर 88.30 है। निवेश क्षेत्र अंतर्गत, सिवनी ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 78.6 है तथा सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की साक्षरता दर 90.46 है। पिछले दशक की तुलना में, 2011 में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में यह देखा गया है कि सिवनी निवेश क्षेत्र के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी निवेश क्षेत्र में कुल साक्षरों की संख्या 98896 है जिसमें साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं की संख्या क्रमशः 53258 और 45638 है। वर्ष 2011 में निवेश क्षेत्र में साक्षरता दर 88.30 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 93.16 और 83.22 प्रतिशत थी। सिवनी निवेश क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरुष

## सिवनी विकास योजना | 2035

एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 14.11 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 9.94 प्रतिशत हो गया।


जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में कुल साक्षरों की संख्या 82858 है जिसमें साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं की संख्या क्रमशः 44236 और 38622 है। वर्ष 2011 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में साक्षरता दर 90.46 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 94.71 और 86.03 प्रतिशत थी। सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 12.78 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 8.68 प्रतिशत हो गया।

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में कुल साक्षरों की संख्या 16038 है जिसमें साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं की संख्या क्रमशः 9022 और 7016 है। वर्ष 2011 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर 78.60 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 86.24 और 70.56 प्रतिशत थी। सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 21.76 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 15.68 प्रतिशत हो गया।

जनगणना 2011 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की साक्षरता दर से कम है। निवेश क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता दर 90.46 प्रतिशत, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में दर्ज की गयी है। निवेश क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता दर 65.91 प्रतिशत, बिटली में दर्ज की गयी है। निवेश क्षेत्र में महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर से कम है। इसलिये, महिला साक्षरता दर में वृद्धि के लिये अधिक ध्यान देना होगा।

आरेख 3.4 साक्षरता दर





## सिवनी विकास योजना 2035

## सारणी 3.21 साक्षर जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या	साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	37490	30643	68133	44236	38622	82858
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	807	505	1312	872	723	1595
2	मानेगाँव	230	165	395	337	286	623
3	बिटली	267	161	428	351	233	584
4	पलारी	370	261	631	639	515	1154
5	छिड़िया	92	70	162	152	113	265
6	डोरली छतरपुर	965	663	1628	1609	1215	2824
7	बोरदई	401	291	692	660	545	1205
8	खैरी	464	279	743	585	393	978
9	सिमरिया	215	144	359	247	192	439
10	मरझोर	294	254	548	801	703	1504
11	बम्होड़ी	315	200	515	382	291	673
12	लखनवाड़ा	450	286	736	465	335	800
13	कोनियापार	132	74	206	138	95	233
14	परतापुर	214	156	370	509	413	922
15	लोनिया	181	143	324	250	172	422
16	लुघरवाड़ा	858	574	1432	1025	792	1817
ग्रामीण क्षेत्र		6255	4226	10481	9022	7016	16038
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>43745</b>	<b>34869</b>	<b>78614</b>	<b>53258</b>	<b>45638</b>	<b>98896</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.22 साक्षरता दर

क्रमांक	क्षेत्र	साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	80.57	86.95	90.46
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बींझावाड़ा	60.86	78.70	81.01
2	मानेगाँव	39.76	69.79 <sup>1</sup>	77.49
3	बिटली	38.44	62.85	65.91
4	पलारी	45.85	72.03	76.32
5	छिड़िया	40.26	55.29	72.01
6	डोरली छतरपुर	53.02	70.66	75.79
7	बोरदई	37.95	67.12	80.44
8	खैरी	47.92	72.42	77.37
9	सिमरिया	54.72	66.85	73.04
10	मरझोर	53.45	86.71	88.42
11	बम्हांडी	58.72	74.53	79.18
12	लखनवाड़ा	56.92	72.66	74.21
13	कोनियापार	46.09	69.36	70.82
14	परतापुर	58.94	72.55	82.62
15	लोनिया	62.94	71.52	80.23
16	लुघरवाड़ा	64.32	78.34 <sup>1</sup>	83.46
ग्रामीण क्षेत्र		53.03	72.76	78.60
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>76.41</b>	<b>84.75</b>	<b>88.30</b>

स्त्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011


## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.23 पुरुष साक्षरता दर

क्रमांक	क्षेत्र	पुरुष साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	89.02	93.17	94.71
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बींझावाड़ा	75.77	88.58	88.17
2	मानेगाँव	51.18	79.31	83.21
3	बिटली	50.51	74.58	75.97
4	पलारी	56.62	84.09	84.30
5	छिड़िया	50.43	62.59	77.16
6	डोरली छतरपुर	65.01	79.03	83.80
7	बोरदई	50.89	76.67	86.84
8	खैरी	62.77	85.14	87.84
9	सिमरिया	72.12	79.63	84.30
10	मरझोर	71.64	93.33	92.71
11	बम्होड़ी	78.53	86.54	87.41
12	लखनवाड़ा	74.19	85.23	84.55
13	कोनियापार	59.66	83.02	78.41
14	परतापुर	73.18	84.25	90.25
15	लोनिया	71.26	80.80	89.93
16	लुघरवाड़ा	78.45	88.18	89.75
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		67.27	83.16	86.24
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>85.78</b>	<b>91.59</b>	<b>93.16</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## आरेख 3.5 पुरुष साक्षरता दर






## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.24 महिला साक्षरता दर

क्रमांक	क्षेत्र	महिला साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	71.41	80.39	86.03
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बींझावाड़ा	45.23	66.80	73.78
2	मानेगाँव	27.39	59.78	71.68
3	बिटली	26.28	49.85	54.95
4	पलारी	35.46	59.86	68.30
5	छिड़िया	29.82	47.95	66.08
6	डोरली छतरपुर	40.00	61.22	67.28
7	बोरदई	24.54	57.28	73.85
8	खैरी	32.33	58.00	65.72
9	सिमरिया	37.96	53.93	62.34
10	मरहोर	36.17	80.13	83.99
11	बम्होड़ी	39.02	61.16	70.46
12	लखनवाड़ा	38.07	58.97	63.45
13	कोनियापार	31.53	53.62	62.09
14	परतापुर	44.69	60.94	74.82
15	लोनिया	54.22	62.45	69.35
16	लुघरवाड़ा	48.25	67.13	76.52
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		<b>38.13</b>	<b>61.40</b>	<b>70.56</b>
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>66.31</b>	<b>77.48</b>	<b>83.22</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## आरेख 3.6 महिला साक्षरता दर




## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.25 पुरुष-महिला साक्षरता दर में अन्तर

क्रमांक	क्षेत्र	1991	2001	2011
1	2	3	4	5
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	17.61	12.78	8.68
2	ग्रामीण क्षेत्र	29.14	21.76	15.68
3	सिवनी निवेश क्षेत्र	19.47	14.11	9.94

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## सारणी 3.26 पुरुष-महिला साक्षरता दर में अन्तर



स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## सारणी 3.27 वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या

Ward Wise Literacy (Minimum Value-72 Maximum Value-88)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	72-73	2	19, 22
2	73-80	9	7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23
3	80-82	5	1, 3, 6, 9, 20
4	82-85	4	4, 10, 14, 24
5	85-88	4	2, 8, 5, 11

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## 3.5.5 अनुसूचित जाति

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13830 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 14169 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 2.45 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में

## सिवनी विकास योजना | 2035

अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.95 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 11.27 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9770 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10690 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 9.42 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 10.88 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 10.45 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4060 थी जो वर्ष 2011 में घटकर 3479 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 14.31 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 23.84 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 14.90 प्रतिशत हो गयी है।

## सारणी 3.28 अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत)

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत	अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत	अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत	अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत	अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत	अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	10.78	10.98	10.88	10.47	10.42	10.45
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	34.48	31.00	32.88	5.63	5.80	5.71
2	मानेंगाँव	31.63	29.01	30.34	29.67	30.75	30.21
3	बिटली	1.37	1.74	1.55	0.73	1.18	0.95
4	पलारी	12.15	10.32	11.26	18.06	18.25	18.16
5	छिड़िया	3.74	4.22	3.97	4.41	5.00	4.68
6	डोरली छतरपुर	4.62	4.29	4.47	6.18	6.23	6.20
7	बोरदई	10.21	9.44	9.82	9.40	8.05	8.74
8	खैरी	12.15	12.59	12.35	14.70	12.93	13.87
9	सिमरिया	20.92	20.71	20.81	22.70	24.15	23.43
10	मरझोर	19.75	19.61	19.68	14.39	15.67	15.01
11	बम्होड़ी	9.11	10.78	9.90	7.03	7.68	7.34

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत	अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत	अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत	अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत	अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत	अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
12	लखनवाड़ा	66.02	65.86	65.94	67.56	70.13	68.81
13	कोनियापार	10.53	15.24	12.71	10.05	12.57	11.20
14	परतापुर	7.36	6.46	6.91	14.38	12.12	13.26
15	लोनिया	52.11	51.59	51.85	19.75	24.34	21.86
16	लुघरवाड़ा	55.30	56.22	55.73	16.71	16.51	16.61
ग्रामीण क्षेत्र		24.10	23.55	23.84	14.79	15.01	14.90
सिवनी निवेश क्षेत्र		12.93	12.96	12.95	11.28	11.27	11.27

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सारणी 3.29 अनुसूचित जाति की जनसंख्या


क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	4994	4776	9770	5481	5209	10690
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	360	275	635	63	65	128
2	मानेगाँव	105	94	199	135	139	274
3	बिटली	6	7	13	4	6	10
4	पलारी	65	52	117	160	163	323
5	छिड़िया	7	7	14	10	10	20
6	डोरली छतरपुर	68	56	124	139	132	271


## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
7	बोरदई	63	59	122	82	68	150
8	खैरी	78	70	148	112	87	199
9	सिमरिया	64	64	128	79	85	164
10	मरझोर	78	71	149	140	144	284
11	बम्होड़ी	40	43	83	35	36	71
12	लखनवाड़ा	408	382	790	429	418	847
13	कोनियापार	20	25	45	20	21	41
14	परतापुर	22	19	41	92	75	167
15	लोनिया	136	130	266	62	65	127
16	लुघरवाड़ा	626	560	1186	214	189	403
ग्रामीण क्षेत्र		2146	1914	4060	1776	1703	3479
सिवनी निवेश क्षेत्र		7140	6690	13830	7257	6912	14169

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

आरेख 3.7 अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत)





## सिवनी विकास योजना | 2035

**3.5.6 अनुसूचित जनजाति**

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8232 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10275 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 24.82 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 7.71 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 8.17 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5870 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 7123 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 21.35 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 6.54 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 6.96 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2362 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 3152 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 33.45 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.87 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 13.50 प्रतिशत हो गयी है।

**सारणी 3.30 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत)**

क्रमांक	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	6.32	6.77	6.54	6.80	7.13	6.96
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	11.59	9.02	10.41	13.85	15.25	14.55
2	मानेगाँव	20.78	17.59	19.21	19.34	17.92	18.63
3	बिटली	53.42	53.48	53.45	55.86	57.37	56.59
4	पलारी	35.14	36.51	35.80	31.94	31.24	31.59
5	छिड़िया	42.25	41.57	41.93	38.77	37.50	38.17
6	डोरली छतरपुर	11.28	12.25	11.74	9.82	9.44	9.64
7	बोरदई	12.16	10.56	11.35	11.01	10.53	10.77
8	खैरी	8.41	8.81	8.60	9.06	8.62	8.85
9	सिमरिया	24.51	27.83	26.18	20.69	21.31	21.00

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
10	मरझोर	2.53	3.04	2.77	5.04	4.68	4.86
11	बम्होड़ी	0.23	0	0.12	1.00	0.21	0.62
12	लखनवाड़ा	5.99	7.07	6.51	4.41	3.36	3.90
13	कोनियापार	1.58	1.22	1.41	4.02	4.79	4.37
14	परतापुर	11.37	10.54	10.96	9.69	10.50	10.09
15	लोनिया	2.68	3.17	2.92	3.18	3.37	3.27
16	लुघरवाड़ा	6.98	7.13	7.05	6.17	5.94	6.06
ग्रामीण क्षेत्र		13.83	13.91	13.87	13.48	13.52	13.5
सिवनी निवेश क्षेत्र		7.53	7.89	7.71	8.05	8.31	8.17

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सारणी 3.31 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	2927	2943	5870	3560	3563	7123
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	121	80	201	155	171	326
2	मानेगाँव	69	57	126	88	81	169
3	बिटली	234	215	449	305	292	597
4	पलारी	188	184	372	283	279	562
5	छिड़िया	79	69	148	88	75	163
6	डोरली छतरपुर	166	160	326	221	200	421
7	बोरदई	75	66	141	96	89	185
8	खैरी	54	49	103	69	58	127
9	सिमरिया	75	86	161	72	75	147
10	मरझोर	10	11	21	49	43	92
11	बम्होड़ी	1	0	1	5	1	6




## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
12	लखनवाड़ा	37	41	78	28	20	48
13	कोनियापार	3	2	5	8	8	16
14	परतापुर	34	31	65	62	65	127
15	लोनिया	7	8	15	10	9	19
16	लुधरवाड़ा	79	71	150	79	68	147
ग्रामीण क्षेत्र		1232	1130	2362	1618	1534	3152
सिवनी निवेश क्षेत्र		4159	4073	8232	5178	5097	10275

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## आरेख 3.8 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत)



## सारणी 3.32 वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

Ward Wise SC/ST Population (Minimum Value-1 Maximum Value-37)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	1 - 5	7	8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
2	6-10	4	13, 16, 23, 24
3	11-20	4	2, 5, 17, 20
4	21-30	7	1, 3, 4, 6, 7, 18, 21
5	31-40	2	19, 22

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

### 3.5.7 कार्यशील जनसंख्या

रोजगार के विभिन्न संसाधनों के राष्ट्रीय वर्गीकरण के आधार पर नगर में निवासरत कार्यशील जनसंख्या के गुणात्मक प्रभाव की विवेचना की जाती है, जिसके तहत कृषि एवं उस पर आधारित/आश्रित श्रमिक गृह उद्योग एवं उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा व्यापार/व्यवसाय एवं सेवा में कार्यरत श्रमिक को समाहित किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार श्रमिकों को काश्तकार, कृषि श्रमिक, घरेलू उद्योग श्रमिक एवं अन्य श्रमिक की श्रेणियों में बाँटा गया है। इन श्रेणियों की परिभाषा नीचे उल्लिखित है।

- काश्तकार : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो व्यक्ति सरकारी, निजी कृषि भूमि या संस्थान की भूमि पर कृषि करता हो एवं बदले में वह भू-स्वामी को पैसे या कृषि उत्पाद हिस्से के स्वरूप में भुगतान करता हो उसे काश्तकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- कृषि श्रमिक : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जो व्यक्ति पैसा या हिस्से के लिये किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर श्रम करता हो उसे कृषि श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- घरेलू उद्योग श्रमिक : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जो उद्योग घर के भीतर या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा केवल घर के परिसर के भीतर आयोजित किया जाता है उसे घरेलू उद्योग कहते हैं। घरेलू उद्योग में श्रमिकों के बड़े अनुपात में परिवार के सदस्य होते हैं। यह उद्योग पंजीकृत कारखाने के पैमाने पर नहीं चलता है।
- अन्य श्रमिक : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, इस श्रेणी में सरकारी कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के कर्मचारी, वृक्षारोपण कार्यकर्ता, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारियों, मनोरंजन कलाकारों को सम्मिलित किया गया है।

श्रमजीवी जनसंख्या (कामकाजी जनसंख्या) और कार्य भागीदारी दर किसी भी क्षेत्र के व्यावसायिक वितरण को उजागर करती है। वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या 31753 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 43678 हो गई है। पिछले दशक में सिवनी निवेश क्षेत्र में श्रमिक बल वृद्धि दर 37.56 प्रतिशत था। वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर 29.72 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 34.75 हो गई है।

वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या 25080 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 34190 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में श्रमिक बल वृद्धि दर 36.32 प्रतिशत था। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर 27.93 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 33.41 हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या 6673 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 9488 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक वृद्धि दर 42.18

## सिवनी विकास योजना | 2035

प्रतिशत था। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर 39.18 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 40.63 हो गयी है।

## सारणी 3.33 श्रमिक भागीदारी अनुपात

क्रमांक	क्षेत्र	व्यक्तियों का कार्य भागीदारी दर	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	27.93	33.41
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	36.10	37.46
2	मानेगाँव	44.05	44.65
3	बिटली	47.02	51.66
4	पलारी	32.53	44.97
5	छिड़िया	38.53	52.69
6	डोरली छतरपुर	27.66	41.27
7	बोरदई	36.71	47.79
8	खैरी	49.83	41.18
9	सिमरिया	53.33	43.57
10	मरझोर	35.54	33.99
11	बम्होड़ी	48.93	38.06
12	लखनवाड़ा	44.16	36.56
13	कोनियापार	52.82	36.07
14	परतापुर	51.94	40.83
15	लोनिया	33.92	35.97
16	लुघरवाड़ा	37.22	34.91
ग्रामीण क्षेत्र		39.18	40.63
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>29.72</b>	<b>34.75</b>


स्त्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सिवनी विकास योजना | 2035


## सारणी 3.34 श्रमिक बल वृद्धि दर

क्रमांक	क्षेत्र	श्रमिक बल वृद्धि दर
1	2	3
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>		
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	36.32
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		
1	बींझावाड़ा	20.37
2	मानेगाँव	40.14
3	बिटली	37.97
4	पलारी	136.69
5	छिड़िया	65.44
6	डोरली छतरपुर	134.77
7	बोरदई	78.07
8	खैरी	-1.01
9	सिमरिया	-7.01
10	मरझोर	139.03
11	बम्होड़ी	-10.24
12	लखनवाड़ा	-14.93
13	कोनियापार	-29.41
14	परतापुर	66.88
15	लोनिया	20.11
16	लुघरवाड़ा	6.94
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		42.18
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>37.56</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011



आरेख 3.9 श्रमिक भागीदारी (प्रतिशत)



वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र काशतकार 6.41 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में घटकर 3.77 प्रतिशत हो गये। वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र में कृषि श्रमिक 6.59 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 6.63 प्रतिशत हो गये। वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र में गृह उद्योग श्रमिक 3.84 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में घटकर 3.40 प्रतिशत हो गये। वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र में अन्य श्रमिक 83.16 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 86.20 प्रतिशत हो गये। उक्त आकड़ों से यह संज्ञान में आता है की, श्रमिकों का रुझान प्राथमिक सेक्टर से द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर की ओर बढ़ रहा है।

सारणी 3.35 सेक्टरवार श्रमिक बल का विवरण (प्रतिशत)


क्रमांक	क्षेत्र	कुल काशतकार	कुल कृषि श्रमिक	कुल गृह उद्योग श्रमिक	कुल अन्य श्रमिक	कुल श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>						
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	1.13	2.04	3.64	93.19	100
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>						
1	बींझावाड़ा	17.16	19.31	1.43	62.10	100
2	मानेगाँव	8.40	14.81	0.49	76.30	100
3	बिटली	4.40	61.28	0.55	33.77	100
4	पलारी	4.38	12.50	2.25	80.87	100
5	छिड़िया	17.33	11.11	2.67	68.89	100
6	डोरली छतरपुर	4.71	12.15	2.50	80.64	100

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	क्षेत्र	कुल काश्तकार	कुल कृषि श्रमिक	कुल गृह उद्योग श्रमिक	कुल अन्य श्रमिक	कुल श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7
7	बोरदई	12.68	16.75	4.19	66.38	100
8	खैरी	15.06	49.41	7.61	27.92	100
9	सिमरिया	30.16	23.61	0.33	45.90	100
10	मरझोर	5.44	6.53	3.89	84.14	100
11	बम्होड़ी	22.01	61.96	0.82	15.21	100
12	लखनवाड़ा	27.56	26.89	0.67	44.88	100
13	कोनियापार	42.42	37.88	0.00	19.70	100
14	परतापुर	19.07	35.60	0.00	45.33	100
15	लोनिया	29.67	21.53	1.91	46.89	100
16	लुघरवाड़ा	18.89	14.88	4.60	61.63	100
	ग्रामीण क्षेत्र	13.29	23.13	2.53	61.05	100
	सिवनी निवेश क्षेत्र	3.77	6.63	3.40	86.20	100

स्रोत: भारत की जनगणना 2001

### आरेख 3.10 सेक्टरवार श्रमिक बल का वितरण (प्रतिशत)



वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र तथा सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में क्रमश 78.98 और 21.02 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत थे। लेकिन, वर्ष 2011 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या घटकर 78.28 प्रतिशत हो गयी और सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़कर 21.72 प्रतिशत हो गयी।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.36 श्रमिक जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	2001					2011				
		कुल काश्तकार	कुल कृषि श्रमिक	कुल गृह उद्योग श्रमिक	कुल अन्य श्रमिक	कुल श्रमिक	कुल काश्तकार	कुल कृषि श्रमिक	कुल गृह उद्योग श्रमिक	कुल अन्य श्रमिक	कुल श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>											
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	179	230	1109	23562	25080	387	699	1244	31860	34190
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>											
1	बींझापाड़ा	219	198	6	274	697	144	162	12	521	839
2	गानेगाँव	60	167	0	62	289	34	60	2	309	405
3	बिटली	67	134	4	190	395	24	334	3	184	545
4	पलारी	24	79	1	234	338	35	100	18	647	800
5	छिड़िया	35	17	0	84	136	39	25	6	155	225
6	डोरली छतरपुर	49	50	2	667	768	85	219	45	1454	1803
7	बोरदई	93	84	14	265	456	103	136	34	539	812
8	खैरी	228	207	3	159	597	89	292	45	165	591
9	सिमरिया	130	141	3	54	328	92	72	1	140	305
10	मरझोर	29	64	16	160	269	35	42	25	541	643
11	बम्होड़ी	221	150	0	39	410	81	228	3	56	368
12	लखनवाड़ा	211	109	29	180	529	124	121	3	202	450
13	कोनियापार	122	56	1	8	187	56	50	0	26	132
14	परतापुर	131	145	4	28	308	98	183	0	233	514
15	लोनिया	65	62	5	42	174	62	45	4	98	209
16	लुघरवाड़ा	172	201	22	397	792	160	126	39	522	847
ग्रामीण क्षेत्र		1856	1864	110	2843	6673	1261	2195	240	5792	9488
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>2035</b>	<b>2094</b>	<b>1219</b>	<b>26405</b>	<b>31753</b>	<b>1648</b>	<b>2894</b>	<b>1484</b>	<b>37652</b>	<b>43678</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011



## सिवनी विकास योजना | 2035

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात 86.79 था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 87.16 हो गया।

## सारणी 3.37 कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत)

क्रमांक	क्षेत्र	कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	90.90	90.49
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	83.64	92.97
2	मानेगाँव	55.71	94.57
3	बिटली	75.44	35.96
4	पलारी	76.04	77.75
5	छिड़िया	52.21	87.11
6	डोरली छतरपुर	70.70	71.05
7	बोरदई	77.63	45.20
8	खैरी	50.42	36.89
9	सिमरिया	51.52	98.36
10	मरझोर	66.91	88.96
11	बम्होड़ी	69.51	92.93
12	लखनवाड़ा	61.06	99.78
13	कोनियापार	100.00	61.36
14	परतापुर	99.68	76.46
15	लोनिया	81.03	95.69
16	लुघरवाड़ा	75.76	88.67
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		71.33	75.16
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>86.79</b>	<b>87.16</b>

स्त्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में कुल श्रमिकों की तुलना में सीमांत श्रमिकों का अनुपात 13.21 था जो वर्ष 2011 में घटकर 12.84 हो गया।

## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी 3.38 कुल श्रमिकों की तुलना में सीमांत श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत)

क्रमांक	क्षेत्र	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	9.10	9.51
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	16.36	7.03
2	मानेगाँव	44.29	5.43
3	बिटली	24.56	64.04
4	पलारी	23.96	22.25
5	छिड़िया	47.79	12.89
6	डोरली छतरपुर	29.30	28.95
7	बोरदई	22.37	54.80
8	खैरी	49.58	63.11
9	सिमरिया	48.48	1.64
10	मरझोर	33.09	11.04
11	बम्होड़ी	30.19	7.07
12	लखनवाड़ा	38.94	0.22
13	कोनियापार	0.00	38.64
14	परतापुर	0.32	23.54
15	लोनिया	18.97	4.31
16	लुघरवाड़ा	24.24	11.33
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		<b>28.67</b>	<b>24.84</b>
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>13.21</b>	<b>12.84</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में पुरुष कार्य भागीदारी दर 45.81 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 52.54 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में पुरुष कार्य भागीदारी दर 45.11 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 51.84 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष कार्य भागीदारी दर 49.40 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 55.58 प्रतिशत हो गया।

## सिवनी विकास योजना | 2035


## सारणी 3.39 कामकाजी पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात

क्रमांक	क्षेत्र	कामकाजी पुरुष कार्य भागीदारी अनुपात	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	45.11	51.84
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	43.77	55.05
2	मानेगाँव	51.20	60.66
3	बिटली	53.42	57.88
4	पलारी	46.54	58.58
5	छिड़िया	52.41	60.79
6	डोरली छतरपुर	43.03	54.80
7	बोरदई	51.38	58.37
8	खैरी	53.43	54.07
9	सिमरिया	56.21	56.61
10	मरझोर	48.10	52.11
11	बम्होड़ी	53.53	54.62
12	लखनवाड़ा	53.72	55.28
13	कोनियापार	49.47	52.26
14	परतापुर	56.52	54.38
15	लोनिया	48.66	52.55
16	लुघरवाड़ा	51.24	55.35
ग्रामीण क्षेत्र		49.40	55.58
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>45.81</b>	<b>52.54</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011


## सिवनी विकास योजना | 2035

आरेख 3.11 पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात



वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में महिला कार्य भागीदारी दर 12.52 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 16.08 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में महिला कार्य भागीदारी दर 9.63 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 14.10 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में महिला कार्य भागीदारी दर 27.97 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में घटकर 24.82 प्रतिशत हो गया। निवेश क्षेत्र में पुरुष समकक्ष की तुलना में महिला कार्य भागीदारी दर बहुत कम है।

आरेख 3.12 महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात



## सिवनी विकास योजना | 2035


## सारणी 3.40 कामकाजी महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात

क्रमांक	क्षेत्र	कामकाजी महिला कार्य भागीदारी अनुपात	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	9.63	14.10
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	27.06	19.89
2	मानेगाँव	36.73	28.54
3	बिटली	40.05	44.99
4	पलारी	17.66	31.47
5	छिड़िया	22.89	43.50
6	डोरली छतरपुर	10.34	26.90
7	बोरदई	22.24	35.86
8	खैरी	45.68	26.60
9	सिमरिया	50.49	30.68
10	मरझोर	21.82	14.80
11	वाहोड़ी	43.86	20.47
12	लखनवाडा	33.97	16.61
13	कोनियापार	56.71	16.77
14	परतापुर	47.28	26.82
15	लोनिया	18.65	16.48
16	लुघरवाड़ा	21.29	12.05
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		<b>27.97</b>	<b>24.82</b>
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>12.52</b>	<b>16.08</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सारणी 3.41 वार्ड अनुसार श्रमिकों की भागीदारी

Ward Wise Work Participation (Minimum Value-28 Maximum Value-38)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	25-28	1	10
2	28-31	2	9, 23
3	31-33	13	1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24
5	33-35	2	3, 4
4	35-37	6	5, 7, 11, 16, 19, 22



### 3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप

सिवनी नगर जिला मुख्यालय होने के कारण जिला स्तरीय प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है, जहां राज्य शासन के विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय है। इसके साथ ही नगर शैक्षणिक गतिविधियों का भी केंद्र है।

नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति ही नियोजन का मुख्य लक्ष्य है। आर्थिक संसाधनों के कुशलतम भू-उपयोग में नगर नियोजन की आवश्यकता अनिवार्य होती है। उदार आर्थिक नीतियों तथा वैश्वीकरण के फलस्वरूप नगरीय व्यवस्था में तेजी से आ रहे बदलावों के परिप्रेक्ष्य में नगर के निम्न मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक है—

1. जिला मुख्यालय स्तरीय प्रशासकीय केन्द्र ।
2. कृषि उत्पाद संबंधी व्यापार वाणिज्यिक केन्द्र ।
3. क्षेत्रीय स्तरीय शैक्षणिक केन्द्र ।
4. जिला स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र ।
5. वनोपज आधारित केन्द्र ।

### 3.7 नगरीय विस्तार

सिवनी निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम का विश्लेषण अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3.42 में स्पष्ट है।

सारणी 3.42 नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	2006 तक	313.28
2.	2006-2008	397.76
3.	2008-2019	749.32
	कुल	1460.36

वर्ष 2006 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः सिवनी के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित थी, किन्तु वर्ष 2006-2019 की समयावधि में नगर विस्तार छिंदवाड़ा, जबलपुर, नागपुर एवं बालाघाट मार्ग के आस-पास के क्षेत्र में हुआ है।

### 3.8 गंदी बस्तियाँ

सिवनी में गंदी बस्तियों में 7,444 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तथा 7,444 परिवार निवास करते हैं। इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 33.16 प्रतिशत है।

### 3.9 अनुमानित जनसंख्या


सिवनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1991 में 76566 थी, जो 2001 में 106833 तथा 2011 में बढ़कर 125694 हो गई। जनसंख्या परिवर्तन का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 3.43 जनसंख्या परिवर्तन

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या
1	2	3
1	1901	11864
2	1911	13839
3	1921	12772
4	1931	16081
5	1941	20570
6	1951	25024
7	1961	30274
8	1971	38396
9	1981	54017
10	1991	76566
11	2001	106833
12	2011	125694

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

आरेख 3.13 जनसंख्या परिवर्तन





## सिवनी विकास योजना | 2035


नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। सिवनी नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु, वर्ष 1991 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई, एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, इंक्रीमेंटल वृद्धि पद्धति, घातांकीय वृद्धि पद्धति एवं सी.ए.जी.आर वृद्धि पद्धति द्वारा की गई।

## सारणी 3.44 जनसंख्या प्रक्षेपण

वर्ष	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	इंक्रीमेंटल वृद्धि पद्धति	घातांकीय वृद्धि पद्धति	सी.ए.जी.आर वृद्धि पद्धति
1	2	3	4	5	6
2021	150258	161633	159689	167298	157283
2031	174822	207848	108728	226043	195522
2035	184648	237563	213676	256243	241928

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

## आरेख 3.14 जनसंख्या प्रक्षेपण



### सिवनी विकास योजना | 2035

अतः अनुमानित जनसंख्या हेतु अधिकतम जनसंख्या 2,56,243 घातांकीय वृद्धि पद्धति का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित की गई है, जिसके आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या 2.50 लाख, अनुमानित करते हुये विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

#### 3.10 आवास आवश्यकता

वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 22,448 परिवार 13,665 आवासों में निवास करते हैं। इस आधार पर परिवार का आकार 4.60 व्यक्ति आता है जबकि प्रति आवास व्यक्तियों की औसत संख्या 7.50 आती है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 9,079 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है। इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है।

वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की गन्दी बस्ती में 7,444 परिवार हैं। सारणी 3.45 में जनगणना 2011 अनुसार कुल आवास आवश्यकता की विस्तृत जानकारी दर्शित है।

सारणी 3.45 वर्ष 2011 अनुसार आवास आवश्यकता

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	2	3
1	वर्ष 2011 में आवासों की कमी	9,079
2	गंदी बस्ती क्षेत्र एवं जीर्ण-शीर्ण आवास	7,444
<b>योग</b>		<b>16,523</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान आवासों की कुल संख्या 18,227 हैं। वर्ष 2035 के लिये परिवार आकार 4.50 मानकर सिवनी निवेश क्षेत्र में अतिरिक्त 44,413 आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.46 निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आवासों की मांग

क्र.	विवरण	आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	
		2011	2035
1	2	3	4
1	जनसंख्या	102343	2,50,000
2	अतिरिक्त जनसंख्या	-	1,47,657
3	औसत परिवार आकार	4.6	4.5
4	अतिरिक्त परिवार	-	32,813
5	वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता	-	29,531
6	वर्ष 2011 की आवास आवश्यकता को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता	16,532	46,063
7	वर्ष 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास	-	4,562
8	वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास को घटाकर आवास आवश्यकता	-	41,501
9	निवास योग्य रहवासी इकाईयों (18227) की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना	-	2,912
<b>कुल आवास आवश्यकता</b>			<b>44,413</b>

स्रोत.—सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 'भारत की जनगणना 2011'

## 3.11 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक सिवनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.50 लाख तक पहुंचना अनुमानित है। नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना है।

## 3.11.1 जल प्रदाय

सिवनी नगर में वर्तमान स्थिति के अनुसार जल प्रदाय का प्रमुख जल स्रोत भीममगढ़ जलाशय (डैम) एवं बावरिया जलाशय (तालाब) हैं। नगर में जल प्रदाय हेतु पांच जल संग्रहण टंकिया उपलब्ध हैं, जिनकी कुल क्षमता 8.00 एम.एल.डी. है, जिसके माध्यम से शहर में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नल कूपों एवं कुओं से जल प्रदाय किया जाता है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**3.11.1.1 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्रोत (Demand & Gap Analysis)**

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय रास्ता अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फलस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :-

**सारणी 3.47 जल आपूर्ति आकलन**

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	जल आपूर्ति मात्रा (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन )	कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)
1	2	3	4	5
1	2011	1,02,343	135	13.81
2	2035	2,50,000	135	33.75


सिवनी नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु ग्राम बंडोल में 10.00 एम.एल.डी एवं बावरिया में 8.20 एम.एल.डी के जल शोधन संयंत्र स्थित है। अतः नगर में कुल 18.20 एम.एल.डी. शोधन क्षमता एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल जल संग्रहण क्षमता 8.00 एम.एल.डी. उपलब्ध है। जिसके अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 78 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की जल प्रदाय क्षमता है।

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए 8.00 एम.एल.डी की जल संग्रहण क्षमता अनुसार जल प्रदाय क्षमता मात्र 32 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होगी, जिसे बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय की सुविधा किए जाना प्रस्तावित है। जल प्रदाय सुविधा हेतु 25.75 एम.एल.डी की अतिरिक्त जल संग्रहण सुविधा एवं 15.55 एम.एल.डी की जल शोधन सुविधा को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

**3.11.1.2 जल वितरण व्यवस्था**

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे। वर्तमान में नगर लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है। वर्तमान की अवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्ता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

पेयजल के दुरुपयोग का रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त



## सिवनी विकास योजना | 2035

जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे। जल दरों की व्यवस्था का निर्माण दक्षताओं हेतु आवश्यक है।

**3.11.2 नालियां तथा मल उपचार**

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक-पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:-

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी।
3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुर्नचक्रीकरण व पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय।
5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित-शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर)/ जैविक शौचालय की व्यवस्था।
6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होंगी।

**3.11.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह**

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू-जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

- **फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट**

सिवनी नगर में शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रबंधन/उपचार के लिए ग्राम सिवनी में 72 के0एल0डी0 की क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट केवल घरों के शौचालय/सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल एवं अपशिष्ट जल के उपचारण हेतु उपयोगी है। इसके द्वारा सामान्यतः अपशिष्ट जल का उपचारण नहीं किया जाता है, जो कि अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत होता है।

वर्तमान में शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अपशिष्ट जल, अनुपचारित ही नालियों के माध्यम से बड़े नालों में प्रवाहित हो रहा है। अतः

## सिवनी विकास योजना | 2035

नगर के नियोजित विकास के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज प्रणाली का विकास किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु विकास योजना में ग्राम मरझोर में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के समीप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 2.50 लाख अनुसार 27 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है।

### 3.11.2 वर्षा जल निकासी

सिवनी शहर में स्थित पहाड़ियों के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी हो जाता है। शहर में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नगर के मध्य तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है। जिससे जल निकासी सुगमता से हो सके।


### 3.11.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर में प्रतिदिन लगभग 33 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठोस अपशिष्ट के विसर्जन हेतु ग्राम छिड़िया में लगभग 4 हेक्टेयर भूमि प्रशासन द्वारा नगरपालिका सिवनी को आवंटित की गई है। नगर पालिका सिवनी द्वारा इस भूमि को लेण्ड फिल साइट के रूप में उपयोग में लायी जाती है। नगर पालिका सिवनी द्वारा बैज्ञानिक तरीके से बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथक्कीकरण करके ठोस अपशिष्ट निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है।

सिवनी शहर से निकलने वाले कचरे को नगरपालिका की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ), को जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है।

सिवनी शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है—

- तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन सिवनी नगर पालिका द्वारा किया जाना चाहिये।





**3.11.4 विद्युत प्रदाय**

नगर में विद्युत वितरण ग्राम लुघरवाड़ा (एन.टी.पी.सी) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विद्युत पॉलिसी-2005 के मापदण्ड अनुसार वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या अनुसार एन.टी.पी.सी द्वारा विद्युत प्रदाय की क्षमता पर्याप्त है।

**3.12 सामाजिक अघोसंरचना****3.12.1 अग्निशमन**

सिवनी नगर का वर्तमान में अग्निशमन केंद्र नगर पालिका कार्यालय परिसर में स्थित है, जिसके द्वारा शहर में आगजनी की स्थिति को नियंत्रण किया जाता है। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन अग्निशमन केन्द्र सिवनी नगर पालिका द्वारा विकसित किया जाना एवं अग्निशमन वाहनों की संख्या में वृद्धि करना प्रस्तावित है।

**3.12.2 पुलिस कार्यालय**

सिवनी नगर में मुख्यतः 3 पुलिस थाने स्थित हैं जो की क्रमशः ग्राम सिवनी रैयत में नगर पालिका के समीप, ग्राम झूंडासिवनी एवं ग्राम लखनवाड़ा में स्थित हैं। एक अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु पुलिस थाना बालाघाट मार्ग पर स्थित है। वर्तमान में शहर के अंदर यातायात पुलिस कार्यालय/थाना उपलब्ध ना होने के कारण यातायात पुलिस कार्यालय/थाना निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

**3.12.3 वाचनालय**

नगर में 02 वाचनालय संचालित हैं। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन वाचनालय विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

**3.12.4 शमशान घाट /कब्रिस्तान**

वर्तमान में नगर में शमशान घाट एवं कब्रिस्तान कटंगी मार्ग पर ग्राम डोरली छतरपुर में स्थित है। साथ ही मविष्य में शमशान घाट/कब्रिस्तान प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

**3.12.5 धोबी घाट**

नगर में वर्तमान में धोबी घाट दलसागर तालाब एवं मठ मंदिर तालाब में संचालित है, जिसके तालाबों का जल प्रदूषित होता है। अतः इस समस्या के निदान हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा सूखा तालाब का विकास धोबी घाट के रूप में किया जा सकता है।

**3.12.6 दूरसंचार**


सिवनी नगर में दूरसंचार के साधन में विभिन्न कम्पनियों के कुल 89 (बी.एस.एन. एल., आईडिया, ऐयरटेल, रिलायंस) मोबाईल टॉवर स्थापित हैं। जो शहर में सुचारु रूप से संचार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त नगर में 08 डाक घर एवं 02 दूरभाष केंद्र हैं।


**3.12.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं**

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है।

**3.12.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा**

वर्तमान में सिवनी नगर में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है। प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है।





## अध्याय-4 प्रस्तावित भूमि उपयोग

भूमि उपयोग योजना को नगरीय और ग्रामीण समुदायों के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक दक्षता, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भूमि, संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं के वैज्ञानिक, कलात्मक, और व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

भूमि उपयोग योजना का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये सुविधाजनक, न्याय संगत, स्वस्थ, कुशल और आकर्षक वातावरण बनाकर लोगों और उनके समुदायों के कल्याण को आगे बढ़ाना है।

### 4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

सिवनी विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 1.75 लाख हेतु दिनांक 24.10.2008 से प्रभावशील की गई थी। भारत सरकार द्वारा सिवनी नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु वर्ष 2018 में चयन किया गया एवं सिवनी विकास योजना 2021 की समयावधि पूर्ण होने को है। अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

### 4.2 योजना अवधारणा

नगर का नैसर्गिक आकार नदी, नाले, पहाड़ एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तथा क्षेत्रीय मार्गों पर निर्भर करता है। नगर का वर्तमान विस्तार मुख्यतः सिवनी-बालाघाट मार्ग, सिवनी-कटंगी मार्ग, सिवनी-नागपुर मार्ग, एवं सिवनी-जबलपुर तथा सिवनी-छिन्दवाड़ा मार्ग के किनारे-किनारे है। नगर का विकास तथा मुख्य गतिविधियां भी इन मार्गों के आस-पास संचालित होती है। नगर का भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित होता है।

वर्तमान में छिन्दवाड़ा चौक, नगरपालिका चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, गणेश चौक, सब्जी मण्डी एवं कृषि उपज मण्डी नगर स्तरीय कार्यकलापों के केन्द्र है। मिश्रित भू-उपयोग के वर्तमान स्वरूप को भी विकास योजना में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय यातायात हेतु बाय-पास मार्ग का प्रस्ताव, स्टेडियम, उद्यान हेतु प्रस्ताव विकास योजना के प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है।

**सिवनी विकास योजना | 2035**

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह-संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का केन्द्रीकरण हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है।

**4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता**


सिवनी विकास योजना 2021 के अनुसार सिवनी निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2019 में जनसंख्या 1.50 लाख प्रक्षेपित की गई है, एवं वर्ष 2035 तक वृद्धिगत जनसंख्या 2.50 लाख अनुमानित की गई है।

विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, परिवहन एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्र में सम्मिलित हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। सिवनी हेतु 70 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व की अनुशंसा की जाती है। इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक सिवनी निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि कुल 2.5 लाख जनसंख्या (वर्ष 2035) के लिये आवश्यक होगी। सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है।

**4.4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव**

अतीत एवं वर्तमान जनसांख्यिकीय संरचना, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव, परिवहन तंत्र, भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना और भविष्य की जनसंख्या जैसे कारकों को ध्यान में रखकर सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये प्रस्तावित विकास योजना 2035 का भूमि उपयोग इस प्रकार तैयार किया गया है। सिवनी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित और मौजूदा भूमि उपयोग का ब्यौरा नीचे उल्लिखित है।



## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 4.1 सिवनी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र 2019			उच्चावचन/ निम्नावन	प्रस्तावित क्षेत्र 2035		
			क्षेत्रफल	प्रतिशत	उपयोगिता दर		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	आवासीय	1255.35	620.94	47.88%	5.36	634.41	1902.41	48.37%	7.61
2.	वाणिज्यिक	39.64	21.89	3.06%	0.34	17.75	41.76	1.06%	0.17
3.	मिश्रित	0.00	12.23	1.99%	0.22	-12.23	265.10	6.74%	1.06
4.	औद्योगिक	47.96	25.89	1.60%	0.18	22.07	261.34	6.65%	1.05
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	202.40	185.66	8.32%	0.93	16.74	416.67	10.59%	1.67
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	18.54	16.30	1.59%	0.18	2.24	24.10	0.61%	0.10
7.	आमोद-प्रमोद	488.95	147.97	9.91%	1.11	340.98	506.75	12.89%	2.03
8.	यातायात एवं परिवहन	487.38	429.48	25.65%	2.87	57.90	514.65	13.09%	2.06
<b>योग</b>		<b>2540.22</b>	<b>1460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>11.19</b>	<b>1079.86</b>	<b>3932.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>15.73</b>


स्रोत : जी.आई.एस. विश्लेषण

टीप:-

1. वर्ष 2019 की जनसंख्या 1,50,000 प्रक्षेपित करते हुए वर्तमान भूमि उपयोगिता दर की गणना की गई है।
2. वर्ष 2035 की प्रक्षेपित जनसंख्या 2,50,000 के अनुसार भूमि उपयोगिता दर की गणना की गई है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

आरेख 4.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग का प्रतिशत



#### 4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 1902.41 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 48.37 प्रतिशत है।

#### 4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 41.76 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 1.06 प्रतिशत है।

#### 4.4.3 मिश्रित

विगत वर्षों में नगरीय विकास के मूल्यांकन से यह परिलक्षित होता है कि मुख्य मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास होता है। नियोजन कि दृष्टि से इस प्रकार के उपयोग



## सिवनी विकास योजना | 2035

नगर विकास में गतिशील आयामों के लिए आधार भूत पर्यावरण उत्पन्न करते हैं; जिससे क्षेत्र में गतिशीलता रहती है।

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है, अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 265.10 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 6.74 प्रतिशत है।

उक्त हेतु विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग एम.आर. 1 पर पूर्व दिशा की ओर 60 मीटर, हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित बायपास मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग तक नगर की ओर 100 मीटर एवं नागपुर-जबलपुर तथा बालाघाट मार्ग पर मार्ग चौड़ाई के दो गुना मिश्रित भूमि उपयोग (विकास योजना मानचित्र के प्रस्ताव अनुसार) प्रस्तावित किया गया है।

#### 4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित एवं लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। औद्योगिक इकाईयों के लिए बबरिया मार्ग के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप एवं ग्राम बिठली में कुल 265.10 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 6.65 प्रतिशत है। ग्राम बिठली के प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के अंतर्गत 30 मीटर गहराई तक प्रस्तावित वृक्षारोपण सम्मिलित है।

#### 4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 416.67 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 10.59 प्रतिशत है।

#### 4.4.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 24.10 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.61 प्रतिशत है।

##### 4.4.6.1 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

वर्तमान में सिवनी नगर में अपशिष्ट जल प्रबंधन की सुविधा नहीं है। नगर के विकास एवं नागरिकों के भावी विकास के लिए ग्राम मरझोर में सीवेज ट्रीटमेंट हेतु लगभग 4 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**4.4.6.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल**

सिवनी नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम छिड़िया में ट्रेनिंग ग्राउण्ड प्रस्तावित किया गया है।

**4.4.7 आमोद प्रमोद**

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये सीमान्त क्षेत्र तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिये सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिये। अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना विकसित की गयी है। सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 506.75 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.89 प्रतिशत है।

**4.4.7.1 खुला स्थल प्रणाली**

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू-दृश्यीकरण विकास के साथ-साथ आमोद-प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है। योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकास गलियारों के साथ और वर्तमान भू-दृश्यीकरण उप आकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है।

**4.4.7.2 नगर उद्यान**

शहर में वर्तमान में एक नगरीय उद्यान (कम्पनी गार्डन) स्थित हैं। इसके अतिरिक्त एक नगर उद्यान के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव दिए गए हैं :-

1. ग्राम सिवनी खास में दल सागर के पीछे ।
2. ग्राम लखनवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगकर ।
3. ग्राम डूंडा सिवनी में रेलवे लाइन के समीप बालाघाट मार्ग पर ।
4. ग्राम डूंडा सिवनी में प्रस्तावित पर्यावरण वानिकी के समीप ।
5. ग्राम मरझोर में नागरपुर मार्ग के समीप ।
6. ग्राम सीरदीवान में बी.जे.पी कार्यालय के समीप ।
7. ग्राम डोरली छतरपुर में प्रस्तावित पर्यावरण वानिकी से संस्पर्शी ।

#### 4.4.7.3 मेला मैदान

ग्राम लखनवाड़ा में वैनगंगा नदी के किनारे मेला मैदान/प्रदर्शनी स्थल हेतु प्रस्ताव दिये गए हैं।

#### 4.4.7.4 स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में सिवनी नगर में पुलिस लाइन में सूखा तलाब के समीप एक स्टेडियम एवं बुधवारी तालाब के समीप एक हॉकी स्टेडियम, कुल दो स्टेडियम विद्यमान हैं। इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं। यह स्टेडियम नगर की 2035 तक की खेलकूद आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है। इस कारण एक स्टेडियम का विकास हाउसिंग बोर्ड के बायपास से लगकर ग्राम बिटली में किया जाना प्रस्तावित है।

#### 4.4.8 यातायात एवं परिवहन

भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने और निवेश क्षेत्र के भीतर निरन्तरता बढ़ाने, नई सड़कों का निर्माण तथा वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 514.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 13.09 प्रतिशत है।

##### 4.4.8.1 बरा स्थानक

वर्तमान में निजी बस स्थानक हेतु पर्याप्त स्थान है, किन्तु शासकीय बस स्थानक हेतु भविष्य की भावी जनसंख्या वृद्धि एवं यातायात दबाव की दृष्टि से स्थान पर्याप्त नहीं है, अतः वर्तमान बस स्टेण्ड से लगे हुए बस डिपो के क्षेत्र को अकार्यक्षम भू-उपयोग की श्रेणी में रखते हुए उक्त सम्पूर्ण स्थान को बस स्टेण्ड के रूप में विकसित किया जाकर बस डिपो हेतु ग्राम पलारी बायपास मार्ग पर बस डिपो हेतु 5 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है।

##### 4.4.8.2 पिकअप स्टेशन

1. मण्डला मार्ग एवं वर्तमान बायापास मार्ग संगम पर।
2. ग्राम खैरी में स्वर्णीम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर।

##### 4.4.8.3 ट्रक स्थानक

वर्तमान में नगर में ट्रक स्थानक की कोई व्यवस्था नहीं है, विकास योजना में ट्रक स्थानक हेतु राज्य राजमार्ग क्रमांक 19 सिवनी-बालाघाट मार्ग व वर्तमान बायपास के मध्य ग्राम पलारी में लगभग 20 हेक्टेयर भूमि यातायात नगर हेतु प्रस्तावित की गई है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## 4.5 निवेश इकाईयाँ

सिवनी निवेश क्षेत्र को 2 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। विकास योजना में इन निवेश इकाईयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये हैं। ये निवेश इकाईयाँ वाणिज्यिक, आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आमोद-प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी। निवेश इकाई निर्धारण में जनसंख्या एवं मानव निर्मित सीमाओं को आधार माना गया है। प्रत्येक निवेश इकाई को मुख्य कार्यकेन्द्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोड़ा गया है, ताकि ये इकाईयाँ सर्व-सुविधाओं के साथ आत्म निर्भर हो सकें।

## 4.5.1 क्षेत्रफल वितरण

विकास योजना 2035 के प्रस्तावों में सिवनी निवेश क्षेत्र को 2 स्वसक्षम निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को निवेश इकाई सीमा माना गया है। इस मार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक का पूर्व भाग, निवेश इकाई क्रमांक-1, तथा मार्ग की पश्चिम दिशा का निवेश क्षेत्र की सीमा तक का भाग निवेश इकाई क्रमांक-2 के अंतर्गत लिया गया है। निवेश इकाईवार क्षेत्र का विभाजन सारणी 4.2 में दर्शित है:

सारणी 4.2 निवेश इकाईयों का विवरण

क्रमांक	निवेश इकाई	कूल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	निवेश इकाई क्रमांक-1	4880.07
2	निवेश इकाई क्रमांक-2	3817.99
योग		8698.06


- निवेश इकाई क्रमांक -1

इस निवेश इकाई में नागपुर-जबलपुर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से निवेश क्षेत्र सीमा तक पूर्व भाग सम्मिलित है। इस इकाई में 4480.07 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

- निवेश इकाई क्रमांक -2

इस निवेश इकाई में नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक पश्चिम भाग सम्मिलित है। इस इकाई में 3817.99 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

निवेश इकाईवार वर्तमान एवं प्रस्तावित उपयोग का वर्गीकरण सारणी 4.3 में दर्शाया गया है।



## सारणी 4.3 निवेश इकाईवार भूमि क्षेत्रफल

निवेश इकाई	प्रस्तावित (हेक्टेयर में)	कृषि एवं अन्य भूमि	निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	4	5	6
1	2172.25	2707.82	4880.07
2	1475.98	2342.01	3817.99
<b>कुल</b>	<b>3648.23</b>	<b>5049.83</b>	<b>8698.06</b>

## 4.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित हैं, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस-पास स्थापित हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।

**अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:-**

- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे - नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

**अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:-**

## सिवनी विकास योजना | 2035

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

## 4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

सिवनी नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्तियां हैं। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सावधानीपूर्वक सुविधाओं का विकास।
4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

## 4.8 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी :-

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू-उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण/पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे।
2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।
3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा।

भू-स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे-सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए. आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा।

### 4.9 ग्राम आबादी विस्तार

सिवनी निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास, वर्तमान ग्राम आबादी से 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

### 4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा।

### 4.11 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं।



## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 4.4 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	4	5
1.	थोक, सब्जी मण्डी	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि	मार्ग चौड़ीकरण, पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)
2.	फुटकर सब्जी बाजार	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि	मार्ग चौड़ीकरण, पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)
3.	ओल्ड डिस्टिलरी	-	म.प्र.गृह नि.म. द्वारा पुर्न-घनत्वियकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालय/आवासीय
4.	डिस्टिलरी	नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में	यातायात एवं परिवहन
5.	मछली बाजार	कटंगी मार्ग पर नाले के पास	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन
6.	घास बाजार	ग्राम बोरदई में	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन
7.	पशुवध गृह/मटन मार्केट	स्थानीय प्रशासन द्वारा चयन अनुसार	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन
8.	शीतगृह डीमर मोहल्ला	प्रस्तावित यातायात नगर	आवासीय
9.	गैस गोदाम (लुघरवाड़ा)	वर्तमान बायपास के बाहर कृषि भूमि पर	पर्यावरण वानिकी
10.	बाल सम्प्रेक्षण गृह	नवीन जेल के पास ग्राम नगझर में	आडीटोरियम एवं नगर उद्यान
11.	लोहा बाजार	प्रस्तावित यातायात नगर	मार्ग चौड़ीकरण
12.	पेट्रोल पम्प 1. बस स्टेण्ड के पास 2. दलसागर के सामने	वर्तमान बायपास पर	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन
13.	महावीर एवं अशोक छविगृह	प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में	वाणिज्यिक, यातायात एवं परिवहन
14.	बस डिपो	लुघरवाड़ा	बस स्टेण्ड का विस्तार

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	4	5
15.	बुधवारी तालाब के तट पर दुकानें	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र	पर्यावरण वानिकी एवं तालाब किनारे वृक्षारोपण

**4.11.1 कार्यकेन्द्र ।**

वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके।

**4.11.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक**

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिह्नित किया गया है। इनमें आवासीय उपयोग के साथ-साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे-शैक्षणिक, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी।

**4.11.3 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र**

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित हैं। मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय/उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदायिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है।

**4.11.4 कार्यालय**

कुछ जिला स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी विकसित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात पार्किंग आदि समस्याएँ पैदा होती है। अतः इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।



## अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

### 5.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

सिवनी नगर स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर स्थित होने के कारण यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही नगर के मध्य से छिन्दवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 69ए एवं बालाघाट मंडला राजमार्ग गुजरने के कारण सड़क मार्ग से भी प्रदेश तथा देश के अन्य प्रमुख मार्गों से जुड़ा है, जिससे यात्री यातायात तथा माल यातायात आदि की सुविधा उपलब्ध है। सुगम यातायात हेतु, क्षेत्रीय मार्गों तथा अन्तर नगरीय मार्गों के तंत्र में सुधार आवश्यक है। सिवनी नगर की यातायात संरचना निम्न पहलुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है

- दक्ष एवं बहु आयामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।
- मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं विकास।
- मुख्य गतिविधि केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्ग का प्रावधान।
- मुख्य गतिविधि केन्द्रों जैसे-यातायात, वाणिज्यिक, शैक्षणिक एवं मुख्य कार्य केन्द्रों में पादचारी मार्गों का प्रावधान।
- समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात तंत्र में सुधार।
- मुख्य मार्गों पर सीधे पहुंच को नियोजित करना जो मुख्य मार्ग गतिविधि क्षेत्र से होकर जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को पृथक से मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अतिरिक्त पहुंच मार्गों का प्रावधान।
- मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्गसंरचना,
- क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण,
- वर्तमान नगर तथा प्रस्तावित क्षेत्र के मध्य सुगम मार्ग संरचना,
- आवश्यकता अनुसार चौराहों एवं तिराहों का विकास,
- सुगम यातायात हेतु ओव्हर ब्रिज एवं समतल पारण का प्रावधान

### 5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, नगर में वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। नगर में मोटर साईकल, स्कूटर, साईकल, कार, ऑटोरिक्शा आदि यातायात के प्रमुख साधन हैं। तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है। अतः यातायात

## सिवनी विकास योजना | 2035

प्रबंधन के लिये नीति तैयार करने की आवश्यकता है। नगर में जनसामान्य द्वारा यातायात के साधन के रूप में साईकल, स्कूटर, मोटर साईकल आदि का उपयोग किया जाता है।

### 5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

कार्यान्वयन मार्गानुक्रम के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसा करते समय निर्धारित विविध गतिविधियों का आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से सहसंबंध का ध्यान रखा गया है। नगर में विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. क्षेत्रीय मार्ग
2. वृत्तीय मार्ग
3. बायपास मार्ग
4. मुख्य मार्ग
5. खण्ड स्तरीय मार्ग
6. उपखण्डस्तरीय मार्ग
7. स्थानीय मार्ग
8. पादचारी मार्ग

वर्तमान में छिन्दवाड़ा, नागपुर, जबलपुर, बालाघाट, मडला आदि मार्ग नगर के बाहर से परिवर्तित किए गये हैं जिसका विकास हो चुका है। विकास योजना 2035 के प्रस्तावों को तैयार करते समय विकास योजना 2021 में प्रस्तावित यातायात संरचना को ध्यान में रखा जाकर, नगर के विभिन्न मार्गों एवं कार्यस्थलों को जोड़ने हेतु मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं।

#### 5.3.1 क्षेत्रीय/बायपास मार्ग

सिवनी नगर के बाहर स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 एवं छिन्दवाड़ा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 69 ए तथा बालाघाट-मंडला राजमार्ग गुजरते हैं। नगर के मध्य से क्षेत्रीय मार्ग कटंगी एवं अमरवाड़ा गुजरते हैं। यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात का अधिक दबाव रहता है। इन मार्गों का यातायात कम करने के लिये वर्तमान बायपास मार्ग उपलब्ध है। इन मार्गों से आनेवाला यातायात का आवागमन, नगर के बाहर से सुगम हो सकेगा।

नगर में स्थित वर्तमान बायपास जिसे म.प्र.गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित किया गया है, नगर की पूर्व दिशा की ओर से गुजरता है, जिसकी चौड़ाई 50 मीटर है। मार्ग चौड़ाई के अन्तर्गत बायपास का रूपांकन में सर्विस लेन के साथ 3-3 मीटर मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण (ग्रीन वर्ज) प्रस्तावित है तथा उक्त मार्ग जबलपुर से नागपुर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 को जोड़ता है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**5.3.2 मुख्य नगरीय मार्ग**

यह मार्ग मुख्यतः नगर के सम्पूर्ण यातायात प्रवाह को वहन करने के साथ नगर के विभिन्न कार्य केन्द्रों, गतिविधि केन्द्रों तथा आमोद-प्रमोद के स्थानों को जोड़ते हैं। संभावित यातायात बाहुल्य को ध्यान में रखते हुए 18, 24, 36 एवं 42 मीटर चौड़ाई की मार्ग संरचना प्रस्तावित की गई है। विकास योजना 2021 में कुल 10 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे, इनमें से एक भी मार्ग का विकास नहीं हुआ है। इन मार्गों को युक्ति-युक्त रूप से पुनः प्रस्तावित करते हुए, विकास योजना 2035 के लिये नये मार्गों का समावेश करते हुए प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18, 24, 36 मीटर प्रस्तावित है।

**5.3.3 खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग**

यह मार्ग वृत्त खण्ड स्तर के यातायात हेतु तथा मुख्य मार्ग से दूसरे मुख्य मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18.0 मीटर प्रस्तावित की गई है तथा उपखण्ड मार्ग खण्ड मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 12.0 मीटर प्रस्तावित है।

**5.3.4 स्थानीय मार्ग**

समीपस्थ आवासीय क्षेत्र में आवागमन हेतु स्थानीय मार्ग श्रृंखला प्रस्तावित है, इसकी संरचना के मानक विकास नियमन में निर्धारित है। आवासीय क्षेत्रों में इन मार्गों की चौड़ाई 7.5 से 12.0 मीटर तक, स्थल पर उपलब्धता अनुसार प्रस्तावित की जावेगी।

**5.4 मार्गों की चौड़ाई**

विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई को प्रस्तावित किया गया है। जिसे सारणी में दर्शाया गया है।

**सारणी 5.1 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई**


क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग		
(अ)	रा.रा.मार्ग क्र. 69 ए (सिवनी से छिन्दवाड़ा) नगर पालिका सीमा में	24	24
(ब)	रा.रा.मार्ग क्र. 69 ए (सिवनी से छिन्दवाड़ा) शेष भाग	36	राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
2.	राज्य राजमार्ग		
(अ)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 26 (नगर पालिका सीमा में)	24	24
(ब)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 26 (शेष भाग)	36	36
(स)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 12 (नगर पालिका सीमा में)	24	24
(द)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 12 (शेष भाग)	36	36
(इ)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 54 (रेलवे क्रासिंग से बायपास तक)	24	24
(फ)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 54 (शेष भाग)	36	36
3.	मुख्य मार्ग (Major Road)		
(अ)	एम.आर. क्र. 1 (नागपुर रोड बायपास मार्ग संगम से ग्राम लुघरवाड़ा जबलपुर मार्ग तक)	30	30
4.	वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sector Road)		
(अ)	वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 1 (ग्राम लुघरवाड़ा जबलपुर रोड से बबरिया मार्ग तक)	24	24
(ब)	वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 2 (ग्राम लुघरवाड़ा एम. आर. 1 से बालाघाट मार्ग पर रेलवे क्रासिंग तक)	24	24
5.	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sub-Sector Road)	18	18
(अ)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 1 (एम. आर. 1 से जबलपुर मार्ग तक)	18	18
(ब)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 2 (एस. आर. 2 से बालाघाट मार्ग पलारी की सीमा तक)	—	18
(स)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 3 (बालाघाट मार्ग से मंडला मार्ग तक)	—	18
(द)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 4 (कटंगी मार्ग से वर्तमान बायपास तक)	18	18
(इ)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 5 (जबलपुर मार्ग से वर्तमान बायपास मार्ग तक)	18	18







## सिवनी विकास योजना | 2036

क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
(अ)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 6 (उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 5 से वर्तमान बायपास तक)	—	18
7.	स्थानीय मार्ग	—	12
8.	ग्रामीण पहुँच मार्ग	—	18
9.	प्रधानमंत्री सड़क मार्ग	—	24

प्रमुख नगरीय मार्गों की वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई निम्न सारणी में दर्शायी गयी है  
सारणी 5.2 वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
(अ)	<b>वाणिज्यिक मार्ग</b>		
1	*नगर पालिका चौक से काली चौक तक (नेहरूमार्ग)	8	12
2	*गणेश चौक से शुक्रवारी चौक	8	12
3	*शुक्रवारी चौक से कटंगी नाका रेल्वे क्रॉसिंग तक	10	12
4	छिन्दवाड़ा चौक से कटंगी मार्ग (मठ मंदिर मार्ग) रेल्वे क्रॉसिंग तक	14	18
5	*मठ चौक से बुधवारी तक (आजाद मार्ग)	6	12
6	दलसागर के पास से काली चौक तक	8	12
7	*महारानी लक्ष्मी बाई चौक से झूंडा सिवनी तिराहा तक	16	24
8	*छिन्दवाड़ा चौक से छिन्दवाड़ा मार्ग रेल्वे क्रॉसिंग तक	23	24
(ब)	<b>अन्य मार्ग</b>		
1	बाहुबलि चौक से अम्बेडकर चौक तक (सिंधिया मार्ग)	16	18
2	*बाहुबलि चौक से बबरिया मार्ग नगर पालिका सीमा तक	16	18
3	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से स्टेट बैंक तक	17	18
4	बाहुबलि चौक से पालिटेक्निक तक	16	18

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
5	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से जिला उद्योग केन्द्र से होते हुए बीझावाड़ा मार्ग नगर पालिका सीमा तक	17	18
6	जिला उद्योग केन्द्र से बाबरिया मार्ग तक	22	24
7	डुड़ासिवनी तिराहे से बायपास मार्ग तक (मण्डला मार्ग)	22	24
8	बरघाट नाका से नगर पालिका सीमा तक	23	24
9	गांधी चौक से भैरोगंज चौक तक	17	18
10	भैरोगंज चौक से स्टेडियम तक	9	12
11	भैरोगंज चौक से मुगंवानी मार्ग (नगर पालिका सीमा तक)	13	18
12	मुगंवानी मार्ग (शेष भाग)	30	36
13	भैरोगंज चौक से परतापुर मार्ग (नगर पालिका सीमा तक)	10	12
14	परतापुर मार्ग (शेष भाग)	20	24
15	भैरोगंज चौक से बस स्टेण्ड तक (दल सागर मार्ग)	13	15
16	धर्मशाला चौक से हजरी गोदाम तक	7	12
17	छिंदवाड़ा मार्ग से मरझोर मार्ग नगर पालिका सीमा तक	9	12
18	*पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7	24-36	45

टीप : \*आवासीय सह वाणिज्यिक मार्ग।

जहां मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रखी जावेगी। सिवनी विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव एवं निवेश क्षेत्र के निहित ग्रामों को परस्पर जोड़ने वाले ग्राम मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई न्यूनतम 18.00 मीटर निर्धारित की जाकर उससे संलग्न क्षेत्रों पर विकास की अनुमति दी जावेगी।

#### 5.4.1 मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार

नगर में यातायात यांत्रिकी में सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्गों की यातायात संवहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्ग को चौड़ा करना तथा संबंधित प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 5.3 मार्ग संगमों का सुधार

1. गणेश चौक	2. छिन्दवाड़ा चौक
3. काली चौक	4. महारानी लक्ष्मीबाई चौक
5. शुक्रवारी चौक	6. मण्डला (डूडा सिवनी) तिराहा
7. बाहुबली चौक	8. स्टेशन तिराहा
9. नगरपालिका तिराहा	10. कचहरी चौक

## 5.4.2 बस स्थानक

वर्तमान में निजी बस स्थानक हेतु पर्याप्त स्थान है, किन्तु शासकीय बस स्थानक हेतु भविष्य की भावी जनसंख्या वृद्धि एवं यातायात दबाव की दृष्टि से स्थान पर्याप्त नहीं हैं। अतः वर्तमान बस स्टेण्ड से लगे हुए बस डिपों के क्षेत्र को असंगत भू-उपयोग की श्रेणी में रखते हुए उक्त सम्पूर्ण स्थान को बस स्टेण्ड के रूप में विकसित किया जाकर बस डिपो हेतु ग्राम पलारी बायपास मार्ग पर बस डिपों हेतु 5 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम खैरी में स्वर्णिम चतुर्भुज से लगकर शासकीय भूमि पर पिकअप स्टेशन का प्रावधान किया गया है।


## 5.4.3 वाहन विराम केंद्र

नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विशेष कर सघन गतिविधि वाले क्षेत्र के समीप, मार्गों के किनारे, वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना, मार्गों के प्रभावी यातायात वहन क्षमता को बनाये रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु स्थान निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. बस स्टेण्ड	2. रेल्वे स्टेशन
3. महारानी लक्ष्मीबाई चौक	4. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम बाबरिया
5. वैनगंगा कार्यालय के पास	6. दलसागर तालाब के सामने
7. छिन्दवाड़ा चौक	8. कलेक्टर कार्यालय परिसर

इसके अतिरिक्त जीर्ण-शीर्ण आवासीय स्थल, नजूल एवं स्थानीय निकाय की भूमि पर, मार्ग चौड़ीकरण के प्रस्ताव के साथ-साथ वाहन विराम स्थल हेतु स्थान उपलब्ध कराये जा सकते हैं। स्थानीय निकायों को इस संबंध में पहल करना प्रस्तावित है।

सिवनी विकास योजना | 2035



## अध्याय-6 विकास नियमन

### 6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

### 6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़ेगा। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।
3. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग

## सिवनी विकास योजना | 2035

- के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।
4. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा।
  5. आस-पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप-दर्शित नहीं है अथवा उप-दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।
  6. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
  7. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।
  8. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा।
  9. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
  10. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा।
  11. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।
  12. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।

## सिवनी विकास योजना | 2035

13. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
14. विकास योजना में नदी, नालों एवं तालाबों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
15. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्रोतों के क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।
16. विकास योजना में दर्शाया गया मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह गरीब द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये। विकास योजना में दर्शाित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
17. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियम-परिक्षेत्रिक नियमों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।
18. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।
19. विकास योजना में दर्शाित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।



## सिवनी विकास योजना | 2035

20. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
21. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरो के आधार पर ही किया जायेगा।
22. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।

## 6.3 परिभाषायें

<b>उपयोग परिक्षेत्र</b>	:- मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तापित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।
<b>उपयोग परिसर</b>	:- उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
<b>अभिन्यास</b>	:- अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
<b>भूमि उपयोग मानचित्र</b>	:- सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।
<b>परिक्षेत्रिक योजना</b>	:- निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो।
<b>नगरीय ग्राम</b>	:- भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- नगरीय विरासत का क्षेत्र** :- नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
- विकसित क्षेत्र** :- विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
- एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास** :- अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखण्डों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
- मिश्रित उपयोग** :- मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी।
- ऊँचे भवनों का विकास** :- ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपाठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।
- फर्शी क्षेत्र अनुपात** :- फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
- भवन की ऊँचाई** :- उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
- संवेदनशील क्षेत्र** :- परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

#### 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन

## सिवनी विकास योजना | 2035

निर्धारित होगा। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6.1 में दिया गया है।

सारणी 6.1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रोंका संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(पी)

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
6	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबर्धन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
7	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड / हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
8	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र / आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेडिंग ग्राउण्ड	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल / मल / अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें / गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(पीयूएफ 5)
		रेडियो / टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)		

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
		जल-मल शोधन संयंत्र विद्युत सब स्टेशन ट्रेचिंग ग्राउण्ड ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र कब्रिस्तान / शमशान घाट	(पीयूएफ 2) (पीयूएफ 3) (पीयूएफ 4) (पीयूएफ 9) (पीयूएफ 10)
9	जल निकाय	नदियां झील / तालाब / जलाशय नाला / नहर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 1) (डब्ल्यू 2) (डब्ल्यू 3) (डब्ल्यू 4)
10	कृषि	कृषि भूमि ग्राम आबादी विस्तार	(ए 1) (ए 2)

टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू-उपयोग परिक्षेत्र एवं उप-परिक्षेत्र वर्णित हैं, जिनमें से सिवनी नगर की आवश्यकता के अनुसार लिये गये हैं।

#### 6.4.1 आवासीय

##### 6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6.2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई

## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।

4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तों) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-अ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः निम्न आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।
6. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निमाण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।

## सारणी 6.2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. मी.)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	नू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	अधिकतम फर्शों क्षेत्र अनुपात	एम.ओ.एस्त. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में)	अधिकतम उंचाई (मी.में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाइयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	7.5	9.5	2
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
5	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

## सिवनी विकास योजना | 2035

## नोट :-

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
5. घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय इकाईयां मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

## 6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6.3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा:

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 6.3 आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.00
180 वर्गमीटर से	60%	1.00

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

## 6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

## 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

## सारणी 6.4 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्र (वर्गमीटर में)	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	भवन रेखा (मीटर में मार्ग के मध्य से)	अग्र कॉरीडोर	भू-आच्छादन	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
4.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
6.	18.0 X 30.0	540	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
7.	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	9.0	3.0	40	1.5



## सिवनी विकास योजना | 2035

## टीप :-

- 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा।
  - 18 मीटर तक 1.75
  - 24 मीटर से अधिक 2.0
- यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे।
- वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
- भवन रेखा मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार निर्धारित की जा सकेगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से )
12.0 मीटर	09 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	15.0 मीटर

- अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।
- वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6.5 में वर्णित हैं।

## सारणी 6.5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
4.	मार्गों की चौड़ाई - बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर  18 मीटर 6 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

## सिवनी विकास योजना | 2035

**6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र**

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
2. फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
3. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, तक मान्य होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

• 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	100 प्रतिशत
• 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	80 प्रतिशत
• फर्शी क्षेत्र अनुपात	1 : 1.50

**टीप :-**

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

**6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां**

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं। अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

- (1) वाणिज्यिक मार्ग (सी)
- (2) आवासीय-सह-वाणिज्यिक मार्ग (आर.सी)

इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6.6 में दर्शाए गए हैं।

## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी 6.6 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5	6
1	नगर पालिका चौक से काली चौक तक (नेहरूमार्ग)	सी	8	12	1.50
2	गणेश चौक से शुक्रवारी चौक	सी	8	12	1.50
3	शुक्रवारी चौक से कटंगी नाका रेल्वे क्रॉसिंग तक	सी	10	12	1.50
4	छिन्दवाड़ा चौक से कटंगी मार्ग (मठ मंदिर मार्ग) रेल्वे क्रॉसिंग तक	सी	14	18	1.50
5	मठ चौक से बुधवारी तक (आजाद मार्ग)	सी	6	12	1.50
6	दलसागर के पास से काली चौक तक	सी	8	12	1.50
7	महारानी लक्ष्मी बाई चौक से बरघाट नाका तक	सी	16	24	1.50
8	गणेश चौक से बरघाट नाका तक (पानी की टंकी)	सी	11	12	1.50
9	छिन्दवाड़ा चौक से छिन्दवाड़ा मार्ग रेल्वे क्रॉसिंग तक	सी	23	24	1.50

टीप:- गणेश चौक से प्रारंभ होकर क्रमशः मण्डला, बालाघाट, कटंगी मार्ग पर मार्ग चौड़ाई से दो गुना या अधिकतम 45 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो, मिश्रित उपयोग मान्य होंगे।

1. उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अथवा वाणिज्यिक सह-आवासीय उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे।
2. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
3. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दो गुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार होगा।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**निर्मित क्षेत्र :-** वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

क्र.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू-तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम
1	2	3
1.	अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
2.	200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
3.	400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

#### 6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

#### 6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

##### 6.4.4.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय/गैर वाणिज्यिक/गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां।

##### 6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है।

##### 6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि किये जाने से है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

2. ऐसे कार्य कलाओं की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

## 6.4.4.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं भूतल निर्मित क्षेत्र इत्यादि), मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।
3. 12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी।

## 6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6.7 में दर्शाए गए हैं।

## सारणी 6.7 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड

क्र.	विवरण	अधिकतम अच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1	महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
3	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
4	पूर्व प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
5	चिकित्सालय	40 प्रतिशत	1.5
6	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
7	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.5
8	अग्निशमन भवन	50 प्रतिशत	1.5
9	सामुदायिक भवन	40 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.5

## सिवनी विकास योजना | 2035

**टीपः-5** प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य एवं अनिवार्य होगा।

#### 6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए संक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट-अ में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।
4. उस भूमि के लिए जिसमें-कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6.8 में दर्शाए गए हैं।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 6.8 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्र अनुपात	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>शैक्षणिक भवन</b>					
	नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25	12.0	6.0	3.0
	प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.25	12.0	7.5	3.5
	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय	40 प्रतिशत 40 प्रतिशत	1.50 1.50	18.0 24.0	12.0 15.0	5.0 6.0
2	<b>स्वास्थ्य</b>					
	हास्पिटल - 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल - 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल - 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नेचुरोपैथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पालीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
3	<b>जनउपयोगिता एवं सेवायें</b>					
	पुलिस चौकी	35 प्रतिशत	1.00	-	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होंगे।
	पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित	25 प्रतिशत	1.00	12.0		
	सामुदायिक भवन	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	उप अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
डाक एवं तार विद्युत सब स्टेशन	35 प्रतिशत -	1.00 -	12.0 -			
4	<b>धार्मिक भवन</b>	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	<b>शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय</b>	35 प्रतिशत	1.00	18.0		

**नोट** -उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे, किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है। उनके लिये यहां

## सिवनी विकास योजना | 2035

मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगी, जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

### 6.5 अन्य नियमन

#### 6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

#### 6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

#### 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

#### 6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

सारणी 6.9 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार - वृत्त खण्ड केन्द्र - उपवृत्त खण्ड केन्द्र - सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्प्लेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	विद्यालय - प्राथमिक - माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई



## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
6.	उद्यान - नगर उद्यान - स्थानीय उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप:- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

#### 6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

#### 6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक

इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी- ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग/लाजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियां।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं:-

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

#### 6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू-उपयोग में मान्य होगी। खुला मॉल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन**

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

**6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग**

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर
<b>सीमांत खुला क्षेत्र -</b>	
(अ) सम्मुख	6.0 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर	4.50 मीटर
<b>अन्य नियंत्रण -</b>	
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12.0 मीटर
पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।	

**6.5.10 मैरिज गार्डन**

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

**6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल**

बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य होंगे। विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1 : 0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.0 मीटर
<b>सीमांत खुला क्षेत्र -</b>	
सम्मुख	6.0 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

**अन्य नियंत्रण :-**

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख 40 प्रतिशत खुला क्षेत्र सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।
- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी।

टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

**6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण**

- भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल- 1000 वर्गमीटर
- अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात- 1 : 0.40
- अधिकतम निर्मित क्षेत्र- 40 प्रतिशत
- भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र - 6.0 मीटर

**6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड**

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

**6.5.14 मल्टीप्लेक्स**

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

**6.5.15 उद्यान**

1. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

**6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन**

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम-से-कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।

**सिवनी विकास योजना | 2035**

2. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
3. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
4. किनारे क्षेत्रों में अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रिडल मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा।
5. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
7. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख-रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

**ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र :-**

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
- समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## 6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6.10 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मैरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/ नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/ नृत्य/ नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, मिश्रित उपयोग।
	वाणिज्यिक	
2	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब, मिश्रित उपयोग।
	(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक	आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
3.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेशी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलेटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर।
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग
5.	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाइन/ रेल्वे साइडिंग/ यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल-नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पम्प।
7.	आमोद-प्रमोद	
	(अ) क्षेत्रीय/नगर उद्यान/मनोरंजन	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(ब)स्टेडियम/ खेल मैदान,	स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब/रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(स) मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्नेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम-अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(द) हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।
	(इ) वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
8.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान



## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		<p>घाट/कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाऊस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, समस्त खेल गतिविधियां/लॉजिस्टिक हब, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, हाट/साप्ताहिक बाज़ार, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***ए समस्त प्रकार के भण्डारण।</p>

## सिवनी विकास योजना | 2035

**नोट :-**

- (1) \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।
- (2) \*\*गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- (3) \*\*\*कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा।

**6.8 अन्य सुविधाएँ**

सिवनी निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

**6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया**

विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगी।



## अध्याय-7 योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन है, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं। यह अपेक्षित है कि, इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे, जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावे।

विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः सिवनी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन तक नगर पालिका सिवनी द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिका द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, इरारो विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

### 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में रूपये 175196.90 लाख का व्यय अनुमानित है, इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 752.30 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय शामिल है।

भूमि अर्जन की औसत दर रूपये 50.0 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है। इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि का दस गुना अनुमानित है। विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7.1 में दर्शाया गया है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 7.1 योजना क्रियान्वयन की लागत

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)		भू-अर्जन लागत (रु. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास			कुल लागत (रु. लाख में)
		विकास हेतु उपलब्ध भूमि	भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आवासीय	1281.47	128.15	6407.35	768.88	100.00	76888.20	83295.55
2	वाणिज्यिक	19.87	1.99	99.35	11.92	100.00	1192.20	1291.55
3	मिश्रित	252.87	25.29	1264.35	151.72	100.00	15172.20	16436.55
4	औद्योगिक	235.45	141.27	7063.50	141.27	100.00	14127.00	21190.50
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	231.01	138.61	6930.30	138.61	100.00	13860.60	20790.90
6	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधायें	7.80	6.24	312.00	4.68	100.00	468.00	780.00
7	आमोद-प्रमोद	358.78	251.15	12557.30	215.27	50.00	10763.40	23320.70
8	यातायात एवं परिवहन	85.17	59.62	2980.95	51.10	100.00	5110.20	8091.15
<b>योग</b>		<b>2472.42</b>	<b>752.30</b>	<b>37615.10</b>	<b>1483.45</b>		<b>137581.80</b>	<b>175196.90</b>

टीप:- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की हैं, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा।

## 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

सिवनी विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि, विकास योजना के अधिकांश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है, उनका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है। जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है। अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है :-

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप
2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र का संरक्षण
3. भूमि का कुशलतम उपयोग
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण

## सिवनी विकास योजना | 2035

5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव
6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना विकास योजना क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है -
  - (अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम
  - (ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि, मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

**7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम**

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरण समस्याएं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

**7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व**

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं

1. नदी एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों को प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

**7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना**

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।

## सिवनी विकास योजना | 2035

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

**7.4.1 नियंत्रित विकास**

विकास कार्यक्रमों में भूमि स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाए। यहां समन्वयक संस्था की भूमि प्रदाय कर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

**7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन**

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं समन्वय के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

**7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना**

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा। वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड तथा उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए। इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास

### सिवनी विकास योजना | 2035

योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है:-

1. एकीकृत नगर विकास योजना के तत्वों की पहचान,
2. एकीकृत नगर विकास योजना तैयार करना,
3. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान,
4. विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण,
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हैं,
6. समन्वय अधिकारियों और अन्य खण्डीय एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

#### 7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग की प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि, विकास ऩियमों को पुनर्भाषित किया जावे। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में नियमन वर्णित किये गये हैं।

#### 7.6 योजना एवं कार्यक्रम

- (अ) क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में सन् 2025 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण में 2026 से 2030 तथा तृतीय चरण में वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
- (ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि-स्वामियों, विकास कर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकास कर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।
- (स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :-
  1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
  2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।



## सिवनी विकास योजना | 2035

3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।
5. योजना के तीनों चरणों की आवश्यकता, जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।

#### 7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है

- यह सुनिश्चित करना कि, भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।
- अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

#### 7.7 प्रथम चरण के घटक

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्न सारणी में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 7.2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

क्र.	विकास के घटक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	प्रस्तावित स्थल
1	2	3	4
1	आवासीय	314.31	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2
2	वाणिज्यिक	15.07	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2
3	मिश्रित	146.92	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2
4	औद्योगिक	11.74	निवेश इकाई क्रमांक 1
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	31.05	निवेश इकाई क्रमांक 1
6	सार्वजनिक सेवाएँ- सुविधाएँ	3.55	निवेश इकाई क्रमांक 2
7	आमोद-प्रमोद	44.72,	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2
8	यातायात एवं परिवहन	21.73	निवेश इकाई क्रमांक 1
	<b>योग</b>	<b>589.09</b>	

स्रोत : जी.आई.एस. विश्लेषण

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

## 7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनीत घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 225.69 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 67957.53 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :


## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 7.3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

क्र	भूमि उपयोग विवरण	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन की लागत (रु. 50.0 प्रति हेक्टेयर) (रु. लाख में)	विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में)
				क्षेत्र (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	38.44	1922.205	230.66	100.00	31431.00	33353.21
2	वाणिज्यिक	0.60	29.805	3.58	100.00	1507.00	1536.81
3	मिश्रित	7.59	379.305	45.52	100.00	14692.00	15071.31
4	औद्योगिक	42.38	2119.05	42.38	100.00	1174.00	3293.05
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	41.58	2079.09	41.58	100.00	3105.00	5184.09
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	1.87	93.6	1.40	100.00	355.00	448.60
7	आमोद-प्रमोद	75.34	3767.19	64.58	50.00	2236.00	6003.19
8	यातायात एवं परिवहन	17.89	894.285	15.33	100.00	2173.00	3067.29
<b>योग</b>		<b>225.69</b>	<b>11284.53</b>	<b>445.04</b>		<b>56673.00</b>	<b>67957.53</b>

## 7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास नहीं किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय होता है। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती हैं। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक्-पृथक् रहे हैं, जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को सिवनी जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के



## सिवनी विकास योजना | 2035

लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है, जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

### 7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।
2. योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है :-
  - पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना।
  - आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताओं वाली कार्य योजना का निर्धारण
  - प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
  - वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
  - आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
  - समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
  - वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
  - सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र :- योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-
  - स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
  - नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास कार्यक्रम/क्रियान्वयन का मूल्यांकन।
  - समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
  - वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।
4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन :- विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व सिवनी विकास प्राधिकरण का होगा। विकास प्राधिकरण के गठन होने तक सिवनी नगर पालिका द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/45/32/2010 दिनांक 15/04/2010 द्वारा जिलाध्यक्ष सिवनी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876 दिनांक 15/05/1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण : सिवनी विकास नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशासित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशासा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशासित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

## 7.11 योजना की व्याख्या

सिवनी विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज झोन) में परिभाषित नहीं हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो


## सिवनी विकास योजना | 2035

- स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में सम्बद्ध तालिका में शामिल है, वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा।
  5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
  6. यह कि नीतिगत दस्तावेज है, विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि से आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुर्न समायोजित की जा सकती है।

**7.11.1 योजना कालावधि**

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। सिवनी नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः सिवनी विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

**सिवनी विकास योजना | 2035**





## परिभाषाएँ

- 001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास**  
 एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।
- 002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास**  
 न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों
- 003 आवासीय प्लेट**  
 एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।
- 004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड**  
 एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।
- 005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र**  
 विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।
- 006 छात्रावास (होस्टल)**  
 दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।
- 007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह**  
 अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।
- 008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष**  
 वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।
- 009 बारात घर**  
 सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।
- 010 रैन-बसेरा (नाइट रोल्टर)**  
 ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।
- 011 फुटकर दुकानें**  
 आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**012 मरम्मत दुकान**

गृहसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

**013 व्यक्तिगत सेवा दुकान**

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

**014 बेडिंग बूथ**

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

**015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र**

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

**016 स्थानीय दुकान केन्द्र**

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

**017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई**

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

**018 थोक व्यापार**

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

**019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण**

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

**020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)**

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

**021 गैस गोदाम**

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाता हो।

**022 तेल डिपो**

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

**023 कबाड़खाना**

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**024 वाणिज्यिक कार्यालय**

लाभ-अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

**025 बैंक**

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

**026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला**

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

**027 छविगृह**

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

**028 पेट्रोल पंप**

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।

**029 रेस्टोरेंट/चपडार गृह**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

**030 होटल**

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

**031 मोटल**

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

**032 फ्लैटेड समूह उद्योग**

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।

**033 सेवा केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।

**034 औद्योगिक भूखण्ड - हल्के उद्योग**

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग**

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

**036 उद्यान (पार्क)**

आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

**037 क्रीडांगन**

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

**038 बाह्य खेल स्टेडियम**

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

**039 आंतरिक खेल स्टेडियम**

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

**040 आंतरिक खेल हाल**

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

**041 शूटिंग रेंज**

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

**042 तरण पुष्कर**

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

**043 आमोद-प्रमोद क्लब**

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

**044 ऐतिहासिक स्मारक**

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

**045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय**

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

## सिबनी विकास योजना | 2035

- 046 पक्षी अभ्यारण्य**  
पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।
- 047 वनस्पति उद्यान**  
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।
- 048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट**  
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।
- 049 फ्लाईंग क्लब**  
ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।
- 050 माल एवं टिकट घर**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाइन द्वारा टिकट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो।
- 051 रेल माल गोदाम**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।
- 052 रेल टिकट घर**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।
- 053 सड़क परिवहन टिकट घर**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।
- 054 वाहन विराम**  
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।
- 055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।
- 056 बस अवसान केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**057 बस स्थानक**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

**058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर**

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल-मल पंपिंग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्ढों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

**059 केन्द्र शासन के कार्यालय**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

**060 स्थानीय शासन के कार्यालय**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

**061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- 062 न्यायालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।
- 063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)**  
शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।
- 064 चिकित्सालय**  
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।
- 065 स्वास्थ्य केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।
- 066 उपचार केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।
- 067 औषधालय**  
ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।
- 068 क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।
- 069 उपचार प्रयोगशाला**  
ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।
- 070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा**  
ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- 071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।
- 072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल**  
ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।
- 073 माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।
- 074 प्राथमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।
- 075 उच्चतर माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।
- 076 एकीकृत शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।
- 077 एकीकृत आवासीय शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।
- 078 महाविद्यालय**  
ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।
- 079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं।
- 080 सामाजिक कल्याण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।
- 081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।



## सिवनी विकास योजना | 2035

- 082 पुस्तकालय**  
ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।
- 083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।
- 084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण**  
ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।
- 085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।
- 086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।
- 087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।
- 088 बाल यातायात उद्यान**  
ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो
- 089 संग्रहालय**  
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।
- 090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल**  
ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।
- 091 समागृह (ऑडिटोरियम)**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।
- 092 खुला रंगमंच**  
ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- 093 सामुदायिक भवन**  
ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।
- 094 मेला मैदान**  
ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।
- 096 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।
- 098 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था**  
ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।
- 097 सुधार गृह**  
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।
- 098 अनाथालय**  
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों को रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।
- 100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।
- 101 पुलिस चौकी**  
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 102 पुलिस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।
- 103 जिला पुलिस कार्यालय**  
अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक**  
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।
- 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला**  
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

## सिपनी विकास योजना | 2035

- 106 जेल**  
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।
- 107 अग्निशमन पोस्ट**  
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।
- 108 अग्निशमन पोस्ट**  
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।
- 109 डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।
- 110 डाक एवं तार घर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 111 मुख्य डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 112 टेलीफोन एक्सचेंज**  
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।
- 113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन**  
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।
- 114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।
- 115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र**  
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।
- 116 वैद्यशाला एवं मौसम कार्यालय**  
ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।
- 117 बाग (ओरकरी)**  
सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

- 118 डेरी फार्म**  
ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।
- 119 कुक्कुट फार्म**  
कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।
- 120 सुअर पालन**  
सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।
- 121 ग्रामीण केन्द्र**  
एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।
- 122 मल्टीप्लेक्स**  
म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग मॉल संबंधी परिसर।

## परिशिष्ट 1

## नियम 17 (1)

किसी भवन के विकास, निर्माण, पुर्ननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....  
.....

महोदय,

मैं एतद् द्वारा यह सूचना देता हूँ, कि मैं नगर ....., मोहल्ला-बाजार सड़क ..... बस्ती/मार्ग ..... में भवन क्रमांक ..... अथवा प्लॉट क्रमांक .....

..... में/पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 के ..... के अनुसार विकास निर्माण पुननिर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ मैं इसके साथ मेरे तथा ..... वास्तुविद इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर निवेशक अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) ..... जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता है ।

1. मुख्य रेखांक
2. स्थल रेखांक
3. उप विभाग-अभिन्यास योजना
4. भवन मानचित्र
5. सेवा आयोजन
6. विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत
7. स्वामित्व संबंधी

मैं निवेदन करता हूँ कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाये और मुझे कार्य निषादित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

स्वामी के हस्ताक्षर

स्वामी के नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में) .....

स्वामी का पता .....

तारीख .....

प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये ..... रूपरेखा तैयार की जा सकती है ।

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 2

**विशेष विवरण पत्रक**  
**प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण**

1. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल ..... वर्गफुट/मीटर
2. कुल निर्मित क्षेत्र .....
- विद्यमान भू-तल ..... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..... वर्गफुट/मीटर
- विद्यमान प्रथम मंजिल ..... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..... वर्गफुट/मीटर
- विद्यमान द्वितीय मंजिल ..... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..... वर्गफुट/मीटर
3. उद्देश्य कार्य जिसके लिये भवन का उपयोग प्रस्तावित है ।
4. विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जाएगा ।  
(एक) नींव  
(दो) दीवारें  
(तीन) फर्श  
(चार) छत ।
5. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या .....
6. ऐरो व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि बारा रथान बिखा जाना प्रस्तावित है ।
7. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जाएगी।
8. क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है, यदि हो तो पूर्ववती भवन रहने के लिये कब से उपयुक्त नहीं रहप .....
9. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल का प्रयोग ।

आवेदक के हस्ताक्षर

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 3

## (नियम 49) (3) देखिये

## विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्राधिकारी .....

.....

.....

मध्यप्रदेश ।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा नगर ..... मोहल्ला/बाजार .....  
 बस्ती/कालोनी/गली ..... भूखंड क्रमांक ..... खसरा क्रमांक ..... की  
 भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास  
 योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित भूमि के लिए उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिए  
 उपलब्ध किए जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के  
 लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

भूस्वामी के हस्ताक्षर

भूस्वामी का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में) .....

भूस्वामी का पता .....

.....

.....

## परिशिष्ट 4

मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय

## आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ - 3/130/32/97, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित है, की विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन करता है :-

- |        |   |            |
|--------|---|------------|
| 1.     | संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागयुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर   | अध्यक्ष    |
| 2.     | नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी  | सदस्य      |
| 3.     | म.प्र.गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री   | सदस्य      |
| 4.     | संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका  | सदस्य      |
| 5.     | लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री  | सदस्य      |
| 6.     | लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री   | सदस्य      |
| 7.     | म.प्र.विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री  | सदस्य      |
| 8. (अ) | संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है) | सदस्य सचिव |
| (ब)    | संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नहीं है)                           | सदस्य सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के  
नाम से  
तथा आदेशानुसार  
हस्ता./-  
(जी.व्ही. उपाध्याय)  
उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 5

मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

## संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ - 3/130/32/97, राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित 'विकास' योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ - 3/130/32/97, दिनांक 20.01.98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है -

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं :-

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम
5. अध्यक्ष, नगर पालिका
6. अध्यक्ष, नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के  
नाम से  
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण  
विभाग



## परिशिष्ट 6

## संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 2876/नग्रानि/वि.यो./98

भोपाल, दिनांक 15 मई 1998

- प्रति, 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर निगम/नगर पालिका

विषय :- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा ।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97, दिनांक 20 जनवरी, 1998 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है :-

- पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी -
  - नगरीय अप्पोरारचना या विकारा
  - आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
  - सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों/उप केन्द्रों का विकास
  - आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
- समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी-
  - कार्यक्रम का चयन
  - परियोजना तैयारीकरण
  - परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
  - कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार
- समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।  
विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

हस्ता./-

(के. के. सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
भोपाल, मध्यप्रदेश

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 7

## मध्यप्रदेश राजपत्र

पृष्ठ क्र. 1753

दिनांक 31 अक्टूबर 1986

कार्यालय संयुक्त संचालक,  
नगर एवं ग्रामीण नियोजन क्षेत्रीय कार्यालय  
जबलपुर

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा, 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है की संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिवनी निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक रूप में अंगीकृत किया जाता है। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है, जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

## अनुसूची

सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर में :- ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा, (रैयत), बोरिया, मानेगांव, तथा बिटली की उत्तरी सीमा तक ।
2. पूर्व में :- ग्राम बिटली, पलारी, तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक ।
3. दक्षिण में :- ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होड़ी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक
4. पश्चिम में :- ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया, पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक ।

हस्ता./-

(व्ही. के. जैन)

संयुक्त संचालक

## परिशिष्ट 8

**कार्यालय, संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर**

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, की निवेश क्षेत्र सिवनी के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा, 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, और उसकी एक प्रति नगर पालिका सिवनी के टाउन हॉल में एवं संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन क्षेत्रीय कार्यालय 28 साउथ सिविल लाईनस जबलपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में निरीक्षण मंगलवार दिनांक 1 जुलाई 1986 से उपलब्ध है।

यदि इस प्रकार तैयार किये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो उसे प्रदर्शनी हॉल एवं संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन जबलपुर को मध्यप्रदेश राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, संयुक्त संचालक द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रकाशित मानचित्र की पूर्ण प्रति प्रकाशन केन्द्र पर दो रूपये प्रति मानचित्र एवं आधी प्रति एक रूपये में नगदी भुगतान पर दी जावेगी।

## सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमायें

## अनुसूची ग्रामों के नाम

1. उत्तर में :- ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा, (रैयत), बोरिया, मानेगांव, तथा बिटली की उत्तरी सीमा तक।
2. पूर्व में :- ग्राम बिटली, पलारी, तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक।
3. दक्षिण में :- ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होड़ी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक
4. पश्चिम में :- ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया, पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक।

हस्ता./-

(व्ही. के. जैन)

संयुक्त संचालक

नगर एवं ग्रामीण नियोजन

जबलपुर मध्यप्रदेश

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 9

मध्यप्रदेश शासन  
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग  
अधिसूचना

क्रमांक : 232/एफ 1-12/बत्तीस/74

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1974

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा सिवनी नगर निवेश क्षेत्र का गठन करती है। जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है।

## अनुसूची

## सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर में :- ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा (रैयत), बोरिया, मानेगांव, तथा बिटली की उत्तरी सीमा तक।
2. पूर्व में :- ग्राम बिटली, पलारी, तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक।
3. दक्षिण में :- ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होड़ी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक
4. पश्चिम में :- ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया, पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के  
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

(एन सी जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी

क्रमांक -233/एफ/1-12/तैतीस/74  
1974

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. कलेक्टर सिवनी मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन जबलपुर मध्यप्रदेश।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी मध्यप्रदेश।
5. अपर संचालक नगर तथा ग्रामीण नियोजन भोपाल मध्यप्रदेश को उनके ज्ञापन क्रमांक 231/वि.धि./टी.एण्ड सी.पी. दिनांक 7.01.74 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-2 में प्रकाशित किया जाए।

हस्ता./-

(एस.सी मिश्रा)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, नगर तथा ग्रामीण  
विभाग, भोपाल म.प्र.

## सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 10

2356

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021

[ भाग 1

क्र. एफ 3-09-2021-अठारह-5- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत सिवनी विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 24.10.2001 को निरस्त करते हुये सिवनी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की संघारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
1	2	3	4
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद, सिवनी	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, सिवनी	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, सिवनी	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र-213, सिवनी	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, सिवनी	सदस्य
(छ)	1.सरपंच	ग्राम पंचायत, बीझावाडा	सदस्य
	2.सरपंच	ग्राम पंचायत, कोहका माल (याम-मानेगाँव)	सदस्य
	3.सरपंच	ग्राम पंचायत, बिठली	सदस्य
	4.सरपंच	ग्राम पंचायत, जोरली छतरपुर	सदस्य
	5.सरपंच	ग्राम पंचायत, बोरदेई	सदस्य
	6.सरपंच	ग्राम पंचायत, खैरी	सदस्य
	7.सरपंच	ग्राम पंचायत, बाम्होडी	सदस्य
	8.सरपंच	ग्राम पंचायत, लखनवाडा	सदस्य
	9.सरपंच	ग्राम पंचायत, लोनिया	सदस्य
	10.सरपंच	ग्राम पंचायत, लूधरवाडा	सदस्य
(ज)	1.प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला सिवनी	सदस्य
	2.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सिवनी	सदस्य
	3.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सिवनी	सदस्य
	4.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सिवनी	सदस्य
	5.प्रतिनिधि	इस्टिड्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	6.प्रतिनिधि	इस्टिड्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	7.प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर(म.प्र.)	संयोजक

## सिवनी विकास योजना | 2035

भाग-1

2471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2008  
भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

## सूचना

क्र. एफ.3-67-2007-बत्तीस-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (1) कलेक्टर, जिला सिवनी (म.प्र.)
- (2) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- (3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सिवनी (म.प्र.)

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा 5 के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

**वर्षा नावलेकर**

**उपसचिव,**

**संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल**

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल  
E-mail : mptownplan@mp.gov.in

क्र. 894-अमृत-वि.यो.-13-नीमच-नग्रानि-2021.-

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2021

**सूचना**

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीमच निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट—<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/Neemuch2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं —

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला नीमच
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप नीमच विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नीमच या ई-मेल आईडी [obj-sugg-neemuch@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-neemuch@mp.gov.in) में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No. 894–Amrut–D.P.–13–Neemuch–TCP–2021.–

Bhopal, the 9<sup>th</sup> February 2021

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Neemuch Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/Neemuch2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Ujjain Division, Ujjain
- 2- Collector, District Neemuch
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Neemuch
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Neemuch

If there be any objection or suggestion with respect to the said – Neemuch Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Neemuch or mail on Email-id- [obj-sugg-neemuch@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-neemuch@mp.gov.in) before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.





# नीमच

## विकास योजना 2035 (प्रारूप)



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश शासन

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING  
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

**प्रस्तावना**

मध्यप्रदेश के पश्चिम में मालवा की भूमि पर राजस्थान की सीमा के निकट महु-नसीराबाद राज्य राजमार्ग 31-ए एवं खण्डवा-अजमेर के ब्रॉडगेज रेलवे लाईन पर स्थित नीमच शहर अपनी अनेक पुरानी अनूठी पहचान व प्रसिद्धि से विख्यात है। नीमच नगर में ब्रिटिश शासन काल में सैनिक छावनी होने के कारण केन्टोमेंट बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र का नियोजित विकास किया गया। केन्टोमेंट बोर्ड समाप्ति के पश्चात् छावनी क्षेत्र में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस का मुख्यालय बना है, जिसका काफी महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थल 24°28' उत्तरी अक्षांश एवं 74°51' पूर्वी देशान्तर रेखा पर समुद्र सतह से लगभग 452 मीटर ऊँचाई पर स्थित है।

नीमच निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 2000 में तैयार की जाकर 14 जुलाई 2000 से प्रभावशील की गई थी, यह विकास योजना 2011 की जनसंख्या एवं अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई थी। नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए नीमच विकास योजना 2035 में जनसंख्या 2.70 लाख हेतु आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं।

केन्द्र सरकार की अमृत योजना की उपयोजना के अंतर्गत नीमच शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है। इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त डाटा विश्वसनीय होकर नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं। अतः विकास योजना तैयार करने के इस कार्य में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद तथा मध्यप्रदेश विकास एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया गया है। इस कार्य में नगर पालिक निगम, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों, नगर के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है।

नीमच विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1) के अंतर्गत, जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है। मुझे आशा है कि विकास में संलग्न संस्थाएं एवं जनसामान्य अपने व्यावहारिक एवं सृजनशील सुझाव व्यक्त करेंगे, जिसके आधार पर योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाकर क्रियान्वयन किया जावेगा।

**(अजीत कुमार)**

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
मध्यप्रदेश भोपाल

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

**प्रस्तावना**

मध्यप्रदेश के पश्चिम में मालवा की भूमि पर राजस्थान की सीमा के निकट महु-नसीराबाद राज्य राजमार्ग 31-ए एवं खण्डवा-अजमेर के ब्रॉडगेज रेलवे लाईन पर स्थित नीमच शहर अपनी अनेक पुरानी अनूठी पहचान व प्रसिद्धि से विख्यात है। नीमच नगर में ब्रिटिश शासन काल में सैनिक छावनी होने के कारण केन्टोमेंट बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र का नियोजित विकास किया गया। केन्टोमेंट बोर्ड समाप्ति के पश्चात् छावनी क्षेत्र में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस का मुख्यालय बना है, जिसका काफी महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थल 24°28' उत्तरी अक्षांश एवं 74°51' पूर्वी देशान्तर रेखा पर समुद्र सतह से लगभग 452 मीटर ऊँचाई पर स्थित है।

नीमच निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 2000 में तैयार की जाकर 14 जुलाई 2000 से प्रभावशील की गई थी, यह विकास योजना 2011 की जनसंख्या एवं अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई थी। नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए नीमच विकास योजना 2035 में जनसंख्या 2.70 लाख हेतु आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं।

केन्द्र सरकार की अमृत योजना की उपयोजना के अंतर्गत नीमच शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है। इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त डाटा विश्वसनीय होकर नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं। अतः विकास योजना तैयार करने के इस कार्य में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद तथा मध्यप्रदेश विकास एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया गया है। इस कार्य में नगर पालिक निगम, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों, नगर के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है।

नीमच विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1) के अंतर्गत, जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है। मुझे आशा है कि विकास में संलग्न संस्थाएं एवं जनसामान्य अपने व्यावहारिक एवं सृजनशील सुझाव व्यक्त करेंगे, जिसके आधार पर योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाकर क्रियान्वयन किया जावेगा।

(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
मध्यप्रदेश भोपाल

---

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

---

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

**नीमच विकास योजना 2035 : योजना दल**

राजेश नागल  
संयुक्त संचालक  
सी.के. साधव  
डॉ. अमित कुमार गजभिये

उप संचालक (प्रभारी)  
गोरेलाल वर्मा

सहायक संचालक  
इंदु त्रिपाठी

**कर्मचारीगण**

सुनील माहौर  
घनश्याम देवाल  
मयुर  
अर्पित गुप्ता  
मानसी गुज्जेवार

जयंत शील  
सरिता ठाकुर  
सर्वेश पिडिहा  
अरविन्द सक्सेना  
अनिल सक्सेना

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग) का दल

डॉ. विवेक कटारे  
प्रमुख

डॉ. देवानु भटनागर  
परियोजना समन्वयक

नितिश कुमार गुप्ता  
रिसर्च एसोसिएट

ओंकार राम  
जूनियर रिसर्च फेलो

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## विषय सूची

प्रस्तावना.....	i
नीमच विकास योजना 2035 : योजना दल.....	iii
विषय सूची.....	v
सारणी सूची.....	xi
मानचित्र सूची.....	xv
<b>अध्याय 1</b> नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ.....	<b>1</b>
<b>1.1</b> नगर परिचय.....	<b>1</b>
1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि.....	1
1.1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य.....	1
1.1.3 दर्शनीय स्थल एवं महत्वपूर्ण स्थल.....	2
<b>1.2</b> अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति.....	<b>3</b>
1.2.1 भौतिक स्वरूप.....	3
1.2.2 जलवायु.....	3
<b>1.3</b> नियोजन हेतु प्रयास.....	<b>4</b>
<b>1.4</b> निवेश क्षेत्र.....	<b>4</b>
1.4.1 नगर निगम क्षेत्र.....	6
<b>अध्याय 2</b> विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण.....	<b>9</b>
<b>2.1</b> विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग.....	<b>9</b>
2.1.1 अमृत योजना.....	10
2.1.2 सुदूर संवेदन.....	10
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली.....	12
<b>2.2</b> विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली.....	<b>13</b>
2.2.1 उद्देश्य.....	14
2.2.2 कार्यप्रणाली.....	15
<b>2.3</b> अमृत मानकों की व्याख्या.....	<b>17</b>
2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping).....	17
<b>2.4</b> नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता.....	<b>25</b>
2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प.....	27
<b>2.5</b> भूमि उपयोग का आवंटन.....	<b>32</b>

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

<b>अध्याय 3</b>	<b>विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण.....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>विकास योजना-2031 क्रियान्वयन परिदृश्य .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2</b>	<b>विकास योजना 2031 क्रियान्वयन का मूल्यांकन.....</b>	<b>3</b>
3.2.1	आवासीय .....	3
3.2.2	वाणिज्यिक.....	3
3.2.3	औद्योगिक.....	3
3.2.4	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं.....	3
3.2.5	आमोद-प्रमोद.....	3
3.2.6	यातायात एवं परिवहन.....	3
<b>3.3</b>	<b>विकास योजना 2031 में उपान्तरण.....</b>	<b>4</b>
<b>3.4</b>	<b>असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग.....</b>	<b>4</b>
<b>3.5</b>	<b>ग्राम विकास.....</b>	<b>4</b>
<b>3.6</b>	<b>जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण.....</b>	<b>4</b>
3.6.1	जनसंख्या विश्लेषण .....	4
3.6.2	जनसंख्या लिंगानुपात .....	4
3.6.3	शिशु जनसंख्या.....	4
3.6.4	अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या .....	4
3.6.5	साक्षरता .....	5
3.6.6	कार्यशील जनसंख्या.....	5
3.6.7	जनसंख्या घनत्व.....	5
<b>3.7</b>	<b>व्यावसायिक संरचना.....</b>	<b>5</b>
<b>3.8</b>	<b>जनसंख्या परिवर्तन.....</b>	<b>5</b>
<b>3.9</b>	<b>नगर के मुख्य कार्यकलाप .....</b>	<b>5</b>
<b>3.10</b>	<b>नगरीय विस्तार.....</b>	<b>5</b>
<b>3.11</b>	<b>गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र.....</b>	<b>5</b>
<b>3.12</b>	<b>योजना कालावधि.....</b>	<b>5</b>
<b>3.13</b>	<b>अनुमानित जनसंख्या .....</b>	<b>5</b>
<b>3.14</b>	<b>आवास आवश्यकता.....</b>	<b>5</b>
3.14.1	आवासों की कमी .....	5
3.14.2	अनुमानित आवास आवश्यकता .....	5
3.14.3	आवासों का प्रकार .....	5
3.14.4	अनुमानित व्यवसायिक संरचना .....	5
<b>3.15</b>	<b>भौतिक अघोसंरचना .....</b>	<b>5</b>
3.15.1	जल प्रदाय.....	5



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

3.15.2	जल-मल निकास एवं स्वच्छता.....	62
3.15.3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.....	62
3.15.4	विद्युत प्रदाय.....	62
3.15.5	शैक्षणिक.....	62
3.15.6	संचार.....	63
3.15.7	डाक-तार.....	63
3.15.8	सुरक्षा.....	63
3.15.9	अग्निशमन सेवा केन्द्र.....	63
3.15.10	धोबीघाट.....	63
3.15.11	शमशानघाट एवं कब्रिस्तान.....	63
3.15.12	सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र.....	64
3.15.13	भू-जल आवर्धन.....	64
<b>अध्याय 4</b>	<b>विकास योजना प्रस्ताव-2035.....</b>	<b>65</b>
<b>4.1</b>	<b>विकास योजना-2031 का पुनर्विलोकन.....</b>	<b>65</b>
<b>4.2</b>	<b>नियोजन अवधारणा.....</b>	<b>65</b>
<b>4.3</b>	<b>विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता.....</b>	<b>66</b>
<b>4.4</b>	<b>प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035.....</b>	<b>66</b>
4.4.1	आवासीय.....	67
4.4.2	वाणिज्यिक.....	67
4.4.3	मिश्रित.....	70
4.4.4	औद्योगिक.....	70
4.4.5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं.....	70
4.4.6	आमोद-प्रमोद.....	70
4.4.7	यातायात एवं परिवहन.....	71
<b>4.5</b>	<b>निवेश इकाईयाँ.....</b>	<b>71</b>
<b>4.6</b>	<b>नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र.....</b>	<b>73</b>
<b>4.7</b>	<b>संवेदनशील क्षेत्र.....</b>	<b>73</b>
<b>4.8</b>	<b>असंगत भूमि उपयोग.....</b>	<b>74</b>
<b>4.9</b>	<b>ग्राम विकास.....</b>	<b>76</b>
<b>अध्याय 5</b>	<b>प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा.....</b>	<b>77</b>
<b>5.1</b>	<b>प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा.....</b>	<b>77</b>
<b>5.2</b>	<b>यातायात की वर्तमान स्थिति.....</b>	<b>78</b>
5.2.1	अवसान केन्द्र.....	82
5.2.2	वाहन विराम स्थल.....	82

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

5.3	प्रस्तावित यातायात प्रणाली.....	83
5.4	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई.....	84
अध्याय 6	विकास नियमन.....	87
6.1	प्रवृत्तशीलता.....	87
6.2	क्षेत्राधिकार.....	87
6.3	परिभाषायें.....	90
6.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र.....	92
6.5	आवासीय.....	97
6.5.1	नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन.....	97
6.6	बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण.....	99
6.7	फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.....	99
6.8	मिश्रित उपयोग.....	99
6.8.1	मिश्रित उपयोग नियमन.....	99
6.8.2	मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत.....	100
6.8.3	मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें.....	100
6.9	वाणिज्यिक.....	101
6.9.1	वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका.....	101
6.10	औद्योगिक.....	102
6.10.1	औद्योगिक विकास के मानक.....	102
6.11	सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन.....	103
6.12	यातायात.....	104
6.12.1	यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक.....	104
6.13	वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन.....	104
6.14	वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड.....	104
6.14.1	वर्तमान आवासीय क्षेत्र.....	104
6.14.2	वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां.....	106
6.14.3	सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक.....	108
6.15	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.....	108
6.16	ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक.....	109
6.17	शॉपिंग मॉल/खुला मॉल.....	110
6.18	सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड.....	110
6.19	हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग.....	110
6.20	मैरिज गार्डन.....	111
6.21	बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल.....	111

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

6.22	शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड.....	111
6.23	छविगृहों के लिए मापदण्ड .....	111
6.24	मल्टीप्लेक्स.....	112
6.25	बंगला,बगीचा भूमि के लिए नियमन .....	112
6.26	उद्यान.....	112
6.27	संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन.....	112
6.28	ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र.....	113
6.29	उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां.....	113
6.30	मिश्रित उपयोग कॉरिडोर.....	118
6.31	विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया.....	118
अध्याय 7	योजना क्रियान्वयन.....	119
7.1	विकास योजना का क्रियान्वयन.....	119
7.2	योजना क्रियान्वयन की नीति.....	120
7.3	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम.....	121
7.3.1	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व.....	122
7.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना.....	122
7.4.1	नियंत्रित विकास.....	122
7.4.2	अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन.....	122
7.4.3	एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना.....	123
7.5	विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण.....	124
7.6	योजना एवं कार्यक्रम.....	124
7.6.1	संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व.....	125
7.7	प्रथम चरण कार्यक्रम.....	125
7.8	संसाधन गतिशीलता.....	126
7.9	योजना पर्यवेक्षण तंत्र.....	128
7.10	योजना की व्याख्या.....	128
7.11	योजना कालावधि.....	128
	परिभाषाएँ.....	131
	परिशिष्ट 1.....	143
	परिशिष्ट 2.....	144
	परिशिष्ट 3.....	145



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## सारणी सूची

सारणी क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्र.
सारणी 1-सा-1	नीमच नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूर	1
सारणी 1-सा-2	नीमच निवेश क्षेत्र	5
सारणी 1-सा-3	वार्ड अनुसार जनसंख्या	6
सारणी 2-सा-1	उपग्रह चित्रों के मानक	11
सारणी 2-सा-2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस	12
सारणी 2-सा-3	जियो स्पेशियल डाटा	17
सारणी 2-सा-4	बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो-स्पेशियल डाटा	18
सारणी 2-सा-5	सीमाओं का वर्गीकरण	20
सारणी 2-सा-6	ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	21
सारणी 2-सा-7	मृदा विश्लेषण	22
सारणी 2-सा-8	जलाशयों का वर्गीकरण	22
सारणी 2-सा-9	भूमि मूल्य	23
सारणी 2-सा-10	भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल	23
सारणी 2-सा-11	जल स्रोत बफर क्षेत्रफल	24
सारणी 2-सा-12	भूमि अवक्रमण	24
सारणी 2-सा-13	मार्ग संरचना बफर	25
सारणी 2-सा-14	Weighted Index For Composite Land Suitability	28
सारणी 2-सा-15	Land Suitability Area	31
सारणी 3-सा-1	भूमि उपयोग मूल्यांकन(विकास योजना 2021 अनुसार)	34
सारणी 3-सा-2	भूमि उपयोग मूल्यांकन(विकास योजना 2021 मानचित्र अनुसार)	35
सारणी 3-सा-3	वाणिज्यिक क्रियान्वयन	37
सारणी 3-सा-4	भूमि उपयोग उपान्तरण	42
सारणी 3-सा-5	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	42
सारणी 3-सा-6	जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात	46
सारणी 3-सा-7	वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण	45
सारणी 3-सा-8	वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात	48
सारणी 3-सा-9	शिशु जनसंख्या प्रतिशत	48
सारणी 3-सा-10	शिशु लिंगानुपात	49

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

सारणी 3-सा-11	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	49
सारणी 3-सा-12	साक्षरता प्रतिशत	50
सारणी 3-सा-13	कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011	50
सारणी 3-सा-14	वार्ड वार जनसंख्या घनत्व	51
सारणी 3-सा-15	जनसंख्या घनत्व विश्लेषण	53
सारणी 3-सा-16	व्यावसायिक संरचना	54
सारणी 3-सा-17	जनसंख्या परिवर्तन	54
सारणी 3-सा-18	नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल	55
सारणी 3-सा-19	अनुमानित जनसंख्या (Population Projection)	57
सारणी 3-सा-20	जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2035	58
सारणी 3-सा-21	आवासों की कमी	59
सारणी 3-सा-22	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता - 2035	60
सारणी 3-सा-23	आय समूह अनुसार आवासीय इकाइयों की आवश्यकता	61
सारणी 4-सा-1	प्रस्तावित भूमि उपयोग	67
सारणी 4-सा-2	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र	68
सारणी 4-सा-3	निवेश इकाइयां	72
सारणी 4-सा-4	असंगत भूमि उपयोग	74
सारणी 5-सा-1	वर्तमान मार्गों की चौड़ाई	79
सारणी 5-सा-2	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	85
सारणी 6-सा-1	भू-उपयोग परिक्षेत्र	93
सारणी 6-सा-2	प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्र	96
सारणी 6-सा-3	आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड	98
सारणी 6-सा-4	वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड	101
सारणी 6-सा-5	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	102
सारणी 6-सा-6	सामुहिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन	103
सारणी 6-सा-7	वर्तमान आवासीय क्षेत्र के विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	105
सारणी 6-सा-8	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात	106
सारणी 6-सा-9	वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल के मापदण्ड	107
सारणी 6-सा-10	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड	108
सारणी 6-सा-11	अनापचारक वग कालए प्रावधान	109
सारणी 6-सा-12	उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां	113
सारणी 7-सा-1	विकास योजना का क्रियान्वयन	120
सारणी 7-सा-2	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	125

नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## मानचित्र सूची

मा. क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.1	Regional Setting	2A
1.2	Location Map of Planning Area	2B
1.3	Planning Area	6A
2.1	Satellite Images	12A
2.2	Digital Elevation Model	12B
2.3	Building Footprint	20A
2.4	Slope	22A
2.5	Contour	22B
2.6	Lithology	22C
2.7	Soil Texture	22D
2.8	Ground Water Prospects	22E
2.9	Earthquakes Zones	24A
2.10	Land Value	24B
2.11	Geomorphology	24C
2.12	Water Body Buffer	24D
2.13	Land Degradation	24E
2.14	Road Buffer	26A
2.15	Land Suitability (Model-1)	30A
2.16	Land Suitability (Model-2)	30B
2.17	Land Suitability (Model-3)	30C
3.1	Existing Landuse	34A
3.2	Ward Map	48A
3.3	Ward Wise Sex Ratio	48B
3.4	Ward Wise Child Population (0-6)	48C
3.5	Ward Wise Child Sex Ratio	50A
3.6	Ward Wise SC/ST Population	50B
3.7	Ward Wise Literacy	50C
3.8	Ward Wise Work Participation	50D
3.9	Ward Wise Population Density	52A
3.10	Urban Sprawl	56A



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

3.11	Slum	56B
3.12	Existing Water Supply Network	62A
3.13	Existing Power Supply Network	62B
3.14	Existing ATM	64A
3.15	Government Land	64B
3.16	Bus Stop	64C
3.17	Existing Community Toilet	64D
4.1	Proposed Landuse	68A
4.2	Planning Unit	72A
5.1	Existing Transport Network	82A
5.2	Proposed Transport Network	86A
7.1	First Phase Implementation	126A

## अध्याय 1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

### 1.1 नगर परिचय

नीमच मालवा क्षेत्र के उत्तर-पूर्व भाग में स्थित होकर मध्यप्रदेश का एक प्रमुख जिला है। यह जिला उत्तर दिशा में राजस्थान के चित्तौड़गढ़, पश्चिम दिशा में राजस्थान के प्रतापगढ़ पूर्व व दक्षिण दिशा में मंदसौर जिले से घिरा हुआ है। नीमच नगर उज्जैन संभाग का एक प्रमुख जिला है।

#### 1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

पूर्व में यह नगर मीना जनजाति का कस्बा होने के कारण 'मीनाच' नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश शासन की सैनिक छावनी होने के कारण इसे नीमच अर्थात् नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एण्ड केवलरी हैड क्वार्टर्स के नाम से भी जाना जाता है तथा नीम के पेड़ों की बहुतायत के कारण इसे नीमच कहा गया है।

#### 1.1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य

नगर के मध्य से महू-चित्तौड़गढ़ मार्ग गुजरने के कारण देश के प्रमुख नगर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल तथा अन्य प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग से जुड़ा है। साथ ही महू-नीमच रेल मार्ग से मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, इन्दौर, मन्दसौर आदि प्रमुख नगरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। नगर में मुख्य रूप से कृषि उत्पादन से सम्बंधित व्यवसाय होता है। गेहूँ, चना, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, अफीम, अजवाईन, इसबगोल, अश्वगंध आदि का कृषि उत्पाद होने से नगर में बहुत बड़ी कृषि उपज मण्डी, रेलवे-स्टेशन के समीप स्थित है। इस मण्डी से कृषि उपज का देश के अन्य प्रमुख नगरों में निर्यात होता है। इस कारण नगर का क्षेत्रीय दृष्टि से भी अधिक महत्व है।

#### नीमच नगर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1-सा- 1

समीपस्थ नगर	दूरी (कि.मी.)
1	2
प्रतापगढ़ (राजस्थान)	56
मंदसौर	50
रतलाम	135
नागदा	145
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	65
उज्जैन	200
इन्दौर	260
भोपाल	450

### 1.1.3 दर्शनीय स्थल एवं महत्वपूर्ण स्थल

ऐतिहासिक रूप से नीमच, मेवाड़ राज्य का भाग था। वर्ष 1790 में सिंधिया रियासत द्वारा इसे अपने राज्य में सम्मिलित किया गया। वर्ष 1817 में ब्रिटिश शासन द्वारा सिंधिया स्टेट से नगर को प्राप्त कर, इसे सैनिक छावनी बनाया एवं नीमच नाम दिया गया। वर्ष 1822 में यह राजपूताना एवं मालवा राजनैतिक संगठनों का संयुक्त मुख्यालय बना एवं वर्ष 1895 में यह मालवा क्षेत्र का मुख्यालय बनाया गया।

अंग्रेज शासन की समाप्ति के पश्चात् सन् 1952 में एकीकृत नगर पालिका परिषद् का गठन किया गया। नगर पालिका के गठन के उपरान्त नगर के भौतिक विकास को गति प्रदान करने के लिये सन् 1956 में नीमच नगर सुधार न्यास का गठन किया गया था। इस सुधार न्यास का नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसके कारण तहसील स्तर के इस नगर में ग्रिड आयरन पद्धति के मार्ग, स्टेडियम, तरणताल आदि जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.08.94 द्वारा न्यास का निरसन कर उसकी समस्त आस्तियां एवं दायित्व नगर पालिका परिषद् नीमच को सौंपा गया। वर्तमान में नीमच नगर पालिका के अन्तर्गत दिनांक 01.08.94 से न्यास का विलय होकर नगर विकास प्रकोष्ठ कार्यरत है। वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश गठन के समय नगर को प्रशासनिक सब डिवीजन बनाया गया एवं वर्ष 1998 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया है, जिसके कारण नीमच अब एक प्रशासनिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है।


#### • किलेश्वर महादेव मंदिर

किलेश्वर महादेव मंदिर नगर का अत्यंत सुन्दर मंदिर है, जो धार्मिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है। शिवरात्रि के पर्व पर यहां एक सप्ताह के लिये मेले का आयोजन होता है, जिसमें नगर तथा आसपास के हजारों दर्शनार्थी यहां आते हैं। मेले की व्यवस्था एवं प्रबंधन नगर पालिका नीमच द्वारा किया जाता है। शहर के मध्य प्राचीन किलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो कि केन्ट क्षेत्र से लगा है।

नगर के मध्य भूतेश्वर महादेव मंदिर, सांवरियाजी का मंदिर (नीमच सिटी), सी.आर.पी. एफ. क्षेत्र में चर्च, गुरुद्वारा, किला तथा प्राचीन इमारतों के निर्माण हुए हैं, जो धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनका संरक्षण उत्थान तथा विकास विशेषज्ञों से परामर्श कर किया जाना उचित होगा।



1.2 - Regional Location Map



Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal  Landuse & Urban Survey Division Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

249

### • भादवामाता मंदिर

नीमच शहर से 18 किमी. दूर भादवामाता मंदिर स्थित है, जो कि मनासा मार्ग पर आता है। जहां पर नवरात्र के समय मेले आदि का आयोजन भी होता है। कई स्थानों से यहां पर श्रद्धालु आते हैं, जो कि अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं और पूर्ण होने पर पुनः आते हैं।

## 1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

नीमच नगर मालवा क्षेत्र में स्थित होकर उज्जैन राजस्व संभाग का जिला मुख्यालय है तथा राजस्थान सीमा से लगा हुआ है।

यह नगर रेल मार्ग से सीधे मन्दसौर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटा, नई दिल्ली आदि देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जुड़ा है। साथ ही सड़क मार्ग (महू-चित्तौड़गढ़) से मन्दसौर, रतलाम, धार, महू, इन्दौर, खण्डवा, बुरहानपुर तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, नसीराबाद आदि प्रमुख नगरों से सीधा सम्पर्क होने से क्षेत्रीय संदर्भ में काफी महत्व रखता है।

### 1.2.1 भौतिक स्वरूप

नीमच नगर राजस्थान की सीमा से लगकर समतल मैदान पर बसा हुआ है। नगर समुद्र तल से 452 मीटर ऊंचाई पर 24°28' उत्तरी अक्षांश एवं 74°51' पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला है। नगर के उत्तर दिशा से पूर्व की ओर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर दो नाले प्रवाहित हो रहे हैं, जो नीमच सिटी के पास आपस में मिलकर रेतम नदी में मिलते हैं। नगर के मध्य से महू-चित्तौड़गढ़ मार्ग तथा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन गुजरने के कारण नगर तीन भागों में विभक्त हुआ है।

### 1.2.2 जलवायु

नीमच नगर मालवा क्षेत्र में स्थित होने से यहां की जलवायु सौम्य है। यहां पर रात्रि में काफी कम तापमान रहता है। ग्रीष्मकाल में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, अधिकतम गर्मी मई के अंतिम सप्ताह से जून के मध्य तक रहती है। शीतकाल में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सर्वाधिक ठंड दिसम्बर एवं जनवरी माह में रहती है। नगर में अरब सागर की मानसूनी हवाओं से औसत वर्षा 812 मिलीमीटर होती है। अधिकांश वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है।

अप्रैल से सितम्बर तक नगर में वायु प्रवाह की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर की ओर रहती है, जिसमें सामान्यतः अधिक गति होती है। शेष अवधि में वायु प्रवाह दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर रहती है।

### 1.3 नियोजन हेतु प्रयास

नगर नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्षेत्रीय, नगरीय एवं स्थानीय संदर्भ में विकास के दबाव एवं आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर की प्राप्ति की आकांक्षा की जाती है। इसके लिये शासकीय, अर्धशासकीय, स्थानीय निकाय एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास योजना में दिये गये भू-उपयोगों के प्रस्तावों को ग्राह्य करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर का सर्वांगीण विकास हो सके।

नीमच विकास योजना-2011 नगर के सुनियोजित विकास हेतु प्रथम प्रयास था। विकास योजना का अनुमोदन मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-94-99-बत्तीस भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2000 जो कि म.प्र. असाधारण राजपत्र पृष्ठ क्रमांक 1474 दिनांक 14 जुलाई 2000 में प्रकाशित हुई है। उक्त दिनांक से ही नीमच विकास योजना प्रभावशील हुई है। साथ ही नीमच विकास योजना- 2031 म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3/ 14/2014/32 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा अनुमोदित की जाकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 07.04.2017 से प्रभावशील थी।

### 1.4 निवेश क्षेत्र

नीमच निवेश क्षेत्र का गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2365/एफ-1-54/ 33/73 भोपाल, दिनांक 25.09.1973 द्वारा किया गया है।

नीमच निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7347.34 हेक्टर है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 13 ग्राम सम्मिलित है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,40,871 है। निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों एवं उनकी जनसंख्या का विवरण सारणी क्रमांक 1-सा-2 में दर्शाया गया है।

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## नीमच निवेश क्षेत्र

सारणी 1-सा- 2

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		जनसंख्या 2011
		राजस्व अभिलेख अनुसार	जी.आई.एस. अनुसार	
1	2	3	4	5
1	डुंगलावदा	208.88	211.13	737
2	चंगेरा	376.84	377.10	613
3	खड़ावदा	208.49	212.08	534
4	लेवड़ा	214.68	219.86	850
5	धनेरियाकलां	773.79	795.94	2731
6	अरन्याकुमार	359.76	340.59	350
7	जगोली	213.54	212.37	518
8	जयसिंगपुरा	303.11	303.54	1236
9	हिंगोरिया	432.40	432.95	849
10	कनावटी	569.78	573.59	2903
11	भोल्यावास	282.06	287.11	540
12	रावतखेड़ा	383.47	384.91	402
13	जैतपुरा	56.54	57.07	33
	<b>(अ) ग्रामीण क्षेत्र (अनुक्रमांक 1 से 13)</b>	<b>4383.34</b>	<b>4408.24</b>	<b>12,296</b>
	<b>(ब) नगरपालिका क्षेत्र</b>	<b>2964.00</b>	<b>2987.07</b>	<b>1,28,575</b>
	<b>कुल योग (अ+ब)</b>	<b>7347.34</b>	<b>7395.31</b>	<b>1,40,871</b>

स्रोत : भारत की जनगणना वर्ष 2011 एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

नोट:- नगर पालिका के क्षेत्रफल में नीमच नगर (सी.आर.पी.एफ. सहित) एवं कस्बा नीमच का क्षेत्र सम्मिलित है।



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

राजस्व अभिलेख अनुसार नीमच निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7347.34 हे. है जबकि जी.आई.एस. तकनीक के आधार पर निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7395.31 हे. प्रगणित होता है। चूंकि नीमच विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन जी.आई.एस. तकनीक के आधार पर किया जा रहा है, अतः आगामी गणनाओं हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7395.31 हे. मानते हुये समस्त गणनाएं की गई हैं।

## 1.4.1 नगर निगम क्षेत्र

वर्ष 1947 तक नीमच नगर के तीन प्रमुख भागों में से नीमच सिटी एवं बघाना ग्वालियर रियासत के अंग थे तथा छावनी का क्षेत्र अंग्रेज शासन के अधीन था। छावनी के असैनिक क्षेत्र में नगर पालिका के दायित्व का संपादन केन्टोन्मेंट बोर्ड द्वारा किया जाता था। सैनिक शासन समाप्त हो जाने के पश्चात् छावनी के लिये सर्वप्रथम सन् 1936 में म्यूनििसीपालिटी एक्ट, 1954 के अन्तर्गत एकीकृत नगर पालिका का गठन हुआ। पूर्व में नगर पालिका का क्षेत्रफल 1342.0 हेक्टर होकर 36 वार्डों में विभक्त था, तत्पश्चात् सन् 2002 में नगर पालिका के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई थी, जिसके अनुसार नगर पालिका का कुल क्षेत्रफल 2964.00 हे. हुआ है। सन् 2004 में नगर पालिका सीमा को 40 वार्डों में विभक्त किया गया है, जो अभी तक यथावत् है। नगर पालिका सीमा में नीमच नगर (सी.आर.पी.एफ. सहित) एवं नीमच कस्बा सम्मिलित है।

## वार्ड अनुसार जनसंख्या

सारणी 1-सा- 3

वार्ड क्र.	वार्ड के नाम	जनसंख्या	वार्ड क्र.	वार्ड के नाम	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	राजीव गांधी	2593	21	भगतसिंह	1086
2	शहीद	2656	22	जाजू	1613
3	अहिल्याबाई	1299	23	दयानंद	4030
4	कालिदास	2120	24	अशोक	3656
5	चंद्रशेखर आजाद	4524	25	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	1790
6	रहीम	2377	26	शिवाजी	4761
7	डॉ. अम्बेडकर	3817	27	डॉ. राधाकृष्णन	3690
8	इंदिरा गांधी	6385	28	सुभाष	3874
9	महावीर	2553	29	डॉ. श्याम प्रसाद	5446
10	गोपालकृष्ण	8431	30	टेगोर	4837
11	जवाहर	3412	31	सरोजिनी नायडू	1645
12	शास्त्री	3436	32	राज गोपालाचार्य	5302
13	डॉ. भामा	3729	33	कस्तूरबा	4832



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

वार्ड क्र.	वार्ड के नाम	जनसंख्या	वार्ड क्र.	वार्ड के नाम	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
14	संत भावे	1936	34	डॉ. जाकिर हुसैन	3673
15	किदवई	2502	35	काटजू	3416
16	मौलाना आजाद	1748	36	लोहिया	1502
17	विक्रम	4916	37	कबीर	2901
18	विवेकानंद	2834	38	गांधी	1568
19	तिलक	1677	39	लक्ष्मीबाई	1552
20	प्रताप	2626	40	माधवराव सिंधिया	1350
				<b>कुल</b>	<b>1,28,575</b>

स्त्रोत :- नगर पालिका

---

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

---

## अध्याय 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

### 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं।

नगर विकास एक सतत् गतिविधि है, जिसे नगर नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप नियोजन की सतत् प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। इसके लिए शासकीय, अर्धशासकीय सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास योजना में दिये गये भू-उपयोग के प्रस्तावों का पालन करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ-साथ अन्य आवश्यक गतिविधियाँ जैसे-आवासीय, आमोद-प्रमोद, व्यावसायिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें।

भारत सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "**Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation**" (AMRUT) योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना को सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

### 2.1.1 अमृत योजना

**“Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT)** योजना की उपयोगना के मुख्य उद्देश्य हैं:-

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना।

### 2.1.2 सुदूर संवेदन

भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू-II (World View-II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अंतर्गत 1:4000 के पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने में किया गया है। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक सारणी क्रमांक 2-सा-1 में दर्शाये गये हैं।

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2-सा- 1

S.No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4	Radiometry	10 bit or better	
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: $0.6 < B/H < 0.8$
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

### 2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेस एवं सब-क्लासेस में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 2-सा-2 में दर्शाई गई है।


#### स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस

सारणी 2-सा- 2

S. No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers	Very High Resolution Satellite Data	3	16
	1. Road			
	2. Bridges			
	3. Water Bodies			
2	Urban Land use/Land cover	Very High Resolution Satellite Data	22	48
3	Building Footprints	Very High Resolution Satellite Data	16	46
4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6	Boundaries			
	1. Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	2. Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद







## 2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

नीमच विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है- संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थाई एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट, जो अत्यावश्यक है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थाई एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो।

एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है-

### • धरातल विशेषताएँ

भौगोलिक स्थिति यथा कंटूर, सामान्य अथवा अत्यधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

### • भूमि उपयोग वितरण

नगरीय विस्तार कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं रिक्त क्षेत्र जो भावी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

### • जनसंख्या विशेषताएँ

आयु समूह, लिंगानुपात, आब्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना।

### • आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।

- यातायात विशेषताएँ

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना।

- आवास विशेषताएँ

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

- सार्वजनिक सेवाएं

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएं।

- सार्वजनिक सुविधाएं

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद-प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्यिक क्षेत्र।

उपरोक्तानुसार जो जानकारी एकत्रित की गयी है वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू-II (World View-II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन के अंतर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

### 2.2.1 उद्देश्य

- भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

वर्ल्ड व्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी-II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- नीमच नगर की बसाहट विस्तार मानचित्र तैयार करना

विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना।

1. संपूर्ण नीमच नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।

2. नैसर्गिक आपदाओं का जैसे भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
3. जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।


● **जनगणना के आँकड़ें**

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु भारत की जनगणना वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है।

**2.2.2 कार्यप्रणाली**

नीमच नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली प्रस्तुत है। अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है—

## उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली



## 2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनुसार नगर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किये गये हैं, इन आँकड़ों में नगर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आँकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार इत्यादि के साथ-साथ जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है।

### 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं जिसकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में दर्शायी गई है।

#### 2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया है। जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी क्रमांक 2-सा-3 में दर्शाया गया है।

### Geo-Spatial Data Content

सारणी 2-सा- 3

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-09		Major City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village Road
	01-15		Foot Path
3	03-01	Bridges	Culvery
	03-03		Bridge Across River

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## 2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी. हैदराबाद) से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर नीमच नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2-सा-4 में दर्शायी गई है।

## बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो-स्पेशियल डाटा

सारणी 2-सा- 4

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
	06-06		Apartment
2	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
5	10-01	Educational	School
	10-05		Anganwari
			College
6	11-01	Health Services	Polytechnic
	11-02		Govt. Hospital
	11-04		Private Hospital
7	12-01	Central Govt. Property	Clinic/Dispensary
	12-02		Office
8	13-01	State Govt. Property	Quarter
			Office



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
9	15-02	Public & Semi-Public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium Burial Ground /Grave Yard
	15-09		Guest House/Rest House
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/Community Toilet
	15-28		Old age Home
15-30	Fire Station		
10	16-01	Religious	Temple
	16-02		Mosque
	16-03		Idgah
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
11	17-01	Recreational	Garden
12	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
15	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16	26-02	Rural	House
	26-03		Group Of House
17	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-17		Gaushala

### 2.3.1.3 ग्राम/वार्ड सीमा

भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।


- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई।
- नगर पालिका परिषद से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिका परिषद सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया।
- अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:30000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्रों का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए एवं उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर नीमच निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-5 में दर्शायी गई है।

#### सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary



### 2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM (Cartosat-1 Derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

$$\text{ढलान का प्रतिशत} = (\text{ऊँचाई में अंतर} / \text{दूरी में अंतर}) \times 100$$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2-सा-6 में दिया गया है।

#### ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2-सा- 6

क्र.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	<1	5850.5	79.11
2	1-3	1511.7	20.44
3	3-5	33.16	0.45
योग		<b>7395.31</b>	<b>100.00 %</b>

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

### 2.3.1.5 कंटूर

नीमच निवेश क्षेत्र की भूमि की समुद्र सतह से ऊँचाई की जानकारी हेतु कंटूर मानचित्र निर्मित किया गया है।

### 2.3.1.6 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु "भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग" Soil & Land use Survey of India (SLUSI) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव, मिट्टी की बनावट तथा मिट्टी की गहराई के मानचित्र तैयार किये गये हैं। मृदा विश्लेषण सारणी 2-सा-7 में दर्शित है।

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## मृदा विश्लेषण

सारणी 2-सा- 7

क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हे.मे)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Clayey	895.14	12.10
2	Clayey Skeletal	416.57	5.63
3	Fine	3758.80	50.83
4	Fine Loamy	397.97	5.38
5	Loamy Skeletal	367.75	4.97
6	Water body	90.02	1.22
7	Built up	1469.10	19.87
	<b>योग</b>	<b>7395.31</b>	<b>100%</b>


## 2.3.1.7 जलाशय

वर्ल्ड व्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर नीमच निवेश क्षेत्र में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2-सा-8 में दर्शायी गई है।


## जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2-सा- 8

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Pond
	05-06		Lake
	05-08		Island (River/Lake)
	05-09		Reservoir





255  
585











**2.3.1.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र**

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी, जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत नीमच भूकंप प्रभावित क्षेत्र नहीं है।

**2.3.1.9 भूमि मूल्य**

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से निवेश क्षेत्र के कुल वार्ड के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित कर बाजार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है।

**भूमि मूल्य**

सारणी 2-सा- 9

S. No.	Range Value	Ward Number
1	2	3
1	2400-20000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 32, 33, 36, 37, 39, 40
2	20000-40000	11, 12, 13, 23, 28, 29, 30, 31, 35
3	40000-60000	22, 24, 34
4	60000-80000	14
5	80000-100000	26, 27
6	>100000	15, 16, 20, 21, 25

**2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड**

नीमच निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2-सा-10 में दर्शाई गयी है।

**भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल**

सारणी 2-सा- 10

क्र.	जिओमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	फुटपाथ (Pediment)	289.14	3.91
2	पद स्थली (Pedi Plain)	7016.15	94.87
3	जलाशय (Water Body)	90.02	1.22
	<b>योग</b>	<b>7395.31</b>	<b>100</b>

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## 2.3.1.11 जल स्रोत बफर

नीमच निवेश क्षेत्र में सम्मिलित मुख्य नदी, नीहर, नालों एवं तालाबों का कुल क्षेत्रफल 66.56 हेक्टेयर है। तालाबों के चारों ओर 30.00 मीटर एवं नालों से 9.00 मीटर की दूरी तक निर्माण/विकास कार्य प्रतिबंधित किया गया है, जिससे तालाबों एवं नालों का मूल स्वरूप यथावत रहे। मुख्य जल स्रोतों से लगकर भू-जल संभावित क्षेत्र संबंधी जल स्रोत बफर की जानकारी निम्न सारणी क्रमांक 2-सा-11 में दर्शायी गयी है।

## जल स्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा- 11

क्र.	बफर (मी0 में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल(प्रतिशत)
1	2	3	4
1	अ	15	35.71
2		30	35.48
3		45	36.03
4		60	35.92
5		>60	5618.07
6	ब	Water Bodies	66.58
7		Road	125.17
8		Built Up	1442.33
कुल योग		7395.31	100

स्रोत:-भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

## 2.3.1.12 भूमि अवक्रमण (Land Degradation)


नीमच निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का अवक्रमण संबंधी जानकारी निम्न सारणी 2-सा-12 में दर्शायी गई है।


## भूमि अवक्रमण

सारणी 2-सा- 12

S. No.	Land Degradation Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3	3
1	Water Erosion- Gullies	39.54	7.46
2	Water Erosion-Rills	29.64	5.59
3	Water Erosion- Sheet	460.74	86.95
योग		529.92	100


स्रोत:-भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण






303









## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## 2.3.1.13 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना, भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों के दोनों ओर बफर क्षेत्र निर्धारित किए गये हैं। मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी निम्न सारणी 2-सा-13 में दर्शाई गई है।

## मार्ग संरचना बफर

सारणी 2-सा- 13

क्र.	बफर (मी0 में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल(प्रतिशत)	
1	2	3	4	
1.	अ	100	543.89	7.35
2.		200	609.39	8.24
3.		500	1622.96	21.95
4.		500 से अधिक	2984.99	40.36
5.	ब	Road	125.17	1.69
6.		Built Up	1442.3	19.50
7.		Water Bodies	66.58	0.90
कुल योग		7395.31	100.00	

स्रोत:-भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

## 2.3.1.14 रेलवे स्टेशन

नीमच, चंदेरिया और चित्तौडगढ़ के दोहरीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद नीमच रेलवे जंक्शन की श्रेणी में आ जाएगा। जिससे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ जाएगी।

## 2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किसी भूमि का विकास किस प्रकार किया जावे। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, सामाजिक एवं आर्थिक समानताएं महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण, भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर करता है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है-


1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है।

2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन पर।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण, विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव भी महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है का भी विकास होगा। अतः यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी तो बाजार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

भूमि की उपयुक्तता हेतु बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है। नीमच नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई है। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना आवश्यक है। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)



उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। भूमि उपयोग की सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं। उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है, कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः ऐसी भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं।

#### 2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2-सा-14 में दिया गया है।

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

**Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-1]**

सारणी 2-सा- 14

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
1	Land Use	25	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Builtup	0
4			Green Area	0
5			Waterbody	0
1	Geomorphology	20	Pediplain	9
2			Pediment	8
3			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	10	Good	3
2			Moderate	5
3			Waterbody	0
1	Soil Texture	05	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8
3			Fine	7
4			Clayey Skeletal	5
5			Clayey	4
6			Fine Loamy	3
7			Habitation	0
8			Waterbody	0
1	Road Buffer	10	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	10	15 m	1
2			30 m	3
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	10	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	6
5			10-15 %	5
6			15-20 %	4
1	Land Value	10	<2400	9
2			2400-20000	7
3			20000-40000	5
4			40000-60000	4
5			60000-80000	3

**Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-2]**

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
1	Land Use	20	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Builtup	0
4			Green Area	0
5			Waterbody	0
1	Geomorphology	10	Pediplain	9
2			Pediment	8
3			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	10	Good	3
2			Moderate	5
3			Waterbody	0
1	Soil Texture	10	Loamy	8
2			Loamy Skeletal	9
3			Fine	7
4			Clayey Skeletal	5
5			Clayey	4
6			Fine Loamy	3
7			Habitation	0
8			Water Bodies	0
1	Road Buffer	10	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	15	15 m	1
2			30 m	3
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	15	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	6
5			10-15 %	5
6			15-35 %	4
1	Land Value	10	<2400	9
2			2400-20000	7
3			20000-40000	5
4			40000-60000	4
5			60000-80000	3


नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035


**Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-3]**


S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1	2	3	4	5
1	Landuse	14	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Built-up	0
4			Green	0
5			Water body	0
1	Geomorphology	12	Pediplain	9
2			Pediment	8
3			Waterbody	0
1	Ground Water Prospect	12	Good	3
2			Moderate	5
3			Water bodies	0
1	Soil Texture	12	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8
3			Fine	7
4			Clayey Skeletal	5
5			Clayey	4
6			Fine Loamy	3
7			Habitation	0
8			Waterbody	0
1	Road Buffer	14	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	12	15 m	1
2			30 m	3
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	12	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	6
5			10-15%	5
6			15-35%	4
1	Land Value	12	<2400	9
2			2400-20000	7
3			20000-40000	5
4			40000-60000	4
5			60000-80000	3

स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण









## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

**टीप:** भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ़र को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई सिल्वर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है। सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का घटक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है।

**Land Suitability Area [Model-1]**

सारणी 2-सा- 15

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Not Suitable	1649.41	22.30
Less Suitable	85.57	1.16
Moderately Suitable	4869.60	65.85
Highly Suitable	790.73	10.69
<b>Grand Total</b>	<b>7395.31</b>	<b>100.00</b>

**Land Suitability Area [Model-2]**

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Not Suitable	1649.41	22.30
Less Suitable	109.77	1.48
Moderately Suitable	5000.16	67.62
Highly Suitable	635.97	8.60
<b>Grand Total</b>	<b>7395.31</b>	<b>100.00</b>

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## Land Suitability Area [Model-3]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Not Suitable	1649.41	22.30
Less Suitable	111.58	1.51
Moderately Suitable	5368.46	72.59
Highly Suitable	265.86	3.60
<b>Grand Total</b>	<b>7395.31</b>	<b>100.00</b>

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु Model-1, Model-2 एवं Model-3 तैयार किये गये हैं। जिसे सारणी 2-सा-15 में दर्शाया गया है। उपरोक्त तीनों सारणीयों में से भूमि उपयुक्तता के संदर्भ में Model-1 में Highly Suitable एवं Moderately Suitable का प्रतिशत 76.54 है जो की Model-2 एवं Model-3 की तुलना में अधिक है। अतः Model-1 का चयन अंतिम रूप से नीमच विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है।

## 2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर नीमच निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

## अध्याय 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

### 3.1 विकास योजना-2031 क्रियान्वयन परिदृश्य

नीमच विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन कर अमृत मानकों के अनुरूप विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार कर नागरिकों की सक्रिय सहभागिता अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था, किन्तु योजना क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत कम सफलता प्राप्त हो सकी है। विकास योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया अनेकों बार गुणात्मक मूल्यां के संदर्भ में संभावित हुई है एवं यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से सेवा सुविधाओं एवं अधोसंरचना के संदर्भ में परिलक्षित हुई है। अपेक्षित सफलता प्राप्त न होने का मुख्य कारण क्रियान्वयन प्रक्रिया, सेवा सुविधाओं एवं अधोसंरचना का विकास योजना प्रस्तावों के अनुरूप विकास ना होना है, जिसके परिणामस्वरूप असंगत एवं अवांछनीय नगरीय विकास हुआ है। कुछ क्षेत्रों में असम्बद्ध भूमि उपयोगों का अत्यधिक विस्तार, अवैध बस्तियों की संख्या में वृद्धि, अप्रभावी भू-उपयोग नियंत्रण, अपर्याप्त सामाजिक अधोसंरचना एवं अपेक्षित भूमि का विकास नहीं हो पाना इत्यादि प्रमुख समस्या रही है। विशेषकर निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रबंधन के अभाव में योजना प्रभावित हुई है।

- विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होने से क्रियान्वयन स्तर का कार्य स्थानीय शासन अर्थात् नगर पालिका परिषद का दायित्व है। संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव होना।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव होना।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध न होना।
- निजी निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास न होना।
- योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास न होना।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोणियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

**3.2 विकास योजना 2031 क्रियान्वयन का मूल्यांकन**

नीमच निवेश क्षेत्र में समाविष्ट 7395.31 हेक्टेयर क्षेत्र में से विकास योजना 2031 में 2500.00 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु प्रस्ताव दिये गये थे। नगर नियोजन के लिए तैयार की जाने वाली विकास योजना की एक विशिष्ट समयावधि निर्धारित की जाती है, ताकि उस समयावधि तक योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावों के अनुरूप हो सके।

विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2011 की जनसंख्या 2.00 लाख के लिये भूमि उपयोगिता दर 8.95 तथा 2031 की जनसंख्या 2.50 लाख के लिये भूमि उपयोगिता दर 10.00 के आधार पर विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये थे।

विकास योजना 2031 के निर्धारित लक्ष्यों का अमृत योजना के मानकों के अनुरूप पुनर्विलोकन आवश्यक समझा गया है। वर्ष 2031 तक भूमि उपयोग अनुसार क्रियान्वयन स्तर सारणी 3-सा-1 में दर्शाया गया है।

**विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन\***

सारणी 3-सा- 1

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)		विकास योजना का क्रियान्वयन का प्रतिशत	विकास के लिए उपलब्ध भूमि
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	1077.00	4.31	678.03	2.71	62.96	398.97
2	वाणिज्यिक	210.00	0.84	93.19	0.37	44.38	116.81
3	औद्योगिक	200.00	0.80	47.00	0.19	23.50	153.00
4	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें	275.00	1.10	191.08	0.77	69.48	83.92
5	आमोद-प्रमोद	290.00	1.16	40.73	0.16	14.04	249.27
6	यातायात एवं परिवहन	448.00	1.79	376.48	1.51	84.04	71.52
	<b>योग</b>	<b>2500.00</b>	<b>10.00</b>	<b>1426.51</b>	<b>5.71</b>	<b>57.06</b>	<b>1073.49</b>

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण





## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

\* नीमच विकास योजना 2031 के अध्याय 2 की सारणी क्रमांक 2-सा-4 नीमच: भूमि आवंटन 2031 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन।

नीमच विकास योजना 2031 के अध्याय 2 की सारणी क्रमांक 2-सा-4 नीमच: भूमि आवंटन 2031 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं विकास योजना 2031 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं हैं, चूंकि विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2031 के प्रस्तावित मानचित्र अनुसार जी.आई.एस से प्राप्त क्षेत्रफल को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है, जो की सारणी क्रमांक 3-सा-2 में दर्शाया गया है।

विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3-सा- 2

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)		विकास योजना का क्रियान्वयन का प्रतिशत	विकास के लिए उपलब्ध भूमि
		क्षेत्र	दर	क्षेत्र	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	1510.87	6.04	678.03	2.71	44.88	832.84
2	वाणिज्यिक	250.88	1.00	93.19	0.37	37.15	157.69
3	औद्योगिक	239.37	0.96	47.00	0.19	19.63	192.37
4	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें	295.26	1.18	191.08	0.77	64.71	104.18
5	आमोद-प्रमोद	261.49	1.05	40.73	0.16	15.57	221.92
6	यातायात एवं परिवहन	643.70	2.57	376.48	1.51	58.49	267.22
<b>योग</b>		<b>3201.57</b>	<b>12.81</b>	<b>1426.51</b>	<b>5.71</b>	<b>44.56</b>	<b>1776.22</b>

स्त्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना 2031 के लगभग 44.52 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके हैं। कुछ भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है। वर्ष 2020 की प्रक्षेपित जनसंख्या 2,50,000 के आधार पर विभिन्न उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है :-

**3.2.1 आवासीय**

नीमच विकास योजना 2031 में आवासीय भूमि उपयोग अंतर्गत 1510.87 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से लगभग 678.03 हेक्टेयर क्षेत्र वर्तमान में आवासीय उपयोग अंतर्गत विकसित हुआ है, जो 44.88 प्रतिशत आता है।

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका नीमच क्रियान्वयन संस्था है। म.प्र. गृह निर्माण मण्डल ने विगत 10 वर्षों में नीमच नगर के अंतर्गत कोई आवासीय योजना विकसित नहीं की है। नगर में विकास प्राधिकरण गठित नहीं है। नगर का विकास पूर्व दिशा की ओर एवं मंदसौर रोड पर मार्ग पर हा रहा है।

**3.2.2 वाणिज्यिक**

नीमच विकास योजना 2031 में वाणिज्यिक उपयोग अंतर्गत 250.88 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से वर्तमान में लगभग 93.19 हेक्टेयर भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित हैं, जो इस भूमि उपयोग अंतर्गत 37.15 प्रतिशत विकास दर्शाता है। अन्य उपयोग परिक्षेत्रों के अन्तर्गत जैसे कृषि, आवासीय में भी कुछ वाणिज्यिक विकास हुआ है। नगर के प्रमुख मार्गों के दोनों ओर भी वाणिज्यिक विकास हुआ है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## वाणिज्यिक क्रियान्वयन

सारणी 3-सा- 3

अनु. क्र.	विवरण	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हे)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	शीतगृह एवं भंडारण	निवेश इकाई क्रमांक-2	10.0	अविकसित
2	मण्डियां (क) अनाज मण्डी (ख) किराना बाजार (ग) सब्जी एवं फलमण्डी (घ) घास मण्डी एवं पशु बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-1 निवेश इकाई क्रमांक-1, 3 निवेश इकाई क्रमांक-2 निवेश इकाई क्रमांक-2	45.0 5.00 4.50 5.00	विकसित अविकसित अविकसित अविकसित
3	विशिष्ट बाजार (क) थोक बाजार (ख) भवन निर्माण सामग्री कोल डिपो एवं कबाड़ी बाजार (ग) लकड़ी बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-2 निवेश इकाई क्रमांक-2 निवेश इकाई क्रमांक-2	10.00 10.00 15.00	अविकसित अविकसित अविकसित
4	यातायात नगर/मेकेनिक नगर	निवेश इकाई क्रमांक-1,	10.00	अविकसित
5	निवेश इकाई स्तर	निवेश इकाई क्रमांक-1, 2, 3	10.00	अविकसित
6	वृत्त खण्ड स्तर	वृत्त खण्डों में	13.00	अविकसित
7	उपखण्ड/स्थानीय स्तर	उपखण्डों में	10.00	अविकसित
8	वर्तमान क्षेत्र	सम्पूर्ण नगर	62.50	अविकसित
<b>योग</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210.00</b>	

निवेश इकाई एवं खण्डस्तरीय वाणिज्यिक विकास नहीं होने के कारण मध्यक्षेत्र के आसपास लगे हुए क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित हुई हैं। नीमच नगर में मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ विकसित होना मुख्य मार्ग पर मिश्रित उपयोग अवधारणा को दर्शाता है। निवेश इकाई एवं खण्ड स्तरीय विकास तभी संभव है, जब उस स्तर की योजनाएं क्रियान्वित की जावें अथवा नगरीय निकायों द्वारा परिक्षेत्रिय योजना तैयार करने

के पश्चात् मार्ग संरचनाओं का निर्माण किया जावे। विकास योजना में निवेश इकाई केन्द्र की अवधारणा के ऊपर गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं।

### 3.2.3 औद्योगिक

नीमच विकास योजना 2031 में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत 239.37 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, इसमें से वर्तमान में 47.00 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है जो प्रस्तावित भूमि का 19.63 प्रतिशत है। नीमच औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े श्रेणी में आता है। वर्तमान में महु-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। इसके अतिरिक्त महु-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर ही, ग्राम कनावटी सिंगोली मार्ग, मनासा मार्ग एवं मन्दसौर मार्ग की ओर क्षेत्रीय वृत्तीय मार्ग (दक्षिण पूर्व) पर क्रमशः सामान्य एवं प्रदूषणकारी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन उपज पर आधारित उद्योग, सेवा उद्योग हेतु प्रस्तावित की गई है।

### 3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

विकास योजना 2031 में सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग हेतु कुल 295.26 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से वर्तमान में 191.08 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है, जो कि 64.71 प्रतिशत आता है। इसका मुख्य कारण अन्य उपयोग परिसरों में सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाओं उपयोग का क्रियान्वयन है।

भविष्य में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निवेश इकाई स्तर एवं वृत्त खण्ड स्तर पर सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक उपयोग एवं सेवा सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में संगठित प्रशासनिक क्षेत्र, नसीराबाद मार्ग पर कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं अन्य कार्यालय के रूप में कार्यरत है। अधिकांश कार्यालय नसीराबाद मार्ग पर फव्वारा चौक से अम्बेडकर चौराहा के मध्य स्थित है। अन्य निजी भवनों में कार्यरत कार्यालयों को भी संगठित रूप से स्थापित करने हेतु विभिन्न निवेश इकाई में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार शैक्षणिक उपयोग एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु निवेश इकाई स्तर पर प्रावधान किये गये हैं।

### 3.2.5 आमोद-प्रमोद

नीमच विकास योजना 2031 में आमोद-प्रमोद अंतर्गत 261.49 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। आमोद-प्रमोद के अंतर्गत 40.73 हेक्टेयर क्षेत्र ही विकसित हुआ है, जो प्रस्तावित भूमि का 15.13 प्रतिशत है। इस भूमि उपयोग के अन्तर्गत नये पिकनिक स्थल, जलतट विकास, नगर उद्यान, तरणताल आदि का समावेश होता है। विकास योजना में नगर स्तर, निवेश इकाई स्तर तथा वृत्त खंड स्तर के आवासीय क्षेत्रों में आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों को अधिक आकर्षक ढंग से विकसित किया जा सकता है। नगर में छावनी क्षेत्र में तरणताल तथा स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है, उनमें

सुधार किया जाना प्रस्तावित है। नगर में बगीचे एवं खुली भूमि, छावनी क्षेत्र में उपलब्ध है। खुली भूमि में बगीचे, उद्यान आदि का विकास किया जा सकता है।

### 3.2.6 यातायात एवं परिवहन

नीमच विकास योजना 2031 में 643.70 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जिसमें से 376.48 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विकसित है। जो प्रस्तावित क्षेत्र का 58.49 प्रतिशत है। वर्तमान बस स्टैण्ड निजी एवं राज्य परिवहन के बस स्टैण्ड पास-पास में है। किन्तु उनका विकास उचित ढंग से न होने के कारण समस्याग्रस्त है। उनका उचित प्रकार से विकास कर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। भावी आवश्यकता हेतु नसीराबाद मार्ग पर ग्वालटोली चौराहा पर ईट भट्टों के स्थान पर नये बस स्टैण्ड हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। जहां से चित्तौड़गढ़, जावद, मनासा, सिंगोली मार्ग की ओर जाने वाले सभी बसे नगर के बाहर से जा सकेंगी। निम्न सारणी क्रमांक 3-सा-3 में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है।

#### 3.2.6.1 बस स्थानक

वर्तमान म.प्र. राज्य परिवहन का बस स्टैण्ड, नीमच सिटी मार्ग पर तथा निजी बस स्टैण्ड चित्तौड़गढ़ घुसावल मार्ग पर स्थित है। राज्य परिवहन के बस स्टैण्ड हेतु अत्यंत कम भूमि उपलब्ध है। किन्तु निजी बस स्टैण्ड पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् भी उनका विकास नियोजित रूप से नहीं हुआ है, साथ ही यह बस स्टैण्ड नगर के मध्य भाग में होने से इस क्षेत्र में बस यातायात के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है। अतः भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नसीराबाद मार्ग पर ग्वालटोली चौराहा पर 3.00 हेक्टर भूमि बस स्थानक हेतु प्रस्तावित की गई है। बस स्थानक विकसित होने पर चित्तौड़गढ़, जावद, मनासा, सिंगोली जाने वाला यात्री यातायात इस बस स्टैण्ड से जा सकेगा।

#### 3.2.6.2 पिकअप स्टेशन

मुख्य नगर से दूरस्थ क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों की सुविधा के लिये निम्न स्थलों पर पिकअप स्टेशन प्रस्तावित किये गये हैं।

- राज्य परिवहन बस स्टैण्ड
- निजी बस स्टैण्ड
- रेलवे स्टेशन
- ग्वालटोली चौराहा
- कलेक्टर कार्यालय
- फव्वारा चौक
- कमल चौक
- अम्बेडकर मार्ग

- भगवानपुरा चौराहा
- लायन्सपार्क चौराहा

### 3.2.6.3 अवसान केन्द्र

- नगर में निम्नलिखित अवसान केन्द्र प्रस्तावित है :-
- प्रस्तावित बस स्टैण्ड
- रेलवे स्टेशन
- कृषि उपज मण्डी
- कलेक्टर कार्यालय
- औद्योगिक क्षेत्र
- वेअर हाउसिंग गोडाऊन
- यातायात नगर
- नीमच सिटी के क्षेत्र
- बघाना क्षेत्र

### 3.2.6.4 वाहन विराम स्थल

नगर के विभिन्न स्थानों पर विशेषतः सघन गतिविधि क्षेत्रों के समीप मार्गों के किनारे वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना मार्गों की यातायात वाहन क्षमता को बनाये रखने के लिये बहुत आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु निम्नानुसार स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

- वर्तमान बस स्टैण्ड
- रेलवे स्टेशन
- नगर पालिका कार्यालय क्षेत्र
- स्टेडियम क्षेत्र
- लायन्स पार्क चौराहा
- अशोक मार्ग एव ईदगाह मार्ग संगम (नदी किनारे)
- डॉ. अम्बेडकर चौराहा
- ग्वाल टोली चौराहा

### 3.2.6.5 हवाई पट्टी/विमानतल

लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम जेसिंगपुरा एवं नीमच कस्बा की दक्षिण-पश्चिमी सीमा से लगकर लगभग 115 हेक्टर भूमि विमानतल हेतु अधिग्रहित की गई है, तथा उक्त क्षेत्र में हवाई पट्टी निर्माण भी किया गया है। उक्त हवाई पट्टी पर सी.आर.पी.एफ. के अन्य छोटे विमान उतरते हैं। उक्त क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित किया जाना एवं विमानतल हेतु समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में उपलब्ध भूमि के अलावा 85.0 हेक्टर भूमि विमान तल के विस्तार हेतु आरक्षित रखी गई है। इस प्रकार कुल 200 हेक्टर भूमि विमानतल हेतु उपलब्ध हो सकेंगी।

### 3.3 विकास योजना 2031 में उपान्तरण

नीमच विकास योजना 2031 प्रभावशील होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23-(क) के अंतर्गत विकास योजना 2031 में निम्न भू-उपयोग उपान्तरण किए हैं।

#### भूमि उपयोग उपान्तरण

सारणी 3-सा- 4

क्र	ग्राम का नाम	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग	उपान्तरित भू उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	कस्बा नीमच	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	आवासीय	15.80	विकसित

**नोट:-** नीमच विकास योजना 2031 में उपांतरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग है एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे।

### 3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

नगर में कुछ भूमि उपयोगों/गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर स्थान की कमी आसपास की गतिविधियों से असामंजस्यता रखने, पर्यावरण तथा यातायात समस्याओं के कारण असंगत भूमि उपयोगों के रूप में चयन किया जाकर अन्यत्र स्थानांतरण हेतु चयन किया गया

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

है। इसी तरह कुछ भूमि उपयोग/गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर उनके भावी विकास, विकास एवं वृद्धि के लिये स्थान की कमी एवं पूर्ण दक्षता के साथ संचालित न रहने के कारण अकार्यक्षम भूमि उपयोग के अन्तर्गत चयन किया गया है। इन उपयोगों को स्थानांतरित कर पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थान को अधिक सक्षम रूप से प्रस्तावित किया गया है। असंगत भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, जबकि अकार्यक्षम भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है। अकार्यक्षम भूमि उपयोग हेतु स्थान पर वृद्धि एवं विकास की अनुज्ञा नहीं होगी। जिसका विवरण सारणी 3-सा-5 में दर्शाया गया है।

## असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

सारणी 3-सा- 5

क्र.	भूमि उपयोग	वर्तमान स्थल/स्थिति	प्रस्तावित स्थल	रिक्त भूमि का प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4	5
<b>असंगत भूमि उपयोग</b>				
1	<b>आवासीय</b>			
	(अ) पुलिस लाईन	महू-चित्तौड़गढ़ मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक -1	सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक
	(ब) झुग्गी झोपड़ी	हाट मैदान नगर पालिका कार्यालय के पास जीवाजी छात्रावास डाक बंगले के पास	निवेश इकाई क्रमांक-1 ग्वाल टोली के पीछे	स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक आवासीय शैक्षणिक आवासीय
2	<b>वाणिज्यिक</b>			
	(अ) आटो पार्ट्स वक्रशॉप एवं मेकेनिक दुकाने	महू-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर (प्रायवेट बस स्टैण्ड से मन्दसौर की ओर)	निवेश इकाई क्रमांक- 2 में ट्रान्सपोर्ट नगर के पास	सामान्य वाणिज्यिक
	(ब) आरा मशीनें	नीमच सिटी रोड ग्वाल टोली	निवेश इकाई क्रमांक- 2 निवेश इकाई क्रमांक-2	सामान्य वाणिज्यिक आवासीय



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

	(स) थोक बाजार (किराना एवं अनाज)	घंटाघर के पास तिलक मार्ग पर	निवेश इकाई क्रमांक-1 प्रस्तावित मण्डी	सामान्य वाणिज्यिक
	(द) कबाड़ी बाजार	टैगोर मार्ग एवं बोहरा बाजार मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक-2	मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक
	(उ) मैकेनिक दुकाने	शासकीय चिकित्सालय	निवेश इकाई क्रमांक-2	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
	(ई) घास बाजार	अस्पताल मार्ग पर	निवेश इकाई क्रमांक-2	आवासीय
3	<b>औद्योगिक</b>			
	(अ) बर्फ फेक्ट्री	सिंधी कॉलोनी के सामने	निवेश इकाई क्रमांक-1 में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय
	(ब) दाल एवं तेल मिलें	बघाना, नीमच सिटी, छावनी	निवेश इकाई क्रमांक-1	आवासीय
	(स) चर्म शोधन केन्द्र	जाजू सराय एवं योजना क्र. 9	निवेश इकाई क्रमांक-1	आवासीय
	(द) प्लास्टिक उद्योग	सिंधी कॉलोनी के सामने	निवेश इकाई क्रमांक-1	आवासीय
	(इ) ईट भट्टे	ग्वालटोली के सामने नसीराबाद मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक-1 ग्राम डुंगलावदा	बस स्टैण्ड
4	<b>अकार्यक्षम भूमि उपयोग</b>			
	(अ) कृषि उपज मण्डी	स्टेशन मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक-1 चंगेरा, डुंगलावदा	सब्जी मण्डी थोक एवं फूल मण्डी
	(ब) बस स्टैण्ड	नीमच सिटी मार्ग एवं नसीराबाद मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक-1	पिकअप स्टेशन

**3.5 ग्राम विकास**

नीमच निवेश क्षेत्र में स्थित किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय विस्तार क्षेत्र में शामिल नहीं है, उनका विस्तार, वर्तमान आबादी के आसपास 200 मीटर परिधि में सामाजिक/सांस्कृतिक/शैक्षणिक/स्वास्थ्य-मय सार्वजनिक/सुविधाओं सहित तथा अत्यावश्यक कार्यों के साथ किया जा सकेगा तथा इनका स्वरूप वर्तमान ग्राम आबादी के समान ही रहेगा। यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही हो सकेगा।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

**3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण****3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण**

नीमच परिक्षेत्र के संस्पर्शी जिलों एवं प्रदेश की जनसंख्या का विवरण इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है, जिसका विवरण सारणी क्रमांक 3-सा-6 में दर्शाया गया है।

**जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात****सारणी 3-सा- 6**

क्र.	नगर/प्रदेश /जिला	कुल जनसंख्या-2011	पुरुष	महिला	लिंग अनुपात
1	2	3	4	5	6
1	मध्यप्रदेश	72626809	37612306	35014503	931
2	उज्जैन संभाग	8684807	4445913	4238894	954
3	नीमच (नगर पालिका परिषद् क्षेत्र)	128095	67646	60449	894
4	नीमच (निवेश क्षेत्र)	145328	76418	68910	902
5	नीमच जिला	826067	422653	403414	954
6	मंदसौर जिला	1340411	682851	657560	963
7	उज्जैन जिला	1986864	1016289	970575	955
8	रतलाम जिला	1455069	738241	716828	971
9	देवास जिला	1563715	805359	758356	942

**स्रोत:-** भारत की जनगणना वर्ष 2011

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नीमच नगर में जहां लिंग अनुपात मात्र 894 है वहीं निवेश क्षेत्र का लिंगानुपात 902 है, तथा नीमच जिले का लिंगानुपात 954 है। नीमच नगर में लिंगानुपात जिले से कम होना गंभीर विषय है। यद्यपि प्रदेश का औसत लिंगानुपात 931 है वहीं संभाग का 954 है। औसत की दृष्टि से नगर का लिंगानुपात कम है, तथा जिले से तुलना करने पर लिंगानुपात में कमी के विश्लेषण हेतु लिंगानुपात का निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र का विश्लेषण भी आवश्यक है।

नीमच नगर पालिका परिषद की सीमा को वर्तमान में 40 वार्डों में विभाजित किया गया। वार्ड वार कुल शिशु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं साक्षरता जनसंख्या की जानकारी, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न सारणी 3-सा-8 में दर्शायी गयी है।

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3-सा-7

Ward	Population			Child Population (0-6 years)			SC Population			ST Population			Literates		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2593	1367	1226	348	205	143	258	135	123	168	83	85	1628	996	632
2	2656	1439	1217	239	133	106	605	337	268	26	16	10	2048	1241	807
3	1299	644	655	125	66	59	69	25	44	9	4	5	1050	548	502
4	2120	1098	1022	236	136	100	139	77	62	0	0	0	1625	896	729
5	4524	2314	2210	585	312	273	282	150	132	0	0	0	3271	1845	1426
6	2377	1214	1163	335	163	172	37	18	19	0	0	0	1520	879	641
7	3817	2004	1813	487	270	217	2482	1281	1201	68	37	31	2813	1590	1223
8	6385	3310	3075	644	335	309	947	488	459	292	141	151	5230	2843	2387
9	2553	1361	1192	318	151	167	472	267	205	355	187	168	1734	1027	707
10	8431	4489	3942	1192	605	587	1746	888	858	177	108	69	5391	3215	2176
11	3412	1805	1607	366	197	169	412	199	213	274	153	121	2716	1451	1265
12	3436	1802	1634	427	214	213	724	359	365	66	37	29	2700	1519	1181
13	3729	1943	1786	446	246	200	248	124	124	66	39	27	2774	1537	1237
14	1936	965	971	208	95	113	1065	537	528	21	7	14	1415	782	633
15	2502	1245	1257	379	192	187	647	313	334	24	11	13	1607	893	714
16	1748	902	846	227	112	115	88	49	39	0	0	0	1252	705	547
17	4916	2557	2359	750	414	336	1725	901	824	210	110	100	2737	1557	1180
18	2834	1453	1381	360	190	170	548	268	280	20	10	10	2141	1172	969



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

Ward	Population			Child Population (0-6 years)			SC Population			ST Population			Literates		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	1552	804	748	196	98	98	215	114	101	0	0	0	1139	643	496
40	1350	711	639	140	65	75	346	168	178	201	108	93	1051	598	453
<b>TOTAL</b>	<b>128095</b>	<b>67646</b>	<b>60449</b>	<b>15207</b>	<b>4993</b>	<b>2940</b>	<b>2772</b>	<b>4502</b>	<b>19403</b>	<b>10021</b>	<b>9382</b>	<b>3917</b>	<b>2108</b>	<b>1809</b>	<b>95463</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## 3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात

नीमच नगर पालिका निगम सीमा में वार्ड वार लिंगानुपात का अध्ययन किया गया। सबसे अधिक लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 3, 14, 15, 19, 21 में है, सबसे कम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 2, 30, 31 में है, जिसका विवरण सारणी 3-सा-8 में दिया गया है।

## वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3-सा- 8

क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरुष पर महिला)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	>1000	3, 14, 15, 19, 21	05
2	950-1000	5, 6, 18, 24, 26, 28, 34	07
3	900-949	7, 12, 23, 35, 13, 17, 25, 37, 32, 38, 8, 22, 39, 4, 16, 29, 27, 33	18
4	850-899	1, 9, 10, 11, 20, 36, 40	07
5	≤800	2, 30, 31	03
योग			40

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

## 3.6.3 शिशु जनसंख्या

नीमच नगर का लिंगानुपात 894 महिला प्रति हजार पुरुष है, किन्तु वार्ड वार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कई वार्ड प्रति हजार 900-949 के बीच में है। जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 917 है, जिसका वार्डवार विवरण सारणी 3-सा-9 एवं 3-सा-10 में दर्शाया गया है।


## शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3-सा- 9


क्र.	शिशु जनसंख्या प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	<6	31	01
2	6-8	25	01
3	8-10	2, 3, 21, 28, 32	05
4	10-12	4, 8, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 37, 40	15
5	12-14	1, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 23, 33, 34, 36, 38, 39	13
6	>14	6, 10, 15, 17, 35	05
कुल वार्ड			40

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011









Map showing Ward-wise Child Population (0-6) in Neemuch. The map includes labels for various wards and surrounding areas: CHANGERA, KHADAWADA, LEWDA, DIHANIYA KALAN, ADARVA KUMAR, JABOLI, JAMBHUPURA, HINGORA, KANAWATI, SHULYAKS, NEEMUCH, KANAWATI, and MANASA. Major roads and highways are also marked, such as the Economic Corridor, NH 314, and routes to Chhittorgarh, Mandlaur, and Jabol.

Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## शिशु लिंगानुपात

सारणी 3-सा- 10

क्र.	शिशु लिंगानुपात	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	<700	1, 31	02
2	700-800	2, 4, 21, 30, 36	05
3	800-900	3, 5, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 32	10
4	900-1000	8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 35, 37, 39,	13
5	1000-1100	6, 16, 24, 28, 33, 34, 38	07
6	>1100	9, 14, 40	03
कुल वार्ड			40

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

## 3.6.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

नगर में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.14 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 3.06 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति-जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 18.20 प्रतिशत है। निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड वार अनुसूचित जाति-जनजाति का विवरण सारणी 3-सा-11 में दर्शाया गया है।

## अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

सारणी 3-सा- 11

क्र.	अनुसूचित जाति/ जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	<10	3, 4, 5, 6, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 34, 35	15
2	10-19	1, 8, 23, 29, 31, 32, 33, 37, 39	09
3	20-29	2, 10, 1, 12, 15, 18, 24, 27, 36	09
4	30-39	9, 17, 20	03
5	40-49	40	01
6	50-59	14, 38	02
7	>60	7	01
कुल वार्ड			40

स्रोत:- भारत की जनगणना वर्ष 2011

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

**3.6.5 साक्षरता**

नीमच नगर में साक्षरता दर 74.52 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 79.53 प्रतिशत है एवं महिला की साक्षरता दर 68.91 प्रतिशत है।

**साक्षरता प्रतिशत****सारणी 3-सा- 12**

क्र.	साक्षरता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	3	2	4
1	<59	17	01
2	60-69	1, 6, 9, 10, 15, 33, 34, 35	08
3	70-79	36, 16, 38, 5, 14, 39, 7, 24, 13, 18, 27, 23, 4, 20, 2, 37, 22, 40, 12, 19	20
4	>79	11, 16, 3, 8, 39, 32, 30, 25, 28, 31, 21	11
<b>कुल वार्ड</b>			<b>40</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना वर्ष 2011


**3.6.6 कार्यशील जनसंख्या**


वर्ष 2011 अनुसार नीमच नगर में कार्यशील जनसंख्या 54,204 जिससे यह ज्ञात होता है कि नगर में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति कार्यशील हैं। नगर में कार्य सहभागिता प्रतिशत 37.30 प्रतिशत है, जो नगर की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।


**कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011****सारणी 3-सा- 13**


क्र.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	<30	-	-
2	30-39	21, 39, 35, 22, 34, 6, 37, 20, 8, 23, 18, 40, 26, 24, 4, 16, 29, 38, 5, 27, 13, 12, 28, 15, 32, 36, 19, 33, 25, 7, 11, 9, 2	33
3	40-49	17, 14, 3, 10, 1	05
4	50-59	30	01
5	60-69	-	-
6	>70	31	01
<b>योग</b>			<b>40</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना वर्ष 2011









## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## 3.6.7 जनसंख्या घनत्व

नीमच नगर का सकल घनत्व 53.00 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी में दर्शाया गया है।

## वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3-सा- 14

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	4	5
1	राजीव गांधी	184.85	2593	14
2	शहीद	7.21	2656	368
3	अहिल्याबाई	15.52	1299	84
4	कालिदास	8.18	2120	259
5	चंद्रशेखर आजाद	24.87	4524	182
6	रहीम	14.61	2377	163
7	डॉ. अम्बेडकर	11.02	3817	346
8	इंदिरा गांधी	115.96	6385	55
9	महावीर	14.71	2553	174
10	गोपालकृष्ण	43.89	8431	192
11	जवाहर	164.15	3412	21
12	शास्त्री	44.30	3436	78
13	डॉ. भामा	39.68	3729	94
14	संत भावे	295.43	1936	7
15	किदवई	6.90	2502	363
16	मौलाना आजाद	4.70	1748	372
17	विक्रम	330.56	4916	15
18	विवेकानंद	60.10	2834	47
19	तिलक	4.76	1677	352
20	प्रताप	7.20	2626	365
21	भगतसिंह	4.51	1086	241
22	जाजू	6.41	1613	252
23	दयानंद	11.90	4030	339
24	अशोक	21.97	3656	166




## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	4	5
25	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	49.04	1790	37
26	शिवाजी	20.64	4761	231
27	डॉ. राधाकृष्णन	23.19	3690	159
28	सुभाष	18.78	3874	206
29	डॉ. श्यामा प्रसाद	12.18	5446	447
30	टेगोर	32.77	4837	148
31	सरोजिनी नायडू	73.46	1645	22
32	राज गोपालाचार्य	235.30	5302	23
33	कस्तूरबा	244.83	4832	20
34	डॉ. जाकिर हुसैन	57.89	3673	63
35	काटजू	57.66	3416	59
36	लोहिया	74.87	1502	20
37	कबीर	39.24	2901	74
38	गांधी	9.59	1568	164
39	लक्ष्मीबाई	4.95	1552	314
40	माधवराव सिंधिया	37.17	1350	36
	<b>योग</b>	<b>2434.93</b>	<b>128095</b>	<b>53</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिक निगम नीमच (म.प्र.)

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है। वार्ड क्रमांक 29 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 447 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्ड क्रमांक 16 द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 372 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 14 में 07 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3-सा-16 में दर्शाया गया है।



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

## वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3-सा- 15

क्र.	जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)	वार्ड क्रमांक	कुल वार्ड
1	2	3	4
1	< 50	14, 01, 17, 33, 36, 11, 31, 32, 40, 25, 18	11
2	50-100	8, 34, 35, 37, 12, 3, 13	07
3	100-200	5, 6, 9, 10, 27, 30, 24, 38	08
4	200-300	04, 21, 22, 26, 28	05
5	300-400	2, 7, 15, 16, 19, 20, 23, 39	08
6	400-500	29	01
<b>योग</b>			<b>40</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नीमच नगर भिन्न-भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे की अत्यधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना को कम घनत्व के क्षेत्रों में आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

## 3.7 व्यावसायिक संरचना

## व्यावसायिक संरचना

सारणी 3-सा- 16

क्र.	श्रेणी/वर्ग	नगर समूह क्षेत्र के अंतर्गत कार्यशील श्रमिक	प्रतिशत	सहभागिता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)
1	2	3	4	5
1	कृषक	2960	5.46	20.37
2	खेतीहर मजदूर	3643	6.73	25.07
3	गृह उद्योग	1569	2.89	10.80
4	उत्पादन सेवाएं एवं अन्य	46032	84.92	316.75
	<b>योग</b>	<b>54204</b>	<b>100</b>	<b>372.98</b>

स्रोत:- भारत की जनगणना वर्ष 2011

## 3.8 जनसंख्या परिवर्तन

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नीमच निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1,26,095 है। वर्ष 1951 में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 28,189 थी। वर्ष 1951 के पश्चात् निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में सतत रूप से वृद्धि होती रही है, जो नगर में हो रहे विकास सेवा-सुविधाओं में सुधार, रोजगार में वृद्धि तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि का प्रतीक है। निम्न सारणी में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या एवं दशक वृद्धि दर्शायी गई है।

## जनसंख्या परिवर्तन

सारणी 3-सा- 17

क्र.	वर्ष	जनसंख्या (निवेश क्षेत्र)	दशक वृद्धि दर
1	2	3	4
1	1951	28189	-
2	1961	36287	28.7
3	1971	49748	37.1
4	1981	68853	38.4
5	1991	90474	31.4
6	2001	112852	24.7
	2011	145328	28.8

स्रोत:- भारत की जनगणना वर्ष 2011

### 3.9 नगर के मुख्य कार्यकलाप

किसी भी नगर के सर्वांगीण एवं सुनियोजित विकास के लिये उस नगर में वर्तमान में प्रचलित गविविधियों एवं कार्यकलापों तथा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विश्लेषण किया जाना अति आवश्यक है। नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण योगदान है। नगर के भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में वर्तमान कार्यकलापों का अध्ययन कर नगर की भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित कार्यकलापों का निर्धारण किया गया है:-

1. क्षेत्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र
2. जिला स्तरीय प्रशासनिक केन्द्र
3. उच्च स्तरीय क्षेत्रीय शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केन्द्र
4. लघु, मध्यम तथा कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र

### 3.10 नगरीय विस्तार

नीमच निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3-सा-18 में स्पष्ट किया गया है। निम्न सारणी से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1961 के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि दर लगभग समान रही है।

#### नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3-सा- 18

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हे.में.)	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2000 तक	553.20	40.73
2	2000-2011	160.80	11.84
3	2011-2020	644.29	47.43
	<b>कुल</b>	<b>1358.29</b>	<b>100.00</b>

### 3.11 गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र

मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा नगर पालिका क्षेत्र की कुछ बस्तियों को गंदी बस्ती क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, जिनमें लगभग 3000 झुग्गी-झोपड़ियां हैं। इस गंदी बस्ती क्षेत्र में लगभग 35600 आबादी निवास करती है।

ऐसी गंदी बस्तियों का सुधार एवं पुनर्स्थापना आवश्यक है। ऐसी गंदी बस्तियां एवं झुग्गी झोपड़ियों का आंशिक सुधार कर व्यवस्थापन संभव है, जिसमें आवश्यक सेवा-सुविधाएं प्रदान


## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

कर उनका उसी स्थान पर व्यवस्थापन उचित होगा। किन्तु कुछ गंदी बस्तियां यातायात में बाधक, शुद्ध वायु एवं प्रकाश का अभाव, बाढ़ ग्रस्त तथा असंगत की श्रेणी में होने से इन बस्तियों को उनके वर्तमान स्थल पर रखना उचित नहीं है। ऐसे बस्तियों को विकास योजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार है:-

1. निम्न गंदी बस्ती/झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों की पुनर्स्थापना की जाना प्रस्तावित है:-
  1. जीवाजी छात्रावास के निकट
  2. हाट मैदान (अस्पताल के सामने)
  3. पुराने नगर पालिका कार्यालय के समीप स्थित गंदी बस्ती
  4. विश्रामगृह के पास
2. निम्न गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार एवं पुनरुत्थान किया जाना प्रस्तावित है:-
  1. रामपुरा दरवाजा हरीजन बस्ती
  2. यादव मोहल्ला
  3. ग्वाल टोली
  4. भगवानपुरा
  5. गरीब मोहल्ला, मोची मोहल्ला
  6. बोहरा कब्रिस्तान से गरीब मोहल्ला तक
  7. यादव मण्डी
  8. हरिजन बस्ती रेगर मोहल्ला
  9. भोलाराम कम्पाउण्ड

### 3.12 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नीमच नगर के वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिये किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए नीमच विकास योजना के प्रस्ताव, योजना कालावधि के उपरान्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्ताव के संतुष्ट होने तक प्रभावशील रहेंगे।







### 3.13 अनुमानित जनसंख्या

वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या का आकलन करने हेतु वर्ष 1951 से 2011 तक की जनगणना की जानकारी एकत्र कर निम्नलिखित सांख्यिकी पद्धति के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन किया गया है -

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)
2. अंकगणितीय प्रगति पद्धति (Arithmetic Progression Method)
3. ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometrical Progression Method)
4. घातांकीय पद्धति (Exponential Progression Method)


विगत दशकीय वृद्धि दर के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि नीमच नगर की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1961 में 28.73 प्रतिशत, वर्ष 1971 में 37.10 प्रतिशत, 1981 में 38.40 प्रतिशत, 1991 में 31.40 प्रतिशत, 2001 में 24.73 प्रतिशत व 2011 में 28.78 प्रतिशत रही है। उक्त स्थिति में विगत दशकों में नगर की असमान जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुये उपरोक्त उल्लेखित पद्धतियों से वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुमानित की गई है।

#### अनुमानित जनसंख्या (Population Projection)

सारणी 3-सा- 19

S. No.	Year	Population	Decatal Growth Rate
1	2	3	4
1	1951	28189	-
2	1961	36287	28.73%
3	1971	49748	37.10%
4	1981	68853	38.40%
5	1991	90474	31.40%
6	2001	112852	24.73%
7	2011	145328	28.78%

#### Growth Rate



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035


उपरोक्त चारों पद्धतियों के माध्यम से वर्ष 2035 तक आंकलित जनसंख्या का औसतन निम्नानुसार है।

## जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2035

सारणी 3-सा- 20

Year	Incremental Increase Method	Arithmetic Progression Method	Geometric Progression Method	Exponential Progression Method
1	2	3	4	5
2021	169727	164851	190607	191012
2031	199001	184374	249994	251057
2035	212076	192184	278641	280064

उपरोक्त चारों पद्धतियों के माध्यम से वर्ष 2035 तक आंकलित जनसंख्या को ग्राफ के माध्यम से चित्रण निम्नानुसार है।



विकास योजना तैयार किए जाने हेतु योजनाकाल का निर्धारण एवं योजनाकाल के लिये अनुमानित जनसंख्या का आकलन किया जाता है, ताकि योजनाकाल में विकास हेतु जनसंख्या के आधार पर नगरीय उपयोग हेतु आवश्यक भूमि का आकलन कर भूमि उपयोग प्रस्तावित किये जा सकें। नगर की विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन हेतु योजनाकाल 2035 तक का निर्धारण किया गया है। विकास योजना 2035 के लिये जनसंख्या वृद्धि के

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

आकलन हेतु उपरोक्त चारों पद्धतियों में से ज्यामितीय पद्धति के आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या 2.70 लाख प्रक्षेपित की गई है।

### 3.14 आवास आवश्यकता

#### 3.14.1 आवासों की कमी

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नीमच नगर पालिका क्षेत्र एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र में 29173 परिवार लगभग 25,525 आवासों में निवास करते हैं। इस आधार पर औसत परिवार का आकार लगभग 5 व्यक्ति होता है, जबकि प्रति आवास निवासित व्यक्तियों की औसत संख्या 5.70 आती है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 3648 आवासों की कमी परिलक्षित होती है। नगर की गंदी बस्ती में लगभग 3000 आवासों में 35,600 जनसंख्या निवास करती है, जिनमें 80 प्रतिशत आवासों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उक्त के आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आंकलन निम्न सारणी क्रमांक 3-सा-21 में किया गया है।

#### आवासों की कमी

सारणी 3-सा- 21

क्रमांक	विवरण	आवासीय इकाई		आवासों की कमी
		कुल	पुनर्स्थापना का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
1	वर्ष 2011 तक आवासों की कमी	—	—	3648
2	गंदी बस्ती क्षेत्र के जीर्ण शीर्ण आवास	3000	80	2400
योग		—	—	6048

उपरोक्तानुसार वर्तमान में नीमच नगर में लगभग 6048 आवासों की कमी पाई गई। वर्ष 2035 की अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का अनुमान आगामी सारणी में किया गया है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## 3.14.2 अनुमानित आवास आवश्यकता

## अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता-2035

सारणी 3-सा- 22

क्र.	विवरण	आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	
		2031	2035
1	2	3	4
1	जनसंख्या	250000	270000
2	अतिरिक्त जनसंख्या वर्ष 2035 तक	-	20000
3	औसत परिवार का आकार	5	5
4	अतिरिक्त परिवार	-	4000
5	वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता	-	3600
6	वर्ष 2020 की कमी को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता	लगभग 12000	15600
7	निवास योग्य रहवासी इकाईयों की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना (25525 मकान नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण के अनुसार)	-	250 (लगभग)
8	वर्ष 2020 की कमी को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2035 की कुल आवासीय आवश्यकता	-	15600 (लगभग 15,000)

\* वर्ष 2011 की निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1,45,328 के आधार पर वर्ष 2020 की अनुमानित जनसंख्या 1,90,000

\* विकास योजना 2031 के अनुसार वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 2,50,000

वर्ष 2011 में औसत परिवार आकार 5 व्यक्ति प्रति परिवार है। वर्ष 2035 में परिवार का औसत आकार 5 व्यक्ति प्रति परिवार मानते हुये आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुए अनुमान है, कि वर्ष 2035 तक लगभग 15000 नवीन आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी।

## 3.14.3 आवासों का प्रकार

वर्ष 2035 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 15,000 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी। यह प्रासंगिक है कि, अनौपचारिक वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

वर्ग के परिप्रेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जावे। अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास आवश्यकता का विवरण निम्न सारणी क्रमांक 3-सा-23 में दर्शाया गया है।

## आय समूह अनुसार आवासीय इकाइयों की आवश्यकता

सारणी 3-सा- 23

क्र.	आय समूह	रहवासी आवश्यकता	
		प्रतिशत	संख्या
1	2	3	4
1	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग	40	6000
2	निम्न आय वर्ग	30	4500
3	मध्यम आय वर्ग	25	3750
4	उच्च आय वर्ग	5	750
योग		100	15,000

उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु लगभग 180 हे. भूमि की आवश्यकता है।

## 3.14.4 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में नीमच नगर में प्रति हजार कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 372.98 है। वर्ष 2035 की व्यवसायिक संरचना का अनुमान करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी आवश्यक है। इस संबंध में पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में व्यवसायिक संरचना का अनुमान करना कठिन है, तथापि उपलब्ध आंकड़ों एवं विकास योजना प्रस्तावों के आधार पर अनुमान है, कि वर्ष 2035 तक नगर में प्रति 1000 जनसंख्या में 390 कार्यरत व्यक्ति होंगे। इस प्रकार 2.70 लाख जनसंख्या में 1,05,300 व्यक्ति कार्यरत होना अनुमानित है। जिनमें 10 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 85 प्रतिशत कार्यरत व्यक्ति होना अनुमानित है।

## 3.15 भौतिक अधोसंरचना

## 3.15.1 जल प्रदाय

नगर की भावी जनसंख्या के मान से 30 गेलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 2031 की अनुमानित जनसंख्या हेतु 7.5 एम.जी.डी. जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 1.5 एम.जी.डी. जल आपूर्ति 2-3 दिन छोड़कर की जा रही वह अत्यंत कम है। वर्तमान में जाजू डेम की क्षमता में वृद्धि करने हेतु नगर पालिका द्वारा प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

**3.15.2 जल-मल निकास एवं स्वच्छता**

छावनी क्षेत्र में तत्कालीन नगर सुधारन्यास की योजना एवं नई कॉलोनियों में जलमल निकासी की समुचित व्यवस्था है। शेष पुराने नगर में नीमच सिटी, बघाना सिटी में जलमल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं है। विकास योजना में वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र हेतु जलमल निकास व्यवस्था प्रस्तावित है, इसके लिये निवेश इकाई क्रमांक 2 में नगर के पूर्वी ओर मुख्य नाले के किनारे आक्सीडेशन पौड प्रस्तावित किया गया है। भौगोलिक परिस्थितियों एवं प्राकृतिक जल निकासी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय क्रियान्वयन संस्था के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

**3.15.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन**

वर्तमान में ग्राम बरूखेड़ा के पास ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थित है, जो उपयुक्त है। किन्तु भविष्य की आवश्यकता की दृष्टि से इनका विस्तार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है। ठोस अपशिष्ट के मुख्य स्रोत घरेलू व्यवसायिक, अस्पताल/नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी मार्केट औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जिसकी मात्रा का आंकलन नगर में निवास करने वाली जनसंख्या, व्यवसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान औद्योगिक क्षेत्र आदि के साथ-साथ नगर के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा। औसतन विभिन्न स्रोतों से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निकलने वाली मात्रा के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से किया जावेगा जो कि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत अनुज्ञेय होगा।

**3.15.4 विद्युत प्रदाय**


वर्तमान में नगर में म.प्र. राज्य विद्युत ग्रिड तथा गांधी सागर डेम पर स्थित चम्बल हायडल पावर प्लान्ट से विद्युत प्रदाय हो रही है। नगर में कुल 6 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित है।

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. बरूखेड़ा मार्ग | 4. किला रोड      |
| 2. मनासा रोड      | 5. बघाना क्षेत्र |
| 3. विकास पथ       | 6. नीमच सिटी     |


इन विद्युत केन्द्रों द्वारा सम्पूर्ण नगर में विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। किन्तु कभी-कभी विद्युत प्रदाय के निरन्तरता में अवरोध उत्पन्न होता, जिससे विद्युत दबाव की कमी होती है। भविष्य में विद्युत प्रदाय व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः विद्युत विभाग के सहमति से उपयुक्त स्थल पर विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना की जा सकेगी।

**3.15.5 शैक्षणिक**

नगर में शैक्षणिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं किन्तु भविष्य की आवश्यकता हेतु इसमें वृद्धि की जाना आवश्यक है। नगर में वर्तमान में नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालय 30,



Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal





## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

उच्चतर माध्यमिक, हाई स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालय 45 तथा महाविद्यालय 3 हैं। किन्तु तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक महाविद्यालय की कमी है जिसके लिये अन्य नगरों से सुविधा प्राप्त की जा रही है। अतः शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक के अन्तर्गत पर्याप्त भूमि के प्रस्ताव दिये गये हैं।

**3.15.6 संचार**

नगर में वर्तमान भूतेश्वर मंदिर के पास दूरभाष केन्द्र विद्यमान है जो पर्याप्त है क्योंकि वर्तमान में सेलफोन (मोबाइल) का उपयोग अधिक होने से लैण्डलाइन दूरभाषों में काफी कमी आयी है। अतः वर्तमान दूरभाष केन्द्र पर्याप्त है।

**3.15.7 डाक-तार**

नगर में मुख्य डाकघर 1 तथा उप डाकघर 6 हैं। वर्तमान में मोबाईल फोन के अधिक उपयोग के कारण डाकतार सेवाओं में कमी आयी है। अतः वर्तमान डाकघर पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

**3.15.8 सुरक्षा**

वर्तमान में तीन पुलिस थाने हैं। एक पुलिस थाना टैगोर मार्ग तथा दूसरा बघाना क्षेत्र एवं तीसरा नीमच सीटी में स्थित है। साथ ही 3 पुलिस चौकियां कार्यरत हैं। भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अध्याय - 4 में उल्लेखित मानकों के अनुसार होगा।

**3.15.9 अग्निशमन सेवा केन्द्र**

अग्निशमन सेवा आग लगने, दुर्घटनाओं आदि आपात परिस्थितियों में नगर के आवश्यकता की पूर्ति करती है। नगर में वर्तमान में 2 अग्निशमन केन्द्र हैं। एक नगर पालिका तथा अल्कोलाईट फैक्ट्री के पास है, जो नगरीय आबादी के मान से पर्याप्त नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य नगरों से सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। अतः भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये हैं।

**3.15.10 धोबीघाट**

नगर में वर्तमान में कोई संगठित धोबीघाट नहीं है, किन्तु दो धोबीघाट विकास नगर एवं एक शंकर आईल के पास स्थित है, जिसका धोबीघाट के रूप में उपयोग हो रहा है। उनका विस्तार किया जाना आवश्यक है।

**3.15.11 शमशानघाट एवं कब्रिस्तान**


नगर में वर्तमान में शमशानघाट 4 एवं कब्रिस्तान 6 उपलब्ध हैं। भावी आवश्यकता हेतु प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के बाहर उपयुक्त स्थल का चयन जिला प्रशासन एवं स्थानीय संस्था के परामर्श से किया जा सकेगा।

### 3.15.12 सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र


नगर में वर्तमान में 3 गैस वितरण संस्थाएं कार्यरत हैं, जिसके गोडाउन नगरीय क्षेत्र के आसपास होने से दुर्घटनाएं होने की सम्भावनाएं रहती हैं। इस कारण नगर के वर्तमान आबादी क्षेत्रों से बाहर गैस गोदामों को कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। भावी आवश्यकतानुसार अध्याय 4 में दिये गये नियमों के अनुरूप एल.पी.जी. सुविधाओं का निर्धारण आवश्यक होगा। कृषि उपयोग परिक्षेत्र में एल.पी.जी. गोदाम की स्थापना अनुज्ञेय होगी।


### 3.15.13 भू-जल आवर्धन

नगर में जल संकट अधिक होने के कारण पुराने एवं नये जल स्रोतों का संवर्धन आवश्यक है। कुओं, हेण्डपम्पों एवं नलकूपों में वर्षा जल को एकत्रित कर भू-जल पुनर्भरण (रूफ वाटर हार्वेस्टिंग) एक प्रभावी तकनीक है। इसमें भू-जल भण्डार में वृद्धि होगी, साथ ही रिचार्ज पिट (गड्ढा) ट्रेच रिचार्ज किया जा सकता है। इन पद्धतियों का समावेश म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में भी किया गया है। इनका पालन प्रत्येक विकासकर्ता/निर्माणकर्ता को करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अति दोहन वाले क्षेत्र में नये नलकूपों का निर्माण तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।









## अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव-2035

### 4.1 विकास योजना-2031 का पुनर्विलोकन

नीमच विकास योजना 2031 तैयार करने हेतु निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख मानते हुये नियोजन प्रस्ताव दिये गये थे। अमृत योजना के अंतर्गत विकास योजना-2035 को जी.आई.एस. आधार पर तैयार किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। नीमच निवेश क्षेत्र की वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.70 लाख अनुमानित कर नीमच विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन वर्ष 2035 की कालावधि हेतु किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि अमृत योजना के अंतर्गत जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार की जाना है, अतः वर्ष 2031 तक की जनसंख्या का आकलन कर वर्तमान भूमि उपयोग का पूर्व अध्याय में विश्लेषण किया गया है।

### 4.2 नियोजन अवधारणा

- नगर की वर्तमान संरचना रेलवे लाईन, केन्द्रीय आरक्षित बल तथा नगर के मध्य से प्रवाहित होने वाले बड़े नालों के कारण प्रभावित हुई है। नगर का विकास तीन भागों में नीमच सिटी, बघाना तथा छावनी क्षेत्र के रूप में हुआ है। नगर नीमच सिटी की बसाहट पुरानी पद्धति की होने से नगर में खुली भूमि का सर्वथा अभाव है तथा मार्ग भी अत्यंत संकरे हैं। इस क्षेत्र का सुधार आवश्यक है। इस क्षेत्र में घनत्व कम करने हेतु नये आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। छावनी क्षेत्र में नियोजित विकास हुआ है तथा मार्ग भी पर्याप्त चौड़े हैं किन्तु कुछ वाणिज्यिक केन्द्र में अतिक्रमण के कारण मार्ग की चौड़ाई प्रभावित हुई है। उक्त मार्गों को चौड़ा करने के प्रस्ताव दिये गये हैं।
- नगर में प्रमुख रूप से विकास महु-चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर हुआ है तथा प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में इसी मार्ग पर कलेक्टर कार्यालय विकसित होकर भविष्य में भी प्रशासनिक क्षेत्र के प्रस्ताव इसी क्षेत्र के आसपास दिये गये हैं।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

- विकास योजना में जयसिंगपुरा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज प्रस्तावित कर नगर के पश्चिमी भाग का समान्वित विकास तथा नगर के तीन प्रमुख भागों नीमच सिटी, छावनी एवं बघाना के मध्य युक्तियुक्त सामन्जस्य स्थापित करके नगर को जोड़ने हेतु उपयुक्त मार्ग संरचना के प्रस्ताव दिये गये हैं।
- नगरीय आबादी का विकास इस तरह से नियोजित किया गया है, कि मुख्य कार्य केन्द्र एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का परस्पर समन्वय विकल्पों सहित बना रहे। नगर के अन्य कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है। ताकि नगर की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके। विभिन्न मार्ग श्रृंखलाओं को विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें क्षेत्रीय तथा अन्तर्राज्यीय यातायात को नगर के मध्य से गुजरने से रोका जा सके। नगर बसाहट को समस्त क्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने हेतु मुख्य मार्ग, वृत्तीय मार्ग आदि के प्रस्ताव दिये गये हैं।

#### 4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

नीमच विकास योजना 2031 के अनुसार नीमच निवेश क्षेत्र के वर्ष 2020 में जनसंख्या 2.50 लाख के आसपास रहेगी एवं वर्ष 2035 तक वृद्धिगत जनसंख्या 2.70 लाख प्रक्षेपित की गई है। वर्तमान विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सेवाएं तथा सुविधाएं, आमोद-प्रमोद एवं यातायात परिवहन का क्षेत्र सम्मिलित है तथा रिक्त भूमि में जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित है। Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिये 100-125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। नीमच मध्यम श्रेणी का नगर होकर इसकी प्राकृतिक संरचना के कारण यहाँ पर कम एवं मध्यम ऊँचाई के भवन ही निर्मित हैं। नीमच निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने के लिये समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएं एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

#### 4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

नीमच विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र 13.63 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू-उपयोग दर से नगरीय विकास के प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये हैं, जिसका विवरण निम्न सारणी क्रमांक 4-सा-1 में किया गया है।



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग विवरण

सारणी 4-सा- 1

क्र.	भू-उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2031			विकसित क्षेत्र 2020			प्रस्तावित क्षेत्र 2035		
		क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्रति शत	भूमि उप योगिता दर	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्रति शत	भूमि उप योगिता दर	कुल क्षेत्रफल वर्तमान सहित (हेक्टे.में)	प्रतिशत	भूमि उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आवासीय	1510.87	47.19	6.04	678.03	47.53	2.71	1626.09	44.19	6.02
2	वाणिज्यिक	250.88	7.84	1.00	93.19	6.53	0.37	270.01	7.34	1.00
3	मिश्रित	-	-	-	-	-	-	235.56	6.40	0.87
4	औद्योगिक	239.37	7.48	0.96	47.00	3.29	0.19	234.65	6.38	0.87
5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	295.26	9.22	1.18	191.08	13.40	0.77	356.21	9.68	1.32
6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं									
7	आमोद-प्रमोद	261.49	8.17	1.05	40.73	2.86	0.16	305.61	8.31	1.13
8	यातायात एवं परिवहन	643.70	20.11	2.57	376.48	26.39	1.51	651.38	17.70	2.41
	<b>योग</b>	<b>3201.57</b>	<b>100</b>	<b>12.81</b>	<b>1426.51</b>	<b>100.00</b>	<b>5.71</b>	<b>3679.51</b>	<b>100.00</b>	<b>13.62</b>

## 4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 1626.09 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 44.19 प्रतिशत है।

## 4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 270.01 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 7.34 प्रतिशत है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035


वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्यतः छावनी क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु घंटाघर एवं उसके आसपास क्षेत्र को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नीमच सिटी एवं बघाना क्षेत्र पुरानी आबादी (तंग गलियों) में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो रही है। अतः नये वाणिज्यिक क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है। वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु प्रावधानित भूमि की जानकारी सारणी 4-सा-2 में दी गई है।

## प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र

## सारणी 4-सा- 2

अनु. क्र.	विवरण	विकास योजना में प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4
1	शीतगृह एवं भंडारण	निवेश इकाई क्र.-2	10.0
2	मंडिया (क) अनाज मण्डी (ख) किराना बाजार (ग) सब्जी एवं फलमण्डी (घ) घास मण्डी एवं पशु बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-1 निवेश इकाई क्रमांक-1, 3 निवेश इकाई क्रमांक-2 निवेश इकाई क्रमांक-2	45.0 5.00 4.50 5.00
3	विशिष्ट बाजार (क) थोक बाजार (ख) भवन निर्माण सामग्री कोल डिपो एवं कबाड़ी बाजार (ग) लकड़ी बाजार	निवेश इकाई क्रमांक-2 निवेश इकाई क्रमांक-2 निवेश इकाई क्रमांक-2	10.00 10.00 15.00
4	यातायात नगर/मेकेनिक नगर	निवेश इकाई क्रमांक-1	10.00
5	निवेश इकाई स्तर	निवेश इकाई क्रमांक-1, 2, 3	10.00
6	वृत्त खण्ड स्तर	वृत्त खण्डों में	13.00
7	उपखण्ड/स्थानीय स्तर	उपखण्डों में	10.00
8	वर्तमान क्षेत्र	सम्पूर्ण नगर	62.50
<b>योग</b>			<b>210.00</b>

उपरोक्त में नगर का वर्तमान बाजार क्षेत्र सम्मिलित है। विकास योजना में इनको नगर स्तरीय बाजार केन्द्र के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है, जिसके लिये विभिन्न निवेश इकाईयों में आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रस्ताव दिये गये हैं।



#### 4.4.2.1 शीतगृह एवं भंडारण

नगर में वर्तमान भंडारण हेतु सम्पूर्ण नगर में गोडाउन यत्रतत्र फैले हुए हैं। केवल नसीराबाद मार्ग पर वेअर हाउसिंग कारपोरेशन गोडाउन के मुख्य मार्ग पर स्थित है। नगर में शीतगृह की कमी है। जिसकी पूर्ण आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इस कारण हेतु निवेश इकाई क्रमांक 2 में मनासा मार्ग पर 10.00 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

#### 4.4.2.2 मण्डियां

##### ● अनाज मण्डी

वर्तमान कृषि उपज मण्डी स्टेशन रोड पर स्थित है, किन्तु वर्तमान मण्डी हेतु क्षेत्र कम पड़ रहा है। मण्डी नगर के मध्य स्थित होने से यातायात में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः इसके लिये नसीराबाद मार्ग पर निवेश इकाई क्रमांक 1 में 45.00 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

##### ● किराना मण्डी

वर्तमान में नगर में विभिन्न मार्गों पर किराना मण्डी संचालित है, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। अतः इस हेतु निवेश क्रमांक 1 एवं 3 में 5.00 हेक्टर प्रस्तावित किया गया है।

##### ● सब्जी एवं फल मण्डी

वर्तमान में फल एवं सब्जी मण्डी, पशु चिकित्सालय एवं टैगोर मार्ग के पीछे स्थित है। वर्तमान में स्थान की कमी प्रतीत होती है। अतः यहां से थोक सब्जी मण्डी, कृषि उपज मण्डी स्थानांतरित होने से इस परिसर में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इसके 4.5 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। साथ ही बघाना एवं नीमच सिटी में स्थित सब्जी मण्डी को आवश्यकतानुसार इसी परिसर में स्थानांतरित किया जा सकता है।

##### ● घास मण्डी

वर्तमान में सब्जी मंडी के पीछे, अस्पताल मार्ग पर अव्यवस्थित रूप से घास बाजार लगता है, जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः इसे नगर के मध्य से स्थानांतरित कर, निवेश इकाई क्रमांक 2 में प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग (दक्षिण पूर्व) पर, 5.00 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

#### 4.4.2.3 विशिष्ट बाजार

##### ● थोक बाजार

विकास योजना प्रस्ताव में वर्तमान नगर केन्द्र को ही नगर स्तरीय बाजार के रूप में विकसित एवं व्यवस्थित करने का प्रस्ताव है। अतः थोक बाजार हेतु भविष्य की आवश्यकता के लिये निवेश इकाई क्रमांक 2 में 10.00 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

#### ● भवन सामग्री कोल डिपो एवं कबाड़ी बाजार

वर्तमान में उक्त गतिविधियां नसीराबाद मार्ग मनासा मार्ग, तथा विभिन्न आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में संचालित हैं। अतः इसे संगठित रूप से विकसित करने हेतु निवेश इकाई क्रमांक 2 वृत्तीय मार्ग (दक्षिण पूर्व) पर 10.00 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है। इस परिसर के विकसित होने पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित गतिविधियां प्रस्तावित स्थल पर स्थानांतरित की जावेगी।

#### 4.4.3 मिश्रित

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 235.56 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है जो कि प्रस्तावित भूमि का 6.40 प्रतिशत क्षेत्र है।

#### 4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज, वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। इन औद्योगिक इकाईयों के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कुल 234.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 6.38 प्रतिशत है।

#### 4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं भूमि उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 356.21 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.68 प्रतिशत है।

#### 4.4.6 आमोद-प्रमोद

विकास योजना में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत 305.61 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.31 प्रतिशत है। इस उपयोग के अन्तर्गत निर्मित ऐतिहासिक पर्यटन से संलग्न भवनों की बनावट के अनुरूप भू-दृश्यीकरण विकसित करना भी प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त नालों के किनारे भूमि विकास नियमानुसार निर्धारित सीमा तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर निर्धारित सीमा तक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है। नगर में छावनी क्षेत्र में तरणताल तथा स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है उनमें सुधार किया जाना प्रस्तावित है। नगर में बगीचे एवं खुली भूमि, छावनी क्षेत्र में उपलब्ध है। खुली भूमि में बगीचे, उद्यान आदि का विकास किया जा सकता है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

- नगर उद्यान

वर्तमान में नगर में 06 उद्यान स्थित है। जोकि दशहरा मैदान के समीप गांधी वाटिका में, विकास नगर में 02 , सेंट्रल स्कूल के पीछे 01 , इंद्रा नगर तलाई के पास 01 एवं टेगौर मार्ग पर लांयस पार्क मे 01 स्थापित है। वर्तमान में 05 विकसित स्थित में एवं 01 अर्द्धविकसित स्थित में है।

- तरण ताल

वर्तमान में नगर में 1 तरण ताल की सुविधा उपलब्ध है।

- स्टेडियम एवं स्पोर्ट काम्पलेक्स

खेल गतिविधियों के विकास हेतु तरण ताल के समीप डॉ राजेन्द्र प्रसाद स्टेडियम विकसित अवस्था में स्थित है।

#### 4.4.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 651.38 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 17.70 प्रतिशत है। यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों का विस्तार, बायपास मार्ग का निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है। वर्तमान बस स्टैण्ड निजी एवं राज्य परिवहन के बस स्टैण्ड पास-पास में है। किन्तु उनका विकास उचित ढंग से न होने के कारण समस्याग्रस्त है। उनका उचित प्रकार से विकास कर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। भावी आवश्यकता हेतु नसीराबाद मार्ग पर ग्वालटोली चौराहा पर ईंट भट्टों के स्थान पर नये बस स्टैण्ड हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। जहां से चित्तौड़गढ़, जावद, मनासा, सिंगोली मार्ग की ओर जाने वाली सभी बसें नगर के बाहर से जा सकेगी।

#### 4.5 निवेश इकाईयाँ

नीमच निवेश क्षेत्र को 3 निवेश इकाईयाँ में विभक्त कर नगर विकास के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। वर्तमान घनत्व को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का विभाजन 4-सा-3 में दिया गया है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

## निवेश इकाईयाँ

सारणी 4-सा- 3

क्र.	निवेश इकाईयाँ	
	निवेश इकाईयाँ	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	निवेश इकाई क्रमांक -1	3340.55
2	निवेश इकाई क्रमांक -2	2116.90
3	निवेश इकाई क्रमांक -3	1937.86
	<b>योग</b>	<b>7395.31</b>

स्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश

• निवेश इकाई क्रमांक -1

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा तक पूर्व में महु-चित्तौड़गढ़ मार्ग के समानान्तर ग्वालटोली चौराहा तक पश्चात् म.प्र. विद्युत मण्डल जाने वाले मार्ग से होते हुए निवेश क्षेत्र सीमा तक। दक्षिण में रेलवेलाइन के समानान्तर जयसिंगपुरा क्रॉसिंग तक। पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तक। इस निवेश इकाई में केन्द्रीय आरक्षित बल, छावनी क्षेत्र, म.प्र. विद्युत मण्डल कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय पुलिस लाइन, गोमाबाई नेत्र चिकित्सालय, वेअर हाउस गोडाउन, नगर पालिका कार्यालय, सिविल लाइन, केन्द्रीय विद्यालय, रेलवे स्टेशन कृषि उपज मण्डी, छावनी क्षेत्र का वाणिज्यिक केन्द्र आदि सम्मिलित है। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 3340.55 हेक्टर है।

• निवेश इकाई क्रमांक -2

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा तक दक्षिण में रेलवे के समानान्तर, पूर्व में निवेश क्षेत्र की सीमा तक, पश्चिम में रेलवे क्रॉसिंग से महु-चित्तौड़गढ़ मार्ग के समानान्तर तक सीमा स्थित है, इसमें नीमच सिटी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, न्यायालय, बस स्टैण्ड, विश्राम गृह, गुप्ता नर्सिंग होम, इन्दिरा नगर, शासकीय महाविद्यालय आदि सम्मिलित हैं। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 2116.90 हेक्टर है।

• निवेश इकाई क्रमांक- 3

इस निवेश इकाई की सीमा मुख्यतः उत्तर पूर्व में रेलवे लाइन तथा दक्षिण एवं पश्चिम में निवेश क्षेत्र की सीमा तक। दक्षिण में निवेश क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र तक। इस निवेश इकाई में बघाना बस्ती, रेलवे कॉलोनी, हवाई पट्टी आदि सम्मिलित हैं। इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1937.86 हेक्टर है।





#### 4.6 नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र

नगर के कुछ क्षेत्रों जैसे नगरीय धरोहर, आमोद-प्रमोद के केन्द्र, धार्मिक तथा दर्शनीय स्थलों के आसपास नियोजन एवं विकास नियंत्रण आवश्यक है ताकि निर्माण से उस क्षेत्र का मूल स्वरूप नष्ट नहीं हो। नगरीय रूपांकन एवं नियोजन के संदर्भ में नियंत्रित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

1. ग्वालटोली तालाब।
2. भादवामाता मंदिर परिसर।
3. सुखानंदजी आश्रम।
4. नवा तोरण मंदिर।
5. गुर्जरखेड़ी तालाब।

#### 4.7 संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से नदी, तालाब एवं जल भराव वाले क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हैं। संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः तालाबों के आसपास का क्षेत्र, नालों का जल फैलाव क्षेत्र एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों के संरक्षण एवं व्यवस्थापन की विशिष्ट अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं:-

- नालों एवं जलाशयों के किनारे सघन वृक्षारोपण कर प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जावे। ठोस निस्तार के प्रबंधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाना है, ताकि यह पर्यावरण एवं जल स्रोत प्रदूषित ना हो। बायोगैस उत्पादन, वर्मी कल्चर, माक्रोविक पद्धति तथा निस्तार पदार्थों के जैविक वर्गीकरण से भिन्न-भिन्न धुआं रहित ईंधन केन्द्र व भवन निर्माण सामग्री (ब्लॉक्स) के निर्माण की संभावनाओं की खोज की जानी चाहिए।
- अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जल स्रोतों का प्रबंधन एक स्थानीय विकास प्राधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए, जो विधि-विधानों के प्रावधानों के अधीन इसके संरक्षण की जवाबदारी से युक्त हो।
- संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास भवन निर्माण गतिविधियों के लिए अलग नियमन का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
- कीचड़, मल निकास, सेप्टिक टैंक निकास किसी भी स्थिति में नदी-नालों व तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
- पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्रोतों के केचमेंट एरिया में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जावेगा, जिससे कि तालाबों में जलीय घासफूल एवं अन्य ऐसी

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

गतिविधियां जो भूमि कटाव करती हैं, को रोका जा सके। संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए।

- नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष आमोद-प्रमोद, प्रोत्साहन, दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे। नियंत्रित क्षेत्र से बाहर के खुले क्षेत्रों में उपरोक्त श्रेणियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य निर्माण प्रतिबंधित होंगे।
- हवाई अड्डा/हवाई पट्टी के प्रतिबंधित नियंत्रित क्षेत्र में उड़डयन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

#### 4.8 असंगत भूमि उपयोग

नगर में कुछ भूमि उपयोगों/गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर स्थान की कमी आस-पास की गतिविधियों से असामंजस्यता रखने, पर्यावरण तथा यातायात समस्याओं के कारण असंगत भूमि उपयोगों के रूप में चयन किया जाकर अन्यत्र स्थानांतरण हेतु चयन किया गया है। इसी तरह कुछ भूमि उपयोग/गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर उनके भावी विकास, विकास एवं वृद्धि के लिये स्थान की कमी एवं पूर्ण दक्षता के साथ संश्लिप्त न रहने के कारण अकार्यक्षम भूमि उपयोग के अन्तर्गत चयन किया गया है। इन उपयोगों को स्थानांतरित कर पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थान को अधिक सक्षम रूप से प्रस्तावित किया गया है। असंगत भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, जबकि अकार्यक्षम भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है। अकार्यक्षम भूमि उपयोग हेतु स्थान पर वृद्धि एवं विकास की अनुज्ञा नहीं होगी। असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोगों की जानकारी सारणी 4-सा-4 में दी गई है।

#### असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

सारणी 4-सा- 4

क्र.	भूमि उपयोग	वर्तमान स्थल/स्थिति	प्रस्तावित स्थल	रिक्त भूमि का प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4	5
<b>असंगत भूमि उपयोग</b>				
1	<b>आवासीय</b>			
	(अ) पुलिस लाईन	महू-चित्तौड़गढ़ मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक -1	सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक
	(ब) झुग्गी झोपड़ी	हाट मैदान नगर पालिका कार्यालय के पास जीवाजी	निवेश इकाई क्रमांक-1 ग्वाल टोली के पीछे	स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक आवासीय शैक्षणिक

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

क्र.	भूमि उपयोग	वर्तमान स्थल/स्थिति	प्रस्तावित स्थल	रिक्त भूमि का प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	3	4	5
		छात्रावास डाक बंगले के पास		आवासीय
2	<b>वाणिज्यिक</b>			
	(अ) आटो पार्ट्स वर्कशॉप एवं मेकेनिक दुकाने	महू-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर (प्रायवेट बस स्टैण्ड से मन्दसौर की ओर)	निवेश इकाई क्रमांक- 2 में ट्रान्सपोर्ट नगर के पास	सामान्य वाणिज्यिक
	(ब) आरा मशीनें	नीमच सिटी रोड ग्वाल टोली	निवेश इकाई क्रमांक- 2 निवेश इकाई क्रमांक-2	सामान्य वाणिज्यिक आवासीय
	(स) थोक बाजार (किराणा एवं अनाज)	घंटाघर के पास तिलक मार्ग पर	निवेश इकाई क्रमांक-1 प्रस्तावित मण्डी	सामान्य वाणिज्यिक
	(द) कबाड़ी बाजार	टैगोर मार्ग एवं बोहरा बाजार मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक-2	मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक
	(उ) मैकेनिक दुकाने	शासकीय चिकित्सालय	निवेश इकाई क्रमांक-2	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
	(ई) घास बाजार	अस्पताल मार्ग पर	निवेश इकाई क्रमांक-2	आवासीय
3	<b>औद्योगिक</b>			
	(अ) बर्फ फेक्ट्री	सिंधी कॉलोनी के सामने	निवेश इकाई क्रमांक-1 में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय
	(ब) दाल एवं तेल मिलें	बघाना, नीमच सिटी, छावनी	निवेश इकाई क्रमांक-1	आवासीय
	(स) चर्म शोधन केन्द्र	जाजू सराय एवं योजना क्र. 9	निवेश इकाई क्रमांक-1	आवासीय
	(द) प्लास्टिक उद्योग	सिंधी कॉलोनी के सामने	निवेश इकाई क्रमांक-1	आवासीय
	(इ) ईट भट्टे	ग्वालटोली के सामने नसीराबाद मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक-1 ग्राम डुंगलावदा	बस स्टैण्ड
4	<b>अकार्यक्षम भूमि उपयोग</b>			
	(अ) कृषि उपज	स्टेशन मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक-1	सब्जी मण्डी थोक
	मण्डा		चगरा, डुंगलावदा	एव फूल मण्डा
	(ब) बस स्टैण्ड	नीमच सिटी मार्ग एवं नसीराबाद मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक-1	पिकअप स्टेशन

## 4.9 ग्राम विकास

निवेश क्षेत्र में स्थित जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं हुई है, उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आसपास 200 मीटर की परिधि में आवासीय उपयोग स्वीकार्य होगा। साथ ही ग्राम विकास की अन्य गतिविधियां भी स्वीकार्य होंगी। यह विकास/विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही किया जा सकेगा।

## अध्याय 5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा

### 5.1 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा

शहरी व्यवस्थापन हेतु प्रभावपूर्ण परिभ्रमण संरचना की आवश्यकता होती है, ताकि नगर के निवासियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था प्राप्त हो सके। प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करने के साथ-साथ नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को भी प्रभावित करती है।

नगर के मध्य से महु-चित्तौड़गढ़ मार्ग गुजरने के कारण नगर दो भागों में विभाजित हुआ है। पूर्व की ओर नीमच सिटी एवं पश्चिम में छावनी क्षेत्र नगर का महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। महु-चित्तौड़गढ़ मार्ग (अम्बेडकर चौराहा के पास) पर मनासा मार्ग मिलता है, जिससे "व्ही" आकार का मार्ग संगम बनता है। इस क्षेत्रीय मार्ग से सिंगोली, रतनगढ़, भातखेड़ा, मोरवन, कोटा आदि नगरों के लिये यात्री यातायात गुजरता है। रेलवे लाईन के कारण भी नगर दो भागों में विभक्त हुआ है। बघाना क्षेत्र तथा छावनी क्षेत्र है। रेल मार्ग के कारण छावनी तथा नीमच सिटी से बघाना क्षेत्र हेतु सरल एवं सुगम पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। इस हेतु रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज प्रस्तावित किये गये हैं।

महु-चित्तौड़गढ़ सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग से प्रदेश एवं देश के विभिन्न नगरों से सीधा जुड़ा हुआ है। मन्दसौर, जावरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन, इन्दौर, खण्डवा, भोपाल तथा राजस्थान के निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, जयपुर तथा नई दिल्ली के लिये सीधा संपर्क होने से यात्री तथा माल यातायात के परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। सुगम यातायात हेतु क्षेत्रीय मार्ग तथा बघाना, नीमच सिटी तथा कुछ छावनी क्षेत्र के अन्तर नगरीय मार्गों के तंत्र में सुधार आवश्यक है। अतः नगर के संकीर्ण मार्गों को चौड़ा करना प्रस्तावित है। नीमच नगर की यातायात संरचना निम्न पहलुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है। नीमच नगर की यातायात संरचना निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है।

- क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण,
- छावनी, नीमच सिटी एवं बघाना क्षेत्र को आपस में जोड़ने हेतु उचित मार्ग संरचना,
- दक्ष एवं बहु आयामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था,
- नगर के विभिन्न कार्य केन्द्रों के मध्य सम्पर्क स्थापित करना,
- नगर की विभिन्न बसाहटों के मध्य सामन्जस्य स्थापित करना,
- मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्ग संरचना,
- समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात तंत्र में सुधार,

### ● रेल मार्ग

यह नगर पश्चिम रेलवे का स्टेशन है। रेल यातायात द्वारा अजमेर-खण्डवा ब्रॉडगेज पर स्थित होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसकी क्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान रेल मार्ग से हो सकेगी, वर्तमान में नीमच रेलवे स्टेशन को विकसित करने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। नीमच रेलवे स्टेशन क्षेत्र के यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### ● मार्ग

नीमच, महु-चित्तौड़गढ़ राज्य राजमार्ग 31-ए पर स्थित होने से माल का आयात-निर्यात मार्ग यातायात द्वारा देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होता है, इस प्रकार क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का काफी दबाव रहता है, भावी क्षेत्रीय यातायात को दृष्टिगत रखते हुए बायपास मार्ग का निर्माण किया गया है, इसी दृष्टि से क्षेत्रीय मार्गों का चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

### ● सीधा यातायात

नीमच नगर से इन्दौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा की ओर जाने वाले मार्गों पर सीधा यातायात गुजरता है। अतः मार्गों की पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया जाना प्रस्तावित है।

## 5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर के मध्य से महु-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर अत्यंत भारी यातायात होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इस मार्ग पर मुख्य रूप से डाकबंगला (मनासा मार्ग) ग्वालटोली चौराहा पर, अम्बेडकर मार्ग (अम्बेडकर चौराहा) पर, टैगोर मार्ग (फब्बारा चौक) पर, नीमच सिटी मार्ग बस स्टैण्ड चौराहा पर मिलने के कारण इस मार्ग पर यातायात का काफी घनत्व बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय यातायात भी इसी मार्ग से गुजरता है। अतः यातायात का भार कम करने हेतु परिवर्तित मार्ग, वृत्तीय मार्ग आदि के प्रस्ताव दिये गये हैं। छावनी क्षेत्र के अन्य मार्ग विकास पथ, जवाहर नगर मार्ग, अम्बेडकर मार्ग, टैगोर मार्ग, वीरपार्क मार्ग, केन्द्रीय विद्यालय मार्ग की पर्याप्त चौड़ाई होने से इस क्षेत्र में यातायात की विशेष समस्या नहीं है।

वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। नगर में मोटर सायकल, स्कूटर, टेम्पो, कार ऑटोरिक्शा, सायकल आदि यातायात के प्रमुख साधन हैं। तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

नगरीय मार्गों को मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिये नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

## वर्तमान मार्गों की चौड़ाई

सारणी 5-सा- 1

अनु.क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
1.	<b>क्षेत्रीय मार्ग</b>	
	<b>(अ) महु - नसीराबाद मार्ग</b>	
	- नगरीय विस्तार में	30.0
	- नगरीय विस्तार के बाहर	60.0
	<b>(ब) नीमच - छोटी सादड़ी मार्ग</b>	
	- स्टेशन से जिनिंग फेक्ट्री तक	12.0
	- नगरीय विस्तार क्षेत्र से बाहर	30.0
	<b>(स) नीमच - मनासा मार्ग</b>	
	- डॉ अम्बेडकर चौराहे से सिंगोली मार्ग संगम तक	30.0
	- सिंगोली मार्ग संगम से आगे	45.0
	<b>(द) नीमच - सिंगोली मार्ग</b>	45.0
	<b>(इ) नीमच - चीताखेड़ा मार्ग</b>	45.0

नोट :- जिन क्षेत्रीय मार्गों की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, वहां वर्तमान चौड़ाई को ही यथावत रखा जावेगा।

## वर्तमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
	<b>(अ) छावनी क्षेत्र</b>		
1	सी.आर.पी.एफ. मार्ग (लायन्स पार्क चौराहे से सी.आर.पी.एफ. चौराहे तक)	35-40	45.0
2	डॉ. अम्बेडकर मार्ग	25-30	30.0
3	विकास पथ	24-35	24.0
4	भाग्येश्वर महादेव मंदिर मार्ग (सिंधी कॉलोनी से सी.आर.पी.एफ. सीमा तक)	18-20	18.0

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
5	रेलवे स्टेशन मार्ग (रेलवे स्टेशन से ओपियम फेक्ट्री तक)	20-24	24.0
6	सेन्द्रल स्कूल मार्ग/मेहता स्टेडियम मार्ग (किलेश्वर रोड से स्टेडियम चौराहे तक)	15-18	18.0
7	किलेश्वर मार्ग (स्टेशन से सी.आर.पी.एफ. चौराहे तक)	20-24	30.0
8	टेगौर मार्ग	25-35	36.0
9	नगर पालिका मार्ग (गोल चौराहे से सेल्सटेक्स कार्यालय जंक्शन)	14-24	18.0
10	तिलक मार्ग (बस स्टैण्ड चौराहे से ज्ञान मंदिर तक)	9-13	12.0
11	स्टेट बैंक मार्ग (ओपियम फेक्ट्री से विजय टॉकीज चौराहे तक)	20-35	30.0
12	आशोक मार्ग/मूलचन्द मार्ग (प्रायवेट बस स्टैण्ड चौराहे से ओपियम फेक्ट्री तक)	18-24	24.0
13	शम्भू व्यायामशाला मार्ग (शंकर आईल मिल चौराहे से जाजू सराय तक)	18-24	24.0
14	छात्रावास मार्ग (कॉन्वेंट स्कूल तक जोड़ मार्ग)	12-18	18.0
15	वीर पार्क मार्ग से डॉ. अम्बेडकर मार्ग तक	24-30	30.0
16	छात्रावास मार्ग (कमल चौक से अम्बेडकर मार्ग जंक्शन तक)	18-24	24.0
17	वीर पार्क मार्ग	12-20	18.0
18	पुस्तक बाजार मार्ग	10-12	12.0
19	दानाओली मार्ग	8-10	12.0
20	घंटाघर मार्ग	8-10	12.0
21	पिंजारा मार्ग	10-12	12.0
	(ब) नीमच सिटी क्षेत्र		

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
1	नीमच सिटी मार्ग (बस स्टेण्ड से सुन्दरम् टॉकीज के पुल तक)	12-20	18.0
2	विक्रम मार्ग (पुल से नीमच सिटी चौराहे तक)	7-9	9.0
3	वल्लभभाई पटेल मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से पुरानी तहसील तक)	7-8	9.0
4	कस्तूरबा मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से मनासा रामपुरा दरवाजे तक)	9-12	12.0
5	डॉ. काटजू मार्ग/महाविद्यालय मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से मनासा नाके तक)	12-18	18.0
6	भगवानपुरा मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से भगवानपुरा बस्ती तक)	9-12	12.0
7	यादव मंडी मार्ग (पांच मंदिर चौराहे से मनासा मार्ग तक)	9-12	12.0
8	कालीदास मार्ग (पुरानी तहसील चौराहे से रामपुरा दरवाजे तक)	6-9	9.0
9	प्रताप मार्ग	7-9	9.0
10	गोपालकृष्ण मार्ग	8-9	9.0
11	डॉ. किदवई मार्ग	6-9	9.0
12	आजाद मार्ग (पुल से रावत विश्रामगृह तक नाले के समानान्तर)	8-9	9.0
13	रावत श्रमिक मार्ग	7-9	9.0
14	माधवगंज मार्ग	6-9	9.0
	<b>(स) बघाना क्षेत्र</b>		
	सुभाष मार्ग	6-7.5	9.0
1	(अ) पुलिस थाना से व्यास बाल मंदिर तक	9-12	12.0
	(ब) रेलवे अंडरपास से छोटी सादड़ी नाके तक	7-9	12.0
2	बालाजी मार्ग	9-12	12.0



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
3	व्यास बाल मंदिर मार्ग	7-9	9.0
4	विवेकानन्द मार्ग	7-9	9.0
5	महात्मा गांधी मार्ग	7-9	9.0
6	धनेरियाकलां मार्ग (जगधारी जिनिंग फेक्ट्री से बघाना ग्राम सीमा तक)	7-9	9.0

नोट :- जिस स्थल पर वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रहेगी।


## 5.2.1 अवसान केन्द्र

- ट्रक स्थानक
- बस स्टैण्ड
- कृषि उपज मण्डी
- कलेक्टर कार्यालय
- औद्योगिक क्षेत्र
- वेअर हाउसिंग गोडाऊन
- यातायात नगर
- नीमच सिटी के क्षेत्र
- बघाना क्षेत्र

## 5.2.2 वाहन विराम स्थल

नगर के विभिन्न स्थानों पर विशेषतः सघन गतिविधि क्षेत्रों के समीप मार्गों के किनारे वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना मार्गों की यातायात वाहन क्षमता को बनाये रखने के लिये बहुत आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु निम्नानुसार स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

- वर्तमान बस स्टैण्ड के पास।
- रेलवे स्टेशन।
- नगर पालिका कार्यालय क्षेत्र पर।



- स्टेडियम क्षेत्र में।
- लायन्स पार्क चौराहा ।
- अशोक मार्ग एव ईदगाह मार्ग संगम (नदी किनारे) पर।
- डॉ. अम्बेडकर चौराहा ।
- ग्वाल टोली चौराहा पर।

### 5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

वर्तमान नीमच-नसीराबाद, नीमच-मंदसौर, नीमच-मनासा, नीमच-सिंगौली, नीमच-चीताखेड़ा, नीमच-छोटी सादड़ी आदि क्षेत्रीय मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण भारी यातायात को नगर से बाहर परिवर्तित करने हेतु विकास योजना 2031 में वृत्तीय मार्ग, दक्षिण-पूर्वी वृत्तीय मार्ग 45 मीटर तथा पश्चिमी वृत्तीय मार्ग 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किये गये थे तथा 7 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे किन्तु इनका विकास नहीं हुआ, जिसे पुनः विकास योजना 2035 में प्रस्तावित किये गये हैं। विकास योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय प्रस्तावित यातायात संरचना का ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार नगर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग एवं अन्य मार्ग प्रस्तावित है।

#### • क्षेत्रीय मार्ग

नगर के मध्य से कुल 5 क्षेत्रीय मार्ग गुजरते हैं। नसीराबाद, मन्दसौर, मनासा, सिंगौली, चीताखेड़ा, छोटी सादड़ी आदि हैं। यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात का दबाव अधिक रहता है। इन मार्गों का यातायात कम करने के लिये वृत्तीय मार्ग, बायपास मार्ग, प्रस्तावित किये गये हैं। जिनकी चौड़ाई यातायात दबाव के अनुसार प्रस्तावित की गई है।

#### • वृत्तीय मार्ग

क्षेत्रीय मार्गों को आपस में जोड़ने एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले यातायात के दबाव को कम करने हेतु वृत्तीय मार्ग विकास योजना 2031 में प्रस्तावित किये गये थे, जिसकी चौड़ाई 45 एवं 60 मीटर प्रस्तावित थी उसे विकास योजना 2035 में यथावत रखा गया है।

#### • बायपास मार्ग

नसीराबाद की ओर से आने वाले भारी यातायात को नगर के बाहर से गुजारने हेतु नसीराबाद जावद मार्ग संगम के पास से नीमच निवेश क्षेत्र से आंशिक रूप से ग्राम डुंगलावदा, जेतपुरा आदि होते हुए ग्राम भाटखेड़ा के पास महु मार्ग पर मिलता है। जिसका उपयोग वृत्तीय मार्ग के रूप में हो रहा है। इस कारण विकास योजना में अतिरिक्त वृत्तीय मार्ग के प्रस्ताव नहीं दिये हैं।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

- **खण्डस्तरीय मार्ग**

खण्डस्तरीय मार्गों का प्रावधान आवासीय खण्डों को गतिविधि केन्द्रों से जोड़ने तथा निवेश इकाई के तीव्रगामी यातायात को बहन करने हेतु किया जाता है। इन मार्गों की चौड़ाई 18 से 24 मीटर प्रस्तावित है। इन मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन के अन्तर्गत नगर बस सेवा प्रारम्भ की जा सकती है। इन मार्गों के किनारे ही जलप्रदाय विद्युत प्रदाय एवं जलमल निकासी से सम्बंधित व्यवस्था की जा सकेगी।

- **उप खण्ड स्तरीय मार्ग**

इस प्रकार के मार्ग प्राथमिक रूप से प्रत्येक आवासीय खण्डों में स्थानीय यातायात की आवश्यकता हेतु तथा एक मुख्य मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 12 से 18 मीटर प्रस्तावित है।

- **स्थानीय मार्ग**

समीपस्थ आवासीय क्षेत्र में आवागमन हेतु स्थानीय मार्ग शृंखला प्रस्तावित है। इनके संरचना के मानक विकास नियमन में निर्धारित है। आवासीय क्षेत्र में इन मार्गों की चौड़ाई 9.00 न्यूनतम होगी।

- **पदचारी मार्ग**

पदयात्री पथ परिभ्रमण संरचना का एक अति आवश्यक अंग है। पद यात्री पथ चालकों के साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है ताकि वे दुकानों, वाचनालयों, पुस्तकालयों तथा पाठशालाओं तक की दूरी सुरक्षित एवं सुगमतापूर्वक तय कर सकें। पदचारी पथ एक आवासीय खण्ड को दूसरे खण्ड से जोड़ने हेतु भी प्रस्तावित है। इनके विस्तृत प्रस्ताव परिक्षेत्रीय योजना में प्रस्तावित किये जावेंगे।

#### 5.4 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित करते समय उनका महत्व दीर्घकालीन यातायात की सघनता, यातायात का स्वरूप व विशेषताएं आदि को ध्यान में रखा गया है। निम्न सारणी 5-सा-2 में विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई दर्शायी गई है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई



सारणी 5-सा- 2

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
1.	<b>क्षेत्रीय मार्ग</b>	
	(अ) महू - नसीराबाद मार्ग	30.0
	- नगरीय विस्तार में	
	- नगरीय विस्तार के बाहर	60.0
	(ब) नीमच - छोटी सादड़ी मार्ग	
	- स्टेशन से जिनिंग फेक्ट्री तक	12.0
	- नगरीय विस्तार क्षेत्र से बाहर	30.0
	(स) नीमच - मनासा मार्ग	
	- डॉ अम्बेडकर चौराहे से सिंगोली मार्ग संगम तक	30.0
	- सिंगोली मार्ग संगम से आगे	45.0
	(द) नीमच - सिंगोली मार्ग	45.0
	(इ) नीमच - चीताखेड़ा मार्ग	45.0
2.	<b>वृत्तीय मार्ग</b>	
	(अ) दक्षिण - पश्चिम वृत्तीय मार्ग	60.0
	(ब) पूर्व - दक्षिण वृत्तीय मार्ग	45.0
3	<b>मुख्य नगरीय मार्ग</b>	
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 1	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 2	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 3	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 4	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 5	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 6	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 7	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 8	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 9	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 10	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 11	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 12	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 13	18.0

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 14	18.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 15	18.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 16	36.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 17	30.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 18	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 19	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 20	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 21	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 22	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 23	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 24	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 25	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 26	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 27	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 28	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 29	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 30	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 31	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 32	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 33	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 34	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 35	24.0
	मुख्य मार्ग क्रमांक - 36	24.0
4	वृत्त खण्डस्तरीय मार्ग	24.0
5	उपवृत्त खण्डस्तरीय मार्ग	18.0
7.	स्थानीय मार्ग	9-12

नोट :- जिन क्षेत्रीय मार्गों की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, वहां वर्तमान चौड़ाई को ही यथावत रखा जावेगा।



## अध्याय 6 विकास नियमन

### 6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

### 6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।
5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा।
6. आस-पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप-दर्शित नहीं है अथवा उप-दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।
7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।
9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
11. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।
13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।
14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लायओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
16. झुगियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्रोतों के क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।
17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन-परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।
19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।
20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।
21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा।
23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।
24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू-उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

### 6.3 परिभाषायें

#### उपयोग परिक्षेत्र

मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

#### उपयोग परिसर

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

<b>अभिन्यास</b>	अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
<b>भूमि उपयोग मानचित्र</b>	सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।
<b>परिक्षेत्रिक योजना</b>	निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना, जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।
<b>नगरीय ग्राम</b>	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।
<b>नगरीय विरासत का क्षेत्र</b>	नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
<b>विकसित क्षेत्र</b>	विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
<b>एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास</b>	अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
<b>मिश्रित उपयोग</b>	मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी।
<b>ऊँचे भवनों का विकास</b>	ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।
<b>फर्शी क्षेत्र अनुपात</b>	फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

<b>भवन की ऊँचाई</b>	अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
<b>संवेदनशील क्षेत्र</b>	परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।
<b>बंगला भूमि :-</b>	नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 के अंतर्गत परिभाषित "बंगला भूमि" से अभिप्रेत है, ब्रिटिश पदधारियों के आवास के लिए चिन्हित बंगला नंबर 01 से बंगला नंबर 60 तक की भूमियां।
<b>बगीचा भूमि :-</b>	नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 के अंतर्गत परिभाषित "बगीचा भूमि" से अभिप्रेत है, ब्रिटिश शासकों/ केप्टानमेंट बोर्ड/ नगरपालिका परिषद, नीमच द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए चिन्हित कृषि बगीचे (पुराने बगीचे) क्रमांक 1 से 52, न्यू कृषि बगीचा (नए बगीचे) क्रमांक 01 से 35 तक की भूमि।
<b>व्यवस्थापन :-</b>	नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 के अंतर्गत परिभाषित "व्यवस्थापन" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन प्रीमियम तथा भू भाटक शुल्क लेकर भूमि को अधिभोगी के पक्ष में अंतरण किये जाने वाली प्रक्रिया।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

#### 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग परिक्षेत्रों में तत्संबंधी विभिन्न स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये उपयोग परिक्षेत्रों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उप-परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-1 में दिया गया है।

## भू-उपयोग परिक्षेत्र

## सारणी 6-सा- 1

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्र उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत	(पी)

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)
		गतिविधियां	
6	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रवर्धन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
7	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेलवे स्टेशन	(टी 4)
		रेलवे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
8	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेचिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें/गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		जल-मल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेचिंग ग्राउण्ड	(पीयूएफ 4)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/शमशान घाट	(पीयूएफ 10)
9	जल निकाय	नदियां	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
10	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

**टीप :-** उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू-उपयोग परिक्षेत्र एवं उप-परिक्षेत्र वर्णित हैं, जिनमें से नीमच नगर की आवश्यकता के अनुसार लिये गये हैं।

नीमच निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निम्न सारणी में दर्शाये अनुसार उप-परिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

## प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6-सा- 2

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1	आवासीय	आवासीय मिश्रित	(आर-1) (आर-2)
2	वाणिज्यिक	सामान्य (जनरल) मण्डी	(सी 2) (सी 6)
3	औद्योगिक	सामान्य उद्योग	(आई 2)
4	आमोद-प्रमोद	उद्यान/क्षेत्रीय उद्यान बहुदुद्देशीय खुला क्षेत्र/खेल मैदान स्टेडियम नदी/तालाब के किनारे का खुला क्षेत्र प्रदर्शनी मेला मैदान	(जी 1) (जी 3) (जी 6) (जी 5) (जी 8)
5	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/ सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(पी)
6	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनल/बस डिपों सड़क रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन यातायात नगर हवाई पट्टी	(टी 1) (टी 3) (टी 4) (टी 5) (टी 7) (टी 8)
7	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र विद्युत सब स्टेशन शमशान घाट/कब्रिस्तान/शवदाह गृह	(पीयूएफ 1) (पीयूएफ 3) (पीयूएफ 10)
8	जल निकाय	नदियां तालाब/जलाशय नाला/नहर	(डब्ल्यू 1) (डब्ल्यू 2) (डब्ल्यू 3)
9	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)

## 6.5 आवासीय

### 6.5.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6-सा-2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।
4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जावेंगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-ज) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।
6. पहुंच मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर मिश्रित उपयोग हेतु अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवन के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किये जा सकेंगे।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

## आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा- 3

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने न्यूनतम चौड़ाई (मी.में )	अधिकतम रैचाई (मी. में )	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाइयां
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	6	9.5	2
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9.5	2
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9.5	2
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
5	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

## नोट:-

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, हेतु भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हो, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS)

में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ. एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।

5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
7. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय इकाइयां मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

## 6.6 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

## 6.7 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

## 6.8 मिश्रित उपयोग

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक गतिविधियां।

### 6.8.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है। अतः वास्तविकता को अनदेखा करना नियोजन की

दृष्टि से उचित नहीं होगा। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है।

### 6.8.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किये जाने से है।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

### 6.8.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे।
3. 12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी।

## 6.9 वाणिज्यिक

### 6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका

#### वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा- 4

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्र (वर्गमीटर में)	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	भवन रेखा (मीटर में मार्ग के मध्य से )	अग्र कॉरिडोर	भू-आच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात (FAR)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
4	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
6	18.0 X 30.0	540	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
7	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	9.0	3.0	40	1.5

टीप :-

- 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।
  - 18 मीटर तक 1.75
  - 24 मीटर से अधिक 2.0
- यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांकों के मानक लागू होंगे।
- वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
- 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी।

मार्ग चौड़ाई

12.0 मीटर

18.0 मीटर

24.0 मीटर

भवन रेखा (मार्ग मध्य से)

09.0 मीटर

13.5 मीटर

15.0 मीटर

- अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

## वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6-सा- 5

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
4	मार्गों की चौड़ाई - बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने पदचारी मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर 18 मीटर 7.5 मीटर
5	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार

## 6.10 औद्योगिक

## 6.10.1 औद्योगिक विकास के मानक

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## 6.11 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

## सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 6-सा- 6

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ.ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>शैक्षणिक भवन</b> 1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला 2. प्राथमिक विद्यालय 3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 4. महाविद्यालय	40 प्रतिशत 33 प्रतिशत 30 प्रतिशत 25 प्रतिशत	1.25 1.25 1.00 1.00	12.0 12.0 18.0 24.0	6.0 7.5 12.0 15.0	3.0 3.5 5.0 6.0
2	<b>स्वास्थ्य</b> हॉस्पिटल - 100 बिस्तर हॉस्पिटल - 30 से 100 बिस्तर हॉस्पिटल - 0 से 30 बिस्तर नेच्रोपेथी सेन्टर हेल्थ सेन्टर नर्सिंग होम पालीक्लीनिक पेट क्लीनिक ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत	1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25	24.00 24.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 12.00 12.00	15.00 15.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00	06.00 06.00 04.50 04.50 04.50 04.50 04.50 04.50 04.50
3	<b>जनउपयोगिता एवं सेवायें</b> पुलिस चौकी पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित सामुदायिक भवन उप अग्निशमन केन्द्र अग्निशमन केन्द्र डाक एवं तार विद्युत सब स्टेशन	35 प्रतिशत 25 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत -	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -	- 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 -	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होंगे।
4	<b>धार्मिक भवन</b>	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	<b>शासकीय/अर्ध-शासकीय कार्यालय</b>	35 प्रतिशत	1.00	18.0		



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

**नोट** –उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे। किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिये यह मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगा, जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

## 6.12 यातायात

### 6.12.1 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक

(अ) इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी— ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग/लाजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुशांगिक गतिविधियां।

(ब) यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन।

- मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।
- सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
- यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आकार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियां स्वीकार्य होंगी।

### 6.13 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, FAR एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्ड लागू किए जा सकेंगे। जोनल प्लान लागू होने तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।

विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी।

### 6.14 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड

भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

#### 6.14.1 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## वर्तमान आवासीय क्षेत्र के विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6-सा- 7

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	66 प्रतिशत	1.25
90 से अधिक 180 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत	1.00
180 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत	1.00

टीप:- मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिये फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

1. आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कालोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जायेगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाये गये मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिये नवीन आवासीय क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

2. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

- (1) मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
- (2) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हों, तो आवासीय क्षेत्र, भू-तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।
- (3) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
- (4) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।
- (5) वाणिज्यिक भूखण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा, किन्तु होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु आवंटित भूखण्डों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	100 प्रतिशत
25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	80 प्रतिशत
फर्शी क्षेत्र अनुपात	1:1.50

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

टीप :-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दोगुना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

#### 6.14.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं। अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

- (1) वाणिज्यिक मार्ग (सी)
- (2) वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्ग (आर.सी.)

इन मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6-सा- 8

अनु. क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	मार्ग चौड़ाई (मीटर)		फर्शी क्षेत्र अनुपात
			वर्तमान	प्रस्तावित	
1	2	3	4	5	6
1	टैगोर मार्ग	सी	25-35	35	2.5
2	तिलक मार्ग	सी	9-13	12	2.5
3	अशोक मार्ग / मूलचंद मार्ग	आर.सी.	18-24	24	2.0
4	वीरपार्क मार्ग	सी	12-20	18	2.0
5	पुस्तक बाजार मार्ग	सी	10-12	12	2.5
6	दाना ओली मार्ग	सी	10-12	12	2.0
7	बोहरा बाजार मार्ग	सी	-	वर्तमान चौड़ाई यथावत	2.0
8	घंटाघर मार्ग	सी	8-10	9	2.0
9	पिंजारा मार्ग	आर.सी.	10-12	12	2.0
10	वीरपार्क मार्ग से टैगोर मार्ग (सब्जी मण्डी मार्ग)	सी	15-18	18	2.0
11	वीरपार्क मार्ग से कमल चौक (छात्रावास मार्ग)	सी	18-24	24	2.0
12	वीरपार्क मार्ग से टैगोर मार्ग (जैन भवन मार्ग)	सी	12-15	15	2.0

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

अनु. क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	मार्ग चौड़ाई (मीटर)		फर्शी क्षेत्र अनुपात
			वर्तमान	प्रस्तावित	
1	2	3	4	5	6
13	महू-नसीराबाद मार्ग (प्रायवेट बस स्टेण्ड चौराहे से तहसील चौराहा तक)	आर.सी	20-30	30	2.50
14	अम्बेडकर मार्ग	सी	24-30	30	2.0
15	मनासा मार्ग - शो रूम चौराहे से रेस्ट हाऊस से आगे नीमच सिटी यादव मण्डी जाने वाले मार्ग संगम तक	सी	24-30	30	2.0

## नोट :-

1. उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अथवा वाणिज्यिक-सह-आवासीय उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे।

2. सी-वाणिज्यिक, आर.सी.-आवासीय सह वाणिज्यिक।

3. जिन स्थानों पर मार्गों की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक है, वहां पर वर्तमान चौड़ाई ही यथावत रहेगी।

4. भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।

5. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दोगुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार होगा।

## • निर्मित क्षेत्र

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

## वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल के मापदण्ड

सारणी 6-सा- 9

क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू-तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम
1	2	3
1	अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
2	200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
3	400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

**6.14.3 सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक**

इस उपयोग अंतर्गत स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात वर्तमान सघन क्षेत्र के लिये निम्न सारणी में दर्शाये गये।

**सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड**

सारणी 6-सा- 10

क्र.	विवरण	भू-आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1	महाविद्यालय	30 प्रतिशत	1.0
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.0
3	प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
4	पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
5	चिकित्सालय	30 प्रतिशत	1.0
6	स्वास्थ्य केन्द्र	40 प्रतिशत	1.25
7	पुलिस थाना	30 प्रतिशत	1.0
8	अग्निशमन भवन	30 प्रतिशत	1.0
9	सामुदायिक भवन	30 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय	30 प्रतिशत	1.25

भू-आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य होगा।

**6.15 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान**

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

## अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा- 11

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
1	फुटपाथ व्यापार - वृत्त खण्ड केन्द्र - उपवृत्त खण्ड केन्द्र - सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्प्लेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5	विद्यालय - प्राथमिक - माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई
6	उद्यान - नगर उद्यान - स्थानीय उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप:- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

## 6.16 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

### 6.17 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू-उपयोग में मान्य होगी। खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

### 6.18 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

- शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट-अ में दिए गए अनुसार होगी।
- विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।
- उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छः में विहित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है।

### 6.19 हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लॉजिंग/बोर्डिंग के लिए नियमन-

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर

अधिकतम एफ.ए.आर. 1 : 1.0

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) 33 प्रतिशत

अधिकतम ऊँचाई 12.00 मीटर

**सीमांत खुला क्षेत्र -**

(अ) सम्मुख 6.0 मीटर

(ब) अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

**अन्य नियंत्रण -**

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

## 6.20 मैरिज गार्डन

मैरिज गार्डन विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होंगे।

## 6.21 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर

अधिकतम एफ.ए.आर. 1 : 0.5

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) 15 प्रतिशत

न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग 25.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र -

सम्मुख 6.0 मीटर

अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण :-

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर।

भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।

इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी।

टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

## 6.22 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल- 1000 वर्गमीटर

अधिकतम निर्मित क्षेत्र- 40 प्रतिशत

भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र - 6.0 मीटर

## 6.23 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।



### 6.24 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। मल्टीप्लेक्स आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा, जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

### 6.25 बंगला, बगीचा भूमि के लिए नियमन

नगर पालिका परिषद् की सीमा के भीतर स्थित बंगला, बगीचा की भूमियों का "नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017" के अंतर्गत व्यवस्थापन पश्चात् ऐसी भूमियों पर व्यवस्थापन में उल्लेखित प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा तत्संबंधी उपयोग परिक्षेत्र हेतु निर्धारित मानकों के अंतर्गत दी जा सकेगी।

व्यवस्थापन से अभिप्रेत है, बंगला, बगीचा की भूमियों का "नगर पालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017" के अधीन प्रीमियम तथा भू-भाटक शुल्क लेकर भूमि को अधिभोगी के पक्ष में अंतरण किया जाना है।

### 6.26 उद्यान

समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुशांगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होगी।

स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

### 6.27 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

- नदी, नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला खुला क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
- नहर की स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों से दोनों ओर 3.0-3.0 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
- प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
- नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा।
- निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
- नदियों के संरक्षण एवं जल गुणवत्ता में सुधार हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
- संवेदनशील क्षेत्रों में रख-रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

### 6.28 ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हो, तो भी।
- समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।

पुरातात्विक महत्व के स्मारकों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र खुला रखा जायेगा।

### 6.29 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6-सा- 12

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/ नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/अर्धशासकीय/शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
2	वाणिज्यिक	
(अ)	सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।
(ब)	वर्गीकृत वाणिज्यिक	आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
3	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलैटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट।
4	सार्वजनिक एवं	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	अर्धसार्वजनिक	दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजि व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**
5	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर/स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
6	यातायात एवं	रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाइन/रेलवे साइडिंग/यार्ड/आपरेशनल एरिया, बस स्टैण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल-नगर, हवाई पट्टी, माल

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
	परिवहन	गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पम्प।
7	आमोद-प्रमोद	
(अ)	क्षेत्रीय/नगर उद्यान/मनोरंजन	खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिमनेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
(ब)	स्टेडियम/खेल मैदान	स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब/रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिमनेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
(स)	मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिमनेजियम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम-अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
(द)	हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग, नर्सरी, पक्षी

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।
(इ)	वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/ कुटीर-अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
8	वन	वन विभाग के प्रावधानानुसार
9	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र,

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेशी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, समस्त खेल गतिविधियां/लॉजिस्टिक हब, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधाएं*** समस्त प्रकार के भण्डारण।

व्याख्या:-

- (1) \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- (2) \*\*गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- (3) \*\*\*कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार मान्य होगा।

### 6.30 मिश्रित उपयोग कॉरिडोर

इस उपयोग के अंतर्गत एम. आर. 10 के दोनों ओर व मनासा की ओर ग्राम जैतपुरा में निवेश क्षेत्र सीमा तक मार्ग के दोनों ओर 150-150 मीटर गहराई तक मिश्रित उपयोग कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्धशासकीय उपयोग स्वीकार्य होंगे।

### 6.31 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

## अध्याय 7 योजना क्रियान्वयन

विकास नीमच विकास योजना 2011 का क्रियान्वयन अपेक्षानुसार न होने का मुख्य कारण विकास से संबंधित संस्थाओं, निकायों के शिथिल प्रबंधन एवं योजना काल की समयबद्धता के परे अन्य कार्य करना है। जिसके फलस्वरूप जनसाधारण से संबंधित मूलभूत अधोसंरचना का विकास प्रस्ताव अनुरूप नहीं हो सका। योजना क्रियान्वयन का ठोस प्रयास न केवल नगरीय विकास बल्कि नगरीय जीवन स्तर एवं आर्थिक विकास हेतु अति आवश्यक है जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार क्रियान्वयन आवश्यक है।

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है। नीमच विकास योजना का क्रियान्वयन नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। इसके गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिका नीमच द्वारा वहन किया जावेगा। विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः म.प्र. गृह निर्माण मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है। इसलिये यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

### 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक के लिए है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में रूपये 160526.70 लाख का व्यय अनुमानित है, इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 774.58 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय, जिसमें नये मार्गों का निर्माण आदि शामिल है।

भूमि अर्जन की औसत दर रूपये 45.0 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है। इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि का दस गुना अनुमानित है। विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7-सा-1 में दर्शाया गया है।



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## विकास योजना का क्रियान्वयन

सारणी 7-सा- 1

क्र	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)				भू-अर्जन लागत (रु. 45.0 लाख प्रति हे. की दर से)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में) (7+10)
		प्रस्तावित (हे. में)	वर्तमान (हे. में)	शेष (हे. में)	भूमि अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में)		क्षेत्र (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आवासीय	1626.09	678.03	948.06	94.81	426.63	568.84	100.00	56883.60	57310.23
2	वाणिज्यिक	270.01	93.19	176.82	17.68	2387.07	106.09	100.00	10609.20	12996.27
3	मिश्रित	235.56	-	235.56	23.56	3180.06	141.34	100.00	14133.60	12996.27
4	औद्योगिक	234.65	47.00	187.65	131.36	5488.76	112.59	100.00	11259.00	16747.76
5	सार्व./अर्ध सार्वजनिक तथा सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं	356.21	191.08	165.13	115.59	4830.05	99.08	100.00	9907.80	14737.85
6	आमोद-प्रमोद	305.61	40.73	264.88	185.42	8939.70	158.93	50.00	7946.40	16886.10
7	यातायात एवं परिवहन	651.38	376.48	274.90	206.18	8040.83	164.94	100.00	16494.00	24534.83
योग:-		<b>3679.51</b>	<b>1426.51</b>	<b>2253.00</b>	<b>774.58</b>	<b>33293.10</b>	<b>1351.80</b>	-	<b>127233.60</b>	<b>160526.70</b>

नोट :- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की हैं जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा। अतः असिंचित भूमि एवं सिंचित भूमि की दर प्रति हेक्टेयर 7.0 लाख से 60 लाख एवं सिंचित भूमि 14 लाख से 75 लाख तक का औसत दर को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन की दर 45 लाख प्रति हेक्टेयर रखी गई है।

## 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

नीमच विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विकास योजना के अधिकांश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है, जिसका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है।

अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है :-

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप,

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र का संरक्षण,
3. भूमि का कुशलतम उपयोग,
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारणाएं
5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव,
6. समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास प्रदान करना,  
विकास योजना/क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है :-

- अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम,
- ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम,
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
8. किसी भी तरह के स्वीकार्य उपयोग 12 मीटर चौड़ाई से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर विकसित नहीं किये जा सकेंगे।
9. आवासीय परिक्षेत्रों में चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से संबंधित उपक्रम विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होंगे।
10. प्रत्येक अभिन्यास के खुले क्षेत्र में प्रत्येक 100 आवासीय इकाईयों के लिए एक बालवाड़ी, एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बंद कचराघर हेतु कम से कम 20 फीट स्थान आरक्षित रखना होगा। जहां से स्थानीय संस्थाएं सुविधापूर्वक कचरे का उठान कर सकें, जिससे कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े।
11. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

### 7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट, भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरण समस्याएं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार एवं निराकरण।

### 7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है :-

1. नदी एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टापडेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

### 7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा :-

1. संस्था का गठन,
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन,
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग,
4. नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान,

#### 7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भूमि स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा। यहाँ समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएं, प्रमुख सेवाएं, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

#### 7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के

मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

### 7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कि पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सके। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड तथा उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस विकास योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए। इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है।

1. एकीकृत नगर विकास योजना के तत्वों की पहचान,
2. एकीकृत नगर विकास योजना तैयार करना
3. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान,
4. विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण,
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हैं,
6. समन्वय अधिकारियों और अन्य खण्डीय/एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

## 7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग की प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जावे। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में नियमन वर्णित किये गये हैं।

## 7.6 योजना एवं कार्यक्रम

- (अ) क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में वर्ष 2025 तक की आवश्यकताओं, द्वितीय चरण में वर्ष 2026 से 2031 तथा तृतीय चरण में वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
- (ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि-स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।
- (स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :-
1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
  2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।
  3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।
  4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अर्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।
  5. योजना के तीनों चरणों की आवश्यकता, जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

## 7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है :-

- यह सुनिश्चित करना कि, भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।
- अर्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

## 7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमि उपयोग के अन्तर्गत 232.37 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 52868.04 लाख होगी।

विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :-

## प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7-सा- 2

क्र.	कार्य विवरण	भू अर्जन क्षेत्रफल (हे. में)	भू- अर्जन की लागत (रु. 45 लाख प्रति हे. की दर से)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय नौतिक लक्ष्य (हे. में)	व्यय रूपये लाख में		कुल व्यय (रु. लाख में)
					दर	लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	28.44	1279.88	189.61	100.00	18961.20	20241.08
2	वाणिज्यिक	5.30	238.71	35.36	100.00	3536.40	3775.11
3	मिश्रित	7.07	318.01	47.11	100.00	4711.20	5029.21
4	औद्योगिक	39.41	1773.29	37.53	100.00	3753.00	5526.29
5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक सुविधाएं	34.68	1560.48	33.03	100.00	3302.60	4863.08
6	आमोद-प्रमोद	55.62	2503.12	52.98	50.00	2648.80	5151.92
7	यातायात एवं परिवहन	61.85	2783.36	54.98	100.00	5498.00	8281.36
	योग	232.37	10456.85	450.60	-	42411.20	52868.04


## 7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास नहीं किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय होता है। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक-पृथक रहे हैं, जिसमें उपलब्धता एवं क्षमता को नीमच जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है, जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

## 7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।
2. योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है :-
  - (अ) पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना।
  - (ब) आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताओं वाली कार्य योजना का निर्धारण।
  - (स) प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।





## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

- (द) वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
- (इ) आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
- (फ) समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
- (ग) वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
- (ड) सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र :- योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-
- (अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
- (ब) नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- (स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास कार्यक्रम/क्रियान्वयन का मूल्यांकन।
- (द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।
4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व नीमच नगर पालिका का होगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/45/32/2010 दिनांक 15/04/2010 द्वारा जिलाध्यक्ष नीमच की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876 दिनांक 15/05/1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण : नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

### 7.10 योजना की व्याख्या

नीमच विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगी। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियां जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैंड यूज झोन) में परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में सम्बद्ध तालिका में शामिल है, वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताप क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का भाग माना जावेगा।
5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के हैं। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
6. यह कि नीतिगत दस्तावेज है, विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि से आवश्यकता से संबंधित व्याख्या विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनर्समायोजित की जा सकती है।

### 7.11 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिये किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। नीमच विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिये प्रस्तावित किये गये हैं। विकास योजना के प्रस्ताव, योजना कालावधि के उपरान्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्ताव के संतुप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

---

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

---

## परिभाषाएँ

- 001 आवासीय भूखण्ड भूखण्डीय आवास**  
एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।
- 002 आवासीय भूखण्ड समूह आवास**  
न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों।
- 003 आवासीय प्लेट**  
एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।
- 004 आवासीय-सह-कार्य भूखण्ड**  
एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।
- 005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र**  
विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।
- 006 छात्रावास (हॉस्टल)**  
दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।
- 007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह**  
अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।
- 008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष**  
वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।
- 009 बारात घर**  
सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।
- 010 रैन-बसेरा (नाइट शेल्टर)**  
ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।
- 011 फुटकर दुकानें**  
आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

- 012 मरम्मत दुकान**  
गृह सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।
- 013 व्यक्तिगत सेवा दुकान**  
फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।
- 014 बेडिंग बूथ**  
यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।
- 015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र**  
लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।
- 016 स्थानीय दुकान केन्द्र**  
लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।
- 017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई**  
बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।
- 018 थोक व्यापार**  
ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।
- 019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण**  
ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।
- 020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)**  
आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
- 021 गैस गोदाम**  
ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाता हो।
- 022 तेल डिपो**  
संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

- 023 कबाड़खाना**  
अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।
- 024 वाणिज्यिक कार्यालय**  
लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।
- 025 बैंक**  
ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।
- 026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला**  
वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।
- 027 छविगृह**  
दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।
- 028 पेट्रोल पंप**  
ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।
- 029 रेस्टोरेंट/उपहार गृह**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।
- 030 होटल**  
ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।
- 031 मोटल**  
ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।
- 032 पलेटेड समूह उद्योग**  
ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।
- 033 सेवा केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

**034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग**

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

**035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग**

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

**036 उद्यान (पार्क)**

आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फेंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

**037 क्रीडांगन**

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

**038 बाह्य खेल स्टेडियम**

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

**039 आंतरिक खेल स्टेडियम**

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

**040 आंतरिक खेल हाल**

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

**041 शूटिंग रेंज**

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

**042 तरण पुष्कर**

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

**043 आमोद-प्रमोद क्लब**

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

**044 ऐतिहासिक स्मारक**

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

**045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय**

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

**046 पक्षी अभ्यारण्य**

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

**047 वनस्पति उद्यान**

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

**048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट**

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

**049 फ्लाईंग क्लब**

ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

**050 माल एवं टिकट घर**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो।

**051 रेल माल गोदाम**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

**052 रेल टिकट घर**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।

**053 सड़क परिवहन टिकट घर**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

**054 वाहन विराम**

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।



## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

**055 टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतर्वर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

**056 बस अवसान केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

**057 बस स्थानक**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

**058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर**

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल-मल पंपिंग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

- 059 केन्द्र शासन के कार्यालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।
- 060 स्थानीय शासन के कार्यालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।
- 061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।
- 062 न्यायालय**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।
- 063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)**  
शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।
- 064 चिकित्सालय**  
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।
- 065 स्वास्थ्य केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।
- 066 उपचार केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।
- 067 औषधालय**  
ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।
- 068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।
- 069 उपचार प्रयोगशाला**  
ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

- 070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा**  
ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।
- 071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।
- 072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल**  
ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।
- 073 माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।
- 074 प्राथमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छठवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।
- 075 उच्चतर माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।
- 076 एकीकृत शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।
- 077 एकीकृत आवासीय शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।
- 078 महाविद्यालय**  
ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।
- 079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं।
- 080 सामाजिक कल्याण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

- 081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।
- 082 पुस्तकालय**  
ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।
- 083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।
- 084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण**  
ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकॉर्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।
- 085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।
- 086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।
- 087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें ऑटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।
- 088 बाल यातायात उद्यान**  
ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो।
- 089 संग्रहालय**  
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।
- 090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल**  
ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।
- 091 समागृह (ऑडिटीोरियम)**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।
- 092 खुला रंगमंच**  
ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

**093 सामुदायिक भवन**

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

**094 मेला मैदान**

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

**095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

**096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था**

ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।

**097 सुधार गृह**

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

**098 अनाथालय**

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।

**100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।

**101 पुलिस चौकी**

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।

**102 पुलिस स्टेशन**

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

**103 जिला पुलिस कार्यालय**

अर्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।

**104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक**

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।

**105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला**

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

- 106 जेल**  
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।
- 107 अग्निशमन पोस्ट**  
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।
- 108 अग्निशमन पोस्ट**  
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।
- 109 डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।
- 110 डाक एवं तार घर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 111 मुख्य डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 112 टेलीफोन एक्सचेंज**  
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।
- 113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन**  
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर, जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।
- 114 ट्रांसमिशन टॉवर एवं वायरलेस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टॉवर निर्माण हेतु किया जाता हो।
- 115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र**  
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।
- 116 वैद्यशाला एवं मौसम कार्यालय**  
ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।
- 117 बाग (ओरचर्ड)**  
सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

**118 डेयरी फार्म**

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो, जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

**119 कुक्कुट फार्म**

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर, जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

**120 सुअर पालन**

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर, जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

**121 ग्रामीण केन्द्र**

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

**122 मल्टीप्लेक्स**

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

**123 URDPFI**

Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation Guidelines

**124 GIS**

Geographical Information System

**125 TDR**

Transfer of Development Rights

**126 DEM**

Digital Elevation Model

**127 NRSC**

National Remote Sensing Centre

**128 RS**

Remote Sensing

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## परिशिष्ट 1

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-दो  
दिनांक 2.11.1973 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश शासन  
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग  
अधिसूचना  
भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 1973

क्रमांक 2365/एफ-1-54/XXXIII/73-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा नीमच नगर निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिलक्षित की गई है :-

## अनुसूची

## नीमच निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. उत्तर में - भोल्यावास, कनावटी, डुंगलावदा तथा चंगेरा ग्राम की उत्तरी सीमा तक
2. पश्चिम में - चंगेरा, खड़ावदा, लेवड़ा, धनेरियाकलां, कुमारिया वीरान तथा जागोली ग्राम की पश्चिमी सीमा तक
3. दक्षिण में - जागोली, अरन्याकुमार, जैसिंहपुरा तथा हिंगोरिया ग्राम की दक्षिणी सीमा तक
4. पूर्व में - हिंगोरिया, रावतखेड़ा तथा जैतपुरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एन. बुच, विशेष सचिव.



**परिशिष्ट 2**

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1)  
दिनांक 19.11.1976 में प्रकाशित

**संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, मध्यप्रदेश इन्दौर**

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट नीमच निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार समयक रूप से अंगीकृत किए जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र समयक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

**नीमच निवेश क्षेत्र की सीमाएं**

1. उत्तर में - भोल्यावास, कनावटी, डुंगलावदा तथा चंगेरा ग्राम की उत्तरी सीमा तक
2. पश्चिम में - चंगेरा, खड़ावदा, लेवड़ा, धनेरियाकलां, कुमारिया वीरान तथा जागोली ग्राम की पश्चिमी सीमा तक
3. दक्षिण में - जागोली, अरन्याकुमार, जैसिंहपुरा तथा हिंगोरिया ग्राम की दक्षिणी सीमा तक
4. पूर्व में - हिंगोरिया, रावतखेड़ा तथा जैतपुरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 15 नवम्बर 1976 से 22 नवम्बर 1976 तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा।

निरीक्षण स्थल :

नगरपालिका सभागृह

नीमच (म.प्र.)

हस्ताक्षर

(व्ही.के.जैन)

संयुक्त संचालक

नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035

## परिशिष्ट 3

**मध्यप्रदेश शासन**  
**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**  
**मंत्रालय**

आदेश

भोपाल, दिनांक 13.01.2021

क्रमांक..... राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अंतर्गत नीमच विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3/31/2013/32 भोपाल, दिनांक 30.07.2014 को निरस्त करते हुये नीमच विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
1	2	3	4
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद, नीमच	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, नीमच	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, मंदसौर-नीमच	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, नीमच	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	सदस्य
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, नीमच	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, बरुखेड़ा(ग्राम भोल्यावास)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, कनावटी (ग्राम कनावटी)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, डुंगलावदा (ग्राम डुंगलावदा, ग्राम चंगेरा)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, बिसलवासकलां (ग्राम खड़ावदा)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, धनेरियाकलां (ग्राम लेवड़ा, ग्राम धनेरियाकलां, ग्राम जागोली)	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, जैसिंगपुरा (ग्राम अरन्याकुमार, ग्राम जैसिंगपुरा)	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपल्याहाड़ा (ग्राम हिंगोरिया)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, जमुनियाखुर्द (ग्राम रावतखेड़ा, ग्राम जैतपुरा)	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला नीमच	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नीमच	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नीमच	सदस्य

## नीमच विकास योजना (प्रारूप) | 2035

	4. प्रतिनिधि	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया,	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	सदस्य
(झ)	समिति संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन म.प्र.	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

2354

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021

[ भाग 1

क्र. एफ 3-24-2021-अवरह-5.- राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत नीमच विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/31/2013/32 भोपाल, दिनांक 30.07.2014 को निरस्त करते हुये नीमच विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
1	2	3	4
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद, नीमच	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, नीमच	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, मंदसौर- नीमच	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र नीमच	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, नीमच	सदस्य
(छ)	1.सरपंच	ग्राम पंचायत, बरुखेडा (ग्राम भोल्यावास)	सदस्य
	2.सरपंच	ग्राम पंचायत, कनावटी (ग्राम कनावटी)	सदस्य
	3.सरपंच	ग्राम पंचायत, हुंगलावदा (ग्राम हुंगलावदा, ग्राम चंगेरा)	सदस्य
	4.सरपंच	ग्राम पंचायत, बिसलवासकला (ग्राम खड़ावदा)	सदस्य
	5.सरपंच	ग्राम पंचायत, घनेरियाकला (ग्राम लेकड़ा, ग्राम घनेरियाकला, ग्राम जागोली)	सदस्य
	6.सरपंच	ग्राम पंचायत, जैसिंगपुरा (ग्राम अरन्याकुमार, ग्राम जैसिंगपुरा)	सदस्य
	7.सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपल्याहाड़ा (ग्राम हिंगोरिया)	सदस्य
	8.सरपंच	ग्राम पंचायत, जमुनियाखुर्द (ग्राम सक्तखेड़ा, ग्राम जैतपुरा)	सदस्य
(ज)	1.प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला नीमच	सदस्य
	2.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नीमच	सदस्य
	3.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नीमच	सदस्य
	4.प्रतिनिधि	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच	सदस्य
	5.प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	6.प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	7.प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन(म.प्र.)	संयोजक

